



**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार (आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय-सिविल)
2023 की संख्या 1
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय-सिविल)

2023 की संख्या 1

(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ)

लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर को रखा गया

विषय वस्तु

अध्याय / पैराग्राफ	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	iii
	कार्यकारी सार	v
अध्याय I प्रस्तावना		
1.1	इस प्रतिवेदन के विषय में	1
1.2	लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	1
1.3	लेखापरीक्षा की योजना और संचालन	2
1.4	बजट और व्यय	3
1.5	उपयोगिता प्रमाण पत्र	6
1.6	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) द्वारा लेखाओं को जमा करने में देरी	8
1.7	सीएबी के लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने में देरी	8
1.8	लेखापरीक्षा के प्रमाणन के परिणाम	9
1.9	लंबित एटीएन की स्थिति	10
1.10	लेखापरीक्षा पैराग्राफ के मसौदे पर मंत्रालयों/विभागों का उत्तर	10
अध्याय II कोयला मंत्रालय		
कोयला खान भविष्य निधि संगठन		
2.1	दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिबेंचरों के मोचन के लिए समय पर निर्णय लेने में प्रबंधन की विफलता के परिणामस्वरूप ₹315.35 करोड़ की परिहार्य हानि हुई	11
2.2	कोयला खान पेंशन योजना 1998 और कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना 1976 का संचालन	18

अध्याय III	वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)	
3.1	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण में पाई गई कमियां	54
अध्याय IV	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	
	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	
4.1	जल प्रभारों की अपर्याप्त वसूली	67
4.2	लेखापरीक्षा के परामर्श पर संशोधन/सुधार	73
4.3	लेखापरीक्षा के परामर्श पर ₹19.62 लाख की वसूली	75
4.4	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आवासों का अनुरक्षण	78
अध्याय V	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	
	विकास आयुक्त का कार्यालय (एमएसएमई)	
5.1	एचएसआईआईडीसी को अस्वीकार्य राशि जारी करना	107
अध्याय VI	खान मंत्रालय	
6.1	हेलीकॉप्टर की खरीद और भूभौतिकीय सर्वेक्षण प्रणाली पर निष्फल व्यय	110
	राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट	
6.2	राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की कार्यप्रणाली	115
अध्याय VII	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	
	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट	
7.1	निजी संविदाकार को भूमि आवंटन में अनुचित लाभ	145
	विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण	
7.2	विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण में पर्यावरणीय मुद्दों का आंकलन	148
	अनुलग्नक-I से XXXI	
		183-314

प्राक्कथन

मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में केन्द्र सरकार के आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। भारत की संचित निधि में से अनुदान/ऋणों से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय या प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14(1) के उपबंधों के अधीन सीएंडएजी द्वारा की जाती है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जिन्हें 2020-21 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया या पूर्व वर्षों में देखा गया लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हें रिपोर्ट नहीं किया जा सका। 2020-21 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है, जहां भी आवश्यक हो।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

I प्रस्तावना

1. इस प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/विभागों तथा उनके केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं एवं अभिलेखों की जांच के परिणामस्वरूप देखे गए लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष शामिल हैं।
2. इस प्रतिवेदन में छह मंत्रालयों से संबंधित 12 व्यक्तिगत अभ्युक्तियाँ शामिल हैं। प्रारूप अभ्युक्तियों को संबंधित मंत्रालयों को अग्रेषित कर दिया गया था जिसमें उन्हें छह सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्येक मामले में अपने उत्तर/टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था। इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिए जाने तक भी पांच टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे जैसा कि नीचे पैरा 3 में दर्शाया गया है।
3. इस प्रतिवेदन में शामिल पैरा भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों और उनके केन्द्रीय स्वायत्त निकायों से संबंधित हैं:

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	पैराग्राफ की संख्या	उन पैराग्राफ की संख्या जिनके संबंध में मंत्रालय/विभाग के उत्तर प्रतीक्षित थे
1.	कोयला	2	-
2.	वित्तीय सेवाएं विभाग	1	-
3.	आवासन और शहरी कार्य	4	4
4.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	1	-
5.	खान	2	-
6.	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग	2	1
	कुल	12	5

II प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफों की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने दीवान आवास वित्त निगम लिमिटेड के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों में ₹1390.25 करोड़ (मई 2015 से फरवरी 2018 की अवधि के दौरान) का निवेश किया। निवेश में ₹864 करोड़ की राशि के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर शामिल थे, जिसका एक समयपूर्व मोचन उपनियम था, जो गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की क्रेडिट रेटिंग एए- या नीचे गिरने की स्थिति में उपार्जित ब्याज के साथ परिपक्वता से पहले निवेश के निपटान का अधिकार प्रदान करता है। ₹526.25 करोड़ की राशि के शेष गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों में प्रारंभिक मोचन का ऐसा उपनियम नहीं था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि मार्च 2019 से गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों की रेटिंग को कम करने/गिराए जाने और समयपूर्व मोचन विकल्प का उपयोग करने के पोर्टफोलियो प्रबंधकों की सिफारिशों के बावजूद, कोयला खान भविष्य निधि संगठन विकल्प का उपयोग करने में विफल रही और किसी निर्णय पर नहीं पहुंची जिसके परिणामस्वरूप ₹315.35 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

सिफारिश:

दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिबेंचरों के मोचन के लिए सही समय पर कार्रवाई करने में प्रबंधन की विफलता की जवाबदेही तय करने हेतु जांच की जा सकती है। प्रबंधन डिबेंचर आदि में निवेश की निगरानी के लिए प्रणाली को मजबूत कर सकता है, ताकि निवेशित निधियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(पैरा 2.1)

कोयला खान पेंशन योजना 1998 और कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना 1976 का संचालन

लेखापरीक्षा में कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित कोयला खान पेंशन योजना 1998 और कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना 1976 के संचालन की समीक्षा की गई। अनुपालन लेखापरीक्षा पैरा योजनाओं के संचालन के मामलों को इंगित करता है। योजनावार दर्ज किए गए मामले नीचे दिए गए हैं:

1. **कोयला खान पेंशन योजना, 1998:** यह योजना 31 मार्च, 1998 से लागू हुई। इस योजना के अनुसार कर्मचारियों को अधिवर्षिता पर पेंशन का भुगतान करने का

प्रावधान शामिल है। साथ ही, इस योजना में विधवा/विदुर पेंशन तथा बाल पेंशन के भुगतान का प्रावधान है। अभिलेखों की जांच करते समय, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मामले देखे:

- खान श्रमिकों की अपर्याप्त कवरेज {पैरा 2.2.5.1(i)}
- पेंशन मामलों की प्राप्ति और निपटान में विलंब {पैरा 2.2.5.1(iii)(क) और (ख)}
- पेंशन का गलत निर्धारण {पैरा 2.2.5.1(iv)}
- योजना के प्रावधानों का पालन न करना/विचलन {पैरा 2.2.5.1(v)}
- अधिक पेंशन संवितरण के मामले {पैरा 2.2.5.1(vi)(ड)}
- निगरानी और नियंत्रण तंत्र की कमी {पैरा 2.2.5.1(vi)}

प्रबंधन/मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों को स्वीकार किया है और सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

2. कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976: योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को जीवन बीमा का लाभ प्रदान करने के लिए, कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 को 1 अगस्त 1976 से लागू किया गया था। योजना में यह प्रावधान है कि सेवा में किसी कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में, उसका/उसकी नामिती पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान अधिकतम ₹10,000/- तक मृतक के खाते में औसतन शेष राशि के बराबर प्राप्ति के लिए हकदार है। अभिलेखों की जांच करते समय, लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित मामले देखे गए:

- इस योजना के सदस्यों से योगदान का संग्रह न करना। {पैरा 2.2.5.2(ii)}
- गैर-अंशदाताओं पर क्षति प्रभारों का उदग्रहण न करना। {पैरा 2.2.5.2(iii)}
- लेखाओं के रखरखाव के लिए जांच शुल्क का उदग्रहण और संग्रह न करना जो योजना के प्रावधानों का विचलन है। {पैरा 2.2.5.2(iii)}
- योजना की शुरुआत से ही प्रशासनिक प्रभारों में संशोधन न करना। {पैरा 2.2.5.2(iii)}

तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने कहा कि न्यासी मंडल ने योजना को वापस लेने के प्रस्ताव का निर्णय लिया है तथा इसे अनुमोदित किया है और इसे कोयला मंत्रालय को

भेज दिया गया है। मंत्रालय ने तथ्यों को भी स्वीकार किया और कहा कि अधिनियम में संशोधन के माध्यम से जमा संबद्ध बीमा योजना को वापस लेने का प्रस्ताव विचाराधीन था।

पैरा में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के संबंध में लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

1. प्रबंधन द्वारा पेंशन योजना के तहत कोयला खानों के कामगारों को अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
2. प्रबंधन को भविष्य में पेंशन देयता के संवितरण के लिए निधि की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, बीमांकक की सिफारिशों पर समय पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
3. प्रबंधन को सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पेंशन दावों को समय पर प्रस्तुत करने हेतु तंत्र विकसित करनी चाहिए।
4. प्रबंधन को आवश्यक कदम उठाने चाहिए और समयबद्ध तरीके से पेंशन दावों का निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करनी चाहिए ताकि सदस्यों को समय पर उनका पेंशन संबंधित कानूनी अधिकार प्रदान किया जा सके।
5. प्रबंधन को पेंशन योजना में शीघ्र संशोधन करने के लिए इस मामले को मंत्रालय के साथ आगे बढ़ाना चाहिए ताकि पेंशन के संवितरण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच एकरूपता लाई जा सके।
6. प्रबंधन को पेंशन संवितरण की कमियों को दूर करने के लिए निगरानी और समाधान तंत्र विकसित करनी चाहिए।
7. प्रबंधन को लंबे समय से लंबित पेंशन संशोधन मामलों का त्वरित समाधान और निपटान सुनिश्चित करनी चाहिए।
8. प्रबंधन को पेंशन की निगरानी और संवितरण को सुप्रवाही बनाने के लिए एक प्रभावी आईटी प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
9. प्रबंधन को भूतपूर्व परिवार पेंशन योजना के त्वरित निपटान के लिए कदम उठाने चाहिए।
10. शिकायतों के शीघ्र और समय पर निवारण के लिए प्रबंधन को एक विश्वसनीय तंत्र विकसित करनी चाहिए।

11. प्रबंधन को योजना के वर्तमान प्रावधानों की समीक्षा करनी चाहिए और इस योजना के लिए एक स्वतंत्र नियामक की संभावना पर विचार करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लक्षित लाभ संविदा कामगारों तक पहुंचाया जा सके।

(पैरा 2.2)

वित्तीय सेवाएँ विभाग

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण में पाई गई कमियां

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) भारतीय बैंकिंग प्रणाली के प्रमुख घटक हैं और भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हैं। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने ऋण वृद्धि के लिए पीएसबी का पुनर्पूजीकरण किया, नियामक पूंजी की आवश्यकता को पूरा किया, भारतीय रिजर्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे के अंतर्गत आने वाले बेहतर प्रदर्शन करने वाले पीएसबी को इससे बाहर निकलने और पीएसबी के समामेलन के कारण पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सुसज्जित किया। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित देखा:

- डीएफएस ने 2017-18 में देश का सबसे बड़ा पीएसबी मानते हुए एसबीआई में ऋण वृद्धि के लिए ₹8,800 करोड़ का निवेश किया, यद्यपि कोई मांग नहीं की गई थी। डीएफएस ने पुनर्पूजीकरण से पहले अपनी मानक प्रथा के अनुसार पूंजी की आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया।
- डीएफएस ने पीएसबी के पुनर्पूजीकरण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अतिरिक्त कुशन पर विचार किया। आरबीआई ने पहले ही भारत में बैंकों पर अतिरिक्त 1 प्रतिशत की बढ़ी हुई पूंजी आवश्यकता निर्धारित की थी। इससे ₹7,785.81 करोड़ का अतिरिक्त निवेश हुआ।
- डीएफएस ने 2019-20 में ₹33 करोड़ की राशि अभ्यर्पित करने से बचने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ₹831 करोड़ का निवेश किया, जबकि बैंक ने ₹798 करोड़ की मांग की थी।

पैरा में लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

1. सभी पीएसबी के बीच एकरूपता बनाए रखने के लिए, डीएफएस ऋण वृद्धि के लिए पीएसबी में अतिरिक्त पूंजी निवेश के मामलों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार कर सकता है।
2. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बैंकों के लिए विनियामक पूंजी आवश्यकता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंड पहले से ही बेसल III मानदंडों से ऊपर हैं, डीएफएस यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धन निवेश कर सकता है कि पीएसबी आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंडों को पूरा करने में सक्षम हैं। वर्ष के दौरान विनियामक आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता, यदि कोई हो, पर उचित औचित्य के साथ विचार किया जा सकता है। राजकोषीय घाटे और देश में संसाधनों की प्रतिस्पर्धी मांगों को ध्यान में रखते हुए विनियामक आवश्यकता के अतिरिक्त व्यापक गुंजाइश/कुशन देने को सामान्यतः प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

(पैरा 3.1)

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

सामान्य पूल आवासीय आवास, जहां मीटरों द्वारा जल आपूर्ति को विनियमित नहीं किया जाता है, के जल शुल्कों की दर का निर्णय सीपीडब्ल्यूडी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर किया जाएगा और जल शुल्क में समय समय पर संशोधन किया जाएगा और डीओई द्वारा परिचालित किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि 'एन' डिवीजन में सीपीडब्ल्यूडी, आबंटियों से वसूल की गई राशि की तुलना में नई दिल्ली नगर निगम द्वारा जलापूर्ति का ज्यादा भुगतान कर रही है। इसका कारण पिछले 16 से 27 वर्षों से जल प्रभारों की वसूली के लिए व्यक्तिगत जल मीटरों का अधिष्ठापन न करना और दरों में संशोधन न करना था। इसके परिणामस्वरूप सीपीडब्ल्यूडी पर ₹7.69 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ा।

(पैरा 4.1)

पुष्पा भवन, दिल्ली के संदर्भ में वास्तविक खपत अनुबंध मांग से निरंतर कम थी। यद्यपि 100 किलोवाट (केडब्ल्यू) से अधिक कनेक्शनों के लिए मूल ऊर्जाकरण की तिथि से दो वर्ष बाद संविदा मांग में कमी का प्रावधान था। पुष्पा भवन के संबंध में के.लो.नि.वि. प्रभाग द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया गया, जिससे ₹44.62 लाख की

परिहार्य हानि हुई। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुबंध मांग और स्वीकृत भार में कमी की गई। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का अनुसरण करते हुए, सीपीडब्ल्यूडी निदेशालय ने ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए निर्देश (दिसम्बर 2021) भी जारी किए हैं, जहां वास्तविक अधिकतम मांग अनुबंध मांग से कम है।

(पैरा 4.2)

नई पेंशन योजना (अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अंशदान से पुरानी पेंशन योजना (जीपीएफ अंशदान) में पुनः लौटने पर, न्यायालय के आदेश के अनुसार, सीपीडब्ल्यूडी ने एनएसडीएल से प्राप्त एनपीएस अंशदान की समस्त राशी को बिना सरकारी हिस्से और उस पर ब्याज को समायोजित किए, कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में क्रेडिट कर दिया है। स्पष्ट रूप से, नौ मामलों में, जीपीएफ खातों में जमा ₹0.69 लाख के दंडात्मक ब्याज सहित ₹19.62 लाख की राशि लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली गई और सरकारी खातों में हस्तांतरित की गई थी। सीपीडब्ल्यूडी को अन्य समान मामलों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए अनुस्मारक भेजने के बावजूद कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।

सिफारिश:

सीपीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के सभी मामलों की समीक्षा करें, जहाँ एनएसडीएल द्वारा एनपीएस अंशदान लौटाया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो की कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में सरकारी हिस्से और उस पर अर्जित ब्याज के साथ दंडात्मक, यदि कुछ है, के समायोजन के बाद वैध अंश ही क्रेडिट हो।

(पैरा 4.3)

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आवासों का अनुरक्षण

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) का एक संबद्ध कार्यालय है और भारत सरकार के प्रधान इंजीनियरिंग संगठन और तकनीकी सलाहकार है। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निष्पादित कार्यों को निर्माण और रखरखाव कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनुरक्षण कार्य, किसी संरचना या भवन की सुविधाओं को रखने, बहाल करने या सुधारने के लिए शुरू किए गए कार्यों का उल्लेख करते हैं, जिनका उद्देश्य इनको अच्छी दशा में रखना एवं स्वीकार्य मानको के अनुसार इसकी उपयोगिता और मूल्य बनाए रखना है।

लेखापरीक्षा के दायरों में वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए घरों के रखरखाव से संबंधित गतिविधियाँ शामिल थी। दिल्ली क्षेत्र में बजट शीर्ष राजस्व के तहत किए गए रखरखाव पर कुल व्यय का आंकलन क्रमशः ₹1,197.50 करोड़ और ₹759.87 करोड़ था। सामान्य पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) का लगभग 65 प्रतिशत हाउसिंग स्टाक दिल्ली में स्थित है और तीन वर्षों की अवधि के दौरान, अनुरक्षण गतिविधियों पर व्यय का 63.46 प्रतिशत अकेले दिल्ली क्षेत्र पर हुआ है। इस प्रकार, अनुपालन लेखापरीक्षा में केवल दिल्ली क्षेत्र में मकानों के रख-रखाव से संबंधित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। लेखापरीक्षा का आशय कुशल योजना तंत्र, अनुरक्षण गतिविधियों का कुशल निष्पादन और प्रभावी निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र का निर्धारण करना था। संक्षेप में प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ निम्नानुसार हैं:

योजना तंत्र

योजना महत्वपूर्ण अभ्यास है जो निर्णय लेने और सीमित संसाधनों के अधिकतम उपयोग को बढ़ाने में मदद करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीपीडब्ल्यूडी मंडल ने न तो वार्षिक कार्य योजना और न ही भवनों के रजिस्ट्रों को तैयार किया था। निर्धारित मानदंडों के अनुसार भवनों/संरचनाओं का भी निरीक्षण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा रखरखाव कार्यों की आवश्यकताओं के समयबद्ध मूल्यांकन और प्राथमिकता के लिए एक कुशल योजना तंत्र की मौजूदगी के बारे में उचित आश्वासन नहीं मिल सका।

(पैरा 4.4.4.1)

कार्यों के निष्पादन

कार्यों के निष्पादन के दौरान, मंडल द्वारा तकनीकी प्रतिनिधि की नियुक्ति न किए जाने के मामले देखे गए थे। इसके अलावा, सामग्रियों का उपयोग न करने/सामग्री का कम उपयोग, गुणवत्ता परीक्षण के बिना सामग्री का उपयोग भी देखा गया था, जिसके कारण कार्यों को घटिया स्तर पर किया गया था। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मैनुअल के प्रावधानों का साइट रजिस्टर में सामग्री के रखरखाव, साइट आर्डर बुक, निरीक्षण रजिस्टर आदि जैसे अभिलेखों के रख-रखाव के संबंध में अनुपालन नहीं किया गया था। विशेष कार्यों में, संविदाकार के बिलों से न तो गारंटी बॉन्ड प्राप्त किए गए और न ही

10 प्रतिशत प्रतिभूति की कटौती की गई। वहाँ संविदाकार को अनुचित लाभ देने के भी उदाहरण थे।

(पैरा 4.4.4.2)

निगरानी एवं शिकायत निवारण

डाटा विश्लेषण से सीपीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली में कई कमियां जैसे शिकायतों के निपटान में विलंब, वास्तविक कब्जे को सौंपने में विलम्ब आदि का पता चला। शिकायतों के लम्बे समय तक निपटान में ढील थी जो कारण शिकायतों के निपटान और निगरानी के अभाव को दर्शाता है जिसके कारण आवंटियों में असंतोष हुआ और क्वार्टर को देरी से सौंपे जाने में सरकारी राजकोष में राजस्व की हानि भी हुई। मैनुअल और निगरानी तंत्र के कई प्रावधानों के अनुपालन न करने के मामले के उदाहरण देखे गए जैसे की ऑफलाइन शिकायतों पर ध्यान देना, मानदंडों के अनुसार वास्तविक निरीक्षण न करना आदि।

(पैरा 4.4.4.3)

पैरा में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के संबंध में लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

1. सीपीडब्ल्यूडी वस्तुनिष्ठ इनपुट के आधार पर सुनिश्चित वार्षिक कार्य योजना तैयार करके अपने योजना तंत्र को मजबूत कर सकता है। वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए आवश्यक सूचना एकत्र करने के लिए प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता है। प्रभावी निगरानी और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एएपी की तैयारी और उसके लिए सूचना एकत्र करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली भी तैयार की जा सकती है।
2. सीपीडब्ल्यूडी रखरखाव मैनुअल द्वारा यथा निर्धारित भवन का रजिस्टर, जिसमें संपत्ति का विवरण, निर्माण/खरीद का वर्ष, दर्ज मूल्य, निधि का स्रोत, निर्माण की वस्तु, संयंत्र के अभिलेख के रखरखाव आदि का सीपीडब्ल्यूडी के प्रत्येक मंडल द्वारा रखरखाव किया जाना चाहिए तथा सीपीडब्ल्यूडी सेवा को भी तदनुसार अपडेट किया जाना चाहिए।
3. सीपीडब्ल्यूडी प्रत्येक स्तर पर भवनों/संरचनाओं का नियमित निरीक्षण करके और मैनुअल द्वारा निर्धारित आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कमियों को रिपोर्ट करके अपने योजना तंत्र को मजबूत बना सकता है।

4. कार्य स्थल पर कार्य के सभी चरणों के दौरान सही पर्यवेक्षण करने के लिए तकनीकी प्रतिनिधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनकी नियुक्ति से संबंधित सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के प्रावधानों/संविदा की सामान्य शर्तों का अनुपालन, किया जाए।
5. स्थल पर लाई गई सामग्री के परीक्षण से संबंधित सीपीडब्ल्यूडी मैनुअलों के प्रावधानों का अनुपालन गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किया जाये।
6. विशेष कार्यों में ठेकेदारों के बिलों से गारंटी बॉण्ड प्राप्त करने और 10 प्रतिशत प्रतिभूति की कटौती करने से संबंधित सीपीडब्ल्यूडी मैनुअलों के प्रावधानों का पालन किया जाए। शिकायतों को एकत्र करके उनको अनुचित/अवमानक कार्य से लिंक करने के लिए तंत्र तैयार किया जाना चाहिए ताकि ठेकेदार द्वारा सुधार या उसकी वसूली सुनिश्चित की जा सके।
7. कार्य की उचित निगरानी के लिए सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल में निर्धारित निरीक्षण रजिस्टर और साइट आर्डर बुक को रख रखाव किया जाना चाहिए।
8. कार्य में उपयोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना चाहिए और कार्य-स्थल पर लायी गई सामग्री को साइट रजिस्टर में सामग्री में उचित रूप से लेखा-जोखा रखा जाना चाहिए। अल्प लेखांकन/उपयोग के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए।
9. संविदाकार के बिलों से वसूलियों से संबंधित करार के प्रावधानों का सख्ती से पालन किए जाने की आवश्यकता है।
10. शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को सीपीडब्ल्यूडी सेवा द्वारा शिकायतों की निगरानी और प्रबंधन के लिए उचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।
11. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवंटियों को आवासों का भौतिक कब्जा प्रदान करने में तत्परता सुनिश्चित कर सकता है।
12. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को विभिन्न स्तरों अर्थात् कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यकारी अभियंता से संबंधित शिकायतों पर अपने निगरानी तंत्र को

सुदृढ करना सुनिश्चित करें। सभी शिकायतों को सीपीडब्ल्यूडी सेवा में दर्ज करना सुनिश्चित करें।

(पैरा 4.4)

विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई) ने सूक्ष्म और लघु उद्योग- क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना की स्वीकृति से पहले व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) को ₹50.50 लाख की अग्राह्य राशि जारी की। एचएसआईआईडीसी से राशि अभी वसूल की जानी थी।

(पैरा 5.1)

खान मंत्रालय

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को ₹34.87 करोड़ की हेलीकॉप्टर खरीद का आदेश दिया (दिसम्बर, 2005)। 39,91,674 अमरीकी डालर (₹19.17 करोड़ के बराबर) की लागत से मैसर्स पीआईसीओ इन्वायरोटेक इंक., कनाडा को हेलीबोर्न भू-भौतिकीय सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली के लिए खरीद आदेश भी जारी किया गया (मार्च 2009)। हेलीबोर्न सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली की खरीद में देरी के कारण हेलीकॉप्टर को मार्च 2009 से हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की संदत्त अनुरक्षण और सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था। मई 2014 में परीक्षण उड़ान के दौरान हेलीबोर्न सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद, मरम्मत के बाद भी बार-बार तकनीकी खराबियों के कारण काफी कम हेलीबोर्न सर्वेक्षण किया जा सका। हेलीबोर्न प्रणाली और हेलीकॉप्टर की तकनीकी बाधाओं से जूझते भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हेलीकॉप्टर के साथ-साथ भू-भौतिकी सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली को भी हटाने का प्रस्ताव रखा (जुलाई 2017)। बाद में खान मंत्रालय ने केवल हेलिकॉप्टर हटाने को मंजूरी दी थी (सितम्बर 2017)। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हेलीकॉप्टर को ₹9.22 करोड़ की कीमत पर हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंप दिया (मई 2019) जबकि हेलीबोर्न भूभौतिकी सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली अभी भी बेकार पड़ा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम लागत-लाभ विश्लेषण के साथ-साथ खरीदने से पहले हेलीकॉप्टर एवं भूभौतिकी सर्वेक्षण प्रणाली के तकनीकी पहलुओं के मूल्यांकन में उचित सावधानी नहीं बरतने के परिणामस्वरूप ₹81.88 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ। साथ ही इस प्रकार की खरीद का मूल उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 3 लाख लाइन

किमी. सर्वेक्षण के अपने परिकल्पित लक्ष्य में से मात्र दो प्रतिशत सर्वेक्षण ही कर पाया था।

(पैरा 6.1)

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास की भूमिका

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) की स्थापना देश में खनिज अन्वेषण में तेजी लाने के लिए एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में की गई थी जिसके वित्तपोषण का स्रोत एनएमईटी अंशदान था। खनन पट्टाधारियों अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टाधारकों को राज्य सरकार को देय रॉयल्टी के दो प्रतिशत की दर से एनएमईटी अंशदान का भुगतान करना होता है। एनएमईटी के गठन के छह वर्षों के बाद भी अंशदान के मिलान में गंभीर विसंगतियां मौजूद हैं। प्रतिपूर्ति शुरू करने में विलंब, भारतीय खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड/भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अवांछित निर्भरता, निजी अन्वेषण परियोजनाओं की भागीदारी के अभाव, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की कमी तथा परियोजना प्रस्तावों की पर्याप्त संवीक्षा नहीं होने के कारण आवंटित बजट के उपयोग में लगातार गिरावट देखी गई थी।

(पैरा 6.2.3.1)

इसके अलावा, एनएमईटी द्वारा अनुमोदित अन्वेषण परियोजनाएं थोक खनिजों की ओर झुकी हुई थीं और इसने रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण को आवश्यक प्राथमिकता नहीं दी जो इसके स्थापना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक था। तकनीकी-सह-लागत समिति द्वारा परियोजनाओं की निष्ठापूर्वक संवीक्षा में भी कमियां थीं।

(पैरा 6.2.3.2 एवं 6.2.3.3)

यद्यपि एनएमईटी का आरंभ से ही एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करने का इरादा था, खान मंत्रालय का अनुचित नियंत्रण और पूर्ण स्वायत्तता के अभाव में कई प्रशासनिक और कार्यात्मक समस्याएं आयीं जैसे इसका पृथक बजट अथवा वार्षिक लेखे नहीं बने। इसके परिणामस्वरूप अब तक (अक्टूबर 2022) वार्षिक लेखाओं की कोई लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। स्वायत्तता के अभाव में, एनएमईटी न केवल अपने इच्छित उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में विफल रहा बल्कि उसे वित्त पोषण प्रदान करने में भी संगठित ढंग से प्रबंधित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त नियंत्रण तंत्र का विकास न होने और पृथक बजट तैयार न करने के कारण एनएमईटी के कार्यों की

प्रभावकारिता और अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इन सब से देश में खनिज अन्वेषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन में कमी हुई।

(पैरा 6.2.3.8)

पैरा में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के संबंध में लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

1. एनएमईटी अंशदान की सांविधिक प्रकृति और देश में खनिज अन्वेषण के लिए इसके महत्व के मद्देनजर, एकत्र किए जाने वाले देय, वास्तव में एकत्रित और भारत की संचित निधि में जमा एनएमईटी अंशदान का मिलान एनएमईटी सुनिश्चित करे।
2. मंत्रालय एनएमईटी को सशक्त बनाने के लिए भारतीय खान ब्यूरो और राज्य सरकारों से निश्चित अवधि में सूचना प्राप्त करने के लिए सक्षम प्रावधान करने हेतु कदम उठाए।
3. मंत्रालय अधिनियम या नियमावली में एनएमईटी अंशदान के विलंबित जमा के लिए उपयुक्त दंडात्मक प्रावधान/शास्ति को शामिल करने पर विचार कर सकता है।
4. निष्क्रिय निधि के उपयोग को बढ़ाने के लिए अपनी परियोजना संवीक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने, निविदा प्रक्रिया को सुचारु बनाने, चल रही परियोजनाओं की निगरानी करने, निजी पक्षों की भागीदारी बढ़ाने, क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि आयोजित करने के लिए एनएमईटी आवश्यक कदम उठाए।
5. न्यास, नियमित अंतराल पर अपने शासी निकाय की अपेक्षित संख्या में बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करे और इसे संसद में भेजने से पूर्व अपने कार्यों पर अधिक नियंत्रण और निगरानी रखने के लिए वार्षिक योजना और बजट अनुमोदित कराना सुनिश्चित करे।
6. केन्द्रीय भूवैज्ञानिक आयोजना बोर्ड के परामर्श से परियोजना प्रस्तावों को प्राथमिकता देने के लिए न्यास कदम उठा सकता है और अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों को निधियां संस्वीकृत करते समय रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं को उचित प्राथमिकता दे।
7. एनएमईटी अपनी तकनीकी-सह-लागत समिति के कारोबार के संचालन के संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करे जिसमें प्रत्येक परियोजना के लिए

समुचित अवधि निर्धारित की जाए ताकि प्रस्तावों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जा सके।

8. परियोजना निष्पादन और व्यय पर बेहतर नियंत्रण के लिए अपनी चल रही परियोजनाओं की निगरानी के लिए एनएमईटी एक मजबूत तंत्र विकसित और कार्यान्वित कर सकता है।
9. न्यास यह सुनिश्चित कर सकता है कि अन्वेषण एजेंसियां एक समयबद्ध तरीके से अपने क्षेत्र कार्य की योजना बनाएं और उचित अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही उसका निष्पादन करें।
10. मंत्रालय एनएमईटी को शीघ्र पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करे ताकि यह परिकल्पना के अनुसार अपने खुद के बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों के साथ राष्ट्रीय महत्व की भूमिका निभाने के लिए मजबूत हो। इससे न्यास स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और वर्तमान व्यवस्था में उसके समक्ष आ रही बाधाओं को दूर करने में सक्षम होगा।
11. एनएमईटी में सक्षम आंतरिक संवर्ग और संगठन में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रतिनियुक्ति पर और स्थायी कर्मचारियों का एक सुंदर मेल बनाने की कोशिश करे।

(पैरा 6.2)

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट

कोलकाता हल्दिया पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड द्वारा संविदा प्राप्त मैसर्स दिनेश चन्द्र अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा. लिमिटेड को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन के हल्दिया डॉक काम्पलेक्स बिना किसी प्रभार और बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के भूमि का आवंटन किया (फरवरी 2016)। पत्तन ने फरवरी 2016 से जनवरी 2017 तक की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क के लिए (जनवरी 2017 और जून 2017) बीजक तैयार किया और इसके बाद उसको रोक दिया क्योंकि ठेकेदार द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया था। ठेकेदार ने बिना किसी प्रभार के लगभग पांच वर्षों के लिए सड़क उपरिपुल सह फ्लाइओवर के निर्माण के पूरा होने पर किसी लाइसेंस शुल्क का भुगतान बगैर भूमि को खाली किया (जनवरी 2021)। इस प्रकार, पत्तन ने बिना किसी प्रभार के भूमि आवंटन

द्वारा संविदाकार को अनुचित लाभ दिया जिससे पत्तन को ₹4.06 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

सिफारिश:

हल्दिया डॉक परिसर के अवसंरचना एवं नागरिक सुविधा प्रभाग के अधिकारियों पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लिए बगैर एक निजी ठेकेदार को निःशुल्क भूमि आवंटित कर देने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन जवाबदेही तय करे और इस प्रकार के काम की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो इसके लिए उचित कदम भी उठाए।

(पैरा 7.1)

विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण

विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण में पर्यावरणीय मुद्दों का आंकलन

भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण (वीपीए), भारत के पूर्वी तट पर वर्ष 1933 में स्थापित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान वीपीए ने 207.86 मिलियन टन के विभिन्न कार्गो को संभाला है। वीपीए द्वारा उठाए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा करने और आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपायों और उनकी प्रभावशीलता, पर्याप्तता और अनुपालन के प्रवर्तन में भूमिका की समीक्षा करने के लिए 2018-19 से 2020-21 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए "वीपीए में पर्यावरण संबंधी मुद्दों का आंकलन" पर लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान की गई मुख्य अभ्युक्तियाँ इस प्रकार हैं:

- विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न पार्टियों के साथ पत्तन की भूमि पट्टे पर देने के लिए दीर्घकालिक पट्टा करार यह निर्धारित करते हैं कि पट्टेदारों को प्रदूषणरोधी उपाय के रूप में उन्हें आवंटित क्षेत्र के 10 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण करना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर रखरखाव लागत सहित भूमि के 10 प्रतिशत क्षेत्र के लिए वृक्षारोपण की लागत का दोगुना हिस्सा बिना किसी नोटिस के पट्टेदारों से वसूल किया जाएगा। यद्यपि 112.75 एकड़ में पट्टेदारों द्वारा निर्धारित शर्त का पालन नहीं किया गया था, तथापि पट्टेदारों पर ₹19.84 करोड़ का जुर्माना नहीं लगाया गया था।

{पैरा 7.2.6.1 (iii)}

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

- पोताश्रय जल गुणवत्ता प्रबंधन में कमी थी क्योंकि यह देखा गया कि लेड, घुली हुई ऑक्सीजन और कुल निलंबित ठोस पदार्थ, निर्धारित सहनीयता सीमा से अधिक पाए गए थे।

{पैरा 7.2.6.2 (i)}

- यह पाया गया कि आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रचालन के लिए सहमति में निर्धारित सीमाओं से परे जल खपत और बहिस्रावों का विसर्जन किया गया था।

{पैरा 7.2.6.2 (ii)}

- वीपीए, वर्ष 2018 से 2021 (जुलाई 2021 तक) के दौरान, पीएम₁₀ के उत्सर्जन के संबंध में निर्धारित वार्षिक औसत मानकों को पूरा करने में विफल रहा।

{पैरा 7.2.6.3 (i)}

- यद्यपि आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वीपीए को निर्देश दिया है कि वे सभी धूल भरे कार्गो के स्टैक यार्ड (कोयला और अन्य कार्गो) को तिरपाल से ढके। यह देखा गया कि जनवरी 2019 से जून 2021 की अवधि के दौरान जांचे गए स्टैक में से 15 प्रतिशत स्टैक में कोई भी तिरपाल से ढका हुआ नहीं था और तिरपाल के साथ स्टैक का औसत सतह कवरेज धूल भरे कार्गो स्टैक का लगभग 60 प्रतिशत था।

{पैरा 7.2.6.3 (ii)}

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 'प्रदूषक भुगतान' के सिद्धांत के तहत शास्ति लगाने का निर्देश दिया क्योंकि वीपीए द्वारा इसे दिए गए आश्वासनों का अनुपालन नहीं किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अनुदेशों के परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ₹1.97 करोड़ की शास्ति लगाई। आगे यह पाया गया कि शास्ति का भुगतान करने के बाद भी वीपीए द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों की लगातार अननुपालन की जा रही थी।

{पैरा 7.2.6.3 (iii)}

- वीपीए द्वारा अपने डीजल जनरेटरों के संबंध में दर्ज ध्वनि का स्तर 75 डीबी (ए) की निर्धारित सीमा से अधिक था और 33 अवसरों में से 22 अवसरों में

102.7 डीबी (ए) तक था, जब 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान विभिन्न डीजल जनरेटरों को अपतटीय टैंकर टर्मिनल बर्थ, एलपीजी बर्थ और ऑयल रिफाइनरी-1 एवं II बर्थ पर परीक्षण किया गया था।

(पैरा 7.2.6.4)

- आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका में कमी थी क्योंकि इसकी निगरानी और प्रवर्तन तंत्र बहुत कमजोर प्रतीत हुआ, जैसा कि पानी की खपत के क्षेत्रों में इसकी निष्क्रियता, प्रचालनों के लिए सहमति में निर्धारित मानदंडों से परे बहिस्त्राव का अधिक विसर्जन, पीएम₁₀ का अधिक उत्सर्जन, सीवेज उपचार संयंत्र की स्थापना में देरी आदि से स्पष्ट है।

(पैरा 7.2.6.7)

पैरा में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के संबंध में लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

1. विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण अपनी महायोजना के साथ तालमेल बिठाते हुए प्रदूषण के उपशमन के लिए रोडमैप को रेखांकित करते हुए एक सुस्थापित व्यापक पर्यावरण प्रबंधन नीति तैयार कर सकती है।
2. विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण उन पड़ेदारों पर कार्रवाई कर सकता है जिन्होंने वृक्षारोपण से संबंधित संविदात्मक दायित्वों का पालन नहीं किया है।
3. विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण पोताश्रय जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। जहां तक ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम की भूमिका का संबंध है, मामले को संबंधित प्राधिकारियों के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है।
4. विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीकों का पता लगा सकता है जैसे कि बागवानी, शौचालयों को फ्लश करना, धूल को दबाने के लिए सड़कों/ कोयला यार्ड पर छिड़काव आदि, ताकि ताजे पानी की खपत को कम किया जा सके।
5. विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण को तिरपालों द्वारा स्टैक्स का पर्याप्त आवृत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि कार्गो से निकलने वाली धूल को कम किया जा सके।

6. आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण स्तर को मानदंडों के भीतर रखने के लिए वीपीए द्वारा दी गई प्रतिबद्धताओं की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है और वीपीए के प्रति समय पर उचित कार्रवाई कर सकता है।
7. पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों की निगरानी के लिए विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण पर्यावरण प्रकोष्ठ के लिए पर्याप्त योग्य श्रमबल प्रदान कर सकता है।
8. विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण नियमित रूप से पर्यावरण लेखापरीक्षा करे और ऐसे लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई करे।

(पैरा 7.2)

अध्याय I: प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय, प्राप्तियों, परिसंपत्तियों और देनदारियों से संबंधित लेन-देनों की जांच से है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, आदेशों और अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है और इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक और प्रभावशीलता का निर्धारण भी किया जा रहा है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की ओर से अनुमोदित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की जाती है। ये मानक उन मानदंडों को निर्धारित करते हैं जिनका लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा के संचालन में पालन करने की अपेक्षा की जाती है और अननुपालन के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन की प्रणालियों और लेखापरीक्षित संस्थाओं के आंतरिक नियंत्रण में मौजूद कमजोरियों पर प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों/अभ्युक्तियों से कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम होने की आशा है, साथ ही ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं भी तैयार की जा सकती हैं जिनसे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और इस प्रकार बेहतर शासन में योगदान मिलेगा।

यह अध्याय लेखापरीक्षा की योजना और सीमा की व्याख्या करने के अलावा, **अनुलग्नक-1** में सूचीबद्ध आर्थिक और सेवा मंत्रालयों/विभागों के व्यय और उनके वित्तीय प्रबंधन का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है। अध्याय II से VII में आर्थिक और सेवा मंत्रालयों/विभागों और उनके स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न निष्कर्ष/टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं जैसा कि **अनुलग्नक-II** में सूचीबद्ध है।

1.2 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा करने और संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971

(अधिनियम) से लिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अधिनियम की धारा¹ 13 और धारा² 17 के तहत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है।

संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके अधीन स्थापित निकाय और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधानों वाले निकायों को अधिनियम की धारा³ 19(2) के तहत वैधानिक रूप से लेखापरीक्षा के लिए लिया जाता है। अधिनियम की धारा⁴ 20(1) के तहत जनहित में अन्य संगठनों (निगमों या समितियों) की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी जाती है। इसके अलावा, निकाय या प्राधिकरण, जो भारत की संचित निधि से अनुदान/ ऋण द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित होते हैं, को अधिनियम की धारा⁵ 14(1) के प्रावधानों के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रख्यापित लेखापरीक्षा मानकों में प्रतिपादित सिद्धांतों और प्रथाओं के अनुसार अनुपालन लेखापरीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया समग्र रूप से मंत्रालय/विभाग के जोखिम के आंकलन के साथ शुरू होती है और प्रत्येक इकाई के

¹ (i) भारत की संचित निधि से सभी व्ययों की लेखापरीक्षा, (ii) आकस्मिक निधि और लोक लेखा से संबंधित सभी लेन-देन और (iii) सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ तथा हानि लेखाओं, तुलन-पत्र और अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।

² संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों और स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा और प्रतिवेदन।

³ संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित निगमों (जो कंपनी न हों) के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों का पालन और प्रयोग उसके द्वारा संबंधित विधानों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

⁴ जहां किसी निकाय या प्राधिकारी के लेखाओं की लेखापरीक्षा संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को नहीं सौंपी गई है, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा यदि अनुरोध किया जाता है, जैसा भी मामला हो, तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा कर सकता है।

⁵ जहां किसी निकाय या प्राधिकरण को भारत की संचित निधि या किसी राज्य या विधान सभा वाले किसी संघ राज्य क्षेत्र के अनुदान या ऋण द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है, सीएजी, उस निकाय या प्राधिकरण पर लागू किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, जैसा भी मामला हो, उस निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा करेगा और उसके द्वारा लेखापरीक्षित प्राप्तियों और व्यय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

लिए किए गए व्यय, इसकी गतिविधियों की महत्वपूर्णता/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर और हितधारकों के आंतरिक नियंत्रणों तथा चिंताओं के मूल्यांकन के आधार पर शुरू होती है। इस अभ्यास में पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी विचार किया जाता है। इस जोखिम मूल्यांकन के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा तय की जाती है। इसके बाद ऐसे जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है। चुनिंदा/नियोजित इकाईयों की लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद, लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाले निरीक्षण प्रतिवेदन इकाई के प्रमुख को जारी किए जाते हैं। इकाईयों से अनुरोध किया जाता है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक महीने के भीतर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर प्रस्तुत करें। जब कभी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान कर दिया जाता है अथवा अनुपालन के लिए आगे की कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण रिपोर्टों से उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के प्रमुखों को उनकी टिप्पणियों के लिए लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रारूप के रूप में अलग से जारी किया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

1.4 बजट और व्यय

आर्थिक और सेवा मंत्रालयों/विभागों (जहां भी लागू हो) के संबंध में प्रतिवेदन अवधि 2020-21 और पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान बजट और व्यय⁶ की तुलनात्मक स्थिति, नीचे तालिका 1.1 में दी गई है।

⁶ संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका 1.1: आर्थिक और सेवा मंत्रालयों/विभागों का बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/विभाग	वर्ष	बजट अनुमान (बीई)	वास्तविक व्यय	खर्च न किया गया बजट	बजट अनुमान के प्रति खर्च न किए गए बजट की प्रतिशतता
रसायन और उर्वरक मंत्रालय					
रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	2020-21	295.70	293.04	2.66	0.90%
	2019-20	370.18	365.12	5.06	1.37%
नागर विमानन मंत्रालय	2020-21	4,131.62	4,090.18	41.44	1.00%
	2019-20	4,500.02	3,646.82	853.20	18.96%
कोयला मंत्रालय	2020-21	882.63	571.64	310.99	35.23%
	2019-20	1,159.06	823.00	336.06	28.99%
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय					
वाणिज्य विभाग	2020-21	6,219.33	4,582.82	1,636.51	26.31%
	2019-20	6,998.78	6,944.44	54.34	0.78%
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	2020-21	8,254.67	7,559.13	695.54	8.43%
	2019-20	6,510.54	6,423.29	87.25	1.34%
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	2020-21	752.63	666.54	86.09	11.44%
	2019-20	639.84	582.11	57.73	9.02%
वित्त मंत्रालय					
वित्तीय सेवाएँ विभाग	2020-21	60,780.64	48,939.16	11,841.48	19.48%
	2019-20	83,884.03	83,233.52	650.51	0.78%
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	2020-21	132.11	71.72	60.39	45.71%
	2019-20	132.08	105.1	26.98	20.43%
सार्वजनिक उद्यम विभाग ⁷	2020-21	24.15	16.15	8.00	33.13%
	2019-20	22.64	21.09	1.55	6.85%

⁷ कैबिनेट सचिवालय की 6 जुलाई 2021 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, सार्वजनिक उद्यम विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय से वित्त मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर भारी उद्योग मंत्रालय कर दिया गया है।

मंत्रालय/विभाग	वर्ष	बजट अनुमान (बीई)	वास्तविक व्यय	खर्च न किया गया बजट	बजट अनुमान के प्रति खर्च न किए गए बजट की प्रतिशतता
भारी उद्योग मंत्रालय	2020-21	1,532.45	896.55	635.90	41.50%
	2019-20	1,367.01	1,306.19	60.82	4.45%
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	2020-21	67,786.29	53,410.65	14,375.64	21.21%
	2019-20	55,146.07	42,353.64	12,792.43	23.20%
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	2020-21	8,572.24	5,647.83	2,924.41	34.11%
	2019-20	7,011.31	6,717.54	293.77	4.19%
खान मंत्रालय	2020-21	1,851.41	1,435.28	416.13	22.48%
	2019-20	1,825.55	1,466.68	358.87	19.66%
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	2020-21	46,813.02	42,189.88	4,623.14	9.88%
	2019-20	45,501.86	42,812.23	2,689.63	5.91%
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	2020-21	2,365.01	1,907.63	457.38	19.34%
	2019-20	2,653.67	2,193.46	460.21	17.34%
ऊर्जा मंत्रालय	2020-21	22,284.79	14,940.49	7,344.30	32.96%
	2019-20	22,900.29	21,135.10	1,765.19	7.71%
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2020-21	1,96,544.85	1,89,789.88	6,754.97	3.44%
	2019-20	1,66,616.66	1,52,161.35	14,455.31	8.68%
इस्पात मंत्रालय	2020-21	100.00	74.31	25.69	25.69%
	2019-20	241.29	194.33	46.96	19.46%
वस्त्र मंत्रालय	2020-21	3,520.98	3,146.97	374.01	10.62%
	2019-20	4,857.33	4,455.19	402.14	8.28%
पर्यटन मंत्रालय	2020-21	2,506.10	1,138.43	1,367.67	54.57%
	2019-20	2,189.24	1,399.21	790.03	36.09%
कुल	2020-21	4,35,350.62	3,81,368.28	53,982.34	12.40%
	2019-20	4,14,527.45	3,78,339.41	36,188.04	8.73%

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि:

- 2020-21 के दौरान भारत सरकार के उपरोक्त मंत्रालयों/विभागों का कुल व्यय ₹3,81,368.28 करोड़ था, जबकि 2019-20 में ₹3,78,339.41 करोड़ था, यानी ₹3,028.87 करोड़ (0.80 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2020-21 के दौरान मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए कुल ₹3,81,368.28 करोड़ के व्यय में से 49.77 प्रतिशत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया, इसके बाद आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (14.01 प्रतिशत) और वित्तीय सेवाएँ विभाग (12.83 प्रतिशत) का स्थान रहा।
- पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक व्यय में वृद्धि करने वाले मंत्रालयों/विभागों में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग शामिल हैं। 2020-21 के दौरान, शेष मंत्रालयों/विभागों में पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक व्यय में कमी देखी गई।
- वर्ष 2020-21 के दौरान ₹4,35,350.62 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के संदर्भ में, मंत्रालयों/विभागों के पास कुल खर्च नहीं किया गया बजट ₹53,982.34 करोड़ था, जो 2019-20 के दौरान 8.73 प्रतिशत के अव्ययित बजट की तुलना में कुल अनुदान/विनियोग का 12.40 प्रतिशत रहा था।

1.5 उपयोगिता प्रमाण पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, सांविधिक निकायों/संगठनों को जारी किए गए अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र, संबंधित निकायों/संगठनों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 12 महीनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। मंत्रालय/विभाग-वार विवरण (मार्च 2021 तक), 13 मंत्रालयों/विभागों द्वारा मार्च 2020 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में ₹18,186.67 करोड़ की राशि वाले 5,570 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति (मार्च 2021 तक) को दर्शाता है, जो वित्तीय वर्ष के अंत से 12 महीने बाद भी बकाया रहे थे, वे **अनुलग्नक-III** में दिए गए हैं। उत्कृष्ट उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अवधिवार स्थिति को नीचे दी गई तालिका 1.2 में संक्षेप में दिया गया है:

तालिका 1.2: बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति

(₹ करोड़ में)

अवधिवार देरी की सीमा	31 मार्च 2021 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
	संख्या	राशि
0-1	1,445	7,090.80
1-5	2,832	9,470.48
5 से ऊपर	1,293	1,625.39
कुल	5,570	18,186.67

₹18,186.67 करोड़ से जुड़े उपर्युक्त 5,570 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता था कि राशि वास्तव में उस उद्देश्य के लिए खर्च की गई थी जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/ अधिकृत किया गया था। उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने से निधियों के दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी का जोखिम बना रहता है।

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्य रूप से सात मंत्रालयों/विभागों से संबंधित है। ये कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का 97.20 प्रतिशत है, जिसका मूल्य कुल बकाया राशि का 97.63 प्रतिशत है। मार्च 2021 तक सात मंत्रालयों/विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्रा मूल्य वाले बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे दी गई तालिका 1.3 में दी गई है:

तालिका 1.3: 31 मार्च 2021 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	मार्च ⁸ 2020 तक	
		संख्या	राशि
1.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1,721	12,223.29
2.	वस्त्र मंत्रालय	2,961	855.70
3.	वित्तीय सेवाएं विभाग	43	3,087.25
4.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	572	820.11
5.	पर्यटन मंत्रालय	84	361.78
6.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	13	215.22
7.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	20	191.72
	कुल	5,414	17,755.07

⁸ मार्च 2020 तक जारी अनुदान हेतु

1.6 केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) द्वारा लेखाओं को जमा करने में देरी

सभा पटल पर रखे गए कागजाद पर, समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (1975-76) में सिफारिश की थी कि प्रत्येक स्वायत्तशासी निकाय (एबी) को लेखा वर्ष (वित्तीय वर्ष) की समाप्ति के बाद तीन माह की अवधि के भीतर अपने लेखाओं को अंतिम रूप देना/तैयार करना चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। यह सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 237 में भी निर्धारित है।

नीचे दी गई तालिका 1.4, सीएबी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2020-21 के लिए लेखाओं को जमा करने में देरी को दर्शाती है।

तालिका 1.4: वर्ष 2020-21 के लेखाओं को जमा करने में सीएबी द्वारा देरी

	विलंब की अवधि			
	1 महीने तक	1-3 महीने	3-6 महीने	6 महीने से अधिक
सीएबी की संख्या	17	11	7	6

वर्ष 2020-21 और/या पिछले वर्ष (2019-20) के लिए जिन सीएबी के लेखाओं में देरी हुई, उनका विवरण **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए लेखाओं को जमा करने में अधिकतम देरी राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (8 महीने), राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (8 महीने), राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (8 महीने), नाविक भविष्य निधि संगठन (9 महीने), कोयला खान भविष्य निधि संगठन (13 महीने) और राष्ट्रीय औटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना कार्यान्वयन सोसाइटी (13 महीने) के मामले में देखी गई।

1.7 सीएबी के लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने में देरी

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि एबी के लेखापरीक्षित लेखाओं को वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर यानी अगले वित्त वर्ष के 31 दिसंबर तक संसद के समक्ष रखा जाए।

जिन सीएबी ने संसद के एक अथवा दोनों सदनों के समक्ष अपने 2020-21 के लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत नहीं किया (अक्टूबर 2022 तक) उन्हें **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: सीएबी जिनके लिए 2020-21 के लेखापरीक्षित लेखे जारी किए गए थे लेकिन संसद में प्रस्तुत नहीं किए गए थे

क्र. सं	सीएबी का नाम
1	केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु
2	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम
3	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश
4	राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता
5	नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
6	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबलाइजेशन फंड, मुंबई

इसके अलावा, 33 सीएबी ऐसे थे जिनके वर्ष 2020-21 के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं को नियत तिथि के बाद संसद के समक्ष रखा गया था। इसी प्रकार, 52 सीएबी ऐसे थे जिनके वर्ष 2019-20 के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं को नियत तिथि के बाद संसद के समक्ष रखा गया था। विवरण **अनुलग्नक-V** में दर्शाया गया है।

1.8 लेखापरीक्षा के प्रमाणन के परिणाम

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) और 20 (1) के तहत लेखापरीक्षित सीएबी हेतु पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रमाणित अंतिम लेखाओं में संलग्न किए जाते हैं जिन्हें संबंधित मंत्रालयों द्वारा संसद में पेश किया जाता है। वर्ष 2020-21 के लिए सीएबी के वित्तीय विवरणों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ **अनुलग्नक-VI** में दी गई हैं। वर्ष 2020-21 के लिए सीएबी के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण कमियां नीचे दी गई हैं:

- क) 15 सीएबी में आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी (**अनुलग्नक-VII**)
- ख) 12 सीएबी में अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था (**अनुलग्नक-VIII**);
- ग) 6 सीएबी में इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था (**अनुलग्नक-IX**);
- घ) 14 सीएबी में ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया गया था (**अनुलग्नक-X**); और

ड) लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप पांच सीएबी के लेखाओं को संशोधित किया गया (अनुलग्नक-XI)।

1.9 लंबित एटीएन की स्थिति

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने 17 अगस्त, 1995 को संसद में प्रस्तुत अपनी 105वें प्रतिवेदन (दसवीं लोकसभा-1995-96) में सिफारिश की थी कि 31 मार्च 1996 से, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के सभी पैराओं पर की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के सदन के पटल पर रखने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद, व्यय विभाग के अंतर्गत एक निगरानी प्रकोष्ठ बनाया गया जिसे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जांच किए हुए एटीएन के समन्वय और संग्रहण और उन्हें संसद में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार महीने की निर्धारित अवधि के भीतर पीएसी को भेजने का कार्य सौंपा गया है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल-आर्थिक और सेवा मंत्रालय) में शामिल पैराग्राफ पर एटीएन की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि 46 एटीएन बकाया थे, लेकिन केवल 33 प्राप्त हुए थे और संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के साथ पत्राचार के विभिन्न चरणों में थे (मार्च 2022)। बकाया एटीएन का विवरण अनुलग्नक-XII में दर्शाया गया है।

1.10 लेखापरीक्षा पैराग्राफ के मसौदे पर मंत्रालयों/विभागों का उत्तर

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर जून, 1960 में सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किए कि वे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित लेखापरीक्षा पैराग्राफ के मसौदे पर छह सप्ताह के भीतर अपने उत्तर भेजें। लेखापरीक्षा पैराग्राफ के मसौदे को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए अग्रेषित किया जाता है और उनसे निर्धारित समयावधि के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध किया जाता है। इस प्रतिवेदन में 12 लेखापरीक्षा पैराग्राफ हैं। सात पैराग्राफों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के उत्तर प्राप्त हुए थे। प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है (अक्टूबर 2022)।

अध्याय II: कोयला मंत्रालय

कोयला खान भविष्य निधि संगठन

2.1 दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिबेंचरों के मोचन के लिए समय पर निर्णय लेने में प्रबंधन की विफलता के परिणामस्वरूप ₹315.35 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

प्रतिकूल क्रेडिट रेटिंग के बावजूद दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिबेंचरों को भुनाने में उदासीन दृष्टिकोण के कारण कोयला खान भविष्य निधि संगठन अपने निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहा, जिससे ₹315.35 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

कोयला मंत्रालय (एमओसी) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (अधिनियम) द्वारा शासित है। सीएमपीएफओ के लिए प्रशासनिक एजेंसी, न्यासी बोर्ड⁹ (बीओटी) में केंद्र/राज्य सरकार, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त बोर्ड का पदेन सदस्य और संगठन का समग्र प्रभारी होता है।

सीएमपीएफओ, निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इष्टतम रिटर्न उत्पन्न करने के लिए निवेश योग्य निधियों¹⁰ का निवेश करता है। सीएमपीएफओ पोर्टफोलियो प्रबंधकों को नियुक्त करता है जो धन का निवेश करने और निरंतर आधार पर निवेश की निगरानी के लिए उत्तरदायी होते हैं। पोर्टफोलियो प्रबंधकों की सेवाओं के दायरे में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रदान की गई सेवाओं में निवेश प्रबंधन, परिसंपत्तियों का नवीनीकरण, फेरबदल और बिक्री आदि शामिल होंगे, ताकि न्यास को लाभ सुनिश्चित किया जा सके। इसमें किसी भी विकल्प का उपयोग करने के लिए बीओटी के पूर्व

⁹ इसमें अध्यक्ष के रूप में कोयला मंत्रालय के सचिव, पदेन सदस्य के रूप में सीएमपीएफओ के आयुक्त, कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव सह वित्तीय सलाहकार और 11 अन्य सदस्य शामिल हैं।

¹⁰ निवेश योग्य निधि का अर्थ है - नई अभिवृद्धि, आवधिक आय, मोचन, बिक्री आय और बैंक की नामित शाखा में न्यासी के निवेश खाते से प्राप्त और स्थानांतरित अन्य अधिशेष निधि।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

अनुमोदन का भी प्रावधान किया गया है। सीएमपीएफओ ने एक निवेश उप-समिति¹¹ का भी गठन किया है जो तिमाही आधार पर सभी निवेश योग्य निधियों की स्थिति और पोर्टफोलियो प्रबंधकों के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है।

सीएमपीएफओ ने मार्च 2020 तक दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर¹² (एनसीडी) में ₹1,390.25 करोड़¹³ का निवेश किया है। निवेश में ₹864 करोड़ की राशि के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर शामिल थे, जिसका एक समयपूर्व मोचन उपनियम था, जो गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की क्रेडिट रेटिंग एए- या नीचे गिरने की स्थिति में उपार्जित ब्याज के साथ परिपक्वता से पहले निवेश के निपटान का अधिकार प्रदान करता है। ₹526.25 करोड़ की राशि के शेष गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों में समयपूर्व मोचन का ऐसा उपनियम नहीं था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि प्रतिकूल क्रेडिट रेटिंग के बावजूद डीएचएफएल के डिबेंचरों के मोचन न करने के कारण सीएमपीएफओ को ₹315.25 करोड़ की परिहार्य हानी हुई। सीएमपीएफओ द्वारा डीएचएफएल के डिबेंचरों के मोचन का समयवार विवरण निम्नलिखित है :

तालिका 2.1: डीएचएफएल के डिबेंचरों के मोचन का समयवार विवरण

दिनांक	घटनाक्रम
21 मई 2015 से 20 फरवरी 2018	सीएमपीएफओ ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों के माध्यम से डीएचएफएल के गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों में ₹1390.25 करोड़ का निवेश किया जिसमें समयपूर्व मोचन खंड के प्रावधान वाले ₹864 करोड़ के एनसीडी थे। शेष बचे ₹526.25 करोड़ के एनसीडी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

¹¹ इसमें संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, एमओसी अध्यक्ष के रूप में और संयुक्त सचिव, एमओसी, आयुक्त, सीएमपीएफओ और निदेशक (वित्त), सीआईएल सदस्य के रूप में शामिल हैं।

¹² मई 2015 से फरवरी 2018 की अवधि के दौरान निवेश किया गया था।

¹³ डिबेंचर एक मध्यम से लंबी अवधि का ऋण साधन है जिसे कंपनी द्वारा निर्दिष्ट ब्याज दर पर राशि चुकाने के दायित्व को स्वीकार करते हुए निष्पादित किया जाता है। यह कंपनी के ऋण कोष को बढ़ाने का एक तरीका है। डिबेंचर दो प्रकार के होते हैं, परिवर्तनीय (जिसे शेयर या इक्विटी में परिवर्तित किया जा सकता है) और गैर-परिवर्तनीय (जिसे शेयर या इक्विटी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता)।

दिनांक	घटनाक्रम
3 फरवरी 2019 और 6 मार्च 2019	केयर नामक एक रेटिंग संस्था ने डीएचएफएल के गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों के रेटिंग को फरवरी 2019 में एए+ से घटाकर मार्च 2019 में एए- कर दिया।
8 मार्च 2019	पोर्टफोलियो प्रबन्धकों ने उपर्युक्त के संबंध में सीएमपीएफओ को सूचित किया और समयपूर्व मोचन की अनुमति मांगी।
20 मार्च 2019	पोर्टफोलियो प्रबन्धकों की अनुशंशा पर समयपूर्व मोचन के प्रस्ताव सीएमपीएफओ आयुक्त को प्रस्तुत किए गए।
25 मार्च 2019	आयुक्त ने आगामी बीओटी बैठक की कार्यसूची में इसे शामिल करने की अनुमति प्रदान की।
26 मार्च 2019	बीओटी की बैठक हुई। हालांकि, बीओटी बैठक की अनुमति लेने के लिए गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों को कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया था।
14 मई 2019	डीएचएफएल के गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों की रेटिंग फिर से गिरकर बीबीबी- हो गयी।
5 जून 2019	डीएचएफएल को क्रेडिट रेटिंग की संस्थाओं की सूची से बाहर कर दिया गया।
24 जून 2019	सीएमपीएफओ ने इसके महत्व को समझते हुये संयुक्त सचिव एमओसी से अनुरोध किया की अध्यक्ष बीओटी के समक्ष इस मामले को उठाया जाये ताकि डीएचएफएल में निवेश को सुरक्षित करने के लिए समयपूर्व मोचन उपनियम को अपनाया जाये।
2 जुलाई 2019	एमओसी ने सीएमपीएफओ को निर्देश दिया की बीओटी के अगले बैठक में विचार हेतु इस पर कार्रवाई की जाये।
9 अगस्त 2019	सीएमपीएफओ ने संयुक्त सचिव, एमओसी से अनुरोध किया की बीओटी की 172वीं बैठक की समय एवं तिथि सूचित करे।
16 अगस्त 2019	एमओसी ने आयुक्त, सीएमपीएफओ से अनुरोध किया की बीओटी की 172वीं बैठक प्रस्तावित करने से पहले 171वीं बैठक पर की गयी कार्रवाई को अंतिम रूप दें।

दिनांक	घटनाक्रम
9 सितंबर 2019 30 सितंबर 2019 14 अक्टूबर 2019	एमओसी ने दिनांक 16 अगस्त 2019 के पत्र पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सीएमपीएफओ को अनुस्मारक भेजा।
24 अक्टूबर 2019	171वीं बीओटी बैठक के कार्रवाई प्रतिवेदन को बीओटी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया था।
15 नवंबर 2019	सीएमपीएफओ ने एमओसी को अस्थायी कार्यसूची सूचित करते हुए एमओसी के सचिव से प्रस्तावित 172वीं बीओटी बैठक के लिए उपयुक्त तारीख और समय बताने का अनुरोध किया।
20 नवंबर 2019	शासन संबंधी चिंताओं और विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीएचएफएल के बोर्ड को अधिक्रमित कर दिया।
29 नवंबर 2019	भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंपनी के विरुद्ध दिवाला प्रक्रिया आरंभ करने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष एक याचिका दर्ज की।
03 दिसंबर 2019	एनसीएलटी ने डीएचएफएल के विरुद्ध दिवालिया कार्यवाही आरंभ की और याचिका दर्ज करने की तारीख यानी 29 नवंबर 2019 से अधिस्थगन आरंभ करने की घोषणा की।
20 दिसंबर 2019	बीओटी की 172वीं बैठक हुई और इसमें डीएचएफएल में आयोजित एनसीडी के संबंध में शीघ्र मोचन के विकल्प को मंजूरी दी गई, हालांकि उपरोक्त अधिकार अधिस्थगन की शुरुआत (नवंबर 2019) के बाद समाप्त हो गया था।
07 जून 2021	एनसीएलटी ने डीएचएफएल की समाधान योजना को मंजूरी दे दी, जिसके माध्यम से सीएमपीएफओ को केवल ₹662.58 करोड़ की वसूली प्राप्त हुई।

उपर्युक्त तथ्यों से यह देखा जा सकता है कि:

- केयर (एक रेटिंग एजेंसी) ने डीएचएफएल के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) की रेटिंग को फरवरी 2019 में एए+ से घटाकर मार्च 2019 में एए- कर दिया।

पोर्टफोलियो प्रबंधकों ने सीएमपीएफओ को रेटिंग कम करने के बारे में सूचित (मार्च 2019) किया और डीएचएफएल अधिकृत एनसीडी के शीघ्र प्रतिदान के लिए अनुमोदन मांगा।

- पोर्टफोलियो प्रबंधकों की सिफारिशों के आधार पर शीघ्र प्रतिदान के विकल्प को 26 मार्च 2019 को होने वाले अगले बीओटी में कार्यसूची के लिए मर्दों में से एक के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया। प्रस्तावों को सीएमपीएफओ के आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत (20 मार्च 2019) किया गया था, जिन्होंने आगामी बीओटी बैठक की कार्यसूची की मर्दों में शामिल करने के लिए अनुमोदन (25 मार्च 2019) प्रदान किया। आयुक्त के अनुमोदन के बावजूद, शीघ्र प्रतिदान के प्रस्ताव को विचार-विमर्श और बीओटी की मंजूरी प्राप्त करने के लिए बीओटी की कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया था।
- डीएचएफएल के एनसीडी की रेटिंग को और कम (14 मई 2019) कर के बीबीबी-कर दिया और बाद में रेटिंग एजेंसियों की क्रेडिट निगरानी से हटा (05 जून 2019) दिया गया।
- शासन संबंधी चिंताओं और विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक ने डीएचएफएल के बोर्ड को अधिक्रमित (20 नवंबर 2019) कर दिया और कंपनी के विरुद्ध दिवाला प्रक्रिया आरंभ करने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष एक याचिका (29 नवंबर 2019) दर्ज की। एनसीएलटी ने डीएचएफएल के विरुद्ध दिवाला कार्यवाही आरंभ (03 दिसंबर 2019) की और याचिका दर्ज करने की तारीख यानी 29 नवंबर 2019 से अधिस्थगन¹⁴ आरंभ करने की घोषणा की।
- बीओटी ने अंततः डीएचएफएल अधिकृत एनसीडी के संबंध में शीघ्र प्रतिदान के विकल्प को मंजूरी (20 दिसंबर 2019) दे दी, हालांकि उपरोक्त अधिकार अधिस्थगन के आरंभ होने (नवंबर 2019) के बाद समाप्त हो गया था।

¹⁴ आईबीसी की धारा 14 के अंतर्गत स्थगन का आरंभ किसी मालिक या पट्टेदार द्वारा किसी भी संपत्ति की वसूली पर प्रतिबंध लगाता है जहां ऐसी संपत्ति कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अधिग्रहित या उसके कब्जे में है।

- हालांकि निवेश उप-समिति को निवेश की समीक्षा के लिए त्रैमासिक बैठक करने की आवश्यकता थी, परंतु इसने बीओटी की बैठक (26 मार्च 2019 को आयोजित) की बीच की अवधि के दौरान अधिस्थगन आरंभ होने (29 नवंबर 2019) तक कोई बैठक नहीं बुलाई। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान शीघ्र प्रतिदान विकल्प का प्रयोग करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए बीओटी की कोई बैठक नहीं हुई।
- एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित (07 जून 2021) डीएचएफएल की समाधान योजना के अनुसार, सीएमपीएफओ को केवल ₹662.58 करोड़¹⁵ की वसूली प्राप्त हुई।

इस प्रकार, उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मार्च 2019 में पोर्टफोलियो प्रबंधकों की सिफारिशों और एनसीडी में ₹864.00 करोड़ की शीघ्र मोचन उपनियम होने के बावजूद, सीएमपीएफओ विकल्प का उपयोग करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹315.35 करोड़¹⁶ की परिहार्य हानि हुई।

सीएमपीएफओ ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2022) कि सीएमपीएफओ को डीएचएफएल के डिबेंचर में निवेश से हानि हुई थी, हालांकि उसने हानि से बचने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए। इसके अलावा, भले ही विकल्प का प्रयोग किया गया होता, पर यह निश्चित नहीं था कि क्या वह उस समय राशि प्राप्त कर सकता/वसूल कर सकता। यह भी कहा गया कि निर्णय लेने में विलंब का कारण इस तथ्य के कारण था कि संगठन में इस प्रकार की अनिश्चित घटना पहली बार हुई थी। सीएमपीएफओ के निवेश से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेने के लिए निवेश उप-समिति को शक्तियां देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जो सीएमपीएफओ को किसी भी हानि से बचने के लिए भविष्य में ऐसे मामलों पर निवेश उप-समिति द्वारा समय पर निर्णय लेने में मदद कर सकता।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि 25 मार्च 2019 को आयुक्त, सीएमपीएफओ द्वारा अनुमोदित कार्यसूची के मसौदे को 26 मार्च 2022 को आयोजित बीओटी की बैठक में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बैठक के लिए कार्यसूची बैठक से सात दिन

¹⁵ समय पूर्व मोचन का विकल्प नहीं रखने वाले गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के लिए ₹113.93 करोड़ नकद और समय पूर्व मोचन का विकल्प रखने वाले एनसीडी के लिए ₹361.60 करोड़ की प्रतिभूतियों के साथ ₹187.05 करोड़ नकद।

¹⁶ ₹864.00 करोड़ - ₹187.05 करोड़ नकद के रूप में प्राप्त - ₹361.60 करोड़ प्रतिभूतियों के रूप में प्राप्त हुए

पहले ही वितरित की जा चुकी थी। बीओटी की बाद की बैठक भी दिसंबर 2019 तक आयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि पिछली बीओटी बैठक (मार्च 2019) के कार्रवाई प्रतिवेदन को अक्टूबर 2019 तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। शीघ्र प्रतिदान विकल्प का प्रयोग करने में विलंब प्रक्रियात्मक था।

प्रबंधन/मंत्रालय की प्रतिक्रिया को निम्नलिखित संदर्भ में देखा जाना चाहिए:

- सीएमपीएफओ के पास ₹864 करोड़ की राशि के एनसीडी के संबंध में शीघ्र प्रतिदान करने का विकल्प था। सीएमपीएफओ एनसीडी के शीघ्र प्रतिदान के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधकों की सिफारिशों पर त्वरित/समय पर कार्रवाई कर सकता था, जब इसकी रेटिंग एए- हो गई थी, ताकि उस समय ₹864 करोड़ की निधि की सुरक्षा की जा सके।
- हालांकि सीएमपीएफओ के आयुक्त ने मार्च 2019 की बीओटी बैठक के लिए कार्यसूची मदों के रूप में शीघ्र प्रतिदान विकल्प का उपयोग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, परंतु बोर्ड की बैठक में कार्यसूची मदों के रूप में इसे शामिल नहीं किए जाने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। बीओटी को आठ महीने के विलंब के बाद दिसंबर 2019 में विलंब से मंजूरी दी गई थी, जब नवंबर 2019 में अधिस्थगन आरंभ होने के कारण शीघ्र प्रतिदान का अधिकार पहले ही समाप्त हो चुका था। सीएमपीएफओ द्वारा विलंबित निर्णय के परिणामस्वरूप समय पर प्रतिदान विकल्प का लाभ उठाने और अपने धन की सुरक्षा करने का अवसर इसने खो दिया।
- 26 मार्च 2019 की बीओटी बैठक में कार्यसूची के गैर-स्थापना के लिए मंत्रालय द्वारा अपनी प्रतिक्रिया में उद्धृत कारण जो कि इस प्रकार है -“ बैठक के कार्यसूची को बैठक से सात दिन पहले ही परिचालित किया गया था” इस तथ्य के मद्देनजर आश्वस्त नहीं है कि सीएमपीएफओ के आयुक्त जो बीओटी के पदेन सदस्य भी थे, कार्यसूची की मद संख्या XI - 'अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मुद्दा' में मामले के महत्व और तात्कालिकता पर विचार करते हुए इस मुद्दे को बैठक में उठा सकते थे।
- आगामी बीओटी बैठक (मार्च 2019) के लिए कार्यसूची मद के रूप में शीघ्र प्रतिदान विकल्प का उपयोग करने के प्रस्ताव को शामिल करने के लिए सीएमपीएफओ के आयुक्त की मंजूरी के बावजूद, उक्त बैठक में इसे शामिल नहीं करना और इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करने में देरी प्रबंधन में गंभीर चूक की ओर इशारा करता है।

इस प्रकार, प्रतिकूल क्रेडिट रेटिंग और निवेश की सुरक्षा के लिए अप्रभावी निगरानी के बावजूद डीएचएफएल के डिबेंचर का मोचन नहीं होने के कारण, सीएमपीएफओ को ₹315.35 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

सिफारिश

डीएचएफएल के डिबेंचरों के मोचन में समय पर कार्रवाई न करने के प्रबंधन की विफलता की जांच उत्तरदायित्व तय करने के उद्देश्य से किया जाये। प्रबंधन डिबेंचरों के किए जाने वाले निवेश के पर्यवेक्षण इत्यादि की प्रणाली को मजबूत करें ताकि निवेशित राशि की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

2.2 कोयला खान पेंशन योजना 1998 और कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना 1976 का संचालन

2.2.1 प्रस्तावना

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ), जो कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (अधिनियम) के अंतर्गत कोयला खनन में या उसके संबंध में नियोजित कार्मिकों के लाभ के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था। कार्यान्वित की जा रही योजनाएं कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948 (सीएमपीएफएस), कोयला खान पेंशन योजना 1998 (सीएमपीएस) और कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 (डीएलआई) हैं।

2.2.2 संगठन संरचना

न्यासी बोर्ड (बीओटी) सीएमपीएफओ द्वारा संचालित योजनाओं के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रशासनिक एजेंसी है, जिसमें केंद्र / राज्य सरकार, नियोक्ता और कर्मचारी शामिल हैं। सीएमपीएफओ के आयुक्त बोर्ड के पदेन सदस्य और संगठन के समग्र प्रभारी होते हैं। सीएमपीएफओ का मुख्यालय धनबाद, झारखंड में स्थित है। ये योजनाएं विभिन्न राज्यों में स्थित 20 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ)¹⁷ के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

¹⁷ (i) गोदवारीखनी, (ii) बिलासपुर, (iii) धनबाद-I, (iv) धनबाद-II, (v) रांची-II, (vi) असनसोल-I, (vii) असनसोल-III, (viii) तालचेर, (ix) सम्बलपुर, (x) मार्घेरीटा, (xi) नागपुर, (xii) जबलपुर, (xiii) छिंदवाड़ा, (xiv) कोठगुडम, (xv) असनसोल-II, (xvi) रांची-I, (xviii) देवघर, (xix) कोलकाता और (xx) जम्मू।

2.2.3 सीएमपीएफओ द्वारा संचालित योजनाएं

सीएमपीएफओ द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

(i) कोयला खान पेंशन योजना, 1998

कोयला खान पेंशन योजना, 1998 (सीएमपीएस) तत्कालीन कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 (सीएमएफपीएस) के स्थान पर 31 मार्च 1998 से लागू हुई। यह योजना उन सभी कार्मिकों को कवरेज प्रदान करती है जो पूर्ववर्ती सीएमएफपीएस के सदस्य थे और जो सीएमपीएस के प्रावधानों के अनुसार योग्य हैं। सेवानिवृत्ति पर कार्मिकों को योजना के अनुसार पेंशन के भुगतान का प्रावधान करने के लिए एक पेंशन निधि की स्थापना की गई थी। इसके अलावा, इस योजना में विधवा/विधुर पेंशन और बाल पेंशन के भुगतान के लिए प्रावधान हैं। पेंशन के प्रकार का विवरण तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: पेंशन का संक्षिप्त विवरण

मासिक पेंशन	विधवा पेंशन	बाल पेंशन
<ul style="list-style-type: none"> • एक कर्मचारी, जिसने 30 वर्ष से कम परंतु 10 वर्ष से अधिक की पेंशन योग्य सेवा प्रदान की है, वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, निर्दिष्ट नियमों के अनुसार पेंशन प्राप्त करेगा, अर्थात्, पेंशन योग्य सेवा की अवधि $/30 \times$ औसत परिलब्धियों का 25 प्रतिशत। • यदि किसी कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 10 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी नहीं की हो या सेवा छोड़ने का विकल्प चुनता हो, या उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हो या वह 10 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी होने से पहले 	<ul style="list-style-type: none"> • किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर विधवा/विधुर को पेंशन मिलेगी, जो कर्मचारी द्वारा उसकी मृत्यु की तारीख को ली गई मासिक पेंशन के 60 प्रतिशत के बराबर होगी, जो कम से कम ₹250 प्रति माह होगी • सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु पर, विधवा या विधुर को कर्मचारी की मासिक पेंशन के 66.6 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी, जिसका वह अपनी मृत्यु के दिन हकदार थी/था, जो न्यूनतम ₹320 प्रति माह होगी। 	<ul style="list-style-type: none"> • किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद की तारीख से उसकी/उसका जीवित पत्नी/पति के साथ, दो सबसे बड़े बेटे या अविवाहित बेटियां, जैसा भी मामला हो, जब तक कि बेटे 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते या अविवाहित बेटियों के मामले में उसकी शादी की तारीख तक, जो भी पहले हो, बाल पेंशन के हकदार होंगे। • जैसा भी मामला हो मासिक बाल पेंशन की राशि प्रत्येक बेटे या बेटे के लिए विधवा या

विकलांग हो जाता हो, तो उन्हें अंशदान की वापसी के रूप में देय राशि मिलेगी।

विधुर पेंशन की राशि के 25 प्रतिशत के बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक बच्चे के लिए ₹100 से कम नहीं हो सकती है।

योजना के अंतर्गत अंशदान का विवरण

सितंबर 2017 तक, कर्मचारी और नियोक्ता कर्मचारी, कर्मचारी के वेतन के चार और एक तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान कर रहे थे। इसके बाद, इस दर को नियोक्ता के समान अंशदान के साथ कर्मचारी के वेतन के सात प्रतिशत तक संशोधित किया गया। इसके अलावा, कर्मचारी के वेतन के एक और दो-तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि जो अधिकतम ₹1600 प्रति माह के वेतन के बराबर है, केंद्र सरकार द्वारा पेंशन निधि में भी अंशदान दिया जाता है। सीएमपीएफओ पेंशन निधि में निहित राशि के संबंध में बैंकिंग व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है।

(ii) कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976

कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के अनुसार, भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आने वाले कार्मिकों को जीवन बीमा का लाभ प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 1 अगस्त, 1976 से कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 (डीएलआई) आरंभ की। डीएलआई योजना की धारा 21(1) में प्रावधान है कि कोयला खान भविष्य निधि के सदस्य कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसका/उसकी नामित व्यक्ति पिछले तीन वर्षों के दौरान मृतक के खाते में भविष्य निधि के अतिरिक्त औसत शेष राशि के बराबर, अधिकतम ₹10,000 की राशि प्राप्त करने का हकदार है। योजना का संचालन और प्रशासन कार्मिकों की ओर से नियोक्ता और केंद्र सरकार द्वारा किए गए अंशदान पर निर्भर है। कार्मिकों को योजना में कोई अंशदान नहीं देना होता है। नियोक्ताओं को कुल वेतन के 0.5 प्रतिशत की दर से अंशदान करना होता है। केंद्र सरकार भी नियोक्ताओं द्वारा अंशदान की गई राशि के आधे के बराबर राशि का अंशदान करती है।

(iii) कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948

कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948 (सीएमपीएफएस) के अंतर्गत सदस्यों को कोयला उद्योग से सेवानिवृत्ति के बाद और मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार के सदस्यों

को एकमुश्त लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना में परिभाषित प्रयोजनों के लिए कर्मचारी के नियोजन के दौरान गैर-वसूली योग्य अग्रिमों का भी प्रावधान है।

2.2.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

सीएमपीएफओ द्वारा संचालित तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से, लेखापरीक्षा ने सीएमपीएस और डीएलआई योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण कमियों को पाया, जैसा कि पिछली लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों में बताया गया था। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, दोनों योजनाओं के संचालन पर अनुपालन लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या:

- i) सीएमपीएफओ द्वारा सीएमपीएस और डीएलआई योजनाओं के अंतर्गत सभी कोयला खान कार्मिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कवरेज सुनिश्चित किया गया;
- ii) सीएमपीएस और डीएलआई योजनाओं के उद्देश्यों को कोयला खान कार्मिकों को अपेक्षित लाभ प्रदान करके पूरा किया गया; और
- iii) सीएमपीएस और डीएलआई योजनाओं के संबंध में निगरानी और नियंत्रण तंत्र कार्यात्मक और पर्याप्त थे।

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए सीएमपीएस और डीएलआई योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा शामिल थी। सीएमपीएस के मामले में, सीएमपीएफओ के 20 परिचालन आरओ में से 10 आरओ¹⁸ को लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। इसके अलावा, 2016-17 से 2020-21 के दौरान चयनित आरओ में निपटाए गए 94,579 पेंशन मामलों में से 1,892 पेंशन मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान जांच की गई। नमूना पेंशन मामलों में 1,251 मासिक पेंशन मामले, 354 विधवा /विधुर पेंशन मामले, 99 बाल पेंशन मामले और 188 संविदा श्रमिक पेंशन मामले शामिल हैं। डीएलआई योजना की लेखापरीक्षा के मामले में, धनबाद स्थित सीएमपीएफओ मुख्यालय में विभिन्न आरओ के लिए अभिरक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गई।

2.2.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सीएमपीएस और डीएलआई योजनाएं भारत सरकार द्वारा देश के भीतर कोयला खानों में काम करने वाले सभी कार्मिकों को क्रमानुसार पेंशन और बीमा लाभ प्रदान करने के लिए

¹⁸ (i) गोदावरीखानी (ii) बिलासपुर, (iii) धनबाद-I, (iv) धनबाद-II, (v) रांची-II (vi) आसनसोल-I, (vii) आसनसोल-III, (viii) तालचेर, (ix) संबलपुर और (x) मार्गेरिटा

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

तैयार की गई थीं। सीएमपीएस और डीएलआई योजनाओं के संचालन से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को बाद के पैराग्राफ में उजागर किया गया है।

2.2.5.1 सीएमपीएस योजना

कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 कोयला खनन और संबद्ध गतिविधियों में लगी सभी कंपनियों पर लागू होता है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- ✓ कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी आठ सहायक कंपनियां एमओसी के अंतर्गत कार्य कर रही हैं।
- ✓ सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल), तेलंगाना सरकार के अधीन है।
- ✓ कोयला उत्पादक इकाइयों के आउटसोर्सिंग संविदाकार।

सीएमपीएस योजना कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार की गई थी।

2.2.5.1 (i) खान कार्मिकों की अपर्याप्त कवरेज

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने कोयला मंत्रालय को निर्देश दिया (2013) कि वह सीएमपीएस की सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कोयला खानों के सभी कार्मिकों का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करे। 30 सितंबर 2021 तक सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के खनन संविदाकारों द्वारा तैनात आउटसोर्स जनशक्ति के कवरेज के संबंध में स्थिति तालिका 2.3 में दर्शाई गई है:

तालिका 2.3: सीएमपीएस के अंतर्गत शामिल आउटसोर्स जनशक्ति की स्थिति

कंपनी का नाम ¹⁹	सितंबर 2021 तक खनन संविदाकारों द्वारा तैनात आउटसोर्स जनशक्ति		
	आउटसोर्स किए गए कार्मिकों की संख्या	सीएमपीएस के अंतर्गत कवरेज	कवरेज में कमी (प्रतिशत में)
ईसीएल	5,026	526	90
बीसीसीएल	5,103	1,528	70
सीसीएल	5,004	1,127	77
डब्ल्यूसीएल	7,906	1,346	87

¹⁹ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (सीसीएल), वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एसईसीएल), नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एनसीएल) और महानदी कोलफील्ड लिमिटेड (एमसीएल)।

कंपनी का नाम ¹⁹	सितंबर 2021 तक खनन संविदाकारों द्वारा तैनात आउटसोर्स जनशक्ति		
	आउटसोर्स किए गए कार्मिकों की संख्या	सीएमपीएस के अंतर्गत कवरेज	कवरेज में कमी (प्रतिशत में)
एसईसीएल	8,596	4,340	50
एमसीएल	14,174	11,532	19
एनसीएल	13,013	396	97
कुल	58,822	20,795	65

स्रोत: सीएमपीएफओ द्वारा प्रस्तुत सीआईएल की सहायक कंपनियों से संबंधित डेटा सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के संविदाकारों द्वारा तैनात जनशक्ति के संबंध में एससीसीएल का अद्यतित डेटा लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था।

तालिका से यह स्पष्ट है कि इन कंपनियों के आउटसोर्सिंग संविदाकारों द्वारा लगाए गए कार्मिकों को महत्वपूर्ण रूप से कवर नहीं किया गया था (65 प्रतिशत), जो कंपनियों में 19 प्रतिशत से 97 प्रतिशत के बीच था। तालिका से यह स्पष्ट है कि इन कंपनियों के आउटसोर्सिंग संविदाकारों द्वारा लगाए गए कार्मिकों, जो कंपनियों में 19 प्रतिशत से 97 प्रतिशत के बीच थे, को महत्वपूर्ण रूप (65 प्रतिशत) से संरक्षित नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2022) कि सीएमपीएस, 1998 के अंतर्गत कार्मिकों के कवरेज को न्यासी बोर्ड (बीओटी) के साथ-साथ मंत्रालय स्तर पर भी देखा जाएगा।

मंत्रालय ने उत्तर में कहा (सितंबर 2022) कि अगस्त 2022 में हुई बीओटी (176वीं) की बैठक में कोयला कंपनियों के परामर्श से इस मामले की विस्तार से जांच करने का निर्णय लिया गया था ताकि संविदा कार्मिकों की पूरी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए समाधान निकाला जा सके।

तथ्य यह है कि स्थायी संसदीय समिति की आठ वर्षों से भी अधिक के पूर्व के सिफारिश के बावजूद, कोयला खनन के लिए आउटसोर्सिंग संविदाकारों द्वारा लगाए गए केवल 35.35 प्रतिशत कार्मिकों को सीएमपीएस के कवरेज के अंतर्गत लाया गया था। खनन संविदाकारों द्वारा तैनात आउटसोर्स जनशक्ति की अपर्याप्त कवरेज के पीछे एक प्रमुख कारण भविष्य निधि निरीक्षकों के माध्यम से आवधिक निरीक्षण की कमी है, जिसे आगामी पैरा में उजागर किया गया है।

सिफारिश संख्या 1:

प्रबंधन को योजना के अंतर्गत कोयला खानों के कार्मिकों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

2.2.5.1 (ii) आवधिक निरीक्षण के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट 2013 में कहा था कि खान कार्मिकों और उनकी गाढ़ी कमाई की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खान कार्मिकों के कवरेज के लिए खानों का निरीक्षण नहीं किया गया था। इसमें कहा गया है कि 2010-11 से 2012-13 के दौरान सीएमपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत 901 कोयला खानों में से भविष्य निधि निरीक्षक द्वारा केवल 71 निरीक्षण किए गए। समिति भविष्य निधि निरीक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षणों की इतनी कम संख्या से संतुष्ट नहीं थी।

इसलिए समिति ने पुरजोर सिफारिश की है कि एमओसी/सीएमपीएफओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य निधि निरीक्षक निरीक्षण के लिए समयबद्ध निरीक्षण अनुसूची तैयार करके नियमित आधार पर सभी कोयला खानों का दौरा करें। तदनुसार, सीएमपीएफओ ने जून 2015 में निरीक्षण की एक पुस्तिका तैयार की, जिसमें निर्धारित किया गया कि प्रत्येक खान का निरीक्षण भविष्य निधि निरीक्षकों द्वारा दो महीने में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2021 तक 10 चयनित आरओ के अंतर्गत 510 खानों परिचालन में थीं। तदनुसार, पुस्तिका में निहित निर्देशों पर विचार करते हुए, भविष्य निधि निरीक्षकों को वर्ष 2020-21 के दौरान 3,060 निरीक्षण करने थे। इसके विपरीत, वर्ष के दौरान केवल 26 निरीक्षण किए गए (99 प्रतिशत की कमी)। इस प्रकार, सीएमपीएफओ अपने स्वयं के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन में खान कार्मिकों की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए खानों का अनिवार्य निरीक्षण करने में विफल रहा।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2022) कि बीओटी ने भी मामलों पर गंभीर रूप से विचार किया था और उपलब्ध जनशक्ति के अनुसार, भविष्य निधि निरीक्षकों को निरीक्षण के लिए तैनात किया गया था। सीएमपीएफओ ने कोयला खनन क्षेत्र में लगे कार्मिकों की वास्तविक संख्या की पहचान करने और मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने और प्रणाली को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित निरीक्षण का पता लगाने के लिए एक आईटी आधारित प्रणाली लागू करने का आश्वासन दिया।

मंत्रालय ने उत्तर में कहा (सितंबर 2022) कि जनशक्ति की कमी के कारण, लाभार्थियों की पहचान की निगरानी काफी बाधित हुई थी। मंत्रालय ने इस मामले को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया ताकि पर्याप्त संख्या में भविष्य निधि निरीक्षकों की शीघ्र नियुक्ति की जा सके।

तथापि, तथ्य यह है कि सीएमपीएस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवधिक निरीक्षण के माध्यम से उन कोयला खानों और उनके कार्मिकों की पहचान करना आवश्यक है जो अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं हैं और यह कार्य भविष्य निधि निरीक्षक के माध्यम से सीएमपीएफओ द्वारा किया जाता है।

भविष्य निधि निरीक्षकों द्वारा निरीक्षणों की कमी, अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और प्रबंधन की ओर से अपर्याप्त निगरानी के कारण खान कार्मिकों की अपर्याप्त कवरेज होने की संभावना है। कवरेज में कमी के परिणामस्वरूप पेंशन निधि में अंशदान करने वाले सदस्यों की संख्या 2016-17 में 4.60 लाख से घटकर 2020-21 में 3.91 लाख हो गई। उक्त अवधि के दौरान पेंशनभोगियों की संख्या 2016-17 में 4.50 लाख से बढ़कर 2020-21 में 5.50 लाख हो गई। प्राप्त अंशदान और संवितरित पेंशन का वर्षवार ब्यौरा कार्मिकों/लाभार्थियों की संख्या के साथ तालिका 2.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.4: प्राप्त अंशदान और संवितरित पेंशन का वर्षवार ब्यौरा

वर्ष	अंशदान देने वाले कार्मिकों की संख्या	प्राप्त अंशदान की राशि (₹ करोड़ में)	पेंशन लाभार्थियों की संख्या	कुल संवितरित पेंशन (₹ करोड़ में)
2016-17	4,60,000	984.45	4,50,000	2,208.38
2017-18	4,45,000	1,033.69	4,95,000	2,459.80
2018-19	4,18,000	3,084.12	51,9000	2,842.29
2019-20	4,00,000	3,706.42	5,35,000	3,185.00
2020-21	3,90,777	3,454.71	5,50,422	3,936.06

चूंकि पेंशनरों की संख्या निधि में अंशदान करने वाले सदस्यों की तुलना में अधिक हो गई थी, इसलिए प्राप्त वार्षिक अंशदान ऊपर दी गई तालिका से देखे गए संवितरण की तुलना में बहुत कम था।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

योजना के प्रावधानों में प्रावधान है कि सीएमपीएफओ पेंशन निधि के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए तीन वर्ष के अंतराल पर बीमांकक नियुक्त करता है। कर्मचारी और नियोक्ता सितंबर 2017 तक कर्मचारी के वेतन के चार और एक तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान कर रहे थे। योजना की शुरुआत के बाद से, सीएमपीएफओ ने या तो बीमांकक की सिफारिशों को लागू नहीं किया है या इसके कार्यान्वयन में विलंब की है। सीएजी के 2017 की प्रतिवेदन सं. 12 में इस बात को उजागर किया गया है कि तत्कालीन बीमांकक की सिफारिशों के अनुसार सीएमपीएफओ द्वारा पेंशन निधि में अंशदान की दर में संशोधन नहीं करने से निधि में घाटे को देखते हुए मौजूदा और भविष्य के पेंशनभोगियों के वित्तीय हितों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। सीएजी के प्रतिवेदन के आधार पर कोयला मंत्रालय/सीएमपीएफओ ने उपचारात्मक कार्रवाई की और पेंशन निधि खाते में घाटे के मामले को हल करने के लिए नियोक्ता के समान अंशदान के साथ 1 अक्टूबर 2017 से अंशदान की दर को वेतन के सात प्रतिशत तक संशोधित किया।

अंतिम बीमांकक जनवरी 2020 में नियुक्त किया गया था। फरवरी 2021 में बीमांकक द्वारा एक मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि ₹62,400 करोड़ की बीमांकिक पेंशन की देयता थी। बीमांकक ने बोर्ड के समक्ष एक प्रस्तुति देते हुए कहा (अक्टूबर 2021) कि नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा अंशदान की वर्तमान दर यानी 7 प्रतिशत योजना के अंतर्गत लाभ को पूरा लाभ उठाने के लिए पर्याप्त नहीं थी और राय दी कि आवश्यक अंशदान और अधिक (वेतन का 30 प्रतिशत) होना चाहिए। इसके उपरांत, बीमांकक ने अपने अद्यतन मसौदा प्रतिवेदन में (अक्टूबर 2022) पेंशन देयता ₹42,391.63 करोड़ संशोधित करते हुये यह कहा कि वर्तमान योजना लंबे समय में अव्यवहार्य लगती है और परिणामस्वरूप पेंशन निधि का कोष लाभों का भुगतान करने के पहले समाप्त हो जाएगा। यह उल्लेख करना उचित है कि पेंशन निधि (मार्च 2021 तक) का कोष ₹18,712.50 करोड़ है।

उपर्युक्त पर विचार करते हुए, लेखापरीक्षा का विचार है कि ₹42,391.63 करोड़ की बीमांकिक पेंशन देयता से भविष्य में पेंशन निधि का कोष समाप्त हो जाएगा और बीमांकक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और समयबद्ध तरीके से इसके कार्यान्वयन में विफलता पेंशन निधि की स्थिरता पर चिंता पैदा करती है। 2015-16 से सीएमपीएफओ के लेखाओं पर अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से इस मामले को लगातार उजागर किया गया है, परंतु सीएमपीएफओ प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

प्रबंधन ने तथ्यों से सहमत होते हुए कहा (जुलाई 2022) कि पेंशन निधि खाते में घाटा बीओटी के संज्ञान में था और इसे कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

मंत्रालय ने उत्तर में कहा (सितंबर 2022) कि पेंशन निधि की संधारणीयता के लिए, बीओटी (अगस्त 2022) द्वारा पेंशन निधि में कोयला कंपनियों द्वारा स्वेच्छा से अंशदान की मौजूदा दर को बढ़ाने का निर्णय लिया गया था ताकि प्रोद्घवन और संवितरण के बीच के अंतर को कम किया जा सके।

तथापि, तथ्य यह है कि पेंशन निधि खाते में निरंतर घाटा, पेंशन के भविष्य के संवितरण को प्रभावित करेगा।

सिफारिश संख्या 2:

प्रबंधन को भविष्य में पेंशन देयता के संवितरण के लिए निधि की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा, बीमांकक की सिफारिशों पर समय पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

2.2.5.1 (iii) कोयला खान पेंशन योजना का कार्यान्वयन

सीएमपीएफओ की स्थापना देश भर में कोयला खानों में कार्य करने वाले सभी कार्मिकों/उनके परिवार के सदस्यों के दावों के समय पर निपटान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से की गई थी। पेंशन दावों की शीघ्र प्राप्ति और निपटान तथा पेंशन दावों की लंबितता को न्यूनतम करने के लिए बीओटी ने सेवानिवृत्ति की तारीख पर सदस्यों को पेंशन आदेश सौंपने का प्रस्ताव (जून 2004) रखा। उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुपालन में, सीएमपीएफओ ने जनवरी 2005 में 'मिशन बिस्वास' नाम से पेंशन संवितरण के संचित कार्य को निपटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। सेवानिवृत्ति के महीने में पेंशन दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए जनवरी 2006 में इस विशेष अभियान को आधिकारिक तौर पर आरंभ किया गया। मिशन बिस्वास के कार्य रीति के अनुसार, सेवानिवृत्ति के महीने के सातवें दिन तक दावों के प्राप्त हो जाने पर, सेवानिवृत्ति के दावों का निपटान अधिवर्षिता के महीने में किया जाना था।

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी संसदीय समिति (2012-13) ने पेंशन मामलों के निपटान में विलंब पाया और सिफारिश की कि कोयला मंत्रालय को कोयला खानों के कर्मचारियों के सभी दावों का निपटान एक निश्चित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और 'नागरिक चार्टर' लाना चाहिए। तदनुसार, सीएमपीएफओ ने 2016 में एक नागरिक चार्टर तैयार किया जिसमें पेंशन मामलों के समय पर निपटान का प्रावधान था।


अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि सीएमपीएस में पेंशन दावों के निपटान के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि दावों को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए लाभार्थियों में जागरूकता की कमी थी। सदस्यों ने सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने दावे प्रस्तुत किए, जिससे सुधार करने या आवेदनों में खामियों को दूर करने में कठिनाई हुई। इसके परिणामस्वरूप सीएमपीएफओ द्वारा दावों के निपटान में विलंब हुआ और मिशन बिस्वास के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका, जिसे आगामी पैराग्राफ में उजागर किया गया है।

(क) पेंशन दावों की प्राप्ति में विलंब

सीएमपीएस के सदस्यों से दावे प्राप्त होने के बाद पेंशन की प्रक्रिया आरंभ होती है। मिशन बिस्वास के अनुसार, सेवानिवृत्ति के दावे सेवानिवृत्ति के महीने के सातवें दिन तक प्राप्त किए जाने थे। लेखापरीक्षा में हालांकि पाया गया कि दावों को प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब हुआ जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- मिशन बिस्वास के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के महीने में सातवें दिन तक, 1,251 नमूना मासिक पेंशन दावों में से, 387 दावे (30.94 प्रतिशत) प्राप्त हुए। शेष 864 मामले (69.076 प्रतिशत) सेवानिवृत्ति के महीने के सातवें दिन के निर्धारित समय के बाद प्राप्त हुए थे। 864 मामलों में से, 439 मामले (35.09 प्रतिशत) सेवानिवृत्ति के महीने के सातवें दिन के निर्धारित समय के बाद सेवानिवृत्ति के महीने में प्राप्त हुए थे और 425 मामले (33.97 प्रतिशत) सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद प्राप्त हुए थे, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है:


चार्ट 2.1: मासिक पेंशन मामलों की प्राप्ति में विलंब



दावों को प्रस्तुत करने में विलंब वाले मासिक पेंशन की फाइलों की समीक्षा करते समय लेखापरीक्षा में पांच मामलों²⁰ का पता चला, जिनमें सेवानिवृत्ति की तारीख से चार वर्ष से दस वर्ष की सीमा में मासिक पेंशन दावों की प्राप्ति में विलंब शामिल है। इस प्रकार के असामान्य विलंब के लिए आधिकारिक रूप से कोई कारण नहीं पाया गया।

- संविदा कार्मिकों के संबंध में, 188 नमूना मामलों में से केवल दो दावे एक महीने की अवधि के भीतर प्राप्त हुए और 62 दावे एक वर्ष के भीतर प्राप्त हुए। शेष 124 दावे (65.96 प्रतिशत) एक वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त हुए, जैसा कि चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.2: संविदा कार्मिकों के मामलों की प्राप्ति में विलंब




²⁰ आरओ सम्बलपुर (दो मामले), आरओ धनबाद-1 और II (प्रत्येक में एक मामले)।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

संविदा कार्मिकों के पेंशन मामलों की फाइलों की समीक्षा करते हुए लेखापरीक्षा में पांच मामलों²¹ का पता चला जिनमें 10 वर्ष से 23 वर्ष तक का विलंब हुआ। हालांकि, इस प्रकार के असामान्य विलंब के लिए आधिकारिक रूप से कोई कारण नहीं पाया गया।

- विधवा पेंशन के दावेदार सदस्यों की मृत्यु के तुरंत बाद पेंशन का दावा करने के योग्य थे। तथापि, 354 नमूना विधवा/विधुर पेंशन मामलों में से, 41 दावे (11.58 प्रतिशत) तीन महीने के भीतर प्राप्त हुए, 199 दावे (56.22 प्रतिशत) तीन महीने से एक वर्ष के बीच प्राप्त हुए और शेष 114 दावे (32.20 प्रतिशत) सदस्यों की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के बाद प्राप्त हुए, जैसा कि चार्ट 2.3 में दर्शाया गया है।


चार्ट 2.3: विधवा पेंशन मामलों की प्राप्ति में विलंब



- बाल पेंशन के दावेदार भी सदस्यों की मृत्यु के तुरंत बाद दावा करने के योग्य हैं। हालांकि, 99 नमूना बाल पेंशन मामलों में से, 13 मामले (13.13 प्रतिशत) 31 दिनों से 90 दिनों के बीच प्राप्त हुए, 43 मामले (43.44 प्रतिशत) 91 दिनों से एक वर्ष के बीच प्राप्त हुए, 40 मामले (40.40 प्रतिशत) सदस्य की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के बाद प्राप्त हुए, जैसा कि नीचे चार्ट 2.4 में दर्शाया गया है। शेष तीन मामलों में, प्राप्तियों की तारीख उपलब्ध नहीं थी।

²¹ आरओ सम्बलपुर (एक मामला), आरओ धनबाद-II (चार मामले)।

चार्ट 2.4: बाल पेंशन मामलों की प्राप्ति में विलंब



प्रबंधन/मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई/सितंबर 2022) कि कोयला कंपनियों और कार्मिकों के साथ नियमित समन्वय बैठकें की गई थी ताकि उन्हें योजनाओं आदि के बारे में जागरूक किया जा सके।

हालांकि, तथ्य यह है कि सीएमपीएफओ में दावों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था।

सिफारिश संख्या 3:

पेंशन दावों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए प्रबंधन को एक तंत्र तैयार करना चाहिए।

(ख) पेंशन दावों के निपटान में विलंब


मिशन बिस्वास के अनुसार, सेवानिवृत्ति के महीने के सातवें दिन तक दावों के प्राप्त होने पर, सेवानिवृत्ति के दावों को सेवानिवृत्ति के महीने में ही निपटाया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि पेंशन दावों के निपटान में विलंब हुआ, जैसा कि नीचे बताया गया है:

- 1,251 नमूना मासिक पेंशन मामलों में से, 387 मामले सेवानिवृत्ति के महीने के सातवें दिन तक प्राप्त हुए थे, जिनमें से 101 मामलों को सेवानिवृत्ति के महीने में ही निपटा दिया गया था जैसा कि योजना में निर्धारित है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त 864 मामलों में से, अर्थात् सेवानिवृत्ति के महीने के सातवें दिन के बाद, केवल 507

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1


मामलों का निपटान दावे की प्राप्ति से एक महीने के भीतर किया गया था, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट 2.5 में विश्लेषण किया गया है:

चार्ट 2.5 - मासिक पेंशन दावों के निपटान में विलंब




- संविदा कर्मचारियों के संबंध में, 188 नमूना मामलों में से 49 मामलों (26.06 प्रतिशत) का निपटान दावा प्राप्त होने के एक महीने के भीतर कर दिया गया था। 31 मामलों (16.49 प्रतिशत) का निपटान एक महीने से तीन महीने के बीच किया गया, 22 मामलों (11.70 प्रतिशत) का निपटान दावा प्राप्त होने से तीन महीने से अधिक के विलंब से किया गया। मई 2017 से मई 2021 के बीच प्राप्त 86 मामलों (45.75 प्रतिशत) का निपटान नहीं हुआ (सितंबर 2021 तक) जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट 2.6 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.6: संविदा कर्मियों के मामलों के निपटान में विलंब



- 354 नमूना विधवा/विधुर मामलों में से 81 मामलों (22.88 प्रतिशत) का निपटान दावों की प्राप्ति के एक महीने के भीतर किया गया। 247 मामलों (69.77 प्रतिशत) का निपटान एक वर्ष के भीतर किया गया, 24 मामलों (6.78 प्रतिशत) को दावे की प्राप्ति से एक वर्ष से अधिक समय लगा था, जैसा कि चार्ट 2.7 में नीचे दर्शाया गया है। शेष दो मामलों में, फाइलों में विवरण उपलब्ध नहीं थे।


चार्ट 2.7: विधवा/विधुर मामलों के निपटान में विलंब



99 बाल पेंशन मामले के संबंध में, केवल 25 मामलों (25.25 प्रतिशत) को दावों की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर निपटाया गया, 38 मामलों (38.39 प्रतिशत) का निपटान एक वर्ष में किया गया और चार मामलों (4.04 प्रतिशत) को दावा प्राप्त होने के एक वर्ष के बाद निपटाया गया। इसके अलावा, अगस्त 2015 से मार्च 2021 के बीच प्राप्त 24 मामलों (24.24 प्रतिशत) का निपटान नहीं किया गया (सितंबर 2021

तक) और शेष आठ मामलों में, प्राप्तियों की तारीख उपलब्ध नहीं थी, जैसा कि चार्ट 2.8 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.8 - बाल पेंशन मामलों के निपटान में विलंब



निर्धारित और उचित समय के भीतर पेंशन दावों के निपटान में विलंब/गैर-निपटान ने न केवल सदस्यों को उनके पेंशन के वैध अधिकार से वंचित कर दिया, बल्कि योजना के उद्देश्य को भी विफल कर दिया।

प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2022) कि कोयला खानों और संबंधित आरओ के बीच संयुक्त जानकारी द्वारा लंबित दावों को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रालय ने आगे कहा (सितंबर 2022) कि सीएमपीएफओ ने पेंशन दावों के शीघ्र निपटान के लिए पेंशन अदालत जैसे विभिन्न उपायों को अपनाया था।

सिफारिश संख्या 4:

प्रबंधन को आवश्यक कदम उठाने चाहिए और समयबद्ध तरीके से पेंशन दावों के निपटान को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार करना चाहिए ताकि सदस्यों को समय पर उनके पेंशन का वैध अधिकार प्रदान किया जा सके।

2.2.5.1 (iv) पेंशन का गलत निर्धारण

(क) विशेष महंगाई भत्ते पर विचार किए बिना पेंशन का निर्धारण

योजना के पैरा 10 के अनुसार, योग्य सदस्यों को मूल वेतन और महंगाई भत्ते सहित औसत परिलब्धियों के पच्चीस प्रतिशत की दर से मासिक पेंशन प्राप्त होगी।

अभिलेखों की समीक्षा से पाया गया कि जून 2018 से पहले, सेवानिवृत्ति पेंशन दावों की गणना मासिक वेतन के आधार पर की जाती थी, जिसमें मूल वेतन, विशेष महंगाई

भत्ता (एसडीए)²² और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) घटक के रूप में शामिल थे। सीएमपीएस योजना में राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से एक संशोधन (जून 2018) किया गया, जिसमें वेतन की परिभाषा को संशोधित किया गया। उक्त संशोधन के माध्यम से एसडीए घटक को हटाकर वेतन की परिभाषा बदल दी गई। इसके अलावा, उपर्युक्त अधिसूचना के अनुपालन में पेंशन के भुगतान से संबंधित सीएमपीएस के प्रावधान 10 में तदनुसूची संशोधन के साथ-साथ प्रावधान 2(के) के अंतर्गत औसत परिलब्धियों की परिभाषा भी की जानी अपेक्षित थी। तदनुसार, सीएमपीएफओ के न्यासी बोर्ड ने योजना में आवश्यक संशोधन के लिए प्रस्ताव (दिसंबर 2019) को मंजूरी दे दी और इसे मंत्रालय को भेज दिया गया, जिसे अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चूंकि अपेक्षित संशोधन अनुमोदित नहीं किया गया है और पेंशन की गणना के लिए योजना में कोई संशोधन नहीं किया गया है, इसलिए चयनित आरओ पेंशन की गणना में एक समान दृष्टिकोण का पालन नहीं कर रहे हैं। 10 चयनित आरओ में से, सात आरओ पेंशन की गणना के लिए एसडीए को वेतन/मासिक वेतन के एक घटक के रूप में विचार किए बिना मासिक पेंशन दावों का निपटान कर रहे थे और तीन आरओ मासिक परिलब्धियों में एसडीए को ध्यान में रखते हुए पेंशन तय कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप आरओ द्वारा पेंशन के निर्धारण में असंगति थी।

हालांकि पेंशन की गणना के लिए एक घटक के रूप में एसडीए को हटाने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को अभी तक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाना है, सीएमपीएफओ ने पेंशन के भुगतान के लिए एसडीए को एक घटक के रूप में नहीं मानते हुए 208 सदस्यों को मार्च 2021 तक ₹17.53 लाख की पेंशन का कम संवितरण किया है।

प्रबंधन ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2022) कि आरओ को पेंशन मामलों के निपटान के लिए एकरूपता लागू करने के लिए कहा गया था। इसने एकरूपता लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों का समर्थन (सितंबर 2022) किया।

²² सीआईएल की सहायक कंपनियों और एससीसीएल सहित गैर-कार्यकारियों ने एसडीए को उनके मूल वेतन के 1.795 प्रतिशत की दर से अनुमति दी।

सिफारिश संख्या 5:

प्रबंधन को कोयला खान पेंशन योजना में संशोधनों को शीघ्र अनुमोदन देने के लिए मंत्रालय के समक्ष इस मामले को उठाना चाहिए ताकि पेंशन की गणना के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच एकरूपता लाई जा सके।

2.2.5.1 (v) संविदा कर्मियों से संबंधित शर्तों के अनुपालन में विचलन

(क) अंशदान के प्रतिफल की गलत गणना

योजना के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर भी 10 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी नहीं की हो, या सेवा छोड़ने का विकल्प चुनता हो, या उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हो, या 10 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी होने से पहले विकलांग हो जाता हो, तो ऐसे कर्मचारी को देय राशि, अंशदान के प्रतिफल के माध्यम से योजना की अनुसूची 3 में निर्दिष्ट आधार दर पर निर्धारित की जाएगी।

अंशदान के प्रतिफल से जुड़े अभिलेखों की समीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- योजना की अनुसूची 3 के अनुसार, अंशदान के प्रतिफल के माध्यम से देय राशि की गणना सेवानिवृत्ति की तारीख पर कर्मचारी द्वारा अंतिम आहरित मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी। इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए संविदा कर्मचारियों के 188 नमूना दावों में से 68 दावों का निपटान पिछले 10 महीने के औसत वेतन को देखते हुए किया गया। इस प्रकार, अंतिम आहरित वेतन के बजाय 10 महीने के औसत वेतन पर विचार करने के कारण, सीएमपीएफओ ने ₹2.14 लाख²³ की कम राशि का वितरण किया।
- योजना की अनुसूची 3 के अनुसार, अंशदान के प्रतिफल के मामले में, पेंशन योग्य सेवा के वर्षों की संख्या को निकटतम वर्ष पर बढ़ाया जाना है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक मामले में, एक श्रमिक की कुल पेंशन योग्य सेवा नौ वर्ष और 10 महीने थी जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, योजना के प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारी मासिक पेंशन के लिए पात्र योग्य था, परंतु दावे को अंशदान के प्रतिफल के माध्यम से निपटाया गया था।

²³ अंतिम वेतन के आधार पर ₹13.91 और 10 महीने के औसत वेतन के आधार पर ₹11.77 लाख का अंतर

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2022) कि अभ्युक्ति को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया था। मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2022) कि सीएमपीएफओ द्वारा सही गणना सुनिश्चित की जा रही थी।

(ख) संविदा कार्मिकों से अंशदान की बकाया राशि की अनियमित वसूली

योजना के पैरा-23(3) के अनुसार कर्मचारी के वेतन से कटौती करने के पश्चात नियोक्ता उस अंशदान को कर्मचारी के हिस्से में जमा करने के लिए आयुक्त को प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा यदि एक नियोक्ता आयुक्त को किसी भी अंशदान के प्रेषण में चूक करता हो तो नियोक्ता की ओर से प्रेषण में इस प्रकार की चूक से योजना के अंतर्गत कर्मचारी को मिलने वाले लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

समीक्षा से पता चला कि संविदा कार्मिकों के पेंशन दावों के निपटान के दौरान, उपर्युक्त शर्त का उल्लंघन करते हुए, नियोक्ता द्वारा पेंशन अंशदान के कम जमा के लिए करने के कारण आठ संविदा कार्मिकों से ₹1.13 लाख की राशि वसूल/समायोजित की गई थी।

प्रबंधन/मंत्रालय ने तथ्यों से सहमति व्यक्त करते हुए कहा (जुलाई/सितंबर 2022) कि अभ्युक्ति को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया था और मंत्रालय ने आगे कहा कि संविदाकारों द्वारा अंशदान के प्रेषण में चूक के मामले में, प्रमुख नियोक्ता यानी कोयला कंपनियों का उत्तरदायित्व तय कर दिया गया था।

2.2.5.1 (vi) निगरानी और नियंत्रण तंत्र

लेखापरीक्षा ने में सीएमपीएस के परिचालन में निगरानी और नियंत्रण तंत्र की समीक्षा की गई और अभ्युक्तियों को आगामी पैराग्राफ में उजागर किया गया है:

(क) पेंशन भुगतान के लिए आईटी प्रणाली का कार्यान्वित नहीं होना

सीएमपीएफओ ने (जून 2014) केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप विधवाओं को पेंशन के स्वचालित भुगतान के लिए एक प्रक्रिया तैयार करने का निर्णय लिया। सीएमपीएफओ ने आगे (मई 2017) निर्णय लिया कि सदस्य की पेंशन और पति या पत्नी पेंशन दोनों को एक साथ तय किया जाएगा, और बैंक द्वारा पेंशनर के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर पति या पत्नी पेंशन स्वचालित रूप से अधिकृत हो जाएगी। इस उद्देश्य के लिए किसी भी दावा आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।

इसमें आगे कहा गया है कि पेंशनभोगी के पति या पत्नी का पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) अब से कर्मचारी के पीपीओ के सृजन के समय सृजित किया जाएगा और दोनों राशि यानी पेंशन और पारिवारिक पेंशन राशि का उल्लेख पीपीओ में किया जाएगा। पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में, किसी नए दावे की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही संबंधित आरओ के बैंक में मृत्यु प्रमाण पत्र जमा किया जाएगा, पति या पत्नी पेंशन स्वचालित रूप से आरंभ हो जाएगी।

एक सदस्य द्वारा योजना में शामिल होने के समय, सीएमपीएफओ अपने सभी कार्मिकों को "सीएमपीएफ खाता संख्या" प्रदान करता है, जो पूरे भारत में इसके सभी कार्मिकों के लिए एक विशिष्ट आईडी होती है और सेवानिवृत्ति के समय, यह सीएमपीएफ खाता संख्या पेंशनभोगी के मामले में सभी संपर्क के लिए एक संदर्भ संख्या के रूप में कार्य करती है और पेंशन के वितरण के लिए पेंशनभोगियों के लिए आईडी के रूप में उपयोग की जाती है। इस सामान्य विशिष्ट आईडी के अलावा, सीएमपीएफओ पेंशनरों के लिए पीपीओ संख्या भी सृजित करता है। पीपीओ सृजित किए जाने के बावजूद सीएमपीएफओ खाता संख्या अभी भी पेंशन वितरण के लिए सीएमपीएफओ द्वारा पूरे भारत में एक विशिष्ट आईडी के रूप में उपयोग की जाती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि काफी समय बीत जाने के बाद भी पेंशन के वितरण के लिए न तो कोई आईटी प्रणाली लागू की गई और न ही पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में पति या पत्नी को पेंशन का कोई स्वचालित भुगतान लागू किया गया।

मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई/सितंबर 2022) कि वर्तमान में सीएमपीएफओ एस ए पी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में लगा हैं और एक बार जब यह पूरी तरह से चालू हो जाएगा, तो पेंशनभोगियों के लिए विशिष्ट पीपीओ संख्या सृजित किया जाएगा।

(ख) अंशदान के प्रेषण में विलंब के लिए संविदाकारों से क्षति प्रभार की वसूली न करना

योजना के प्रावधान (धारा 23) के अनुसार, यदि कोई नियोक्ता आयुक्त को किए जाने वाले किसी भी अंशदान के प्रेषण में चूक करता है तो आयुक्त योजना की अनुसूची 4 में निर्दिष्ट दरों के आधार पर इस प्रकार के विलंबित प्रेषण के लिए नुकसान की वसूली करने के लिए सक्षम होगा।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपर्युक्त प्रावधानों के विचलन में सीएमपीएफओ ने निम्नलिखित मामलों में अंशदान प्रेषण में विलंब के लिए संविदाकारों पर कोई क्षति प्रभार नहीं लगाया:

- वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान, आरओ, बिलासपुर के 625 मामलों में, एक निजी संविदाकार ने अंशदान प्रेषण में चूक की और इसमें तीन महीने से तीन वर्ष तक का बिलंब किया। जिसमें तीन महीने से तीन वर्ष तक के बिलंब का मामला था।
- जून 2017 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान, आरओ रांची के 116 मामलों में, एक निजी संविदाकार ने अंशदान प्रेषण में एक महीने से लेकर दो वर्ष तक का बिलंब किया। जिसमें एक महीने से लेकर दो वर्ष तक के बिलंब का मामला था।

सीएमपीएफओ द्वारा चूककर्ता से मार्च 2021 तक ₹19.32 लाख के कुल क्षति प्रभार का दावा आज तक नहीं किया गया है।

प्रबंधन/मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई/ सितंबर 2022) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति अनुपालन के लिए सभी आरओ को भेज दी गई थी। आरओ द्वारा चूककर्ता नियोक्ताओं को मांग नोटिस देना सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे।

(ग) बैंकों के माध्यम से पेंशन वितरण में कमियां

पेंशन के संवितरण के लिए, प्रत्येक क्षेत्राधिकार आरओ के पेंशनभोगियों का डेटा संबंधित बैंक की नोडल शाखा को प्रदान किया जाता है। पेंशनभोगियों के अद्यतित डेटा के आधार पर नोडल शाखा मासिक आधार पर पेंशन के वितरण के लिए सीएमपीएफओ, मुख्यालय से आवश्यक धनराशि की मांग करती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि गोदावरीखानी आरओ में नोडल बैंक (आंध्रा बैंक) ने लाभार्थी को दो बार ₹0.96 लाख की पेंशन/बकाया पेंशन प्रदान की, जो लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किए जाने तक अज्ञात रही। बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए पेंशन भुगतान डेटा के मिलान के लिए यहाँ कोई प्रणाली नहीं है, जिसके कारण इस त्रुटि का पता नहीं चल पाया।

प्रबंधन/मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई/सितंबर 2022) कि वर्तमान में आरओ सीधे बैंकों को पेंशन डेटा भेजते हैं और बैंक सीएमपीएफओ मुख्यालय से मांग करते हैं। तथापि, सभी बैंकों को अंतिम विप्रेषण के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

करना था। सीएमपीएफओ प्रभावी नियंत्रण के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन संवितरण समाधान प्रकोष्ठ सुस्थापित करने की भी योजना बना रहा था। इसने यह भी कहा कि सभी नए निपटाए गए पेंशन मामलों का भुगतान एसबीआई के माध्यम से किया गया था और गैर-एसबीआई बैंकों से एसबीआई में पेंशनभोगियों के वसीयत-संपदाडेटा का स्थानांतरण प्रक्रियाधीन था।

सिफारिश संख्या 6:

पेंशन वितरण में कमियों को दूर करने के लिए प्रबंधन को एक निगरानी और समाधान तंत्र तैयार करना चाहिए।

(घ) मासिक पेंशन प्रकरणों का संशोधन न होना

राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता (एनसीडब्लूए)-X के अनुसार, सीआईएल के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन को उसकी सहायक कंपनियों सहित अक्टूबर 2017 में स्वीकृति दी गई थी। संशोधन जुलाई 2016 से प्रभावी था। तदनुसार, कर्मचारियों की पेंशन, जो जुलाई 2016 से सितंबर 2017 की अवधि के दौरान अधिवर्षिता प्राप्त किए थे, को (एनसीडब्लूए)-X के अनुसार उनके संशोधित वेतन के आधार पर फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि जुलाई 2016 से सितंबर 2017 की अवधि के दौरान 22,187 कर्मचारी अधिवर्षिता प्राप्त किए। हालांकि, केवल 16,530 कर्मचारियों (74.5 प्रतिशत) की पेंशन अब तक पुनः निर्धारित की गई थी। 5,657 (25.5 प्रतिशत) कर्मचारियों के संबंध में पेंशन का पुनर्निर्धारण। चार वर्ष बीत जाने के बाद भी किया जाना बाकी था।

प्रबंधन ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए बताया (जुलाई 2022) कि संबंधित अनुभागों को पेंशन पुनरीक्षण प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश पहले ही जारी कर दिये गये थे। मंत्रालय ने भी प्रबंधन के विचारों का समर्थन किया (सितंबर 2022)।

सिफारिश संख्या 7:

प्रबंधन को लंबे समय से लम्बित पेंशन पुनरीक्षण प्रकरणों का त्वरित निस्तारण एवं निपटान सुनिश्चित करना चाहिए।

(ड) बाल पेंशन की अधिक राशि का भुगतान

सीएमपीएस योजना के प्रावधानों के अनुसार, "कर्मचारी की मृत्यु के बाद, जीवित पत्नी/पति के साथ, दो सबसे बड़े बेटे या अविवाहित बेटियां, जैसा भी मामला हो, पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अविवाहित पुत्री के मामले में उसके विवाह की तिथि तक, जो भी पहले हो, सन्तान पेंशन का हकदार होगा।"

नमूने के तौर पर चयनित 99 बच्चों के पेंशन मामलों के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि:

- 5 मामलों में, सीएमपीएफओ ने लाभार्थी द्वारा 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी बाल पेंशन का भुगतान जारी रखा जो योजना के प्रावधानों का उल्लंघन था। सीएमपीएफओ ने ₹1.03 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया।
- दो मामलों में, योजना के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दो बड़े बच्चों के अतिरिक्त अन्य बच्चों को ₹1.60 लाख की बाल पेंशन वितरित की गई।
- एक मामले में, एक मृत सदस्य के तीन बच्चों को ₹0.60 लाख की पेंशन का भुगतान किया गया था, इस मामले में कोई भी बच्चा सबसे बड़ा बच्चा नहीं था।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2022) कि उपयुक्त पुनरीक्षण प्रक्रियाधीन है। प्रबंधन ने यह भी कहा कि प्रस्तावित सुचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली के तहत, एक कॉलम होगा जो उस तिथि को दर्शाएगा कि कब तक सन्तान पेंशन वितरित की जानी चाहिए, ताकि देय तिथि की समाप्ति के बाद बच्चों की पेंशन स्वतः बंद हो जाए। मंत्रालय ने भी प्रबंधन के विचारों का समर्थन किया (सितंबर 2022)।

(च) निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की सुस्थापित प्रणाली का अभाव

प्रभावी नियंत्रण और पेंशन दावों के प्रक्रमण और निपटान में एकरूपता बनाए रखने के लिए एक सुस्थापित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली की अत्यधिक आवश्यकता है। कोयला और इस्पात की स्थायी संसदीय समिति (2012-13) ने मौजूदा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के बजाय सीएमपीएफओ में एक नए कंप्यूटर कार्यक्रम के लगातार कार्यान्वयन का हवाला देते हुए संगठन के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम पर अपनी नाराजगी व्यक्त की।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2012-13 से काफी समय बीत जाने के बाद भी जब कोयला और इस्पात की संसदीय स्थायी समिति ने संगठन के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, सीएमपीएफओ अपने संचालन के आकार के अनुरूप एक सुचना प्रौद्योगिकी प्रणाली सुस्थापित करने में विफल रहा जो निम्नलिखित से स्पष्ट है:

- सीएमपीएफओ ने मेसर्स सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को शामिल करके 2006 में उद्यम संसाधन योजना आधारित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली लागू की गई, जो अप्रैल 2009 तक जारी रहा।
- इसके बाद सीएमपीएफओ ने मई 2009 से जुलाई 2019 की अवधि के लिए एक स्थानीय एजेंसी मैसर्स सॉफ्ट-इन्फो, धनबाद को नियुक्त करके ऑनलाइन निपटान प्रणाली (ओएसएस) लागू किया।
- ओएसएस प्रणाली को जुलाई 2019 में समाप्त कर पूर्ववर्ती सैप मॉड्यूल को पुनर्जीवित कर अक्टूबर 2020 से फिर से लागू किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि अगस्त 2019 से सितंबर 2020 के दौरान सीएमपीएफओ में कोई सुचना प्रौद्योगिकी प्रणाली काम नहीं कर रही थी। इसके अतिरिक्त, ओएसएस में बनाए गए डेटाबेस को दिसंबर 2021 तक सैपप्रणाली में विस्थापित नहीं किया जा सका। यह उल्लेख करना उचित है कि सीएमपीएफओ ने मार्च 2021 तक सुचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के कार्यान्वयन पर ₹42.22 करोड़ का कुल व्यय किया है जो अभी पूरी तरह से चालू/सुव्यवस्थित होना बाकी है। परिणामस्वरूप, पेंशन का जीवित सदस्यता डेटा और पेंशनभोगियों का वसीयत-संपदा डेटा सैप प्रणाली में अपलोड नहीं किया गया था।

प्रबंधन/मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई/सितंबर 2022) कि लेखापरीक्षा अवलोकन को अनुपालन के लिए दर्ज कर लिया गया था। इसने यह भी कहा कि सैप कार्यान्वयन के अधीन था।

हालांकि, तथ्य यह है कि एक अच्छी तरह से सुस्थापित सुचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के अभाव में, सीएमपीएफओ सीएमपीएस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र विकसित करने में विफल रहा।

सिफारिश संख्या 8:

प्रबंधन पेंशन के संवितरण और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए एक प्रभावी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली विकसित कर सकता है।

(छ) पूर्ववर्ती परिवार पेंशन योजना, 1971 के लंबित दावों का निपटान न करना

सीएमपीएस 31 मार्च 1998 से पूर्ववर्ती सीएमएफपी योजना, 1971 के अधिक्रमण के प्रभाव से लागू हुआ और सीएमएफपी के पूरे कोष को नई योजना में स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार, सीएमएफपी मामलों से संबंधित दावों को सीएमपीएस की निधियों से पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि सीएमएफपी योजना, के 200 दावे थे जो 31 मार्च 2016²⁴ तक निपटान के लिए लंबित थे। इन 200 दावों का पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी निपटान किया जाना बाकी था।

प्रबंधन/मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया (जुलाई/सितंबर 2022) कि मामले की समीक्षा की जाएगी और लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा।

हालांकि, तथ्य यह है कि सीएमपीएफओ सीएमएफपी योजना से संबंधित 200 दावों को निपटाने में विफल रहा, जिससे वैध पेंशनरों को योजना के लाभों से काफी समय तक वंचित रखा गया।

सिफारिश संख्या 9:

प्रबंधन को पूर्ववर्ती पारिवारिक पेंशन योजना के शीघ्र निपटान के लिए कदम उठाने चाहिए।

(ज) शिकायत निवारण प्रणाली के मजबूत तंत्र का अभाव

शिकायत निवारण प्रणाली एक तंत्र है जिसका उपयोग आमतौर पर किसी इकाई के हितधारकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए किया जाता है, जिससे उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की जा

²⁴ सीएमएफपीओ द्वारा आखिरी समीक्षा वर्ष 2015-16 के दौरान की गयी थी। वर्ष 2015-16 से आगे के सीएमएफपीओ के वार्षिक प्रतिवेदन में विवरण मौजूद है।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

सके। किसी संगठन के शिकायत निवारण के एक मजबूत तंत्र का उद्देश्य समस्या के त्वरित समाधान द्वारा अपने हितधारकों के असंतोष के कारणों को समाप्त करना है।

सीएमपीएफओ के सदस्यों और पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए धनबाद मुख्यालय साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत निवारण कक्ष हैं। यह ऑनलाइन वेब पोर्टल केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से और डाक द्वारा भी शिकायतें प्राप्त करता है। इसके द्वारा प्राप्त शिकायतें ज्यादातर दावों के निपटान में विलंब और व्यक्तिगत खातों के अद्यतनीकरण से संबंधित थीं।

शिकायत निवारण से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- किसी शिकायत के निवारण के लिए कोई समय सीमा मौजूद नहीं थी और शिकायत के निपटान के लिए लिया जाने वाला औसत समय वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा था। यह 2016-17 में 28 दिनों से बढ़कर 2020-21 में 106 दिन हो गया था।
- निचले स्तर पर एक विशिष्ट अवधि के भीतर शिकायत का निवारण न होने की स्थिति में, शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए सीएमपीएफओ ने अधिकारियों के विभिन्न स्तरों को निर्दिष्ट नहीं किया।
- सीएमपीएफओ ने शिकायतों की प्राप्ति और निपटान की आवधिक प्रतिवेदन तैयार किया, और केवल सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से पंजीकृत शिकायतों के संबंध में लिए गए औसत निपटान समय और लंबित शिकायतों की अवधि का विश्लेषण किया। डाक द्वारा प्राप्त शिकायतों के लिए ऐसा कोई तंत्र मौजूद नहीं था।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (जुलाई/सितंबर 2022) कि सभी शिकायत मामले मुख्यालय कार्यालय में मेल के माध्यम से प्राप्त हुए थे और उन्हें सदस्य की शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दिया गया था। इसने सीसीपीग्राम में डाक द्वारा प्राप्त शिकायतों को शामिल करने और उनके समय पर निपटान की निगरानी करने का आश्वासन दिया।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शिकायतों के निवारण के लिए सीएमपीएफओ में कोई समय-सीमा नहीं थी। निपटान के लिए औसत समय पिछले वर्षों में बढ़ गया था क्योंकि शिकायत के समय पर निपटान के लिए मौजूदा निवारण प्रणाली में कमी थी।

सिफारिश संख्या 10:

प्रबंधन को शिकायतों के शीघ्र और समय पर निवारण के लिए एक विश्वसनीय तंत्र तैयार करना चाहिए।

2.2.5.1 (vii) सीएमपीएस में कमियां

सीएमपीएफओ को कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाई गई विभिन्न योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएमपीएफओ का उद्देश्य कोयला उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और सदस्यों के योगदान पर इष्टतम लाभ सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य प्रदर्शन, निगरानी और अनुपालन को सुविधाजनक बनाने और सुधारने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के सबसे उन्नत उपकरणों को पेश करके कर्मचारी सदस्यों के लिए पीएफ, पेंशन और अन्य दावों का ऑनलाइन निपटान प्रदान करना, दावों और संवितरण के प्रसंस्करण के लिए सुचारु प्रणाली का निर्माण करना, कर्मचारियों और पेंशनरों के लाभ के लिए एक पारदर्शी, लोगों के अनुकूल और उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करना, तथा हितों की रक्षा करना है।

सीएमपीएस 1998 की समीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

क. स्वतंत्र नियामक की अनुपस्थिति: लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना, जो पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अधीन है, के विपरीत, सी एमपीएफओ की पेंशन योजना के प्रबंधन के लिए कोई स्वतंत्र नियामक नहीं है। पीएफआरडीए, एक सरकारी नियामक के रूप में, पेंशन फंडों की योजनाओं के लिए ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए पेंशन निधि की स्थापना, विकास और विनियमन द्वारा वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देता है। पीएफआरडीए, एक सरकारी नियामक के रूप में, पेंशन फंडों की योजनाओं और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए पेंशन फंड की स्थापना, विकास और विनियमन द्वारा वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि सीएमपीएफओ योजना को खुद नियंत्रित और प्रशासित करता है और अपने निधि को नियुक्त पोर्टफोलियो मैनेजर के माध्यम से निवेश करता है। जबकि एक स्वतंत्र नियामक के अभाव में, खान श्रमिकों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं की गई थी और श्रमिकों को योजना के तहत इच्छित लाभों से वंचित

रखा गया था। निम्नलिखित मुद्दों को एक स्वतंत्र नियामक होने से टाला/समाधान किया जा सकता था

क 1. कोयला खदान श्रमिकों का अपर्याप्त कवरेज: आउटसोर्सिंग संविदाकार द्वारा नियोजित कोयला खदान श्रमिकों को उल्लेखनीय रूप से उजागर (औसतन 65 प्रतिशत) नहीं किया गया था, जो 19 प्रतिशत से 97 प्रतिशत के बीच थे जैसा की पैरा 2.2.5.1(i) में दर्शाया गया है।

क 2. नियमित निरीक्षण: अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सीएमपीएफओ द्वारा भविष्य निधि निरीक्षक के माध्यम से आवधिक निरीक्षण किए जाने हैं। कोयला खदानों और उनके कर्मचारियों की पहचान करने के लिए निरीक्षण आवश्यक है जो योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। 2020-21 के दौरान निरीक्षण में 99 प्रतिशत की कमी थी जैसा कि पैरा 2.2.5.1(ii) में दर्शाया गया है। इस प्रकार, सीएमपीएफओ अधिनियम के अनुपालन में खान श्रमिकों की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए खानों का अनिवार्य निरीक्षण करने में विफल रहा।

क 3. बीमांकक की समय पर नियुक्ति न होना तथा बीमांकक की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब: योजना के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्रत्येक तीसरे वर्ष पेंशन निधि के मूल्यांकन एवं समीक्षा के लिए एक बीमांकक की नियुक्ति की जाती है। फिर बीमांकक की सिफारिशों को बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। बोर्ड, बीमांकक की सिफारिश पर, केंद्र सरकार को सिफारिश कर सकता है और उसके अनुमोदन से योजना के तहत देय अंशदान की दरों में संशोधन कर सकता है, या पेंशन की राशि में वृद्धि और संशोधन कर सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीएमपीएफओ ने तीन वर्षों के अंतराल पर न तो बीमांकक की नियुक्ति की और न ही निधि की स्थिरता के लिए इसकी सिफारिशों को समय पर लागू किया। लेखापरीक्षा के तहत शामिल की गई अवधि के दौरान, बीमांकक को 2015 में नियुक्त किया गया था और उसके बाद पांच वर्ष के अंतराल के बाद केवल 2020 में नियुक्त किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि अक्टूबर 2015 में नियुक्त बीमांकक ने अपना प्रतिवेदन अक्टूबर 2016 में प्रस्तुत किया। हालांकि, अंशदान दर को 7 प्रतिशत तक बढ़ाने की बीमांकक की सिफारिश जून 2018 में ही स्वीकृत की गई

थी। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि 2020 में नियुक्त अंतिम बीमांकक को अभी अपनी अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। दो वर्ष बीत जाने के बाद भी बीमांकक से प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए सीएमपीएफओ द्वारा किए जा रहे प्रयासों का कोई अभिलेख नहीं पाया गया। फरवरी 2021 में, बीमांकक द्वारा एक मसौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि ₹62400 करोड़ की बीमांकक पेंशन देयता थी, जो भविष्य में पेंशन निधि के कोष को नष्ट कर देगी, जैसा कि पैरा 2.2.5.1 (ii) में बताया गया है।

क 4. श्रमिकों के हितों की रक्षा: लेखापरीक्षा में खदान कर्मियों को अंशदान की वापसी संबंधी अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि 188 नमूना प्रकरणों में से 16 प्रकरणों में कोयला खदान श्रमिक जो 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने में विफल रहे, ऐसे में श्रमिकों को अनुसूची 3 में निर्दिष्ट दरों के आधार पर अंशदान वापस कर दिया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि ऐसे मामलों में, श्रमिकों ने ₹7.83 लाख का पेंशन अंशदान जमा किया लेकिन केवल ₹6.70 लाख, श्रमिकों को अनुसूची 3 में निर्दिष्ट दरों के आधार पर वापस किए गए। इस प्रकार, श्रमिक वर्षों से किए गए योगदान को प्राप्त करने में भी विफल रहे। यह भी पाया गया कि इस योजना में कामगारों को लौटाए गए अंशदान पर ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं था। मज़दूर अंशदान पर कम से कम नाम मात्र का ब्याज पाने के बजाय अपने अंशदान की मूल राशि वसूल करने में भी असफल रहे।

प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2022) कि सीएमपीएफओ ने सीएमपीएस 1998 के प्रावधानों के अनुसार पेंशन का निपटान किया, जो योजना को विनियमित करने के लिए स्वयं एक नियामक था। सीएमपीएफओ ने योजना के प्रावधानों के अनुसार बीमांकक की नियुक्ति की और बीओटी ने वर्ष 2021-22 तक सीएमपीएस 1998 के मूल्यांकन के लिए बीमांकक के विस्तार को स्वीकृति दी।

प्रबंधन के तर्कों को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि नियामक का होना एक अच्छा अभ्यास है जो यह सुनिश्चित करता है कि संगठन की वित्तीय सेवाएं कानून और वित्तीय नियमों के अनुरूप हों। हालांकि, एक स्वतंत्र नियामक की अनुपस्थिति में, सीएमपीएफओ अधिकांश अनुबंधित कोयला खदान श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहा और उन्हें सीएमपीएस के इच्छित लाभों से वंचित रखा।

सिफारिश संख्या 11:

प्रबंधन कोयला खान पेंशन योजना की समीक्षा कर सकता है और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक होने की संभावना का पता लगा सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि योजना के इच्छित लाभ अनुबंधित श्रमिकों तक विस्तारित हों।

2.2.5.2 डिपॉजिट लिंकड इंश्योरेंस स्कीम

2.2.5.2 (i) डिपॉजिट लिंकड इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवरेज

कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम में प्रावधान है कि सीएमपीएफओ की पीएफ योजना के तहत आने वाले कर्मचारी डिपॉजिट लिंकड इंश्योरेंस (डीएलआई) योजना के तहत जीवन बीमा का लाभ पाने के योग्य हैं। लेखापरीक्षा ने के दौरान कोयला क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान डीएलआई योजना के कवरेज की समीक्षा को तालिका 2.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.5: डीएलआई योजना की वर्षवार स्थिति

अवधि	पीएफ योजना में योगदान करने वाले नियोक्ता की संख्या	डीएलआई योजना में योगदान के लिए छूट प्राप्त नियोक्ता की संख्या	डीएलआई योजना में योगदान करने वाले नियोक्ता की संख्या	डीएलआई योजना में नियोक्ताओं द्वारा योगदान की गई राशि (₹ करोड़ में)	डीएलआई योजना में केंद्र सरकार द्वारा योगदान की गई राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष के अंत में डीएलआई कॉर्पस निधि की स्थिति (₹ करोड़ में)
2016-17	900	10	01	0.01	0	275.00
2017-18	891	10	01	0.01	0	295.07
2018-19	879	10	01	0.04	0	316.66
2019-20	876	10	0	0	0	339.89
2020-21	881	10	0	0	0	364.81

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 2020-21 को समाप्त पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी नियोक्ता द्वारा योजना में कोई योगदान नहीं करने के कारण योजना अप्रभावी हो गई।

2.2.5.2 (ii) अंशदान की वसूली न करना

अधिनियम की धारा 11सी में प्रावधान है कि नियोक्ता के अनुरोध पर, केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियोक्ता को डीएलआई योजना में योगदान करने से छूट दे सकती है। तदनुसार, भारत सरकार ने 10 सार्वजनिक उपक्रमों अर्थात् सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल), कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी आठ सहायक कंपनियों को क्रमशः जनवरी 1979 और मार्च 2009 से अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के संबंध में योगदान करने से छूट दी, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वयं की जीवन बीमा योजना बनाई थी।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित देखा गया :

i) जो नियोक्ता पीएफ योजना में अंशदान कर रहे थे, उन्हें भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार डीएलआई योजना में अंशदान करना आवश्यक था। 31 मार्च 2021 तक पीएफ योजना में अंशदान करने वाले 881 नियोक्ताओं में से 10 नियोक्ताओं को लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार डीएलआई योजना में अंशदान करने के लिए केंद्र सरकार से छूट मिली। लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के अनुसार 31 मार्च 2021 तक पीएफ योजना में योगदान करने वाले 881 नियोक्ताओं में से 10 नियोक्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा डीएलआई योजना में योगदान करने से छूट मिली हालांकि, शेष 871 नियोक्ताओं में से केवल एक नियोक्ता (जे एंड के मिनरल्स लिमिटेड) ने 2016-17 से 2018-19 के दौरान डीएलआई योजना में योगदान दिया। शेष नियोक्ताओं (870) जो डीएलआई योजना में योगदान नहीं कर रहे थे, के संबंध में सरकार की कोई छूट अधिसूचना सीएमपीएफओ के पास उपलब्ध नहीं थी और यह इन 870 नियोक्ताओं से बिना किसी अभिलेखित कारणों के डीएलआई योजना के योगदान को एकत्र करने में भी विफल रही।

ii) वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी नियोक्ता से कोई अंशदान प्राप्त नहीं हुआ।

iii) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार को भी डीएलआई योजना में योगदान करने की आवश्यकता है। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरकार भी वर्ष 2010-11 से इसमें कोई अंशदान नहीं कर रही थी। सीएमपीएफओ द्वारा नियोक्ताओं

और सरकार के योगदान के नियमितीकरण के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में कोई अभिलेख नहीं पाया गया है।

2.2.5.2 (iii) डीएलआई योजना का संचालन

योजना का संचालन और प्रशासन कर्मचारियों की ओर से नियोक्ता द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा किए गए योगदान के साथ-साथ समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर पर लगाए गए प्रशासनिक शुल्कों पर निर्भर है।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित देखा गया:

- अधिनियम की धारा 10 एफ, गैर-योगदानकर्ताओं पर क्षति शुल्क लगाने का अधिकार देता है। प्रावधानों के अनुसार, ऐसे चूककर्ता नियोक्ताओं से बकाया राशि के 25 प्रतिशत से अधिक की क्षतिपूर्ति वसूली नहीं जा सकती है। सीएमपीएफओ, हालांकि, चूककर्ता नियोक्ताओं से क्षति शुल्क वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू करने में विफल रहा।

- योजना के प्रावधानों के अनुसार, डीएलआई योजना में योगदान से छूट के बावजूद, खातों के रखरखाव, निवेश करने और निरीक्षण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए छूट प्राप्त नियोक्ताओं को सीएमपीएफओ को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित निरीक्षण शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। सीएमपीएफओ द्वारा ऐसा कोई निरीक्षण प्रभार वसूल नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मई 2020 के लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किए जाने के बाद, सीएमपीएफओ ने छूट प्राप्त नियोक्ताओं से एकत्र किए जाने वाले निरीक्षण शुल्क की दर के निर्धारण के लिए एमओसी (अगस्त 2020) से स्पष्टीकरण मांगा।

इस प्रकार सीएमपीएफओ निरीक्षण शुल्क निर्धारित करने, दावा करने और एकत्र करने में शिथिलता के कारण विफल रहा और इसने बदले में डीएलआई योजना की स्थिरता को भी प्रभावित किया

- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, नियोक्ता को कुल वेतन के 0.1 प्रतिशत की दर से योजना के संचालन और प्रशासन के लिए शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यह दर योजना की शुरुआत से अपरिवर्तित रही। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान, सीएमपीएफओ ने डीएलआई योजना को बनाए रखने

और संचालित करने के लिए ₹2.71 करोड़ का व्यय किया, जिसके विरुद्ध इसे प्रशासन शुल्क के रूप में केवल ₹0.61 करोड़ प्राप्त हुए।

इस प्रकार, ₹2.10 करोड़ (₹2.71 करोड़-₹0.61 करोड़) का व्यय गैर-छूट वाले नियोक्ताओं से वसूल करने के बजाय आंतरिक स्रोतों से किया गया था। सीएमपीएफओ द्वारा नियोक्ताओं से अधिनियम में परिकल्पित राशि की वसूली के लिए कोई पहल नहीं की गई थी।

2.2.5.2 (iv) योजना की अप्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सेवा में कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, उसका नामित व्यक्ति अधिकतम ₹10,000 प्राप्त करने का हकदार है जो इसके स्थापना (1976) से लागू था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि समय के साथ-साथ जीवन यापन की लागत में कई गुना वृद्धि के बावजूद, सीएमपीएफओ ने इसकी सीमा को कभी भी संशोधित नहीं किया और न ही इसे बढ़ाया।

कोयला और इस्पात की स्थायी संसदीय समिति (2012-13), पंद्रहवीं लोक सभा (कोयला मंत्रालय), डीएलआई योजना के संबंध में सीएमपीएफओ के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए, ने देखा कि ₹10,000 की राशि मृत कर्मचारी के परिवार को जीवनयापन की बढ़ती लागत को पूरा करने के लिए शायद ही पर्याप्त थी। इसलिए, यह पुरजोर सिफारिश की गई कि इस मामले में शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए और योजना के तहत खान श्रमिकों के लाभ को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

मंत्रालय ने कार्रवाई की गई टिप्पणी (सितंबर 2013) में कहा कि वह इस मामले पर फिर से विचार करेगी।

हालांकि, आठ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, योजना के तहत सीमा के संशोधन के लिए मंत्रालय/सीएमपीएफओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, बोर्ड ने अंततः डीएलआई योजना को वापस लेने के प्रस्ताव को अनुमोदित (अक्टूबर 2021) किया और प्रस्ताव को आवश्यक अनुमोदन और संशोधन के लिए मंत्रालय को अग्रेषित किया।

तथ्य यह है कि सीएमपीएफओ ने योजना के तहत उपलब्ध अभीष्ट लाभों के बारे में लाभार्थियों/श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए कभी भी कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया। परिणामस्वरूप, डीएलआई योजना से कोयला खनन उद्योग में काम करने वाले

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

श्रमिकों को कोई लाभ नहीं मिला, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि योजना के शुरू होने के बाद से, ₹1.34 करोड़ की राशि वाले केवल 1,648 दावों का निपटान किया गया था। इस तरह का आखिरी दावा वर्ष 2009-10 में निपटाया गया था। पिछले 10 वर्षों में एक भी दावा दर्ज और भुगतान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप बिना किसी दावा निपटान खर्च के कॉर्पस फंड के पुनर्निवेश और उस पर ब्याज के संचय के कारण डीएलआई कॉर्पस फंड का बड़ा संचय हुआ जो वर्ष 2016-17 में ₹275 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹364.81 करोड़ हो गया।

प्रबंधन/मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी/जुलाई 2021) कि अधिकांश नियोक्ता को डीएलआई योजना से छूट के कारण पिछले 10 वर्षों के दौरान भुगतान के लिए कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण डीएलआई योजना का कॉर्पस बढ़ता चला गया। प्रबंधन ने आगे कहा (जुलाई 2022) कि बीओटी ने योजना को वापस लेने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी। इसके प्रस्ताव को कोयला मंत्रालय को स्वीकृति और अधिनियम में आवश्यक संशोधन के लिए भेजा गया। मंत्रालय ने आगे कहा (सितंबर 2022) कि सीएमपीएफ एंड एमपी अधिनियम 1948 में संशोधन के माध्यम से डीएलआई योजना को वापस लेने का प्रस्ताव विचाराधीन था।

2.2.6 निष्कर्ष

सीएमपीएफओ की स्थापना देश भर में कोयला खदानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दूरदर्शिता के साथ की गई थी। हालांकि कोल इंडिया लिमिटेड, उसकी सहायक कंपनियों और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड द्वारा लगाए गए विभागीय कर्मचारी कोयला खान पेंशन योजना के तहत पूरी तरह से शामिल किए गए थे, लेकिन इन कंपनियों के आउटसोर्सिंग संविदाकार द्वारा लगाए गए कर्मचारी उल्लेखनीय रूप से शामिल नहीं थे।

लेखापरीक्षा के दौरान निम्न महत्वपूर्ण मामले देखे गए।

- बीमांकक द्वारा मूल्यांकित ₹42,391.63 करोड़ की बीमांकक पेंशन देयता भविष्य में पेंशन निधि को खाली कर देगी। इसके अलावा, बीमांकक द्वारा अपने प्रतिवेदन में दिये गए संस्तुतियों को अंतिम रूप देने और इन्हें समयबद्ध रूप से कार्यान्वित करने में विफलता पेंशन निधि के संधारणीयता पर सवाल उठता है।

- सीएमपीएफ अधिनियम के अनुपालन में खान श्रमिकों की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सीएमपीएफओ खानों का अनिवार्य निरीक्षण करने में विफल रहा। पेंशन दावों की प्राप्ति और निपटान में विलंब, पेंशन के गलत निर्धारण और संविदा कर्मियों को अंशदान की वापसी के यहाँ उदाहरण थे। सीएमपीएफओ पेंशन के स्वतः भुगतान को लागू करने और अंशदान भेजने में चूक के लिए निजी संविदाकार से क्षति शुल्क वसूल करने में विफल रहा। सीएमपीएफओ अपनी गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रभावी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली सुस्थापित करने में भी विफल रहा।
- सीएमएफओ अपनी योजना और निधि का स्वयं नियामक, प्रशासक और निवेशक है और एक स्वतंत्र नियामक के अभाव में खदान कार्मिकों के हितों को सुरक्षित नहीं रखा गया और कार्मिकों को योजना से मिलने वाले लाभों से वंचित रखा गया।

डीएलआई योजना के शुरुआत के 45 वर्षों के बाद भी, सीएमपीएफओ कोयला खनन उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों (संविदाकर्मिकों को शामिल करके) के लाभ के लिए डीएलआई योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहा। डीएलआई योजना के संचालन की घोर उपेक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत इच्छित लाभों के लिए कर्मचारियों को शिक्षित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए सीएमपीएफओ की ओर से पहल की कमी इस तथ्य से स्पष्ट है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान एक भी कर्मचारी को लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

अध्याय III: वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएँ विभाग)

3.1 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण में पाई गई कमियाँ

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने 2017-18 में ऋण वृद्धि के लिए बिना किसी माँग के भारतीय स्टेट बैंक में ₹8,800 करोड़ का निवेश किया, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। डीएफएस ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों से आगे जाकर अधिक कुशन पर भी विचार किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹7,785.81 करोड़ का अतिरिक्त निवेश हुआ। इसके अलावा, डीएफएस ने 2019-20 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ₹831 करोड़ का निवेश किया, जबकि बैंक ने ₹798 करोड़ की माँग की थी। इस प्रकार, वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान, डीएफएस ने भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक आवश्यकता/पीएसबी की मांगों से आगे जाकर ₹16,619 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया।

3.1.1 परिचय

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) भारतीय बैंकिंग प्रणाली के प्रमुख घटक हैं और भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हैं। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति (2020-21) पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल अग्रिमों में पीएसबी का हिस्सा 58.67 प्रतिशत था और जमा में, यह मार्च 2021 के अंत में 63.50 प्रतिशत था।

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद पीएसबी का पुनर्पूजीकरण किया गया था, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ जोखिम भारित परिसंपत्तियों²⁵ को प्रोजेक्ट करने के लिए परिसंपत्तियों की क्रेडिट वृद्धि के साथ-साथ जोखिम प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए पीएसबी द्वारा किए गए पूंजी अनुमान, संबंधित

²⁵ जोखिम-भारित परिसंपत्तियाँ परिसंपत्ति के जोखिम के अनुसार भारित बैंक की सम्पत्तियों का खुलासा हैं।

पीएसबी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाद में चर्चा, नियामक पूंजी²⁶ मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता आदि शामिल हैं।

जैसा कि डीएफएस द्वारा सूचित किया गया है, पीएसबी के पुनर्पूजीकरण के लिए अपनाई गई मानक प्रथा निम्नानुसार है:

- पीएसबी ने अपने पूंजी अनुमान बनाए और डीएफएस को विवरण प्रदान किया।
- अनुमान प्राप्त होने पर, संबंधित पीएसबी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा की गई।
- निवेश की जाने वाली पूंजी का निर्धारण निम्नलिखित आधार पर किया गया था:
 - o नियामक पूंजी की आवश्यकता को पूरा करना
 - o आरबीआई के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे के अंतर्गत रखे गए बेहतर प्रदर्शन करने वाले पीएसबी को सहायता देना, ताकि वे इससे बाहर आ सकें
 - o पीएसबी के समामेलन के कारण पूंजी की आवश्यकता को पूरा करना
- पूंजी की राशि को ऊपर वर्णित आधारों के संदर्भ में अनुमानों, चर्चाओं और मूल्यांकन के आधार पर अंतिम रूप दिया गया था।

3.1.2 पीएसबी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा बेसल III नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम कुल पूंजी 8 प्रतिशत है। 1 जुलाई 2015 के बेसल III पूंजी विनियमों पर आरबीआई के मास्टर परिपत्र के अनुसार भारत में काम करने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कुल जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के 9 प्रतिशत की न्यूनतम कुल पूंजी बनाए रखना आवश्यक है।

कुल नियामक पूंजी में निम्नलिखित श्रेणियों का योग होता है:

- i. टियर 1 पूंजी (गोइंग-कंसर्न पूंजी²⁷)

²⁶ नियामक पूंजी या पूंजी की आवश्यकता वह पूंजी है जो किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों को अपने वित्तीय नियामक द्वारा आवश्यक रूप से रखनी होती है।

²⁷ नियामक पूंजी परिप्रेक्ष्य में, गोइंग-कंसर्न पूंजी वह पूंजी है जो बैंक के दिवालियापन को प्रवर्तित किए बिना हानियों को अवशोषित कर सके।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

क. कॉमन इक्विटी टियर 1²⁸

ख. अतिरिक्त टियर 1²⁹

ii. टियर 2 पूंजी (गोन- कंसर्न पूंजी³⁰)

पूंजी आवश्यकता का विवरण नीचे तालिका 3.1 में दिया गया है:

तालिका 3.1: जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में पूंजी की आवश्यकता

क्र. सं.	विनियामक पूंजी	जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में
i	न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी -1) अनुपात	5.5
ii	पूंजी संरक्षण बफर ³¹ (कॉमन इक्विटी से युक्त)	2.5
iii	न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात जमा पूंजी संरक्षण बफर [(i)+(ii)]	8.0
iv	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	1.5

²⁸ कॉमन इक्विटी टियर -1 अनुपात सामान्य इक्विटी टियर -1 पूंजी और जोखिम भारित परिसंपत्तियों के बीच का अनुपात है। कॉमन इक्विटी टियर -1 में चुकता इक्विटी पूंजी, इक्विटी पूंजी जारी करने से उत्पन्न शेयर प्रीमियम, वैधानिक भंडार, पूंजी भंडार यानी परिसंपत्तियों की बिक्री आय से उत्पन्न अधिशेष, अन्य प्रकट मुक्त भंडार, यदि कोई हो, और पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में लाभ और हानि खाते का शेष शामिल है।

²⁹ इसमें सतत गैर-संचयी वरीयता शेयर और इस पर शेयर प्रीमियम, सतत ऋण प्रपत्र शामिल हैं जिन्हें बांड या डिबेंचर के रूप में जारी किया जा सकता है, किसी भी अन्य प्रकार का साधन जो आमतौर पर आरबीआई द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

³⁰ गोन कंसर्न पूंजी वह पूंजी है जो केवल बैंक के परिसमापन की स्थिति में घाटे को अवशोषित करेगी। इसमें सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित, बैंकों द्वारा जारी ऋण पूंजी प्रपत्र, वरीयता शेयर पूंजी और उस पर शेयर प्रीमियम, 55 प्रतिशत की छूट पर पुनर्मूल्यांकन भंडार और आम तौर पर आरबीआई द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्रकार के साधन शामिल हैं।

³¹ पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि बैंक सामान्य समय (यानी दबाव की अवधि के बाहर) के दौरान पूंजी बफर का निर्माण करें, जिसे दबाव की अवधि के दौरान हानियाँ होने पर निकाला जा सकता है। आवश्यकता, न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के उल्लंघन से बचने के लिए डिज़ाइन किए गए सरल पूंजी संरक्षण नियमों पर आधारित है। इस संबंध में नियामकीय आवश्यकता 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को क्रमशः 0.625 प्रतिशत, 1.25 प्रतिशत, 1.875 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत थी।

क्र. सं.	विनियामक पूंजी	जोखिम भारत परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में
v	न्यूनतम टियर 1 पूंजी अनुपात [(i) +(iv)]	7.0
vi	टियर 2 पूंजी	2.0
vii	न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात [(v)+(vi)] (पूंजी से जोखिम भारत परिसंपत्ति अनुपात के रूप में भी जाना जाता है)	9.0
viii	न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात जमा पूंजी संरक्षण बफर [(vii)+(ii)]	11.5

भारत सरकार ने 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान ₹2,86,000 करोड़ की पूंजी का निवेश किया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उक्त अवधि के दौरान पुनर्पूजीकरण मुख्य रूप से विनियामक पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया था। इस अवधि के दौरान डीएफएस द्वारा किए गए पीएसबी के पुनर्पूजीकरण की लेखापरीक्षा करते समय, लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित मुद्दे देखे गए थे:

क. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक में बैंक द्वारा बिना किसी भी मांग के पूंजी निवेश

डीएफएस ने पीएसबी के पुनर्पूजीकरण के लिए एक विभेदित दृष्टिकोण का पालन करने का प्रस्ताव दिया (जनवरी 2018) जो तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के तहत थे और जो पीसीए के तहत नहीं थे। तदनुसार, डीएफएस द्वारा निम्नलिखित को प्रस्तावित किया गया जाना:

- नियामकीय आवश्यकताओं के लिए पीसीए के तहत 11 पीएसबी³² में ₹44,734 करोड़ की पूंजी का निवेश किया गया।

³² आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, देना बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

- सितंबर 2017 तक आठ गैर-पीसीए पीएसबी³³ में उनके मानक सकल अग्रिम के अनुपात में ₹27,028 करोड़ की पूंजी का निवेश किया गया, ताकि उन्हें ऋण वृद्धि के लिए तैयार किया जा सके।
- वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए ₹ 8,800 करोड़ रिजर्व में रखे जाएंगे।
- इंडियन बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) (शेष गैर-पीसीए बैंक) में कोई पूंजी निवेश प्रस्तावित नहीं किया गया था।

डीएफएस द्वारा एसबीआई में किसी भी पूंजी निवेश का प्रस्ताव नहीं करने के लिए दर्ज कारण यह था कि अन्य पीएसबी के लिए न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर-1 जमा पूंजी संरक्षण बफर की आवश्यकता 8 प्रतिशत थी, जबकि व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक के रूप में वर्गीकृत होने के कारण, एसबीआई के लिए 1 अप्रैल 2018 को 0.45 प्रतिशत और 1 अप्रैल 2019 को 0.6 प्रतिशत के अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर-1 अनुपात की आवश्यकता थी। इस प्रकार, बेसल-III रोडमैप के तहत लक्षित सामान्य इक्विटी आवश्यकता 8 प्रतिशत थी और एसबीआई के मामले में, यह 8.6 प्रतिशत थी। सितंबर 2017 तक एसबीआई की सामान्य इक्विटी 10.2 प्रतिशत थी, जो बेसल-III रोडमैप लक्ष्य से 1.6 प्रतिशत अधिक थी, जो यह संकेत देती है कि उसके पास स्वयं अपने दम पर ऋण वृद्धि की क्षमता है। इसी तरह, सितंबर 2017 तक इंडियन बैंक की सामान्य इक्विटी 11.3 प्रतिशत थी, जो बेसल-III रोडमैप लक्ष्य से 3.3 प्रतिशत अधिक थी, जो इंगित करती है कि उसके पास स्वयं अपने दम पर ऋण वृद्धि के लिए पर्याप्त क्षमता है। इसलिए, डीएफएस द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 में इंडियन बैंक और एसबीआई में कोई निवेश, प्रस्तावित नहीं किया गया था।

हालांकि, डीएफएस ने बाद में एसबीआई में ₹8,800 करोड़ के निवेश को मंजूरी दे दी (जनवरी 2018), जिसमें कहा गया कि एसबीआई, देश का सबसे बड़ा पीएसबी होने के नाते, ऋण वृद्धि का नेतृत्व करने वाला था। इसलिए, डीएफएस ने 2017-18 में बैंक से बिना किसी भी मांग या आवश्यकता के एसबीआई का पुनर्पूँजीकरण किया। इसका परिणाम डीएफएस द्वारा पुनर्पूँजीकरण के लिए मानक अभ्यास का पालन नहीं करने के रूप में हुआ।

³³ पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, विजया बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक

इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण के विषय पर पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2017 की प्रतिवेदन संख्या 28) में लेखापरीक्षा की सिफारिशों में से एक यह थी कि एक बार अंतिम रूप दिए जाने के बाद, निधि निवेश के मानदंड को सभी पीएसबी में समानरूप तरीके से लागू किया जाना चाहिए और भिन्नता के मामले में, कारणों को अच्छी तरह से प्रलेखित किया जाना चाहिए। हालांकि, इस मामले में, डीएफएस ने ऋण वृद्धि के लिए केवल एक बैंक का पुनर्पूजीकरण बिना पर्याप्त औचित्य के किया।

डीएफएस ने, अपने उत्तर (22 जुलाई 2022) में, निम्नलिखित कहा:

एसबीआई को पूंजी वृद्धि के निवेश के लिए चुना गया था क्योंकि इसके अग्रिम पोर्टफोलियो ने पीएसबी के कुल अग्रिम के 33 प्रतिशत हिस्से का निर्माण किया था और बैंक ने वर्ष 2017-18 के दौरान 26 प्रतिशत की ऋण वृद्धि हासिल की। डीएफएस ने यह भी कहा कि पीएसबी में पूंजी निवेश करने के लिए अपनाई जा रही मानक प्रथा में नियामक पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने, आरबीआई के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे के तहत रखे गए बेहतर प्रदर्शन करने वाले पीएसबी को इससे बाहर लाने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समामेलन के कारण पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने जैसे कारकों पर विचार किया गया।

डीएफएस के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि डीएफएस ने एसबीआई में निधि का निवेश किया, जबकि एसबीआई से कोई मांग नहीं की गई थी और बिना पूंजी की आवश्यकता के किसी भी निर्धारण के पुनर्पूजीकरण किया गया था। इसके अलावा, डीएफएस ने ऋण वृद्धि के लिए इंडियन बैंक, एक गैर-पीसीए बैंक, में किसी निधि का निवेश नहीं किया। यह अपनी स्वयं की मानक प्रथा के साथ-साथ पहले लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप नहीं था।

इस प्रकार, बिना किसी मांग और अनुमान के एसबीआई में ₹8,800 करोड़ का निवेश किया गया था।

सिफारिश संख्या 1

सभी पीएसबी के बीच एकरूपता बनाए रखने के लिए, डीएफएस, ऋण वृद्धि के लिए पीएसबी में अतिरिक्त पूंजी निवेश के मामलों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार कर सकता है।

ख. सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 और पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्तियों के अनुपात में कुशन/हेडरूम के कारण पूंजी निवेश

भारत में बैंकों को न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1 के लिए 5.5 प्रतिशत, न्यूनतम टियर 1 पूंजी के लिए 7 प्रतिशत और न्यूनतम कुल पूंजी के लिए 9 प्रतिशत का अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है जैसा कि ऊपर तालिका 3.1 में बताया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीएफएस ने जोखिम भारित परिसंपत्तियों पर मार्जिन को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत कमी की गणना की और न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1, न्यूनतम टियर 1 और पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात के लिए अतिरिक्त कुशन/ हेडरूम रखा। इस अतिरिक्त कुशन/ हेडरूम की गणना अलग-अलग वर्षों के साथ-साथ विभिन्न पीएसबी के लिए अलग-अलग तरीके से की गई थी जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

ख.1 वर्ष 2017-18

(i) डीएफएस ने गणना (दिसम्बर 2017) के पश्चात ₹ 7,577 करोड़ पूंजी का निवेश किया जो 0.1 प्रतिशत के मार्जिन के कारण था, तीन बैंकों (बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) में सामान्य इक्विटी टियर - 1 अर्थात 5.5 प्रतिशत के ऊपर जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में और तीन अन्य बैंकों (आईडीबीआई बैंक, देना बैंक व बैंक ऑफ महाराष्ट्र) में सामान्य इक्विटी टियर - 1 तथा जमा पूंजी संरक्षण बफर अर्थात 6.75 प्रतिशत के ऊपर था जैसा कि नीचे तालिका संख्या 3.2 में दिया गया है।

इन छह बैंकों में 2017-18 के दौरान डीएफएस द्वारा दिये गए कुशन के कारण अतिरिक्त निवेश ₹1043.44 करोड़ था।

तालिका 3.2: सीईटी-1 के ऊपर 0.1 प्रतिशत के कुशन के रूप में डीएफएस द्वारा पूंजी निवेश

क्र.सं.	बैंक	राशि (₹ करोड़ में)
1.	आईडीबीआई बैंक	2,729
2.	बैंक ऑफ इंडिया	2,257
3.	यूको बैंक	1,375
4.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	323

क्र.सं.	बैंक	राशि (₹ करोड़ में)
5.	देना बैंक	243
6.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	650
कुल		7,577

(ii) पुनः, जनवरी 2018 में, डीएफएस ने तत्काल सुधारात्मक बैंकों के लिए ₹ 52,311 करोड़ की पूंजी की कमी की गणना की, जिसमें न्यूनतम टियर 1 पूंजी अनुपात अर्थात् 2017-18 के दौरान जोखिम भारित परिसंपत्तियों का 7 प्रतिशत से 0.375 प्रतिशत अधिक शामिल था और ₹ 44,734 करोड़ (ऊपर उल्लिखित दिसंबर 2017 में डाले गए ₹ 7577 करोड़ को छोड़कर) निवेश किए गए थे। इस निवेश का विवरण तालिका 3.3 में नीचे दिया गया है।

अनुमानित जोखिम भारित परिसंपत्तियों और टियर 1 पूंजी आवश्यकताओं के आंकड़ों की उपलब्धता के अभाव में इस कुशन/हेडरूम के कारण 2017-18 के दौरान इन ग्यारह बैंकों में वास्तविक अतिरिक्त निवेश का आंकलन लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका।

तालिका 3.3: न्यूनतम टियर-1 पूंजी के ऊपर 0.375 प्रतिशत के कुशन के साथ डीएफएस द्वारा पूंजी निवेश

क्र.सं.	बैंक	राशि (₹ करोड़ में)
1.	आईडीबीआई बैंक	7,881
2.	बैंक ऑफ इंडिया	6,975
3.	यूको बैंक	5,132
4.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	4,835
5.	इंडियन ओवरसीज बैंक	4,694
6.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	3,571
7.	देना बैंक	2,802
8.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2,523
9.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2,634
10.	कॉर्पोरेशन बैंक	2,187
11.	इलाहाबाद बैंक	1,500
कुल		44,734

ख.2 वर्ष 2018-19

2018-19 के दौरान डीएफएस ने पूंजी में कमी की गणना (जुलाई 2018) न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात (पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात) अर्थात जोखिम भारित परिसंपत्ति का 9 प्रतिशत से 0.25 प्रतिशत अधिक कुशन (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक एवं इंडियन ओवरसीज बैंक के संबंध में) एवं न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर - 1 के 0.25 प्रतिशत कुशन (इलाहाबाद बैंक) पर विचार करते हुए किया जैसा नीचे तालिका 3.4 में विवरण दिया गया है।

अनुमानित जोखिम भारित परिसंपत्तियों और टियर 1 पूंजी आवश्यकताओं के आंकड़ों की उपलब्धता के अभाव में 2018-19 के दौरान इन चार बैंकों में इस सहायता/ हेडरूम के कारण सटीक निवेश लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सका।

तालिका 3.4: 2018-19 के दौरान डीएफएस द्वारा पूंजी निवेश

क्र.सं.	बैंक	राशि (₹ करोड़ में)
1.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2,354
2.	कॉर्पोरेशन बैंक	2,555
3.	इंडियन ओवरसीज बैंक	2,157
4.	इलाहाबाद बैंक	1,790
कुल		8,856

ख.3 वर्ष 2019-20

2019-20 के दौरान डीएफएस ने (दिसम्बर 2019) पूंजी में कमी की गणना न्यूनतम टियर - 1 पूंजी अर्थात जोखिम भारित परिसंपत्तियों का 7 प्रतिशत मांग से 0.25 प्रतिशत अधिक कुशन (यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक); न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर - 1 जमा पूंजी संरक्षण बफर अर्थात (5.5 प्रतिशत जमा 1.875 प्रतिशत) से 0.25 प्रतिशत अधिक कुशन (इलाहाबाद बैंक के संबंध में) एवं आंध्रा बैंक के संबंध में 10 करोड़ के एक बफर में की। निवेश का विवरण नीचे तालिका 3.5 में दिया गया है।

तालिका 3.5: 2019-20 के दौरान डीएफएस द्वारा पूंजी निवेश

क्र. सं.	बैंक	राशि (₹ करोड़ में)
1.	यूको बैंक	2,142
2.	इंडियन ओवरसीज बैंक	4,360
3.	इलाहाबाद बैंक	2,153
4.	आंध्रा बैंक	200
कुल		8,855

2019-20 के दौरान इन चार बैंकों में इस कुशन /बफर के कारण ₹ 884.37 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया गया।

ख.4. वर्ष 2020-21

2020-21 के दौरान, डीएफएस ने चार बैंकों अर्थात् बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक के संबंध में कोविड-19 के कारण पूंजी संरक्षण बफर (यानी 7 प्रतिशत जमा 2.5 प्रतिशत) सहित न्यूनतम टियर -1 पूंजी आवश्यकता से 1 प्रतिशत अधिक के सुरक्षा कारक पर विचार करते हुए पूंजी की कमी की गणना (मार्च 2021) की। इसके अतिरिक्त, पंजाब एंड सिंध बैंक (नवंबर 2020) के संबंध में न्यूनतम टियर-1 पूंजी से ऊपर ₹133 करोड़ का कुशन भी प्रदान किया गया। इन बैंकों में निवेश का विवरण तालिका 3.6 में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 3.6: 2020-21 के दौरान डीएफएस द्वारा पूंजी निवेश

क्र. सं.	बैंक	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बैंक ऑफ इंडिया	3,000
2.	सेंट्रल बैंक	4,800
3.	इंडियन ओवरसीज बैंक	4,100
4.	यूको बैंक	2,600
5.	पंजाब एंड सिंध बैंक	5,500
कुल		20,000

इन पांच बैंकों में 2020-21 के दौरान इस आधार पर ₹ 5,858 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया गया।

लेखापरीक्षा का विचार है कि भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए निर्धारित अतिरिक्त एक प्रतिशत पूंजी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, देश में संसाधनों की प्रतिस्पर्धी मांग को देखते हुए पहले से ही बढ़ाए गए निर्धारित पूंजी आवश्यकता मानदंडों से अधिक पूंजी के निवेश से बचा जा सकता था।

इसके अतिरिक्त, डीएफएस के अभिलेखों में कुशन / हेडरूम के लिए '0.1' प्रतिशत या '0.375 प्रतिशत' या '0.25 प्रतिशत' या '1 प्रतिशत' के आंकड़ों पर पहुंचने का आधार नहीं पाया गया। जैसा कि तालिका 3.2, 3.5 और 3.6 से देखा जा सकता है, डीएफएस द्वारा कुशन / हेडरूम के लिए ₹ 7785.81 करोड़ की राशि का अतिरिक्त निवेश किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा तालिका 3.3 और 3.4 के अनुसार किए गए निवेशों में कुशन/ हेडरूम के लिए अन्य बैंकों को प्रदान की गई अतिरिक्त राशि की गणना नहीं कर सकी।

डीएफएस ने अपने उत्तर (22 जुलाई 2022) में निम्नलिखित कहा:

चूंकि पूंजी की आवश्यकता का निर्धारण अनुमानों के आधार पर किया गया था, इसलिए भिन्नताओं से बचने के लिए एक कुशन प्रदान किया गया था। आरबीआई भी बैंकों के लिए पूंजी आवश्यकता का निर्धारण करते समय लगभग 1 प्रतिशत के कुशन का प्रावधान रखता है। तदनुसार, पूंजी निवेश के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम 1 प्रतिशत तक का कुशन प्रदान किया गया था, जो आवंटन के लिए पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

डीएफएस के उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जा सकता है कि आरबीआई ने पहले ही भारत में बैंकों के लिए अतिरिक्त 1 प्रतिशत की बढ़ी हुई पूंजी आवश्यकता निर्धारित की थी। डीएफएस द्वारा प्रदान की गई सहायता आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों के अतिरिक्त थी, जो राजकोष पर अनावश्यक बोझ डालती है।

ग. वित्तीय वर्ष 2019-20 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पूंजी आवश्यकता के अलावा कुशन की मद में पूंजी निवेश

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 24 फरवरी 2020 को पत्र के माध्यम से भारत सरकार से ₹ 798 करोड़ के पूंजी निवेश का अनुरोध किया ताकि बैंक को न्यूनतम नियामक पूंजी आवश्यकता के अनुरूप रखने के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए आरबीआई के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई तंत्र से बाहर रखा जा सके। वित्तीय वर्ष

2019-20 में पूंजी निवेश के लिए ₹ 70,000 करोड़ के बजटीय प्रावधान में से भारत सरकार ने तब तक बैंकों में ₹ 69,169 करोड़ का निवेश किया था। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, पीएसबी में पुनर्पूजीकरण के लिए ₹ 831 करोड़ का अव्ययित बजट प्रावधान उपलब्ध था।

डीएफएस ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा अनुमानित ₹ 798 करोड़ की पूंजी आवश्यकता के प्रति ₹ 33 करोड़ की सहायता वृद्धि करते हुए ₹ 831 करोड़ (मार्च 2020) के लिए अनुमोदन दिया और जारी किया। इस प्रकार, ₹ 33 करोड़ अभ्यर्पित करने के बजाय, बैंक की मांग से अधिक अतिरिक्त राशि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निवेश की गई। भारत एक राजकोषीय घाटे वाला देश है, इसलिए मांग के अतिरिक्त राशि के निवेश से बचा जाना चाहिए था।

डीएफएस ने अपने उत्तर (22 जुलाई 2022) में निम्नलिखित कहा:

यह देखा जा सकता है कि पूंजी आवश्यकता वर्ष के अंत के अनुमानों पर आधारित थी। विभिन्नताओं से बचाव के लिए, ₹ 33 करोड़ का कुशन प्रदान किया गया था जो जोखिम भारित परिसंपत्तियों का 0.04 प्रतिशत है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि टियर - 1 पूंजी के लिए ₹ 798 करोड़ की कमी आई थी, पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात के लिए ₹ 824 करोड़ की कुल कमी होने का अनुमान लगाया गया था। न्यूनतम नियामकीय पूंजी के अतिरिक्त कुशन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया गया था कि बैंक, पूंजी आवश्यकता के निर्धारण के लिए विचार किए गए अनुमानों के वास्तविक आंकड़ों से अलग होने की स्थिति में नियामक सीमा का उल्लंघन न करें। आरबीआई भी बैंकों के लिए पूंजी आवश्यकता का निर्धारण करते समय लगभग एक प्रतिशत का कुशन प्रदान करता है।

राजकोषीय घाटे के लिए चिंता की सराहना करते हुए, यह उल्लेख किया जा सकता है कि पीएसबी में पूंजी निवेश एक निवेश है जिसमें पूंजीगत लाभ और लाभांश के रूप में प्रतिफल की संभावना होती है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सभी शेयरधारकों को भुगतान किए गए ₹ 337 करोड़ के कुल लाभांश में से सरकार को ₹306 करोड़ का लाभांश दिया है।

डीएफएस के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि डीएफएस ने पूंजी और जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात के लिए ₹ 824 करोड़ की कमी पर विचार नहीं

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

किया था, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पूंजी निवेश करते समय ₹798 करोड़ की टियर 1 आवश्यकता और ₹33 करोड़ के कुशन पर विचार किया था।

इस प्रकार, वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान, डीएफएस ने आरबीआई की नियामक आवश्यकताओं/पीएसबी की मांगों से परे ₹16,619 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया।

सिफारिश संख्या 2

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बैंकों के लिए विनियामक पूंजी आवश्यकता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंड पहले से ही बेसल III मानदंडों से ऊपर हैं, डीएफएस यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धन निवेश कर सकता है कि पीएसबी आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंडों को पूरा करने में सक्षम हैं। वर्ष के दौरान विनियामक आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता, यदि कोई हो, पर उचित औचित्य के साथ विचार किया जा सकता है। राजकोषीय घाटे और देश में संसाधनों की प्रतिस्पर्धी मांगों को ध्यान में रखते हुए विनियामक आवश्यकता के अतिरिक्त व्यापक गुंजाइश/कुशन देने को सामान्यतः प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्याय IV: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

4.1 जल प्रभारों की अपर्याप्त वसूली

व्यक्तिगत जल मीटर स्थापित करने और सामान्य पूल आवासीय आवासन के आवंटियों से जल शुल्क की वसूली की दरों को संशोधित करने में सीपीडब्ल्यूडी की विफलता के कारण, सीपीडब्ल्यूडी पर ₹ 7.69 करोड़ का वित्तीय भार आया।

संपदा निदेशालय (डीओई), आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय (मंत्रालय) का एक संबद्ध कार्यालय, भारत सरकार के संपदा के कार्यालय भवनों और आवासीय आवासन के प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। डीओई द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 अगस्त 1987 में कहा गया है कि "आम तौर पर जल और बिजली शुल्क का भुगतान आवंटी द्वारा स्थानीय निकायों को किया जाता है। हालांकि, जहां अलग मीटर आदि की अनुपलब्धता के कारण आवंटियों से इस तरह के शुल्क की वसूली नहीं की जा सकती है, यह सरकार द्वारा आवंटियों से वसूल की जाती रहेगी।"

सामान्य पूल आवासीय आवासन (जीपीआरए) के आवंटियों से जल शुल्क की वसूली के संबंध में, जहां जल की आपूर्ति मीटर द्वारा विनियमित नहीं होती है, ऐसी वसूली की जाने वाली दर का निर्धारण सीपीडब्ल्यूडी द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न क्षेत्रों की जल आपूर्ति की लागत की सूचना/आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। जल प्रभारों को समय-समय पर संशोधित किया जाना था और इन्हें डीओई द्वारा वसूली अनुभागों में परिचालित किया जाना था।

सीपीडब्ल्यूडी के नौ मंडल हैं, जो पाँच दिल्ली सर्किलों और एक ज़ोन में व्यवस्थित हैं। जुलाई-अगस्त 2018 के दौरान अप्रैल 2008 से मार्च 2018 की अवधि के लिए कार्यपालक अभियंता, 'एन' डिवीजन (डिवीजन), आईपी भवन, सीपीडब्ल्यूडी के कार्यालय का लेखापरीक्षा किया गया था। यह मंडल विभिन्न स्थानों³⁴ पर जीपीआरए कॉलोणियों के रखरखाव में शामिल है। प्रारंभ में यह देखा गया कि जीपीआरए टाइप-V और VI के

³⁴ रवींद्र नगर, पंडारा रोड, पंडारा पार्क, शाहजहां रोड, कॉर्नवालिस रोड, भारती नगर (दिसंबर 2018 से प्रभावी), हुमायूं रोड और पृथ्वीराज लेन

क्वार्टरों³⁵ से जुड़े सर्वेट क्वार्टर्स (एसक्यू) को जल की आपूर्ति के लिए कार्यपालक अभियंता के नाम पर एक बल्क वॉटर मीटर (सर्वेट क्वार्टर्स के प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक) लगाया गया था। इन थोक जल कनेक्शनों के लिए नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) द्वारा जारी किए गए जल के बिलों का भुगतान मंडल द्वारा किया गया था।

यह पाया गया कि दो तरह के सर्वेट/माली क्वार्टर थे, अर्थात् (i) सर्वेट क्वार्टर मुख्य आवंटियों के क्वार्टर से जुड़े हुए हैं और दोनों के लिए जल की आपूर्ति समान थी और (ii) सर्वेट क्वार्टर मुख्य आवंटियों से कुछ दूरी पर स्थित हैं और जल आपूर्ति भी दोनों के लिए अलग है। इस संबंध में सर्वेट/माली क्वार्टरों के लिए जल प्रभारों की वसूली के मामले की जांच की गई और निम्नलिखित पता चला:

i. एकत्रित जानकारी के आधार पर, यह देखा गया कि हुमायूं रोड में मुख्य आवंटियों और सर्वेट क्वार्टरों दोनों के लिए अलग-अलग मीटर लगे हुए थे और अलग-अलग मीटरों में दिखाए गए खपत के आधार पर आवंटियों द्वारा जल के शुल्क का भुगतान किया गया था। तथापि, अन्य स्थानों पर व्यक्तिगत मीटर न लगाने के कारण सर्वेट/माली क्वार्टरों का जल प्रभार सीपीडब्ल्यूडी द्वारा लाइसेंस शुल्क के माध्यम से वसूल किया जा रहा था या कोई जल शुल्क वसूल नहीं किया जा रहा था, जिसे निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

- **श्रेणी-ए:** सर्वेट क्वार्टर³⁶ मुख्य आवंटियों के क्वार्टर से जुड़े हैं और दोनों के लिए जल की आपूर्ति समान है। ऐसी व्यवस्था में मुख्य आवंटियों से डीओई द्वारा लाइसेंस शुल्क के माध्यम से जल शुल्क वसूल किया गया था।
- **श्रेणी-बी:** जहां मुख्य आवंटियों से कुछ दूरी पर सर्वेट क्वार्टर स्थित हैं और दोनों के लिए जल की आपूर्ति भी अलग है। चूंकि मुख्य आवंटी के लिए व्यक्तिगत मीटर लगाए गए हैं, इसलिए जल के शुल्क का भुगतान आवंटियों द्वारा स्वयं किया जा रहा है, हालांकि, चार क्वार्टर वाले प्रत्येक ब्लॉक के साथ ब्लॉक के रूप में निर्मित सर्वेट क्वार्टर³⁷ के लिये एक थोक जल कनेक्शन है। मुख्य आवंटियों

³⁵ रवींद्र नगर, पंडारा रोड, पंडारा पार्क, शाहजहाँ रोड, हुमायूं रोड, कॉर्नवालिस रोड, भारती नगर और पृथ्वीराज लेन स्थित माली क्वार्टर (एमक्यू) के लिए,

³⁶ पंडारा पार्क और शाहजहाँ रोड पर बहुमंजिला फ्लैट

³⁷ रवीन्द्र नगर, पंडारा रोड, पंडारा पार्क, शाहजहाँ रोड और भारती नगर

से अनुज्ञप्ति शुल्क के भाग के रूप में सर्वेट क्वार्टरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल के लिए जल प्रभार वसूल किए जा रहे थे।

- **श्रेणी-सी:** सेटअप श्रेणी बी के जैसी है लेकिन सर्वेट/माली क्वार्टर³⁸ से कोई जल शुल्क वसूल नहीं किया जा रहा था। संपदा निदेशालय (डीओई), जो वसूली की दरों को अधिसूचित करने के लिए जिम्मेदार है, ने कहा (फरवरी 2022) कि वसूली नहीं की जा रही थी क्योंकि ई-सम्पदा पोर्टल में कोई दर उपलब्ध नहीं थी, जो कि जीपीआरए के लिए ऑनलाइन-आवंटन प्रशासन प्रणाली है।

- अभिलेखों की जांच से पता चला कि विभिन्न कॉलोनियों में विभिन्न दरों पर जल शुल्क वसूल किया जा रहा था जो ₹22 से ₹206 के बीच निम्नानुसार था:-

तालिका 4.1: विभिन्न कॉलोनियों में जल शुल्क की विभिन्न दरें

(राशि ₹ में)

श्रेणी	क्षेत्र	भाव	से प्रभावी दरें
ए (एमएस फ्लैट्स)	पंडारा रोड	66	13 जनवरी 2006
	शाहजहाँ रोड	206	01 मार्च 1997
बी	रवीन्द्र नगर, पंडारा रोड, पंडारा पार्क और शाहजहाँ रोड	22	01 अप्रैल 2001
	भारती नगर		01 मार्च 1995
सी	कार्नवालिस रोड और पृथ्वीराज लेन	ई-संपदा में उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है

अनुज्ञप्ति शुल्क के माध्यम से वसूल किये जा रहे जल प्रभारों की वसूली की दरें उपरोक्त जीपीआरए कॉलोनियों के लिए 16 से 27 वर्ष पहले संशोधित किया गया था।

- यह भी देखा गया कि 2008-09 से 2021-22 (नवंबर 2021) की अवधि के दौरान, इन थोक जल कनेक्शनों के लिए एनडीएमसी द्वारा जारी ₹10.06 करोड़ के जल के बिलों का भुगतान मंडलों द्वारा किया गया था। हालांकि, व्यक्तिगत आवंटियों से वसूल किए गए जल शुल्क भुगतान किए गए बिलों के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि

³⁸ कार्नवालिस रोड और पृथ्वीराज लेन

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

केवल ₹0.23 करोड़ वसूल किए गए थे, जिसके कारण मंडल पर ₹9.83 करोड़ का वित्तीय भार निम्नानुसार था:

तालिका 4.2: आवंटियों से जल प्रभार की वसूली

(राशि ₹ में)

श्रेणी	क्षेत्र	सीपीडब्ल्यूडी द्वारा भुगतान किए गए जल के उपयोग के लिए शुल्क	आवंटियों से वसूला गया जल उपयोग शुल्क	जल शुल्क की कम वसूली
ए	पंडारा पार्क और शाहजहाँ रोड पर बहुमंजिला फ्लैट	3,00,47,533	10,13,400	2,90,34,133
बी	रवीन्द्र नगर, पंडारा रोड, पंडारा पार्क, शाहजहाँ रोड और भारती नगर	5,58,12,632	12,77,817	5,45,34,815
सी	कार्नवालिस रोड और पृथ्वीराज लेन	1,47,62,998	0	1,47,62,998
	कुल	10,06,23,163	22,91,217	9,83,31,946

iv. अभिलेखों की जांच से यह भी पता चला कि, जून 2014 और नवंबर 2016 के दौरान, डीओई ने कार्यपालक अभियंता (लाइसेंस शुल्क), सीपीडब्ल्यूडी को जल शुल्कों के संशोधन के लिए विभिन्न पत्र/अनुस्मारक जारी किए थे लेकिन कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। जनवरी 2018 से नवंबर 2018 के दौरान जीपीआरए कॉलोनियों में जल के मीटर लगाने की संभावनाएं तलाशने के लिए डीओई की अध्यक्षता में छह बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें सीपीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी और डीजेबी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

01 नवंबर 2018 को हुई बैठक में, सीपीडब्ल्यूडी और एनडीएमसी के प्रतिनिधियों ने कहा कि बहुमंजिला इमारत में अलग-अलग वॉटर मीटर कनेक्शन लगाना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं था क्योंकि बड़े बुनियादी ढांचे में बदलाव करना होगा, जो वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं होगा। डीओई ने अधीक्षण अभियंता, सीपीडब्ल्यूडी से पिछले एक वर्ष के दौरान वास्तविक खपत के आधार पर मानक दरों पर जल शुल्क के संशोधन के लिए एक प्रतिवेदन तैयार करने और एनडीएमसी द्वारा सीपीडब्ल्यूडी को दिए गए पिछले बिलों और कॉलोनी में क्वार्टरों, जिनको एक बिंदु स्थल पर थोक जल आपूर्ति देने के बाद आपूर्ति की गयी, की संख्या को ध्यान में रखने का

अनुरोध किया। आपूर्ति एक बिंदु पर थोक जल आपूर्ति प्रदान करने के बाद की गई थी। यह निर्णय लिया गया कि सीपीडब्ल्यूडी 10 दिनों के भीतर एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। हालांकि, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा एक वर्ष के बाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया (नवंबर 2019), जिस पर डीओई ने कहा कि दरों में व्यापक भिन्नता के कारण प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं था और फिर से सीपीडब्ल्यूडी से कॉलोनिनों की पानी की औसत खपत के आधार पर सभी प्रकार के आवासों (टाइप-वार) के लिए जल शुल्क की अनुमानित दरों के साथ एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

इसके अतिरिक्त, 10 सितंबर 2021 को एक और बैठक आयोजित की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सीपीडब्ल्यूडी जल शुल्क की अनुशंसित दरों की समीक्षा करेगा जिसमें विभिन्न इलाकों में एक ही प्रकार के जल शुल्क की दरों में भारी अंतर था और विभिन्न इलाकों के बजाय पूरी दिल्ली में प्रत्येक प्रकार के घर के लिए जल शुल्क की समान दरों का प्रस्ताव करेगा। व्यक्तिगत मीटर लगाने के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई। हालांकि, यह निर्णय लिया गया कि सीपीडब्ल्यूडी नए थोक आपूर्ति मीटर सुस्थापित करने या मौजूदा मीटरों को चालू करने के लिए एनडीएमसी/डीजेबी के साथ मामला उठाएगा और यदि डीजेबी/एनडीएमसी ऐसा करने में विफल रहता है, तो सीपीडब्ल्यूडी स्वयं बल्क मीटर स्थापित करेगा। सीपीडब्ल्यूडी यह भी सुनिश्चित करेगा कि बल्क मीटर काम कर रहे हों और डीजेबी/एनडीएमसी के समन्वय से समय-समय पर जांच की जानी चाहिए। कार्यपालक अभियंता (लाइसेंस शुल्क), सीपीडब्ल्यूडी ने जून 2022 में दिल्ली में जीपीआरए कॉलोनिनों के संबंध में प्रस्तावित संशोधित जल शुल्क डीओई को भेज दिया है।

इस प्रकार, व्यक्तिगत जल मीटरों की स्थापना न करने और जीपीआरए कॉलोनिनों में आवंटियों से वसूली जाने योग्य जल प्रभारों की दरों में लंबे समय तक संशोधन न करने के परिणामस्वरूप एनडीएमसी को जल प्रभारों के भुगतान के कारण ₹ 9.83 करोड़ का परिहार्य वित्तीय बोझ पड़ा, जबकि आवंटियों से वसूली गई राशि तुलना में बहुत कम थी। यह मुद्दा दिसंबर 2020 में महानिदेशक (वर्क्स), सीपीडब्ल्यूडी और जनवरी 2021 में एमओएचयू के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के ध्यान में लाया गया था। इस मामले को फिर से (फरवरी 2021 और मई 2021) मंत्रालय को सूचित किया गया था। जुलाई 2021 में डीजी, सीपीडब्ल्यूडी के उत्तर और दिसंबर 2021 से जून 2022 के दौरान जारी लेखापरीक्षा मांगों के 'एन' मंडल/डीओई के उत्तरों से, निम्नलिखित एकीकृत स्थिति का पता चला था:

- पंडारा पार्क और शाहजहां रोड के एमएस अपार्टमेंट से जुड़े सर्वेट क्वार्टर मुख्य क्वार्टरों का अभिन्न भाग हैं और डीओई ने इन अपार्टमेंटों के लिए जल के शुल्क सहित लाइसेंस शुल्क की दर निर्धारित की है जो संबंधित फ्लैटों के मुख्य आवंटियों के वेतन से सीधे वसूल किए जाते हैं। 2008-09 से 2021-22 (नवंबर 2021 तक) की अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा मरम्मत और उन्नयन कार्य में जल का उपयोग करने के लिए ठेकेदार के बिलों से ₹1.69 करोड़ की वसूली की गई थी। इसके अतिरिक्त, शाहजहाँ रोड और पंडारा रोड पर सीपीडब्ल्यूडी सेवा केंद्र के लिए जल शुल्क के लिए ₹0.45 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था।
- जहां तक व्यक्तिगत जल मीटरों की स्थापना का संबंध था, यह कहा गया था कि सर्वेट क्वार्टरों सहित सभी तिमाहियों में उनकी स्थापना व्यवहार्यता और निधि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सभी मंडलों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए (जून 2021) कि नई जीपीआरए कॉलोनियों में डिजाइन और निर्माण के समय ही प्रत्येक फ्लैट के लिए अलग मीटर प्रदान किया जाये। जल प्रभारों के संशोधन के संबंध में, यह बताया गया कि आवंटियों से वसूली योग्य जल प्रभारों का निर्धारण डीओई द्वारा सीपीडब्ल्यूडी के परामर्श से किया जाता है। नो लॉस नो गेन के सिद्धांत के आधार पर जल शुल्क में संशोधन की सिफारिशें डीओई (29 जून 2021) को भेजी गई थीं, जिसमें यह भी कहा गया था कि दिल्ली में जल शुल्क एक समान नहीं हो सकते। इसलिए, कुछ कॉलोनियों में माली क्वार्टरों/सर्वेट क्वार्टरों के जल शुल्क, जो बहुत अधिक प्रतीत होते थे, की संबंधित क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा पुनः जांच की जा रही थी।

जबकि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया गया है, तथ्य यह है कि:

- सीपीडब्ल्यूडी सेवा केंद्र के मीटर शुल्क के रूप में ₹ 0.45 करोड़ और ठेकेदार के बिलों से ₹ 1.69 करोड़ की वसूली पर विचार करने के बाद, सीपीडब्ल्यूडी पर अभी भी ₹ 7.69 करोड़³⁹ का वित्तीय बोझ है।
- उत्तर में अलग-अलग मीटर लगाने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है जो सार्वजनिक धन के परिहार्य व्यय के प्रति उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाता है।

³⁹ ₹7.69 करोड़ = ₹9.83 करोड़ - ₹0.45 करोड़ - ₹1.69 करोड़

- दरों में संशोधन का मुद्दा, पिछली बार 16 से 27 वर्ष पहले संशोधित किया गया था, अभी भी अनसुलझा है। समस्या को हल करने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित नहीं किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता (लाइसेंस शुल्क), सीपीडब्ल्यूडी ने दिल्ली में जीपीआरए कॉलोनियों के संबंध में जल शुल्क में संशोधन के लिए एक नया प्रस्ताव डीओई (01 जून 2022) को उस बैठक से नौ महीने के अंतराल के बाद भेजा है जिसमें यह निर्णय लिया गया था।

इसलिए, उत्तर सभी आवंटियों के लिए अलग-अलग जल मीटरों की स्थापना के लिए नीतियों और जल शुल्कों का समय पर संशोधन सुनिश्चित करने की अनुपस्थिति को इंगित करता है।

4.2 लेखापरीक्षा के परामर्श पर संशोधन/सुधार

पुष्पा भवन नई दिल्ली में बिजली की वास्तविक खपत अनुबंध मांग (सी.डी) से लगातार कम थी। यद्यपि 100 किलोवाट (कि.व) से अधिक के कनेक्शन के लिए मूल ऊर्जाकरण की तिथि से दो वर्ष बाद सी.डी में कमी का प्रावधान था, पुष्पा भवन के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी मंडल द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 44.62 लाख कि परिहार्य हानि हुई। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अनुबंध मांग कम कर दी गई थी।

कार्यालय कार्यपालक अभियंता, विद्युत निर्माण मंडल (ईसीडी-IV), पुष्पा भवन (मंडल), सीपीडब्ल्यूडी के तहत, पुष्प विहार जीपीआरए क्वार्टर, कृषि विहार और पुष्पा भवन, नई दिल्ली के उन्नयन, मरम्मत और रखरखाव कार्यों का दायित्व सौंपा गया है।

पुष्पा भवन के बिजली बिलों का भुगतान भी संभाग द्वारा किया जाता है। मैसर्स बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) गैर-घरेलू (एचटी) और आपूर्ति प्रकार एचटी (11 केवी) की टैरिफ श्रेणी में 1577 केवीए के स्वीकृत भार और 1069 केवीए की अनुबंध मांग⁴⁰ के लिए मंडल को बिजली आपूर्ति प्रदान कर रहा था। कनेक्शन जून 2002 में सक्रिय किया गया था। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक विनियम 2007 (विनियमन) के अनुसार, मंडल को बिलिंग

⁴⁰ आपूर्ति अनुबंध में प्रावधान के अनुसार किलो वोल्ट एम्पीयर (केवीए) में मांग, जिसके लिए लाइसेंसधारी समय-समय पर आपूर्ति करने के लिए विशिष्ट प्रतिबद्धता बनाता है और किसी भी मामले में, यह स्वीकृत भार (एसएल) के 60 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

मांग के आधार पर नियत अनुबंध मांग शुल्क का भुगतान करना था, अर्थात् यदि वास्तविक उपयोग ली गई अनुबंध मांग से कम था, तो ली गई पूर्ण अनुबंध मांग के लिए नियत शुल्क का भुगतान किया जाना था। 100 किलोवाट (के.डब्लू) से अधिक के कनेक्शन के लिए मूल ऊर्जाकरण से दो वर्ष बाद लोड में कमी के लिए आवेदन करने के लिए विनियम में प्रावधान था।

मंडल ने पुष्पा भवन, नई दिल्ली में (100x5) 500 केडब्ल्यूपी रूफ टॉप सोलर पीवी पावर सिस्टम (सौर ऊर्जा प्रणाली) की वारंटी, संचालन और रखरखाव सहित डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए मैसर्स माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ एक बिजली क्रय समझौता (जुलाई 2015) भी किया था। इसे अक्टूबर 2015 में स्थापित किया गया था और उसी महीने के से बिजली उत्पादन शुरू किया गया था। स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र एक ग्रिड इंटरएक्टिव सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र था और प्रणाली के लिए बीआरपीएल द्वारा नेट मीटर स्थापित किया गया था। परिणामस्वरूप, प्रणाली में उत्पन्न अधिशेष सौर ऊर्जा को ग्रिड में फीड किया जा सकता है। नेट मीटर के माध्यम से ऊर्जा की खपत के लिए भुगतान सौर संयंत्र द्वारा कुल बिजली उत्पादन से घटाकर भवन में खपत कुल ऊर्जा के आधार पर किया गया था।

अभिलेखों की जांच (सितंबर 2018) करने पर यह देखा गया कि वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान, अधिकतम मांग संकेतक (एमडीआई) लगातार कम और कुछ समय के लिए 876 केवीए तक उच्च था। सोलर पैनल प्रणाली सुस्थापित किया गया था जिससे पारंपरिक स्रोतों से बिजली की आपूर्ति पर निर्भरता कम किया जा सके। हालांकि यह देखा गया कि सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना के बाद मंडल ने बीआरपीएल से सीडी को कम करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए ऐसी कोई समीक्षा नहीं की थी। आगे यद्यपि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डी.ई.आर.सी) आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक विनियम 2007 के अनुसार 100 किलोवाट से अधिक के कनेक्शन के लिए मूल ऊर्जाकरण की तिथि से दो वर्ष बाद लोड में कमी के लिए आवेदन करने का प्रावधान था, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के बाद भी मंडल ने इसका लाभ नहीं उठाया।

अप्रैल 2015 से अगस्त 2018 तक की अवधि के लिए बिजली बिलों की नमूना-जांच से ज्ञात हुआ कि 1069 केवीए की अनुबंध मांग के विपरीत, वास्तविक रूप से उपयोग की गई सीडी 760 केवीए से अधिक नहीं थी, जिसने सीडी को कम करने की आवश्यकता का संकेत दिया। अक्टूबर 2018 में लेखापरीक्षा द्वारा मुद्दा उठाया गया था, हालांकि, मंडल ने

उत्तर (मार्च 2021) दिया कि फरवरी 2021 से बीआरपीएल द्वारा सीडी को घटाकर केवल 946.20 केवीए कर दिया गया था क्योंकि सीडी केवीए में स्वीकृत भार के 60 प्रतिशत से कम नहीं हो सकती है। सीडी की अधिक कटौती की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए, लेखापरीक्षा ने अक्टूबर 2021 में मंडल का पुनरीक्षण किया और देखा कि सितंबर 2018 से सितंबर 2021 की अवधि के दौरान वास्तव में उपयोग की गई अनुबंध मांग 580 केवीए से अधिक नहीं थी। इसलिए, लेखापरीक्षा ने जोर दिया कि पुष्पा भवन, नई दिल्ली में सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना के कारण और अधिक कमी की गुंजाइश थी।

अनुबंध मांग की तुलना में बिजली की लगातार कम खपत के बावजूद लोड में कमी का विकल्प नहीं लेने के परिणामस्वरूप अप्रैल 2015 से नवंबर 2021 तक की अवधि के दौरान ₹ 44.62 लाख की परिहार्य हानि हुई।

मंडल ने (फरवरी 2022) सूचित किया कि सीडी को 946.20 केवीए से घटाकर 600 केवीए कर दिया गया है, इसके अतिरिक्त स्वीकृत भार को 1577 केवीए से घटाकर 1000 केवीए कर दिया गया है और जनवरी 2022 में बिल में परिलक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीपीडब्ल्यूडी निदेशालय ने ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए निर्देश (दिसंबर 2021) भी जारी किए हैं जहां वास्तविक अधिकतम मांग अनुबंध मांग से कम है।

अनुबंध मांग में कमी से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मंडल के पास अतिरिक्त अनुबंध मांग थी और लेखापरीक्षा द्वारा मामले की सूचना दिए जाने के बाद ही सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अनुबंध मांग को कम करने की कार्रवाई शुरू की गई थी।

4.3 लेखापरीक्षा के परामर्श पर ₹19.62 लाख की वसूली

सीपीडब्ल्यूडी ने एनएसडीएल से लौटाई गई एनपीएस अंशदान की पूरी राशि सरकारी अंशदान और ब्याज का समायोजन किए बिना कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा कर दी।

भारत सरकार (जीओआई), 1993 की नैमित्तिक श्रमिक (अस्थायी स्थिति और नियमितीकरण का अनुदान) योजना (योजना) के प्रावधानों के अनुसार, एक वर्ष या उससे अधिक की निरंतर अवधि के लिए सेवा प्रदान करने वाले अस्थायी श्रमिकों को अस्थायी दर्जा प्रदान किया गया था। अस्थायी दर्जा प्रदान करने के बाद तीन वर्ष की लगातार सेवा

प्रदान करने के बाद, अस्थायी श्रमिकों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) में अंशदान के उद्देश्य से अस्थायी समूह 'घ' कर्मचारियों के समान माना जाएगा। यह योजना केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) (निदेशालय) के महानिदेशक (कार्य) के कार्यालय द्वारा परिचालित (जनवरी 1994) की गई थी। इसके बाद, नई पेंशन योजना (अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की शुरुआत के आलोक में योजना की समीक्षा (अप्रैल 2004) की गई और यह सूचित किया गया (26 अप्रैल 2004) की 01 जनवरी 2004 के बाद ऐसे कर्मचारियों के जीपीएफ के लिए आगे कोई कटौती प्रभावी नहीं होगी और 01 जनवरी 2004 के बाद की गई कटौती सहित उनके जीपीएफ खातों में पड़ी राशि का भुगतान उन्हें किया जाएगा क्योंकि एनपीएस में जीपीएफ का कोई प्रावधान नहीं था। बाद में निदेशालय द्वारा ऐसे कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश जारी (मार्च 2011) किए गए। इनके नियमितीकरण के बाद इन कर्मचारियों को एनपीएस के तहत लाया गया।

कार्यालय ज्ञापन (26 अप्रैल 2004) को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण/माननीय उच्च न्यायालयों की विभिन्न पीठों द्वारा रद्द कर दिया गया, जिन्होंने निर्णय लिया कि योजना को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को भी शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था। परिणामस्वरूप, यह निर्णय लिया गया कि योजना के तहत जिन अस्थायी मजदूरों को अस्थायी दर्जा दिया गया था और उसके बाद लगातार तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी, वे जीपीएफ में योगदान के हकदार होंगे। इस प्रकार सीपीडब्ल्यूडी के ऐसे कर्मचारियों को पुनः जीपीएफ नियमों के तहत सदस्यता लेने की अनुमति दी गई (मार्च 2016)। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने (जुलाई 2018) निर्देश दिया है कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को संबंधित वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा एनपीएस सदस्यता, सरकारी योगदान और ब्याज को सरकारी खाते में जमा करने का अनुरोध किया जा सकता है।

सीपीडब्ल्यूडी के इलेक्ट्रिकल मंडल-16 (जुलाई 2018) के लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि तीन मामलों में सीपीएओ के निर्देशों के अनुसार एनएसडीएल द्वारा लौटाई गई पूरी राशि संबंधित कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में स्थानांतरित कर दी गई थी। चूंकि एनपीएस के तहत 50 प्रतिशत योगदान भारत सरकार द्वारा नियोक्ताओं के योगदान के रूप में किया गया था, इसलिए कर्मचारियों को केवल उनके अंशदान के हिस्से और उसपर

आर्जित ब्याज के हकदार होने चाहिए थे। जीपीएफ खातों में एनपीएस के गलत क्रेडिट का अवलोकन लेखापरीक्षा द्वारा मंडल के ध्यान में लाया गया था।

इस संबंध में सीपीडब्ल्यूडी से सीपीडब्ल्यूडी के अन्य मंडलों में भी ऐसे कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, हालांकि, अनुस्मारक के बावजूद, पांच अन्य मंडलों के ऐसे केवल आठ कर्मचारियों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई थी। 11 मामलों में से एनएसडीएल ने नौ कर्मचारियों के शेष संबंधित मंडलों को वापस कर दिए थे। यह देखा गया कि सभी नौ मामलों में पूरी राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में सरकारी अंशदान के हिस्से को काटे बिना स्थानांतरित कर दी गई थी (अनुलग्नक-XIII)।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर में, सीपीडब्ल्यूडी ने उत्तर दिया कि कर्मचारियों के जीपीएफ खातों को फिर से तैयार किया गया है और संबंधित जीपीएफ खातों में क्रेडिट के लिए जीपीएफ की प्रचलित दरों के अनुसार ब्याज की गणना की गई है। सीपीएओ द्वारा निर्धारित सात मामलों में ₹14.86 लाख के अतिरिक्त क्रेडिट को सरकारी खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

आगे यह देखा गया कि दो मामलों⁴¹ में मंडलों ने एनएसडीएल से प्राप्त पूरी राशि को जीपीएफ खातों में सरकारी हिस्से और उस पर ब्याज का समायोजन किए बिना स्थानांतरित कर दिया था, अर्थात् क्रमशः ₹3,40,703 और ₹3,38,566, जिसे कर्मचारियों द्वारा अपने हिस्से से अधिक राशि का आहरण कर लिया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, संबंधित मंडलों ने कर्मचारियों से क्रमशः ₹0.44 लाख और ₹0.25 लाख के दंडात्मक ब्याज के साथ अतिरिक्त आहरण की वसूली की और सरकारी खातों में जमा किया।

चूंकि समुचित सावधानी नहीं बरती गई थी, कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में अतिरिक्त राशि जमा हो गयी थी और भारत सरकार की देनदारी भी उतनी राशि से बढ़ गई थी। यह स्पष्ट है कि नौ मामलों में ₹19.62 लाख, ₹0.69 लाख के दांडिक ब्याज सहित जीपीएफ खातों में गलत तरीके से जमा किए गए थे, जिन्हें लेखापरीक्षा के कहने पर वसूल कर सरकारी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। अन्य मंडलों के ऐसे कर्मचारी जो योजना के अंतर्गत आते हैं और जिनके जी.पी.एफ.खाते में गलत तरीके से राशि जमा

⁴¹ हिंडन सेंट्रल इलेक्ट्रिकल डिवीजन, गाजियाबाद और संसद भवन सिविल वर्क्स डिवीजन, 36 जीआरजी रोड

हो गई थी, उनका विवरण उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंताओं/सी.पी.डब्ल्यू.डी को अनुस्मारक जारी करने के बावजूद पिछले तीन वर्षों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

इस मुद्दे को निदेशालय/सीपीडब्ल्यूडी (जुलाई 2019) और आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय (फरवरी 2022 और सितंबर 2022) के ध्यान में लाया गया था। हालाँकि, उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था (सितंबर 2022)।

सिफारिश

सीपीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के सभी मामलों की समीक्षा करें, जहाँ एनएसडीएल द्वारा एनपीएस अंशदान लौटाया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो की कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में सरकारी हिस्से और उस पर अर्जित ब्याज के साथ दंडात्मक, यदि कुछ है, के समायोजन के बाद वैध अंश ही क्रेडिट हो।

4.4 केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आवासों का अनुरक्षण

4.4.1 परिचय

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) का एक संबद्ध कार्यालय है। यह प्रधान इंजीनियरिंग संगठन और भारत सरकार का तकनीकी सलाहकार है। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निष्पादित कार्यों को निर्माण और रखरखाव कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनुरक्षण कार्य किसी संरचना या भवन की सुविधाओं को बनाए रखने, पुनर्स्थापित करने या सुधारने के लिए किए गए कार्यों को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य इसकी उपयोगिता और मूल्य को बनाए रखने के लिए इसे अच्छी स्थिति में और स्वीकार्य मानकों में रखना है।

सीपीडब्ल्यूडी को प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया है जिन्हें जोन/सर्किल कहा जाता है, जिसका नेतृत्व एक मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता द्वारा किया जाता है। प्रत्येक जोन/सर्किल में मंडलों (परियोजना मंडल/अनुरक्षण मंडल) के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्रीय प्रतिष्ठान होते हैं, जिन्हें कार्यपालक अभियंता (सिविल)/(विद्युत) और उप निदेशक (बागवानी) के प्रभार के अंतर्गत रखा जाता है। देश भर में और दिल्ली क्षेत्र में कुल सामान्य पूल आवासीय आवासन (जीपीआरए) क्वार्टर⁴² क्रमश 1,01,731 और

⁴² जीपीआरए: दिल्ली में संपदा निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्र सरकार के आवासीय आवासन और दिल्ली के बाहर कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़ जैसे 39 स्टेशनों पर।

66,017 थे (अनुलग्नक-XIV)। दिल्ली क्षेत्र में सामान्य पूल आवासीय आवासन से संबंधित 42 रखरखाव मंडल हैं।

सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल 2019 के अनुसार, रखरखाव कार्यों में शामिल हैं: (i) निवारक रखरखाव सहित वार्षिक मरम्मत, (ii) विशेष मरम्मत, (iii) इमारतों में अतिरिक्त/परिवर्तन कार्य, (iv) वीआईपी के लिए फर्नीचर और सामान की आपूर्ति और रखरखाव, (v) दैनिक मरम्मत/सेवा सुविधाएं और (vi) उन्नयन (रेट्रोफिटिंग और सौंदर्य सुधार सहित)।

4.4.2 बजट और व्यय

सीपीडब्ल्यूडी को 4216 - पूंजी और 2216 - राजस्व के लेखा शीर्ष के तहत आवासीय आवासन के निर्माण और रखरखाव के लिए बजट प्राप्त हुआ। 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान दिल्ली क्षेत्र के लिए लेखा मद राजस्व (2216) के तहत बजट अनुमान (बीई) और वास्तविक व्यय क्रमशः ₹ 279.44 करोड़, ₹ 263.13 करोड़ और ₹ 259.99 करोड़ और ₹ 266.97 करोड़, ₹ 245.61 करोड़ और ₹ 247.29 करोड़ थे।

42 मंडलों में से 12 चयनित मंडलों के बजट अनुमान, राजस्व अनुमान और वास्तविक व्यय अनुलग्नक-XV में दिए गए हैं। तथापि, यह देखा गया कि सीपीडब्ल्यूडी श्रेणी-वार या रखरखाव-वार व्यय विवरण नहीं रखता है।

4.4.3 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

4.4.3.1 लेखापरीक्षा का दायरा

लेखापरीक्षा के दायरे में 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए घरों के रखरखाव से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। इस अवधि के दौरान, पूरे देश और दिल्ली क्षेत्र में बजट शीर्ष राजस्व (2216) के तहत रखरखाव पर सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया कुल व्यय क्रमशः ₹1,197.50 करोड़ और ₹759.87 करोड़ था। जीपीआरए हाउसिंग स्टॉक का लगभग 65 प्रतिशत दिल्ली में स्थित है और तीन वर्ष की अवधि के दौरान रखरखाव पर 63.46 प्रतिशत खर्च अकेले दिल्ली क्षेत्र में किया गया था। इस प्रकार, अनुपालन लेखापरीक्षा केवल दिल्ली क्षेत्र में घरों के रखरखाव से संबंधित गतिविधियों पर केंद्रित थी।

4.4.3.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

सीपीडब्ल्यूडी द्वारा घरों के रखरखाव पर अनुपालन लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए आयोजित की गई थी कि:

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

- (i) घरों और संबंधित सेवाओं के रखरखाव के समय पर मूल्यांकन के लिए एक कुशल योजना तंत्र मौजूद है;
- (ii) रखरखाव में शामिल विभिन्न गतिविधियों को लागू मानदंडों और सुरक्षा मानकों के अनुपालन में कुशलतापूर्वक निष्पादित किया जाता है और
- (iii) एक प्रभावी निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र प्रणाली मौजूद है।

4.4.3.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड में शामिल हैं: (i) सीपीडब्ल्यूडी रखरखाव नियमावली (2012 और 2019 संस्करण), (ii) सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल (2014 और 2019 संस्करण), (iii) सीपीडब्ल्यूडी रखरखाव चार्टर/नागरिक चार्टर, (iv) भारत सरकार, एमओयूएचए और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित निर्देश, अनुदेश, परिपत्र, नीतियां, नियम या पद्धतियाँ, और (v) निविदा दस्तावेज़, अनुबंध समझौते और कार्यों के निष्पादन से संबंधित अभिलेख।

4.4.3.4 लेखापरीक्षा पद्धति और नमूना

वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान कुल 42 डिवीजन (25 सिविल, 14 इलेक्ट्रिकल और 3 बागवानी), दिल्ली क्षेत्र में घरों और कार्यालय भवनों के रखरखाव में लगे हुए थे। उन आठ डिवीजन⁴³ को बाहर रखा गया था जो विशेष रूप से घरों के रखरखाव से संबंधित नहीं हैं। शेष 34 डिवीजनों (20 सिविल, 11 इलेक्ट्रिकल और 3 बागवानी डिवीजन) में से, जो घरों के रखरखाव का काम करते हैं, 12 डिवीजन⁴⁴, शीर्ष पूंजी (4216) के तहत ₹304.77 करोड़ के व्यय को कवर करते हैं और शीर्ष राजस्व (2216) के तहत ₹407.08 करोड़, 2017-18 से 2019-20 के दौरान, दिल्ली क्षेत्र में जीपीआरए की कुल 66,017 इकाइयों में से विभिन्न श्रेणियों में 40,184 इकाइयों/क्वाटरों को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था।

⁴³ दो प्रेसिडेंशियल एस्टेट डिवीजन - (1) प्रेसिडेंट एस्टेट डिवीजन (पीईडी) और (2) प्रेसिडेंट एस्टेट इलेक्ट्रिकल डिवीजन (पीईईडी); पाँच अस्पताल डिवीजन - (1) सफदरजंग अस्पताल डिवीजन, (2) सफदरजंग अस्पताल विद्युत डिवीजन, (3) आरएमएल अस्पताल डिवीजन, (4) एसएसके अस्पताल डिवीजन और (5) आरएमएल और एसएसके अस्पताल विद्युत डिवीजन और एक केंद्रीय सचिवालय डिवीजन जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के रखरखाव के काम कार्यरत है।

⁴⁴ नौ सिविल डिवीजन - बी, ई, आई, एल, एम, क्यू, एस, वी और यू, दो इलेक्ट्रिकल डिवीजन - डीईडी-302 और डीईडी-21 और एक बागवानी डिवीजन-11

प्रत्येक डिवीजन से चार कार्यों का चयन किया गया था और विभिन्न अनुरक्षण गतिविधियों को शामिल किया गया था। इस प्रकार कुल 48 कार्य⁴⁵ (अनुलग्नक-XVI) लेखापरीक्षा के लिए चुने गए थे। इसके अलावा, शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र की दक्षता और प्रभावशीलता को मापने के लिए प्रत्येक चयनित डिवीजन से दो सेवा केंद्रों का चयन करके वेब-आधारित पोर्टल सीपीडब्ल्यूडी सेवा की कार्यप्रणाली की भी जांच की गई। लेखापरीक्षा 10 सितंबर 2020 को सीपीडब्ल्यूडी के साथ एक एन्ट्री कान्फ्रेंस के साथ शुरू हुई। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा फरवरी 2021 में संपन्न हुई और 16 मार्च 2021 को एक एग्जिट कान्फ्रेंस आयोजित की गई।

4.4.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

12 मंडलों के नमूना लेखापरीक्षा अवलोकन का सारांश अनुलग्नक-XVII में शामिल है। मुद्दे-वार अवलोकन का उल्लेख अनुवर्ती पैराग्राफ में किया गया है।

4.4.4.1 योजना तंत्र

योजना में क्या किया जाना चाहिए, इस पर विश्लेषण और निर्णय लेना, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, गतिविधियों के अनुक्रम और आवश्यक कौशल/संसाधनों को परिभाषित करना शामिल है। योजन न केवल निर्णय लेने में सहायता करती है, बल्कि दिशा भी प्रदान करती है और सीमित संसाधनों के अधिकतम उपयोग में मदद करती है और अपव्यय से बचने में मदद करती है। एक अच्छी तरह से तैयार की गई योजना प्रभावी निगरानी में भी मदद करती है।

लेखापरीक्षा में हालाँकि ज्ञात हुआ की सी पी डब्ल्यू डी के मंडल न तो वार्षिक कार्य योजना तैयार कर रहे थे और न ही श्रेणी-वार या रखरखाव-वार व्यय विवरण तैयार कर रहे थे। आगे, मंडलों द्वारा भवन पंजिका नहीं बनायी जा रही थी और भवनों/संरचनाओं का आवधिक निरीक्षण भी नहीं किया जा रहा था।

चयनित 12 मंडलों के अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित ज्ञात हुआ:

4.4.4.1(i) वार्षिक कार्य योजना तैयार न होना

सीपीडब्ल्यूडी रखरखाव नियमावली, 2012 के पैरा 2.2 के अनुसार, प्रत्येक मंडल द्वारा एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें वार्षिक मरम्मत, विशेष मरम्मत, रखरखाव, वार्षिक कार्य कार्यक्रम, निविदाएं आमंत्रित करने की समय सीमा और कार्य सौंपने और उसके पूरा होने आदि के लिए अनुमान शामिल हों, और इसे अनुमोदन

⁴⁵ उन्नयन-13 कार्य, वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण-24 कार्य, व्यापक-7 कार्य एवं विशेष मरम्मत-4 कार्य

के लिए अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता को प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना को सर्वेक्षणों, लंबित प्रमुख शिकायतों के साथ-साथ पिछले अनुभवों और पूर्वानुमान के आधार पर तैयार करने की आवश्यकता है, और इसमें उन क्वार्टर/भवन/ब्लॉक को दर्शाने वाले कार्यों का विवरण शामिल होगा जहां कार्य किया जाना है। इसके अलावा, रखरखाव नियमावली 2019 के पैरा 2.2 के अनुसार, सभी विषयों⁴⁶ की गतिविधियों को इंगित करते हुए वार्षिक कार्य योजना, निधि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी। हालांकि, सीपीडब्ल्यूडी अनुरक्षण नियमावली में वार्षिक कार्य योजना का कोई निर्धारित प्रारूप प्रदान नहीं किया गया है।

सीपीडब्ल्यूडी रखरखाव नियमावली में यह भी आवश्यक है कि कैलेंडर वर्ष पूरा होने से पहले, आवश्यक या प्रत्याशित सभी कार्यों की पहचान करने के लिए भवनों का एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और सब-डिवीजन को 15 दिसंबर तक, मंडल को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना के प्रस्ताव को अग्रेषित करने की कार्रवाई करनी चाहिए। कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि डिवीजन की क्षमता के भीतर सभी अनुमानों को 15 जनवरी तक स्वीकृत किया जाता है और जहां उच्च प्राधिकारी (ओं) के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, वहां प्रस्ताव 5 जनवरी तक अग्रेषित किए जाते हैं ताकि ये भी 15 जनवरी तक स्वीकृत हो जाएं।

यह देखा गया कि 12 नमूना चयनित डिवीजन में से 11 डिवीजन में वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। इसके अलावा, 'एम' डिवीजन, एकमात्र डिवीजन जहां वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई थी, के रिकॉर्ड से पता चला कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान वार्षिक कार्य योजनाएं वार्षिक मरम्मत, विशेष मरम्मत, रखरखाव के अनुमानों वार्षिक कार्य कार्यक्रम, निविदा आमंत्रित करने की समय सीमा, कार्य प्रदान करना और उसे पूरा करना आदि के लिए किसी विस्तृत विश्लेषण के बिना केवल प्रत्याशित व्यय दिखा रही थीं। यह भी देखा गया कि वर्ष 2017-18 और 2019-20 के लिए केवल प्रत्याशित व्यय वाली वार्षिक कार्य योजना सितंबर 2017 और अप्रैल 2019 में उच्च प्राधिकारी को भेजी गई थी, जबकि इन्हें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करने से पहले यानी 5 जनवरी तक अग्रेषित किया जाना चाहिए था।

12 नमूना डिवीजनों में से 11 द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार न करना निर्धारित प्रक्रियाओं के उल्लंघन को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, 'एम' डिवीजन ने आवश्यक

⁴⁶ विषय सीपीडब्ल्यूडी के सिविल, इलेक्ट्रिकल और बागवानी विंग को संदर्भित करता है।

सर्वेक्षण आवश्यकता का अनुपालन किए बिना और मरम्मत, छोटे कार्यों, उन्नयन कार्यों आदि के लिए समय-सीमा के विवरण को शामिल किए बिना वार्षिक कार्य योजना तैयार की थी।

वार्षिक कार्य योजनाओं के अभाव में, लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान आवश्यक या प्रत्याशित कार्यों की पहचान की विश्वसनीयता और व्यापकता का पता नहीं लग सका। उचित योजना के अभाव से प्रणाली में निर्णय लेने में तदर्थता का जोखिम होता है, जो कार्यों के निष्पादन की प्रभावशीलता के अलावा, कार्य और संसाधन उपयोग में दक्षता को भी खतरे में डाल सकती है।

सीपीडब्ल्यूडी ने अपने उत्तर (जुलाई 2021) में कहा कि जीपीआरए भवनों का रखरखाव तीन साल की अवधि के लिए दी गई व्यापक रखरखाव संविदाओं के माध्यम से किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के बजाय, कार्यों की मदों को तीन वर्ष की अवधि के लिए अग्रिम रूप से प्रत्याशित किया जाता है। कार्यों के लिए अनुमान लगाने के लिए बैठकों में आम तौर पर वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा की जाती है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुपालन की जा रही प्रक्रिया सीपीडब्ल्यूडी रखरखाव नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। यह समझना कठिन है कि भवन के रजिस्टर, भवनों/ संरचनाओं के रजिस्ट्रें निरीक्षण, भवनों के सर्वेक्षण आदि जैसे बुनियादी अभिलेखों की तैयारी और पहुंच के बिना ही योजना केवल तीन वर्षों में प्रत्याशित गतिविधियों पर आधारित हो सकती है। इसके अलावा, तथ्य यह है कि वार्षिक कार्य योजनाओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार किए जाने के बजाय केवल इन पर बैठकों में चर्चा की जाती है, जो सीपीडब्ल्यूडी में योजन प्रक्रिया की तदर्थ प्रकृति पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा, 2017-18 से 2019-20 के दौरान, नौ नमूना सिविल⁴⁷ डिवीजनों में 1,339 संविदा दी गई, जिनमें से केवल 27 कार्य व्यापक थे।

सिफारिश संख्या 1

सीपीडब्ल्यूडी को वस्तुनिष्ठ इनपुटों के आधार पर वार्षिक कार्य योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित करके अपने योजन तंत्र को मजबूत करना चाहिए। एएपी तैयार करने के लिए आवश्यक सूचना एकत्र करने के लिए एक प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता है। प्रभावी निगरानी और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिये एएपी तैयार करने और उसके लिए जानकारी एकत्र करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली भी तैयार की जा सकती है।

⁴⁷ बी, ई, आई, एल, एम, क्यू, एस, यू और वी

4.4.4.1 (ii) भवनों के रजिस्टर का रखरखाव न करना

सीपीडब्ल्यूडी रखरखाव नियमावली 2012 और 2019 के पैरा 1.5 के अनुसार, प्रत्येक डिवीजनों को निर्धारित प्रारूप में भवनों का एक रजिस्टर (रजिस्टर) अद्यतन रखना चाहिए, जिसमें संपत्ति का विवरण, निर्माण या खरीद का वर्ष, दर्ज मूल्य (मूल/बाद में जोड़ा गया या कटौती/प्रगतिशील कुल), निधि जिससे निर्माण/अनुरक्षण किया गया, निर्माण का उद्देश्य, अनुरक्षित संयंत्रों के अभिलेख आदि दर्शाए गए हों। अधीक्षण अभियंता को डिवीजन कार्यालय के अपने निरीक्षण के दौरान इस रजिस्टर की जांच करनी चाहिए ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि इसमें प्रविष्टि की जा रही है और अद्यतित रखा जा रहा है।

चयनित डिवीजनों के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि 11 डिवीजनों द्वारा रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। क्यू डिवीजन के पास भवनों के रजिस्टर थे, लेकिन 1973 से रजिस्टर अद्यतन नहीं किए गए थे।

रजिस्टर के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि डिवीजन किस प्रकार अपनी परिसंपत्तियों (भवनों) का अद्यतन अभिलेख रख रहे थे। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा धारित परिसंपत्तियों के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करने वाले रजिस्टर वार्षिक कार्य योजना तैयार करने और भवनों के उचित रखरखाव के लिए आवश्यक विभिन्न कार्यों की योजना बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, भवनों के रजिस्टर को तैयार न करना, न केवल निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन है बल्कि योजना प्रक्रिया को भी जोखिम में डालता है, क्योंकि परिसंपत्ति के विवरणों के अभाव में योजना उचित नहीं होगी।

सीपीडब्ल्यूडी ने अपने उत्तर (जुलाई 2021) में बताया कि सीपीडब्ल्यूडी सेवा वेबसाइट पर प्रत्येक प्रशासनिक स्तर के भवनों का रजिस्टर बनाया जा रहा है और परिवर्तनों के अनुसार अद्यतन किया जा रहा है। इसलिए डिवीजन द्वारा भवनों का कोई हार्ड कापी रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया जा रहा है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी सेवा की वेबसाइट पर अनुरक्षित डेटा का प्रारूप रजिस्टर तैयार करने के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुरूप नहीं था। वेबसाइट पर दर्ज की गई जानकारी केवल आवासीय स्टॉक, घरों के खाली होने और उनके कब्जे की है, जबकि भवनों के रजिस्टर का प्रारूप जो सीपीडब्ल्यूडी द्वारा योजन गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में कार्य करता है, अन्य बातों के साथ-साथ निर्माण या खरीद के

वर्ष जैसे विवरणों को दर्ज करने की आवश्यकता होती है, दर्ज मूल्य (मूल/बाद के परिवर्धन या कटौती/प्रगतिशील कुल), निधि जिससे निर्माण/रखरखाव, निर्माण की वस्तु आदि दर्ज होगा।

सिफारिश संख्या 2

सीपीडब्ल्यूडी के प्रत्येक डिवीज़न द्वारा सीपीडब्ल्यूडी अनुरक्षण नियमावली द्वारा निर्धारित भवन के रजिस्टर का रखरखाव किया जाना चाहिए, जिसमें संपत्ति का विवरण निर्माण/खरीद का वर्ष, दर्ज मूल्य, निधि का स्रोत, निर्माण की वस्तु, पौधों का रिकॉर्ड आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए और तदनुसार सीपीडब्ल्यूडी सेवा को भी अपडेट किया जाना चाहिए।

4.4.4.1 (iii) भवनों/संरचनाओं का निरीक्षण न होना

सीपीडब्ल्यूडी रखरखाव नियमावली, 2012 और 2019 के पैरा 1.6 में यह आवश्यक है कि भवनों के रजिस्टर में अंकित सभी भवनों/संरचनाओं का प्रभारी सहायक अभियंता द्वारा वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भवन/संरचना उपयोग के लिए असुरक्षित नहीं है। कनिष्ठ अभियंताओं को भी वर्ष में दो बार ऐसी संरचनाओं/प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करना होता है और इस आशय का प्रमाण पत्र रिकॉर्ड करना होता है। संरचना/प्रतिष्ठान में कोई कमी पाये जाने की स्थिति में, आवश्यक प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को दी जानी चाहिए और कार्यपालक अभियंता द्वारा उसका निरीक्षण कराने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए और दोषों को दूर करने के लिए आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 चयनित डिवीज़नों में से 10 डिवीज़नों में भवनों/संरचनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया था जो निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन है:

तालिका 4.3: डिवीज़न द्वारा किए गए भवनों/संरचनाओं का निरीक्षण

विवरण	डिवीज़न
डिवीज़न द्वारा भवनों/संरचनाओं का निरीक्षण किया जा रहा था	विद्युत डिवीज़न डीईडी 302 और डीईडी-21
डिवीज़न द्वारा भवन संरचना का निरीक्षण नहीं किया जा रहा था	बी, ई, आई, एल, एम, क्यू, एस, वी, यू और बागवानी डिवीज़न-II

भवनों/संरचनाओं के निरीक्षण के अभाव में यह पता नहीं लगाया जा सका कि डिवीज़न विशिष्ट भवनों/संरचनाओं की संरचनात्मक सुरक्षा आवश्यकताओं की योजना कैसे बना रहे थे और परिणामस्वरूप रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे।

सीपीडब्ल्यूडी ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2021) कि भवनों/संरचनाओं का नियमित निरीक्षण किया जाता है। असुरक्षित भवनों/संरचनाओं की पहचान सहायक अभियंता द्वारा की जाती है और कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रति सत्यापन किया जाता है। यदि संरचनाओं के पुनर्वास की आवश्यकता है, तो विशेष मरम्मत के लिए उपयुक्त एजेंसी के साथ ऐसा किया जाता है। यदि यह पुनर्वास की स्थिति में नहीं है, तो उसे आवंटन के लिए बोली प्लेटफॉर्म में शामिल न करने के लिए संपदा निदेशक को सूचित किया जाएगा। हालाँकि, अभिलेख सुव्यवस्थित तरीके से नहीं हो सकता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भवनों/संरचनाओं के सर्वेक्षणों और निरीक्षणों के अभिलेखों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या वे वास्तव में डिवीज़न द्वारा किए गए थे। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई औपचारिक तंत्र नहीं होगा कि वार्षिक कार्य योजना की तैयारी के दौरान इस तरह के महत्वपूर्ण इनपुट का हिसाब रखा जाता है और अंततः सीपीडब्ल्यूडी द्वारा रखरखाव गतिविधियों की गुणवत्ता को प्रभावित करते हुए तदर्थ तरीके से योजना बनाई जाती रहेगी।

सिफारिश संख्या 3

सीपीडब्ल्यूडी को प्रत्येक स्तर पर भवनों/संरचनाओं के नियमित निरीक्षण करके और नियमावली द्वारा निर्धारित आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कमियों को सूचित करके अपने योजना तंत्र को मजबूत करना चाहिए।

4.4.4.2 निर्माण कार्यों का निष्पादन

सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियमावली, 2019 का उद्देश्य पारदर्शिता, गुणवत्ता, समय पर वितरण और कार्यों के प्रभावी निष्पादन के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि प्राप्त करना है। प्रभावी और कुशल निष्पादन अच्छी योजना से उत्पन्न होता है और निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयासों को काफी हद तक कम कर देता है। चयनित 12 डिवीज़नों में वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए आवासों के रखरखाव⁴⁸ के कार्यों की

⁴⁸ लेखापरीक्षा में वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण, उन्नयन, विशेष मरम्मत, परिवर्धन एवं परिवर्तन तथा व्यापक अनुरक्षण से संबंधित 48 कार्यों की जांच की गई।

संविदाओं से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित कमियों का पता चला:

4.4.4.2 (i) तकनीकी प्रतिनिधि की नियुक्ति न होना

संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के अनुसार, ठेकेदार निविदा का स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के तुरंत बाद और काम शुरू करने से पहले, प्रभारी अभियंता को लिखित रूप में तकनीकी प्रतिनिधियों के प्रमाणपत्रों के साथ विवरणों की सूचना देगा जो कार्य की निगरानी करेंगे। प्रभारी अभियंता, इस तरह के सूचना की प्राप्ति के 3 दिनों के भीतर, संविदाकार को अपनी लिखित स्वीकृति की सूचना देगा। इसके अलावा, करार की अनुसूची के अनुसार कार्य में पर्याप्त अनुभव वाले योग्य तकनीकी प्रतिनिधि की नियुक्ति की जानी थी। प्रावधान को पूरा नहीं करने की स्थिति में, ₹10,000 से ₹30,000 प्रति माह (व्यक्तिगत करार के प्रावधानों के आधार पर) की वसूली भी निर्धारित की गई थी।

अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि 32 कार्यों में प्रभारी अभियंता के प्रतिनिधियों के लिखित अनुमोदन से संबंधित कोई अभिलेख नहीं पाया गया। प्रासंगिक अनुभव और योग्यता के साथ योग्य तकनीकी प्रतिनिधियों की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या उन योग्य तकनीकी प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया था और संविदाकार द्वारा कार्यों का उचित पर्यवेक्षण और निष्पादन किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में जहां कोई योग्य तकनीकी प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया गया था, ₹57.85 लाख की राशि की वसूली करार में निर्धारित अनुसार ठेकेदार से नहीं की गई थी। राशि की वसूली न होना दर्शाता है कि कार्य की गुणवत्ता से समझौता करते हुए सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों द्वारा ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया।

सीपीडब्ल्यूडी ने उत्तर दिया (जुलाई 2021) कि तकनीकी प्रतिनिधियों की नियुक्ति एजेंसियों/ संविदाकारों द्वारा की गई थी और उन्होंने अपेक्षित अनुभव प्रमाण पत्र के साथ ऐसे तकनीकी प्रतिनिधियों के संबंध में दस्तावेज पहले ही जमा कर दिए हैं। लेखापरीक्षा निरीक्षण के समय, ये दस्तावेज ट्रेसेबल नहीं थे। हालांकि अब सात कार्यों के दस्तावेजों की फोटोकॉपी उपलब्ध करा दी गई है। सीपीडब्ल्यूडी ने आगे कहा कि डीईडी-21(3) और डीईडी-21(4) के संबंध में ₹3,60,000 की वसूली की गई है।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शेष 25 कार्यों (अनुलग्नक-XVIII) के संबंध में कार्यकारी अभियंता द्वारा योग्य तकनीकी प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं था। इसके अलावा, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा ₹3,60,000 की वसूली लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही की गई थी।

सिफारिश संख्या 4

तकनीकी प्रतिनिधियों की नियुक्ति से संबंधित सीपीडब्ल्यूडी नियमावली/संविदा की सामान्य शर्तों के प्रावधानों का अनुपालन कार्य के सभी चरणों और कार्य के पर्यवेक्षण के दौरान पूरी तरह से निर्माण स्थान पर उनकी उपलब्धता के लिए सुनिश्चित किया जा सकता है।

4.4.4.2 (ii) निर्माण स्थान पर सामग्री के उपयोग में विसंगति

(क) निर्माण स्थान पर लाई गई सामग्री का परीक्षण न करना

सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली 2014 के पैरा 27.1 के अनुसार, सीमेंट का प्रभारी अभियंता द्वारा परीक्षण कराया जाएगा और संतोषजनक परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के बाद कार्यों में उपयोग किया जाएगा। चार कार्यों अर्थात् आई2, बी1, बी2 और बी4 में, यह देखा गया कि संविदाकार क्रमशः 6,300, 5,008, 13,540 और 1,126 सीमेंट बैग लाए थे, हालांकि, परीक्षण के परिणाम/रिपोर्ट के लिए कोई सबूत नहीं मिला।

आई2, बी2 और बी4 के संबंध में, सीपीडब्ल्यूडी ने उत्तर दिया (जुलाई 2021) कि सीमेंट के नमूने लिए गए और समय-समय पर परीक्षण भी किया गया। बी1 में, सीपीडब्ल्यूडी ने उत्तर दिया कि सामग्री का उपयोग एनआईटी अनुमोदित ब्रांड के अनुसार किया गया था। परीक्षण रिपोर्ट की फोटोकॉपी संलग्न हैं।

सीपीडब्ल्यूडी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की परीक्षण रिपोर्ट उत्तर के साथ संलग्न नहीं पाई गई थी। इसके अलावा, तथ्य यह है कि उपयोग की गई सामग्री वास्तव में एनआईटी द्वारा अनुमोदित ब्रांड के अनुसार थी और किसी भी अव-मानक सामग्री का उपयोग नहीं किया गया था, इसका केवल निर्धारित परीक्षणों को करने से पता चलेगा।

सिफारिश संख्या 5

गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निर्माण स्थान पर लाई गई सामग्री के परीक्षण से संबंधित सीपीडब्ल्यूडी नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

(ख) गारंटी बांड प्राप्त न करना या विशेष कार्यों में संविदाकार के बिलों से 10 प्रतिशत प्रतिभूति की कटौती न करना

सीपीडब्ल्यूडी नियमावली 2014 के पैरा 16.5 के अनुसार, कुछ विशेष कार्यों (जलरोधक कार्य और दीमक रोधी उपचार) के मामले में संविदाकार द्वारा गारंटी बांड निष्पादित किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि गारंटी अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य दोष को दूर किया जा सके। पैरा 22.5 के अनुसार, काम की कुछ विशेष मदों जैसे दीमक रोधी उपचार, जलरोधक कार्य, भट्टा संशोधन और रासायनिक रूप से उपचारित लकड़ी के शटर आदि के लिए, जो विशेष फर्मों या पंजीकृत संविदाकार को सौंपे जाते हैं जो नियमावली के पैरा 16.3(1) के अनुसार विशेष एजेंसियों को संबद्ध करते हैं, कार्य को निष्पादित करने वाले संविदाकार /फर्म को एक विशिष्ट गारंटी देने के लिए कहा जाना चाहिए कि गारंटी अवधि के दौरान उनके द्वारा निष्पादित इन कार्यों में किसी भी दोष को दूर करने के लिए वे जिम्मेदार होंगे। पैरा 22.5 (2) में आगे कहा गया है कि संविदाकार के बिलों से काटी गई प्रतिभूति का 10 प्रतिशत संविदा की शर्तों के अनुसार अनुरक्षण अवधि की समाप्ति के बाद वापस किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आठ कार्यों में, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जिसमें विशेष कार्य घटक शामिल थे, न तो गारंटी बांड प्राप्त किया गया था और न ही सीपीडब्ल्यूडी द्वारा संविदाकार के बिलों से प्रतिभूति का 10 प्रतिशत रोका गया था। गारंटी बांड के अभाव में, सीपीडब्ल्यूडी ने गारंटी अवधि के भीतर होने वाले दोषों को ठेकेदार से ठीक कराने का अपना अधिकार खो दिया। यह भी देखा गया कि विशिष्ट कार्यों से संबंधित आवंटितियों की शिकायतों को एकत्रित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

तालिका 4.4: विशिष्ट कार्यों के लिए रोकी जाने वाली राशि

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	कार्य कोड	विशेष मद	मद की राशि (मात्रा/ चालू बिलों की अनुसूची के अनुसार)	कार्य मद के लिए आवश्यक प्रतिभूति राशि (10 प्रतिशत)
1	बी 1	जल रोधक उपचार	1,32,963	13,296
2	बी 2		6,27,249	62,725
3	बी 3		1,18,456	11,846
4	बी 4		51,950	5,195
5	एम 1	सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर	34,366	3,437
6	क्यू 1	जल रोधक उपचार	8,89,297	88,930
7	यू3	जल रोधक उपचार	20,088	2,009
8	यू4		2,00,377	20,038
कुल				2,07,476

सीपीडब्ल्यूडी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए जवाब दिया (जुलाई 2021/ मई 2022) कि:-

- (i) बी1 और बी2 कार्य में, अतिरिक्त मदों के लिए विशेष कार्य के गारंटी बांड की कुल राशि कार्य को अंतिम रूप देने के समय अंतिम बिल में वसूल की जाएगी। कार्यों बी3 एवं बी4 के लिए एजेंसियों को अतिरिक्त मदों के लिए विशेष कार्य के गारंटी बांड के लिए क्रमशः ₹8,869 एवं ₹11,846 की राशि जमा करने के लिए कहा गया है, जो गलती से कार्य को अंतिम रूप देने के दौरान प्राप्त नहीं किया जा सका।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बी3 और बी4 कार्यों के लिए अंतिम बिलों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, प्रतिभूति राशि की वसूली की संभावना कम दिखाई देती है।

- (ii) एम1 कार्यों में, जुलाई 2018 में जलरोधक कार्य को विशेष मदों/कार्यों की सूची से हटा दिए जाने के कारण करार में गारंटी बांड जमा करने का कोई प्रावधान नहीं था।

सीपीडब्ल्यूडी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि फरवरी 2019 में प्रकाशित सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली 2019 में विशेष मदों की सूची के तहत मद को अभी भी शामिल किया जा रहा था।

- (iii) क्यू1 कार्य में, जुलाई 2018 में जलरोधक कार्य को विशेष मदों/कार्यों की सूची से हटा दिया गया था और इसे फरवरी 2019 में प्रकाशित सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली 2019 में विशेष मदों के तहत फिर से शामिल किया गया था। इसलिए, यह संभव नहीं है एजेंसी से गारंटी बांड प्राप्त करें क्योंकि एनआईटी की तैयारी के समय चूक के कारण गारंटी बांड जमा करने के लिए करार में कोई प्रावधान नहीं था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोली जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2019 थी जो कि सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली 2019 (फरवरी 2019) के प्रकाशन के बहुत बाद यानी पांच महीने से अधिक समय बाद थी।

- (iv) यू3 कार्य को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और यू4 कार्य को अंतिम रूप दिया गया है। यू4 कार्य के लिए अंतिम बिल से ₹13,025 की राशि रोक दी गई है। संविदाकार से गारंटी बांड की प्रति प्राप्त कर ली गई है

सीपीडब्ल्यूडी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यू4 कार्य के लिए अंतिम बिल से रोकी गई राशि (₹13,025) विशिष्ट मद के निष्पादन के संबंध में कटौती की जाने वाली आवश्यक राशि (₹20,038) के अनुरूप नहीं थी।

सिफारिश संख्या 6

गारंटी बांड प्राप्त करने और विशेष कार्यों में ठेकेदार के बिलों से 10 प्रतिशत प्रतिभूति राशि की कटौती से संबंधित सीपीडब्ल्यूडी नियमावली के प्रावधानों का पालन किया जाए। शिकायतों और अनुचित कार्य के कारण को जोड़ने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए ताकि उसका सुधार या संविदाकार से वसूली सुनिश्चित की जा सके।

- (ग) निरीक्षण रजिस्टर और निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका का रखरखाव न करना

सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली 2014 का पैरा 25 निर्धारित करता है कि प्रत्येक कार्य स्थान पर एक निरीक्षण रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक है। जब भी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता निर्माण स्थान का दौरा करते हैं, तो वह अपने दौरे की तारीख और समय, निरीक्षण की गई वस्तुओं और अपनी टिप्पणियों को दर्ज करेंगे।

कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता निरीक्षण रजिस्टर में उचित प्रतिसंदर्भ के साथ निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका में ऐसी टिप्पणियों और दोषों को अग्रेषित करेगा जिन पर संविदाकार द्वारा कार्रवाई की जानी है। संविदाकार को भुगतान करते समय निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका पर परामर्श किया जाना चाहिए और भुगतान जारी करने से पहले सत्यापित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने क्रमशः 30 कार्यों⁴⁹ और 16 कार्यों⁵⁰ में निरीक्षण रजिस्ट्रों और निर्माण स्थान आदेश पुस्तिकाओं का अनुरक्षण नहीं देखा।

निरीक्षण रजिस्टर के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी ने जवाब दिया (जुलाई 2021) कि परिभाषित अधिकांश कार्य रखरखाव और छोटे निर्माण कार्यों के हैं। जब भी अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता जैसे वरिष्ठ अधिकारी निर्माण स्थान का दौरा करते हैं, तो उनके द्वारा एक निरीक्षण नोट जारी किया जाता है जिसे संविदाकार को आगे के निर्देश के लिए निरीक्षण/निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका पर चिपकाया जाता है। इसलिए, निर्माण स्थान का निरीक्षण सीई/एसई द्वारा ही किया जाना चाहिए। हालाँकि, निर्देशों को गलती से दर्ज नहीं किया जा सका। इसके अलावा, डीईडी-302 (1) और डीईडी-302(4) के संबंध में, कार्य के निष्पादन के दौरान संबंधित एसई/सीई द्वारा निरीक्षण की ऐसी कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई। तथापि, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भविष्य के लिए नोट कर लिया गया है।

सीपीडब्ल्यूडी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह अनुमानों पर आधारित है कि निर्माण स्थान निरीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। दस्तावेजों के अभाव में सीपीडब्ल्यूडी स्वयं पुष्टि नहीं कर सका कि निरीक्षण किए गए थे या नहीं। इसके अलावा, सीपीडब्ल्यूडी नियमावली उच्च अधिकारियों द्वारा छोटे/रखरखाव कार्यों के निरीक्षण को प्रतिबंधित नहीं करता है। साथ ही, निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका का निरीक्षण/अनुरक्षण अनिवार्य है और आवश्यकता-आधारित नहीं है। साथ ही, सीपीडब्ल्यूडी ने एचडी-II(1), एचडी-II(2), एचडी-II(3) और एचडी-II(4) के संबंध में निरीक्षण रजिस्टर के रखरखाव के संबंध में उत्तर नहीं दिया।

⁴⁹ बी 1, बी2, बी3, बी4, ई1, ई2, ई4, आई1, आई2, एल1, एल2, एल3, एम1, एम2, एम3, एम4, एस1, एस2, एस3, एस4, यू1, यू2, यू3, यू4, डीईडी 302 (1), डी ईडी 302 (4), एचडी II (1), एचडी II (2), एचडी II (3) और एचडी II (4)

⁵⁰ बी 2, बी4, ई3, ई4, आई1, आई2, एल1, एम1, एम2, एम4, एस2, एस3, एस4, वी2, एचडी-II(2) और एचडी-II(3)

निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका के संबंध में बी2, बी4 कार्यों के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी ने कहा (जुलाई 2021) कि चूंकि ये कार्य वीवीआईपी बंगलों से संबंधित थे, इसलिए रखरखाव की शिकायतों को दूर करने के लिए आमतौर पर बहुत कम समय मिलता है। इसलिए संबंधित जेई/एई प्रभारी द्वारा टेलीफोन पर या निर्माण स्थान पर नियमित निर्देश दिए जाते हैं। एस2, एस3, एस4, एचडी ॥ (2) और एचडी ॥ (3) के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी ने कहा कि निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका का रखरखाव ठीक से किया जा रहा है। कार्य निष्पादन के दौरान प्रत्येक कार्य के संबंध में उचित पर्यवेक्षण एवं आवधिक निरीक्षण किया गया था। हालांकि, अभ्युक्ति को भविष्य के लिए नोट किया गया था।

सीपीडब्ल्यूडी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका के रखरखाव के संबंध में सहायक दस्तावेज न तो लेखापरीक्षा के दौरान प्रदान किए गए थे और न ही उत्तर के साथ प्रस्तुत किए गए थे।

एल1, एल2 और एल4 कार्यों के संबंध में, सीपीडब्ल्यूडी ने उत्तर दिया (जुलाई 2021) कि प्रत्येक कार्य के लिए निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका का रखरखाव किया जाता है जिसमें अवलोकन दर्ज किए गए थे। हालांकि काम की प्रकृति छोटी होने के कारण निर्देशों/अभ्युक्तियों को दर्ज नहीं किया जा सकता है। वी 2 कार्य में निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका का रखरखाव किया गया है और फील्ड स्टाफ को इसे ठीक से बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया था। हालांकि, ई1, ई2, ई4, आई1, आई2, एम1, एम2 और एम4 के संबंध में, सीपीडब्ल्यूडी ने निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका के गैर-रखरखाव पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा कि इसे भविष्य के अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वी 2 कार्य के संबंध में कोई दस्तावेज सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा, निरीक्षण पंजिका और निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका की अनुपस्थिति इंगित करती है कि कार्य के निष्पादन के दौरान या तो उचित पर्यवेक्षण/निरीक्षण नहीं किए गए थे या ऐसे निरीक्षणों के अभिलेख बनाए नहीं गए थे। इस तरह के अभ्यास से अनुवर्ती कार्रवाई में प्रभावशीलता नहीं आती है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका में बिना किसी प्रविष्टि और उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र के बिलों का भुगतान कैसे किया गया।

सिफारिश संख्या 7

कार्य की उचित निगरानी के लिए सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली में निर्धारित निरीक्षण रजिस्टर और निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका को बनाए रखा जाना चाहिए।

4.4.4.2 (iii) सामग्री की प्राप्ति और जारी करने में अनियमितताएं

(क) सामग्री का गैर/कम उपयोग जिससे अवमानक कार्य हुआ

सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली 2014 के पैरा 53.2(9) और सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली 2019 के एसओपी 7/2-ix में कहा गया है कि (i) सीमेंट और स्टील रजिस्टर सहित निर्माण स्थान पर सामग्री रजिस्टर सभी ठेकेदार द्वारा बनाए रखी जाएगी जो ठेकेदार को प्रभारी अभियंता द्वारा उसी तरह जारी की जाएगी जिस तरह सीपीडब्ल्यूडी फील्ड स्टाफ को जारी की जाती है; (ii) निर्माण स्थान पर सामग्री की प्राप्ति की प्रत्येक प्रविष्टि जेई या एई द्वारा 100 प्रतिशत नमूना जांच की जाएगी। इसके अलावा, सीपीडब्ल्यूडी नियमावली 2014 के पैरा 33.15.1 और सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली 2019 के एसओपी 5/13 के अनुसार, यह आवश्यक है कि प्रत्येक चालू खाते के बिल के साथ किए गए और मापे गए कार्य की मदों के लिए सामग्री की सैद्धांतिक आवश्यकताओं को दर्शाने वाला एक विवरण चालू खाते के बिल पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त करते समय तैयार किया जाना चाहिए और संविदाकार से हस्ताक्षर करवाए जाने चाहिए, ताकि वह उस आधार से अवगत हो जिस पर सैद्धांतिक खपत⁵¹ की गणना की जाती है। यह विभाग को कार्य के निष्पादन के दौरान इन सामग्रियों की खपत पर व्यापक जांच करने में भी सक्षम बनाएगा।

लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जहां कार्य में उपयोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

⁵¹ दिल्ली दर अनुसूची (डीएसआर) में विभिन्न प्रकार के कार्यों में विभिन्न मदों जैसे सीमेंट, पुट्टी, पेंट, डामर आदि की खपत की मात्रा दी गई है। प्रत्येक प्रकार के कार्यों के मद के लिए एक गुणांक निर्धारित किया जाता है जो इसके उपभोग की सैद्धांतिक मात्रा निर्धारित करने में मदद करता है, जिसे कार्य के दौरान वास्तविक उपयोग के साथ मिलान/जांच किया जाता है (निर्माण स्थान रजिस्टर पर सामग्री से)।

तालिका 4.5: सैद्धांतिक खपत के अनुसार उपयोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा और वास्तव में उपयोग की गई सामग्रियों की मात्रा दर्शाते कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य कोड	सामग्री का विवरण	सैद्धांतिक गणना के अनुसार उपयोग की जाने वाली मात्रा	वास्तव में प्रयुक्त मात्रा (एमएस रजिस्टर के अनुसार)	कम मात्रा का प्रयोग
1.	ई 4	तेल बांड डिस्टेंपर	220 किलोग्राम	160 किलोग्राम	60 किलोग्राम
2.		सीमेंट	594 बैग	425 बैग	169 बैग
3.	क्यू 1	जल रोधक	2912 किलोग्राम	2580 किलोग्राम	332 किलोग्राम
4.	क्यू 2	सीमेंट	255 बैग	206 बैग	49 बैग
5.	वी 1	सीमेंट	398 बैग	96 बैग	302 बैग

उपरोक्त मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा ने ऐसे उदाहरण भी देखे जहां निर्माण स्थान पर सामग्री रजिस्टर में सामग्री का लेखा-जोखा नहीं था। सामग्री की प्राप्ति या जारी करने की प्रविष्टियों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि भुगतान के बावजूद सामग्री वास्तव में कार्य में उपयोग की गई थी या नहीं। ऐसे मामलों का विवरण **अनुलग्नक-XIX** में दिया गया है।

निर्धारित मानदंडों से विचलन में सामग्री का गैर-उपयोग/कम उपयोग से अवमानक कार्य होंगे।

सीपीडब्ल्यूडी ने अपने जवाब (जुलाई 2021) में कहा है कि:

- (i) ई4 कार्य के संबंध में प्रारंभ में 60 किग्रा ऐक्रेलिक डिस्टेंपर प्राप्त हुआ और ठेकेदार को जारी किया गया (03 जनवरी 2020 तक) जिसे पेंट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 32 पर दर्ज किया गया जो 10 जनवरी 2020 तक जारी किए गए 160 किग्रा ऐक्रेलिक डिस्टेंपर के अतिरिक्त था। निर्माण स्थान के कर्मचारियों द्वारा पेंट रजिस्टर में गलती में इसे ऑयल बाउंड डिस्टेंपर के रूप में लिखा गया है।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण स्थान पर सामग्री रजिस्टर के पृष्ठ सं. 32 पर, ऑयल बॉण्ड डिस्टेपर की कोई प्रविष्टि नहीं मिली, उत्तर में गलत तरीके से "पेंट रजिस्टर" के रूप में कहा गया है, जिसे लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया गया था।

- (ii) तीन कार्यों के संबंध में, सीपीडब्ल्यूडी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया है और कहा (जुलाई 2021) कि क्यू1 कार्य के लिए एजेंसी की रोक की गई प्रतिभूति जमा राशि से ₹62,320 की आवश्यक वसूली की जा रही है। क्यू2 के कार्य के संबंध में, कम मात्रा का उपयोग करने पर वसूली, दंडात्मक दर पर एजेंसी की प्रतिभूति जमा राशि से की जाएगी। इसके अतिरिक्त वी1 कार्य के लिए कम मात्रा में सीमेंट जारी करने पर ₹43,445 की वसूली ठेकेदार से की जाएगी।
- (iii) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीमेंट पुट्टी, फ्रेंच स्पिरिट पॉलिश, मेलामाइन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, संरचनात्मक स्टील जैसे एंगल आयरन, ट्यूब सेक्शन आदि के लिए मर्दों/सामग्री को एमएस रजिस्टर में लेने की आवश्यकता नहीं है।

सीपीडब्ल्यूडी का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी नियमावली 2014 और 2019 में यह निर्धारित किया गया है कि सीमेंट और स्टील रजिस्टर सहित निर्माण स्थान रजिस्टर पर सभी सामग्री संविदाकार द्वारा रखी जाएगी जो संविदाकार को प्रभारी अभियंता द्वारा जारी की जाएगी। इसके अलावा, निर्माण स्थान रजिस्टर में सामग्री में किसी भी प्रविष्टि के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि सामग्री वास्तव में निर्माण स्थान पर लाई गई थी और कार्यों के लिए उपयोग की गई थी, यह जिसके लिए थी। इसके अतिरिक्त निर्धारित मानदंडों से विचलन में सामग्री का गैर-उपयोग/कम उपयोग से अवमानक कार्य होंगे।

सिफारिश संख्या 8

कार्य में उपयोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना चाहिए और निर्माण स्थान पर लाई गई सामग्री को निर्माण स्थान पर सामग्री रजिस्टर में उचित रूप से लेखाबद्ध किया जाना चाहिए। कम लेखा/उपयोग के लिए जिम्मेदारी तय की जाए।

(ख) ठेकेदार को अनुचित लाभ

(i) एस3 कार्य के संबंध में संविदा की विशेष शर्तों की मद 25 के अनुसार संविदाकार के बिल से एक प्रतिशत जल प्रभारों की कटौती की जानी थी। अभिलेखों की जांच से पता चला कि संविदाकार के बिलों से जल प्रभारों की कटौती नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹1.42 लाख का अनुचित लाभ हुआ।

सीपीडब्ल्यूडी ने जवाब दिया (जुलाई 2021) कि एई ने प्रत्येक बिल में प्रमाणित किया कि संविदाकार ने पानी की अपनी व्यवस्था की थी। एजेसी ने कार्य के निष्पादन की पूरी अवधि के दौरान उसके द्वारा की गई पानी की व्यवस्था के संबंध में प्रामाणिक प्रमाण भी उपलब्ध कराया है। इसलिए बिलों से एक प्रतिशत जल प्रभार नहीं काटा गया।

सीपीडब्ल्यूडी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संविदा की शर्त स्पष्ट रूप से बताती है कि संविदाकार के बिल से एक प्रतिशत जल प्रभार काटा जाना था। इसके अतिरिक्त, संविदाकार को पानी की व्यवस्था स्वयं करने का विकल्प देने का संविदा में कोई प्रावधान नहीं था। इसके अलावा, चालान संख्या, आवासीय परिसर में प्रवेश पास, पानी के टैंकर का वाहन नंबर जिसके द्वारा पानी लाया गया था आदि जैसे कोई सहायक दस्तावेज उत्तर के साथ संलग्न नहीं किए गए थे।

(ii) लेखापरीक्षा ने देखा कि डीईडी-21(1) कार्य में, 2019-20 के दौरान एमएस अपार्टमेंट और एशिया हाउस के लिए दैनिक रखरखाव और विविध कार्यों को मैसर्स गिरधारी लाल चौहान एंड संस (संविदाकार) को ₹1.07 करोड़ में 12 महीनों के लिए (09 जनवरी 2020 से 08 जनवरी 2021 तक) दिया गया था जिसमें लिफ्ट और डीजी सेट के लिए एएमसी शामिल था। यह देखा गया कि उपरोक्त संविदा की निश्चित अवधि (लिफ्टों के मामले में 4.82 महीने और डीजी सेटों के मामले में 7.10 महीने) के दौरान लिफ्टों और डीजी सेटों के एएमसी का कार्य क्रमशः मैसर्स ओटिस और मैसर्स कमिंस द्वारा किया जा रहा था) और इन एजेसियों को भुगतान उन दरों पर किया गया जो ठेकेदार की दरों से अधिक थीं। संविदा की शेष अवधि का भुगतान मैसर्स गिरधारी लाल एंड संस को करार दर पर ही किया गया। मैसर्स ओटिस और मैसर्स कमिंस को उच्च दरों पर किया गया भुगतान अनियमित था क्योंकि मैसर्स गिरधारी लाल चौहान एंड संस का संविदा इस अवधि के दौरान पहले से ही लागू थी।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

सीपीडब्ल्यूडी ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा कि संविदाकार और मैसर्स कमिंस और मैसर्स ओटिस के बीच समझौता जापन संविदाकार द्वारा समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया था। उक्त अवधि के लिए, डीजी सेट का एएमसी डीजी सेट निर्माता मैसर्स कमिंस द्वारा किया गया था और लिफ्टों का एएमसी मैसर्स ओटिस द्वारा किया गया था। इस संबंध में लेखापरीक्षा के इंगित करने के बाद, मूल निर्माता को अधिक भुगतान के लिए संबंधित डिवीज़न ने वसूली विवरण संख्या 1 और 2 के माध्यम से क्रमशः ₹2,12,590/- और ₹56,492/- की राशि वसूल की है।

इस प्रकार, जल प्रभारों की गैर-कटौती और एएमसी देने में उच्च दरों पर भुगतान संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान करने के समान है।

सिफारिश संख्या 9

संविदाकार के बिलों से वसूली के संबंध में करार के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है।

4.4.4.3 निगरानी और शिकायत निवारण

सीपीडब्ल्यूडी सेवा, शिकायतों के प्रबंध के पारंपरिक तरीकों की कमियों को दूर करने के लिए 2010 में रखरखाव शिकायतों को दर्ज करने, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक वेब-आधारित एप्लिकेशन शुरू किया गया था। यह एक कॉल सेंटर और एसएमएस गेटवे के साथ एकीकृत है। सीपीडब्ल्यूडी सेवा का उपयोग आवंटितियों द्वारा रखरखाव आवश्यकताओं से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने और फीडबैक प्रदान करने के लिए किया जाता है।

लेखापरीक्षा के दौरान, सीपीडब्ल्यूडी प्राधिकारियों द्वारा शिकायतों की निगरानी से संबंधित कुछ मुद्दों पर ध्यान दिया गया। ये आगामी पैराग्राफों में वर्णित हैं:

4.4.4.3 (i) दिन-प्रतिदिन की शिकायतों का लंबे समय तक लंबित होना

सीपीडब्ल्यूडी सरकारी कॉलोनियों/कार्यालय परिसरों के भीतर स्थापित अपने सेवा केंद्रों के माध्यम से केंद्र सरकार की परिसंपत्तियों (जिसका स्वामित्व आवासन और शहरी कार्य के मंत्रालय के पास निहित है) का रखरखाव करता है। इन सेवा केंद्रों को सीपीडब्ल्यूडी सेवा वेब पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज शिकायतों का निपटान करना आवश्यक है। आवंटिती 24x7 कॉल सेंटर के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सीपीडब्ल्यूडी रखरखाव चार्टर

के अनुसार, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रबंधित रखरखाव शिकायतों को छोटी शिकायतों⁵², प्रमुख शिकायतों⁵³, आवधिक शिकायतों⁵⁴ और उन्नयन कार्य⁵⁵ के रूप में समूहीकृत किया जाता है। प्रमुख शिकायतों और आवधिक शिकायतों पर ध्यान देने की समय सीमा क्रमशः 30 दिन और 60 दिन निर्धारित की गई है, जबकि उन्नयन कार्य में समय सीमा के मामले में यह टाइप I से IV क्वार्टरों और टाइप-V और उच्चतर क्वार्टरों के लिए क्रमशः 60 दिन और 75 दिन थी।

विशेष मरम्मत या सफेदी, पेंटिंग, रिवायरिंग जैसी आवधिक/उन्नयन मरम्मत के लिए शिकायतें, जिन्हें दैनिक आधार पर अटेंड नहीं किया जा सकता है, उन्हें सीपीडब्ल्यूडी सेवा में प्रमुख शिकायतों या आवधिक/उन्नयन शिकायतों की श्रेणियों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, जैसा भी मामला हो। ऐसी शिकायतों की पावती शिकायतकर्ता को एसएमएस के माध्यम से दी जानी चाहिए, जिसमें शिकायत पर काम करने की समय सीमा की सूचना दी जानी चाहिए।

सीपीडब्ल्यूडी सेवा पोर्टल की समीक्षा पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2017-18 से 2019-20 के दौरान, 12 नमूना डिवीजन सेवा केंद्रों में कुल 40,184 घरों (टाइप I से टाइप VIII) को कवर करने वाले 89 सेवा केंद्रों द्वारा कुल 10.85 लाख⁵⁶ विभिन्न रखरखाव शिकायतों पर काम किया गया। 2017-18 से 2019-20 के दौरान काम की गई कुल शिकायतों में से, 12 नमूना डिवीजनों के 23 सेवा केंद्रों⁵⁷ में 30,824 प्रमुख शिकायतों के नमूना डेटा का विश्लेषण किया गया (अनुलग्नक-XX)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि

⁵² इनमें वे कार्य शामिल हैं जो दिन-प्रतिदिन के आधार पर किए जाते हैं, जैसे कि जल निकासी प्रणाली, मेनहोल की रुकावट को दूर करना, जलापूर्ति बहाल करना, खराब स्विचों की मरम्मत करना, पौधों में पानी देना, मेड आदि की छटाई करना।

⁵³ जैसे भवन पुराना होता है उसमें, विभिन्न घटकों में गिरावट आती है, और उन्हें वापस मूल स्थिति में बहाल करना आवश्यक हो जाता है। प्रमुख शिकायतों में भवन के खराब या टूटे-फुटे घटकों को बदलने या मरम्मत के कार्य शामिल हैं जैसे दरवाजे, खिड़की के फ्रेम और शटर, प्लंबिंग और सैनिटरी इंस्टॉलेशन, आंतरिक वायरिंग, बिजली के उपकरण को बदलना या मरम्मत करना, री-ग्रासिंग, री-प्लान्टिंग, आदि।

⁵⁴ इनमें आवधिक प्रकृति के कार्य जैसे सफेदी या पेंटिंग, डिस्टेंपरिंग, पेंटिंग, स्विच, साँकेट बदलना, पंखे की सफाई आदि शामिल हैं।

⁵⁵ आवासीय भवनों के मामले में, मंत्रालय ने समय-समय पर परिपत्र जारी कर क्वार्टरों के निःशुल्क उन्नयन के लिए विस्तृत विनिर्देश निर्धारित किए हैं।

⁵⁶ सीपीडब्ल्यूडी सेवा के अनुसार

⁵⁷ 11 नमूना डिवीजनों में से प्रत्येक में दो सेवा केन्द्रों का चयन किया गया था, जबकि एक नमूना डिवीजन अर्थात् 'ई डिवीजन' में केवल एक सेवा केन्द्र था।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

प्रमुख शिकायतों पर ध्यान देने के लिए निर्धारित समय-सीमा, अर्थात् 30 दिनों का पालन नहीं किया गया था और काफी लम्बितता होने के बाद शिकायतों पर ध्यान दिया गया था। 30,824 प्रमुख शिकायतों में से, 12,382 शिकायतों (40 प्रतिशत) पर सभी नमूना डिवीजनों में 30 दिनों के बाद कार्रवाई की गई। किसी सेवा केंद्र में शिकायतों के निवारण में सर्वाधिक विलंब का प्रतिशत 88 प्रतिशत था और किसी शिकायत पर कार्रवाई करने में विलंब 1007 दिनों तक था।

चयनित सेवा केंद्रों में निस्तारण दर्ज की गई कुल प्रमुख शिकायतों में से 30 दिनों के भीतर निस्तारण न की गई शिकायतों का वर्षवार प्रतिशत (अनुलग्नक-XX) में दर्शाया गया है।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा के दौरान (अर्थात् सितंबर 2020 से फरवरी 2021) भी शिकायतों की लंबितता में ज्यादा सुधार नहीं देखा गया (अनुलग्नक-XXI) जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(i) निर्धारित 30 दिनों के भीतर निस्तारण नहीं की गई और लेखापरीक्षा की तारीख तक लंबित प्रमुख शिकायतों की संख्या 17 (एससी 232- डीईडी -21 डिवीजन) से 570 (एस डिवीजन में एससी 329) के बीच थी, जिसमें अधिकतम लंबितता अवधि 32 महीने थी जो एस डिवीजन में थी।

(ii) निर्धारित 60 दिनों के भीतर नहीं देखी गई और लेखापरीक्षा की तारीख तक लंबित आवधिक शिकायतों की संख्या 16 (एससी 332-एम डिवीजन) से 190 (एससी 425-वी डिवीजन) के बीच थी, जिसकी अधिकतम लंबित अवधि एल डिवीजन में 27 महीने थी।

(iii) निर्धारित 60/75 दिनों के भीतर निस्तारण नहीं की गई और लेखापरीक्षा की तारीख तक लंबित उन्नयन कार्य से संबंधित शिकायतों की संख्या 20 (एससी 255-एल डिवीजन) से 226 (एससी 420-वी डिवीजन) के बीच थी, और अधिकतम लंबितता एल डिवीजन में 35 महीने की थी।

इस प्रकार, शिकायतों पर ध्यान देने में काफी विलम्ब हुआ। अनुरक्षण कार्यों में विलम्ब आवासों के परिहार्य हास होने के अलावा आवंटितियों के लिए असुविधा का कारण है।

इसके अलावा, निर्दिष्ट समय-सीमा से परे शिकायतों पर ध्यान देने में विलंब के कारण विलंब के प्रत्येक दिन के लिए आवंटितियों को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा भुगतान किए जाने

वाले ₹200 के मुआवजे (गलती करने वाले अधिकारियों के वेतन से कटौती) के लिए देयता होती है, यदि यह बिना किसी उचित कारण के है। आठ⁵⁸ चयनित डिवीज़नों से इस संबंध में आवंटितियों को भुगतान की गई क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, की जानकारी मांगी गई थी जो लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

अपने जवाब में, सीपीडब्ल्यूडी ने (जुलाई 2021) विलंब के निम्नलिखित कारण बताए:

- कोविड-19 और इसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन के कारण शिकायतों का निवारण नहीं किया गया।
- आज की तारीख तक, लेखापरीक्षा के दौरान उल्लिखित अधिकतम/सभी प्रमुख/उन्नयन शिकायतों का निवारण कर दिया गया है।
- उन्नयन संबंधी कार्य निधियों की कमी, उन्नयन कार्य के निष्पादन के लिए करार की उपलब्धता जैसे अनेक कारणों से लंबित थे। इसके अलावा, उन्नयन कार्य आवंटितियों द्वारा अनुरोधित एक अतिरिक्त सुविधा है और यह एक बुनियादी शिकायत नहीं है जिसके कारण आवंटिती को असुविधा हो सकती है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कोविड 19 और लॉकडाउन मार्च 2020 से हो गया था, जबकि लंबितता महामारी की शुरुआत के बहुत पहले से थी। लंबित शिकायतों की शून्य/सुधार स्थिति दर्शाने के लिए उत्तर के साथ डीईडी-302 को छोड़कर कोई सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है। इसके अलावा, यह उत्तर निराधार है कि उन्नयन कार्य के निष्पादन में देरी से आवंटितियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दो डिवीज़नों अर्थात् एस और क्यू का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

सिफारिश संख्या 10

सीपीडब्ल्यूडी को शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए शिकायतों की निगरानी और प्रबंधन के लिए सीपीडब्ल्यूडी सेवा का उचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

4.4.4.3 (ii) आवंटन के बाद भौतिक अधिग्रहण सौंपने में अत्यधिक देरी

आवंटिती आवास की स्वीकृति के बाद आवंटिती को सीपीडब्ल्यूडी से आवास का भौतिक अधिग्रहण लेना होगा। यदि आवंटित आवास तत्काल अधिग्रहण के लिए तैयार नहीं है, तो

⁵⁸ चार वीआईपी डिवीज़नों को छोड़कर।

सीपीडब्ल्यूडी संपदा निदेशालय से जारी प्राधिकरण पत्र प्राप्त होने पर आवंटिती को एक तकनीकी अधिग्रहण रिपोर्ट जारी करेगा। एक बार आवास अधिग्रहण के लिए तैयार हो जाने पर सीपीडब्ल्यूडी आवंटिती को एक भौतिक अधिग्रहण रिपोर्ट जारी करेगा और आवंटिती को आवास सौंपने के बाद, लाइसेंस शुल्क की देनदारी भौतिक अधिग्रहण की तारीख से शुरू होगी। इसके बाद आवंटिती को मकान किराया भत्ता (एचआरए) भी देय नहीं है। इसके अतिरिक्त, सीपीडब्ल्यूडी के रखरखाव नियमावली 2012 और 2019 के खंड 3.4 के अनुसार, सफेदी, रंग धुलाई, पेंटिंग आदि का काम, और इमारत की अपरिहार्य मरम्मत की मद (जोड़ने/बदलाव के अलावा) किए बिना खाली होते ही तुरंत शुरू किए जाएंगे। यदि उन्नयन किया जाना है तो उन्हें भी साथ-साथ लिया जाएगा।

छः चयनित डिवीज़नों⁵⁹ में आवंटित सभी क्वार्टरों के तकनीकी अधिग्रहण रिपोर्ट एवं भौतिक अधिग्रहण की तिथि तक लगने वाले समय से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 2017-18 से 2019-20 के दौरान क्वार्टरों के भौतिक अधिग्रहण में काफी देरी हुई थी। नमूना डिवीज़नों में अधिकतम विलंब 241 दिनों (क्यू डिवीजन) से 522 दिनों (एल डिवीजन) के बीच था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी चयनित छह सिविल डिवीजन निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी क्वार्टरों को सौंपने में विफल रहे। यदि उन्नयन कार्य के लिए निर्धारित अधिकतम रखरखाव समय सीमा के भीतर अर्थात् टाइप-I से IV क्वार्टरों और टाइप-V और उच्चतर तिमाहियों के लिए क्रमशः 60 दिन और 75 दिन, आवंटितियों को भौतिक अधिग्रहण प्रदान किया गया होता, तो सरकार आवंटितियों को भुगतान किए गए एचआरए और इस अवधि के लिए उनसे लाइसेंस शुल्क नहीं लिए जाने पर विचार करते हुए न्यूनतम ₹370.53 लाख की बचत कर सकती थी, जैसा कि अनुलग्नक-XXII में वर्णित है। आवंटितियों को क्वार्टर देने में विलंब न केवल आवंटितियों के लिए असुविधा का कारण है बल्कि उनके परिवारों के लिए मानसिक पीड़ा और समस्याओं का कारण भी है।

⁵⁹ छह सिविल डिवीज़नों (एस, क्यू, वी, एम, यू और एल) में से प्रत्येक से दो सेवा केंद्रों का चयन किया गया क्योंकि सिविल डिवीजन क्वार्टरों के आवंटन के लिए जिम्मेदार हैं।

सीपीडब्ल्यूडी ने बताया (जुलाई 2021) कि अधिकांश मामलों में आवंटिती उन्नयन न होने, कार्यालय दौरे, छुट्टी, बच्चों की परीक्षा, परिवार और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों आदि के कारण क्वार्टर नहीं लेना चाहते थे। आगे, सीपीडब्ल्यूडी ने बताया कि धन की अनुपलब्धता के कारण भी विलंब होता है।

उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि आवंटितियों द्वारा अधिग्रहण न लेने के संबंध में कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था। व्यक्तिगत कारणों से आवंटितियों द्वारा विलंबित भौतिक अधिग्रहण का विकल्प चुनने के कुछ मामले हो सकते हैं, वे संख्या कुल विलंबित आवंटनों का एक छोटा सा अनुपात हो सकती है। इसके अलावा, इस संबंध में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा ऐसा कोई विश्लेषण और न ही कोई सहायक दस्तावेज/पत्र उपलब्ध कराया गया है।

सिफारिश संख्या 11

सीपीडब्ल्यूडी निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवंटितियों को क्वार्टरों का वास्तविक अधिग्रहण सौंपने में तत्परता सुनिश्चित करे।

4.4.4.3 (iii) सीपीडब्ल्यूडी सेवा पर रखरखाव नियमावली के प्रावधानों का पालन न होना

(क) सीपीडब्ल्यूडी सेवा में दर्ज किए बिना शिकायतों का निवारण करना

सीपीडब्ल्यूडी रखरखाव नियमावली 2019 की धारा 3.1 के अनुसार, "सीपीडब्ल्यूडी द्वारा देख रेख की जा रही संपत्तियों के रखरखाव संबंधी शिकायतों की निगरानी के लिए सीपीडब्ल्यूडी सेवा पोर्टल संचालित किया जा रहा है"। इसके अलावा, "एक निवासी 24 x 7 कॉल सेंटर सेवा की सहायता लेकर या सीधे सीपीडब्ल्यूडी सेवा पोर्टल में लॉग इन करके सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अनुरक्षित आवासीय या गैर-आवासीय भवनों के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकता है। जहां शिकायत सीधे प्राप्त होती है, उन्हें निर्दिष्ट सेवा केंद्र में ऑनलाइन दर्ज करना आवश्यक है।"

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन डिवीजनों यानी बी डिवीजन (एससी 141 और एससी 1140), आई डिवीजन (एससी 132 और एससी 151) और बागवानी II डिवीजन (एससी 115 और एससी 118) के सेवा केंद्रों द्वारा ऑनलाइन शिकायतों के अलावा, आवंटितियों द्वारा विभिन्न ऑफलाइन शिकायतों (अर्थात् मोबाइल, पत्र, व्यक्तिगत संदेशवाहक,

व्हाट्सएप आदि से) का भी लेखापरीक्षा अवधि (2017-18 से 2019-20) के दौरान निवारण किया गया था। हालांकि, इन शिकायतों को सीपीडब्ल्यूडी सेवा में रखरखाव नियमावली के तहत दर्ज नहीं किया गया था।

सीपीडब्ल्यूडी (बी और आई डिवीजन) ने अपने जवाब में कहा (जुलाई 2021) कि समय की कमी और काम की अत्यावश्यकता के कारण सीपीडब्ल्यूडी सेवा साइट में दर्ज करने के बजाय शिकायतों को दूर करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए, ऐसी शिकायतों का फीडबैक प्राप्त नहीं होता है, यदि ये शिकायतें सीपीडब्ल्यूडी सेवा में भी दर्ज की जातीं, तो निश्चित रूप से सेवा केंद्र के प्रदर्शन में वृद्धि होती।

सीपीडब्ल्यूडी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रक्रिया का पालन न करने से न केवल आवंटितियों द्वारा की गई कम शिकायतों की झूठी तस्वीर सामने आई बल्कि डिवीजन के कार्य भार का अनुचित मूल्यांकन भी हुआ।

(ख) कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा दिन-प्रतिदिन की शिकायतों की निगरानी न करना

रखरखाव नियमावली के खंड 3.6 (ii) के अनुसार, "कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता को निरपवाद रूप से प्रतिदिन 25 प्रतिशत शिकायतों का व्यक्तिगत निरीक्षण करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्य संतोषजनक ढंग से किया गया है।" हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित बारह डिवीजनों में से सात⁶⁰ में कोई भौतिक निरीक्षण दर्ज नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, शेष पांच डिवीजनों⁶¹ में मात्र एक प्रतिशत (39308 शिकायतों के प्रति 374) से 5 प्रतिशत (4361 शिकायतों के प्रति 223) में भौतिक निरीक्षण किया गया।

सीपीडब्ल्यूडी ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2021) कि शिकायतों की निगरानी कनिष्ठ अभियंताओं/सहायक अभियंताओं द्वारा मानकों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से की जाती है, लेकिन समय की कमी के कारण, कभी-कभी उन्हें छोड़ दिया जाता है और सीपीडब्ल्यूडी सेवा में दर्ज नहीं किया जाता है। हालांकि, यह भविष्य के लिए नोट किया गया है।

⁶⁰ क्यू, बी, आई, ई, यू, एल, बागवानी // डिवीजन

⁶¹ एस, वी, एम, डीईडी 21, डीईडी 302 डिवीजन

सीपीडब्ल्यूडी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जेई/एई द्वारा निगरानी के प्रावधान का पालन नहीं किया गया था।

(ग) कार्यपालक अभियंता द्वारा शिकायतों की खराब निगरानी

सीपीडब्ल्यूडी रखरखाव नियमावली के खंड 3.6.2 के अनुसार कार्यपालक अभियंता को महीने में कम से कम दो बार जेई/एई द्वारा जांच की गई शिकायतों के अलावा कुछ शिकायतों का व्यक्तिगत निरीक्षण भी करना होगा। उनके निरीक्षण के परिणाम को सीपीडब्ल्यूडी सेवा में टिप्पणी विकल्प के माध्यम से दर्ज करने की आवश्यकता है।

हालांकि, 12 नमूना वाले डिवीजनों में से प्रत्येक में दो चयनित सेवा केंद्रों के सीपीडब्ल्यूडी सेवा पोर्टल की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि ई और आई डिवीजन को छोड़कर सीपीडब्ल्यूडी सेवा पर कोई दौरा अभिलेख/निरीक्षण परिणाम दर्ज नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 2017-18 से 2019-20 के दौरान ई डिवीजन में अधिशासी अभियंता द्वारा केवल एक टिप्पणी नोट की गई और आई डिवीजन में केवल 10 टिप्पणियां दर्ज पाई गईं। यह प्रभागों के प्रशासनिक प्रमुखों (अर्थात् कार्यपालक अभियंता) की ओर से खराब निगरानी प्रयासों को दर्शाता है।

सीपीडब्ल्यूडी ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2021) कि इसे अनुपालन के लिए नोट किया गया था और भविष्य में निरीक्षण के परिणाम मैनुअल आवश्यकता के अनुसार दर्ज किए जाएंगे। वी मंडल ने बताया कि अधिशासी अभियंता द्वारा शिकायतों के निरीक्षण के अभिलेख कार्य स्थल पर नहीं रखे जा रहे थे लेकिन अब वे वहाँ रखे जा रहे हैं तथा नियमित अन्तराल पर स्थल पर निरीक्षण किया जा रहा है। यू डिवीजन ने बताया कि कोविड-19 के कारण अधिशासी अभियंता द्वारा भौतिक निरीक्षण नहीं किया जा सका क्योंकि अधिवासी फील्ड स्टाफ को अपने घर में प्रवेश नहीं करने दे रहे थे।

वी और यू डिवीजन का उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि निरीक्षण के परिणामों की रिकॉर्डिंग सीपीडब्ल्यूडी के रखरखाव नियमावली में अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, कोविड 19 की स्थिति लेखापरीक्षा के अंतर्गत अवधि के अंत में ही उत्पन्न हुई।

सिफारिश संख्या 12

सीपीडब्ल्यूडी विभिन्न स्तरों पर, अर्थात् कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता/अधिशाली अभियंता, और सीपीडब्ल्यूडी सेवा पर शिकायतों को दर्ज करने के लिए अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करना सुनिश्चित कर सकता है।

4.4.4.4 निष्कर्ष

सीपीडब्ल्यूडी मण्डलों ने वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की थी। भवनों/संरचनाओं का न तो निरीक्षण किया गया था और न ही भवन का रजिस्टर तैयार किया गया था। साइट पर प्रयुक्त सामग्री का कोई गुणवत्ता परीक्षण नहीं था और विभिन्न रिकॉर्डों /रजिस्ट्रों के रखरखाव में भी कमियां देखी गई थीं। इसके अतिरिक्त, सामग्री की कोई/कम मात्रा का उपयोग नहीं/उपयोग किया गया था जिसके कारण न केवल घटिया काम हुआ बल्कि आवास सौंपने में देरी के कारण सरकारी खजाने को भी नुकसान हुआ। अनुरक्षण नियमावली और निगरानी तंत्र का भी ऑफलाइन शिकायतों पर ध्यान देने और भौतिक निरीक्षण आदि करने के दौरान पालन नहीं किया गया था।

अध्याय V: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई)

5.1 एचएसआईआईडीसी को अस्वीकार्य राशि जारी करना

विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक परियोजना के अनुमोदन से पहले किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) को ₹ 50.50 लाख की अग्राह्य राशि जारी की। यह राशि अभी एचएसआईआईडीसी से वसूल की जानी थी।

हरियाणा सरकार के उपक्रम हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी), पंचकुला द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक एस्टेट, राई, सोनीपत के उन्नयन के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) हरियाणा सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक कार्यालय द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम⁶² (एमएसई-सीडीपी) के अंतर्गत निदेशक, एमएसएमई विकास संस्थान, करनाल को प्रस्तुत की गई थी। डीपीआर एमएसएमई विकास संस्थान, करनाल द्वारा विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय को विचार और अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया गया था (मई 2013)। 27 दिसंबर 2013 को आयोजित एमएसई-सीडीपी की 34^{वीं} संचालन समिति की बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी। परियोजना का उद्देश्य सड़कें बिछाकर सड़क के किनारे हरियाली और सामाजिक वानिकी, जल निकासी, बिजली वितरण और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर औद्योगिक एस्टेट, राई के उन्नयन के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना था। परियोजना को एचएसआईआईडीसी द्वारा कार्यान्वित किया जाना था।

⁶² सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) और उनके समूहों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ-साथ क्षमता निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को अपनाया। एमएसई- क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) का संचालन विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया जाता है। एमएसई-सीडीपी के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को सचिव, एमएसएमई की अध्यक्षता में एमएसई-सीडीपी की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई) ने उद्योग और वाणिज्य विभाग, हरियाणा सरकार को परियोजना की अंतिम स्वीकृति की सूचना दी (नवंबर 2014) जिसमें यह कहा गया कि ₹ 8.76 करोड़ की कुल अनुमानित परियोजना लागत भारत सरकार (जीओआई) और हरियाणा सरकार/एचएसआईआईडीसी के बीच समान रूप से साझा की जाएगी अर्थात् प्रत्येक को ₹ 4.38 करोड़ और धनराशि (जीओआई सहायता) प्रतिपूर्ति के आधार पर या मैचिंग शेयर के आधार पर जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अनुमोदन पत्र की शर्तों में से एक (अर्थात् पैरा 6 के अंतर्गत शर्त संख्या xvi) निर्धारित करती है कि भारत सरकार की सहायता प्रस्ताव को केवल संचालन समिति द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद, एचएसआईआईडीसी द्वारा किए गए व्यय के लिए प्रदान की जाएगी। मार्च 2015 में एचएसआईआईडीसी द्वारा ₹ 8.71 करोड़ के व्यय पर कार्य पूरा किया गया, जिसमें से ग्राह्य व्यय ₹ 8.66 करोड़ था। कार्यालय विकास आयुक्त (एमएसएमई) ने प्रतिपूर्ति के आधार पर भारत सरकार के अनुदान की पहली और अंतिम किस्त के रूप में एचएसआईआईडीसी को ₹ 4.33 करोड़ (₹ 8.66 करोड़ के पात्र व्यय का 50 प्रतिशत) की राशि जारी की (जून 2019)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एचएसआईआईडीसी ने अप्रैल 2013 में निविदा की प्रक्रिया शुरू की थी और काम 26 अगस्त 2013 से शुरू हुआ था। 27 दिसंबर 2013 को संचालन समिति के अनुमोदन से पहले सड़कों के उन्नयन और मजबूती के लिए ठेकेदार के चालू खाते में ₹ 1.01 करोड़ का कुल भुगतान किया गया था जो परियोजना का हिस्सा था, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 5.1: परियोजना की मंजूरी से पहले एचएसआईआईडीसी द्वारा ठेकेदार को किया गया भुगतान

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	भुगतान की तिथि	राशि (₹ में)
1	मैसर्स मोहिंदर सिंह, ठेकेदार	30.10.2013	2,98,354
2	मैसर्स मोहिंदर सिंह, ठेकेदार	30.10.2013	15,00,000
3	मैसर्स मोहिंदर सिंह, ठेकेदार	30.10.2013	15,00,000
4	मैसर्स मोहिंदर सिंह, ठेकेदार	06.11.2013	67,94,966
	कुल		1,00,93,320

विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई) द्वारा एचएसआईआईडीसी को किए गए ₹ 4.33 करोड़ की प्रतिपूर्ति में ₹ 50.50 लाख (₹ 1.01 करोड़ का 50 प्रतिशत) संचालन समिति द्वारा परियोजना के अनुमोदन से पहले ठेकेदार को किए गए भुगतान के लिए शामिल था, और इसलिए यह परियोजना के अंतिम अनुमोदन के पैरा 6 के अंतर्गत शर्त (xvi) के उल्लंघन में था। इस प्रकार, जून 2019 में एचएसआईआईडीसी को ₹ 50.50 लाख की सीमा तक अस्वीकार्य प्रतिपूर्ति की गई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (दिसंबर 2020) किए जाने के बाद, विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई) ने उद्योग और वाणिज्य निदेशक, हरियाणा सरकार के कार्यालय के साथ-साथ एचएसआईआईडीसी से ₹ 50.50 लाख की राशि वापस करने का अनुरोध किया (मार्च 2021)। हालाँकि, यह राशि अभी तक एचएसआईआईडीसी से वसूल की जानी थी (दिसंबर 2021)।

विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई) ने कहा (जनवरी 2022 और फरवरी 2022) कि राशि की वसूली के लिए 08 दिसंबर 2021 और 23 फरवरी 2022 को अनुस्मारक जारी किए गए थे और ईमेल, टेलीफोन आदि के माध्यम से नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही थी।

इस प्रकार, विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई) ने परियोजना के अनुमोदन से पहले किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए एचएसआईआईडीसी को ₹ 50.50 लाख की अस्वीकार्य अनुदान राशि जारी की, और उस राशि की वसूली अभी तक की जानी थी।

अध्याय VI: खान मंत्रालय

6.1 हेलीकॉप्टर की खरीद और भूभौतिकीय सर्वेक्षण प्रणाली पर निष्फल व्यय

हेलीकॉप्टर और हेलीबोर्न भूभौतिकीय सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली की खरीद हेतु मंत्रालय के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप ₹81.88 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ।

खान मंत्रालय ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को हेलीकॉप्टर और हेलीबोर्न भूभौतिकीय सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली की खरीद के लिए ₹ 49.47 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय संस्वीकृति (नवम्बर 2005) प्रदान की। सभी तकनीकी और भौतिक मापदंडों के साथ-साथ लागत-लाभ विश्लेषण पर विचार करने पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पाया कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का उन्नत कमवजनी हेलीकॉप्टर हेलीबोर्न भूभौतिकीय सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली के संघटन के लिए उपयुक्त होगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने (दिसंबर 2005) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को ₹34.87 करोड़ की लागत से हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए खरीद आदेश दे दिया। इसके अतिरिक्त, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हेलीकॉप्टर जनित भूभौतिकीय सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली के प्रापण के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी मूल्यांकन के लिए एक तकनीकी मूल्यांकन समिति का गठन किया (अक्टूबर 2008)। तकनीकी मूल्यांकन समिति ने पाया कि प्रणाली के ट्रांसमीटर का जनरेटर हेलीकॉप्टर के रस्से (टो) के साथ लटका रहेगा जो उड़ान के लिए खतरनाक था। इस तरह की बाधाओं की जानकारी होने के बावजूद, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने (मार्च 2009) यूएस \$ 39,91,674 (₹19.17 करोड़ के बराबर) की लागत पर वैश्विक निविदा की प्रक्रिया के माध्यम से मैसर्स पीआईसीओ एनीरोटेक इंक, कनाडा को हेलीबोर्न भूभौतिकीय सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली की खरीद के लिए क्रय आदेश दिया।

चित्र 6.1: हेलीबोर्न भूभौतिकीय सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली के साथ हेलीकॉप्टर



स्त्रोत: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मार्च 2009 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को हेलीकॉप्टर सौंप दिया था जबकि अक्टूबर 2010 में भूभौतिकीय सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली की आपूर्ति भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को की गई थी। इसलिए, हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के सशुल्क रखरखाव और सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना था क्योंकि हेलीबोर्न सेंसर सर्वे सिस्टम की खरीद में विलंब हो रहा था। अंततः, भूभौतिकीय उपकरणों को लगाए जाने के बाद, हेलीकॉप्टर नवंबर 2013 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को सौंप दिया गया था। इस बीच, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अप्रैल 2009 से नवंबर 2013 तक की अवधि के दौरान रखरखाव लागत के रूप में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को ₹ 10.76 करोड़ की राशि का भुगतान किया।

प्रणाली की परीक्षण उड़ान के दौरान हेलीबोर्न सर्वेक्षण उपकरण का एक हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया (मई 2014)। इसके परिणामस्वरूप पूर्व परीक्षण को रोक दिया गया था। फरवरी 2016 में क्षतिग्रस्त हिस्से⁶³ की मरम्मत के बिना ही सर्वेक्षण फिर से शुरू किया गया और क्षतिग्रस्त उपकरणों की सीमित क्षमता के कारण वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 30449 लाइन किलोमीटर डेटा के कुल लक्ष्य के मुकाबले 4381 लाइन किलोमीटर⁶⁴ डेटा (लगभग 14 प्रतिशत) एकत्र किया गया। बार-बार आने वाली तकनीकी खराबी और अनिवार्य रखरखाव के लिए हेलीकॉप्टर के ग्राउंडिंग के कारण, फरवरी 2016 से अप्रैल 2016 के दौरान कभीकभार ही उड़ान संभव हो पा रही थी। महानिदेशक,

⁶³ अर्थात् टीडीईएम के बिना हेलीबोर्न सर्वेक्षण केवल गुरुत्वाकर्षण-चुंबकीय विन्यास का उपयोग करके किया गया था

⁶⁴ लाइन किलोमीटर में विमान द्वारा उड़ाए गए पथ की कुल लंबाई।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा गठित जांच समिति (नवंबर 2016) के अनुसार, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने रुकावट के विभिन्न चरणों में हेलीकॉप्टर को जल्द से जल्द चालू करने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं किया। तदनुसार, इतनी लंबी अवधि तक हेलीकॉप्टर के नहीं चलने का कोई स्पष्टीकरण नहीं था। मैसर्स पीआईसीओ एनिरोटेक इंक द्वारा भूभौतिकीय सेंसर प्रणाली के क्षतिग्रस्त हिस्से को चालू किया गया था और इसके साथ सर्वेक्षण कार्य दिसंबर 2016 में फिर से शुरू किया गया था। तथापि, हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण भूभौतिकीय सर्वेक्षण⁶⁵ केवल मई 2017 तक कुछ चरणों में जारी रहा।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने निम्नलिखित कारणों से हेलीकॉप्टर के साथ-साथ भूभौतिकीय सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली को बंद करने के लिए खान मंत्रालय के पास प्रस्ताव रखा (जुलाई 2017):

- हेलीकॉप्टर के निपटान के लिए: i) भूभौतिकीय सर्वेक्षण प्रणाली के लिए खरीदा गया हेलीकॉप्टर उच्च संचालन और रखरखाव लागत के कारण अनुपयुक्त था, ii) जुड़वा इंजन वाला हेलीकॉप्टर होने के कारण, सामान्य कठोर जमीन पर उतरने में सक्षम नहीं होता और इसके लिए कंक्रीट के हेलीपैड की आवश्यकता होती जो नियमित हेलीबोर्न सर्वेक्षणों में बाधा बन गया था, iii) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड समय पर पुर्जों की आपूर्ति करने में असमर्थ था, iv) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की नियमावली के अनुसार, इस हेलीकॉप्टर को अधिक संख्या में नियत रखरखाव की आवश्यकता थी।
- भूभौतिकीय सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली के निपटान के लिए: i) सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली के ट्रांसमीटर लूप के व्यास द्वारा कम गहराई तक पैठ करना, ii) सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली के डिजाइन, प्रदर्शन और मजबूती में कई कमियाँ हैं, जो अलग-अलग तरह के भारतीय भूभागों में रोज-रोज के सर्वेक्षण कार्यों को नहीं झेल सकती।
- एक अन्य कारण यह बताया गया कि भूभौतिकीय सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली के माध्यम से हवाई डेटा अधिग्रहण की वास्तविक लागत अंतरराष्ट्रीय ख्याति की निजी एजेंसियों द्वारा प्रभारित राशि से दोगुनी थी।

⁶⁵ दिसंबर 2017 में 9 दिन और फरवरी 2017 से मई 2017 के पहले सप्ताह के बीच 8 दिन।

खान मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को हेलीकॉप्टर के निपटान के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रस्ताव (जुलाई 2017) को मंजूरी दी (सितंबर 2017)। अंत में, ₹ 9.22 करोड़ की कीमत पर हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंप दिया गया (मई 2019) जबकि हेलीबोर्न जियोफिजिकल सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली के बारे में मंत्रालय ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को अपने निर्णय से अवगत नहीं कराया था, जिसे निष्क्रिय स्थिति में छोड़ दिया गया था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- भूभौतिकीय सर्वेक्षण प्रणाली की खरीद में विलंब (38 महीने) के कारण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अप्रैल 2009 से नवंबर 2013 तक हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को हेलीकॉप्टर के रखरखाव के लिए ₹ 10.76 करोड़ का अपरिहार्य व्यय किया।
- ऑन-बोर्ड सर्वेक्षण उपकरण के परीक्षण के दौरान ट्रांसमीटर के क्षतिग्रस्त होने से निविदा मूल्यांकन समिति की आशंका सही साबित हुई कि ट्रांसमीटर का लटका हुआ जनरेटर खतरनाक था। इस तरह के संभावित जोखिम से अवगत होने के बावजूद, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इस तरह के भूभौतिकीय सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली की खरीद के लिए आगे बढ़ा।
- रखरखाव लागत में पर्याप्त अंतर (अर्थात ₹2.75 करोड़ की अनुमानित रखरखाव लागत के मुकाबले ₹11.68 करोड़ की वास्तविक रखरखाव लागत) मुख्य रूप से रखरखाव, बीमा और पुर्जों की लागत के कम अनुमान के कारण था। यह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में उचित सावधानी की कमी को इंगित करता है।
- हेलीकॉप्टर और भूभौतिकीय सर्वेक्षण प्रणाली के अधिग्रहण और रखरखाव लागत (वारंटी और अन्य विविध शुल्कों सहित) के लिए कुल ₹ 91.10 करोड़ खर्च करने के बाद भी, भूभौतिकीय सर्वेक्षण के लिए परिकल्पित 3 लाख लाइन किलोमीटर में से 7074 लाइन किलोमीटर (करीब दो प्रतिशत) के सर्वेक्षण हेतु, नवंबर 2013 से सितंबर 2017 की अवधि के दौरान केवल चार महीनों (फरवरी 2016 से अप्रैल 2016 और दिसंबर 2016 में) के लिए सर्वेक्षण प्रणाली के बिना हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया था।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

- हेलीकॉप्टर के साथ हेलीबोर्न सर्वेक्षण करने में ऐसी बाधाओं (जैसे ट्रांसमीटर के व्यास से कम गहराई तक पैठ, इसके अभिकल्प और टिकाऊपन आदि के संदर्भ में कई सीमाओं) के बारे में जानने के बावजूद, हेलीकॉप्टर के निपटान का निर्णय सितंबर 2017 में लिया गया था, यानि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसे सौंपे जाने के चार साल से अधिक समय बाद और मई 2019 में यानि 20 महीने के विलंब के बाद इसका निपटान किया गया था। तथापि, इसका कोई कारण दर्ज नहीं किया गया था।
- खान मंत्रालय के साथ-साथ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने न तो 39,91,674 अमेरिकी डॉलर (₹19.17 करोड़ के बराबर) की भूभौतिकीय सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली की उपयोगिता के संबंध में कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया और न ही इसका निपटान करने का निर्णय लिया।
- भूभौतिकीय सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली के माध्यम से हवाई जनित डेटा अधिग्रहण की वास्तविक लागत अंतरराष्ट्रीय ख्याति की निजी एजेंसियों द्वारा ली जाने वाली राशि से दोगुनी थी।

यद्यपि खान मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (दिसंबर 2021), हेलीकॉप्टर और भूभौतिकीय सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली के अधिग्रहण से पहले व्यवहार्यता अध्ययन और लागत-लाभ विश्लेषण करने में उचित सावधानी की कमी पर उनके जवाब में कुछ नहीं कहा गया था।

इस प्रकार, हेलीकॉप्टर और भूभौतिकीय सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली की खरीद के लिए अनुचित लागत-लाभ विश्लेषण और अपर्याप्त व्यवहार्यता अध्ययन के साथ-साथ विवेकहीन निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 81.88 करोड़⁶⁶ का निष्फल व्यय हुआ।

⁶⁶ ₹ 91.10 करोड़ - ₹ 9.22 करोड़

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट

6.2 राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की कार्यप्रणाली

6.2.1 परिचय

6.2.1.1 संक्षिप्त इतिहास

भारत सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 में संशोधन (मार्च 2015) सहित देश के खनिज अन्वेषण पथ में उन्नति के लिए कई सुधारात्मक पहल की। अधिनियम की धारा 9सी (1) के अनुसरण में इस प्रकार संशोधित राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) नामक एक अलाभकारी निकाय देश में खनिज अन्वेषण में तेजी लाने, विशेष अध्ययन और परियोजनाओं के वित्त पोषण, खनिज विकास और सतत खनन के लिए अध्ययन करने के व्यापक उद्देश्य के साथ भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2015 की राजपत्रित अधिसूचना द्वारा स्थापित किया गया था। इस संबंध में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास नियमावली, 2015 को भी सम तिथि पर अधिसूचित किया गया था।

6.2.1.2 एनएमईटी के उद्देश्य

एनएमईटी की स्थापना निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों के लिए की गई थी:

- क) खनिजों के लिए क्षेत्रीय⁶⁷ और विस्तृत अन्वेषण करना
- ख) गहरे या छिपे खनिज भंडार की पहचान करने, अन्वेषण करने, निकालने/उत्खनन करने, लाभकारी बनाने और परिष्कृत करने के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष अध्ययनों और परियोजनाओं का वित्त पोषण;
- ग) खनिज विकास के लिए अध्ययन करना, उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी प्रथाओं को अपनाना और खनिज उत्खनन धातु विज्ञान को अपनाना;
- घ) ट्रस्ट की खोज के लिए प्राथमिकताएं तय करने के लिए सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड⁶⁸ के साथ परामर्श करना;

⁶⁷ खनन में 'क्षेत्रीय अन्वेषण / खोजी अन्वेषण (जी4) मुख्य रूप से क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक अध्ययनों, क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक ट्रेवर्स और मानचित्रण, हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण आदि के परिणामों के आधार पर बड़ी हुई खनिज क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान है।

⁶⁸ केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड (सीजीपीबी) खनिज अन्वेषण सहित भू-वैज्ञानिक गतिविधियों के कार्यक्रम का अवलोकन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष निकाय है।

ड) स्पष्ट भूवैज्ञानिक संभावित क्षेत्रों (जी3) में ब्राउनफील्ड क्षेत्रीय अन्वेषण परियोजनाओं को पूरा करने की सुविधा प्रदान करना, जिसमें आधुनिक तकनीकों के माध्यम से छिपे हुए खनिज भंडारों के लिए उच्च जोखिम वाले अन्वेषण करना शामिल है;


च) अन्वेषण में लगे या लगाए जाने वाले कर्मियों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना;

अन्य उद्देश्य अनुलग्नक-XXIII में सूचीबद्ध हैं।

6.2.1.3 संगठनात्मक संरचना

एनएमईटी में त्रि-स्तरीय संगठनात्मक संरचना है। इन स्तरों के नाम, संरचना और कार्य नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

चार्ट-6.1: एनएमईटी का संगठनात्मक संरचना




6.2.1.4 ट्रस्ट/न्यास का वित्त पोषण और कामकाज/कार्यप्रणाली

एनएमईटी नियमावली के नियम 6 के अनुसार, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास की खनिज अन्वेषण गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक कोष

की स्थापना (सितंबर 2015) की गई थी। एनएमईटी नियमों के नियम 7 के अनुसार, खनन पट्टा या पूर्वक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा धारकों को राज्य सरकार को देय रॉयल्टी के दो प्रतिशत की दर से एनएमईटी अंशदान का भुगतान करना आवश्यक है। राज्य सरकारों को मई 2018 तक (जून 2018 से भारत की समेकित निधि में) संग्रहण के महीने के बाद के महीने के 10 वें दिन के बाद नहीं, ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा किए गए एनएमईटी योगदान को जमा करने की आवश्यकता थी। इस संबंध में आवश्यक खातों को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4, उप-धारा 1 में उल्लिखित पांच एजेंसियां 21 अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों (अनुलग्नक-XXV) के साथ खनिज अन्वेषण के लिए अपने प्रस्ताव एनएमईटी को भेजती हैं। एनएमईटी में तकनीकी-सह-लागत समिति प्रस्तावों की जांच करती है और कार्यकारी समिति के अनुमोदन के लिए इसकी सिफारिश/अनुशंसा करती है। प्रस्ताव की अस्वीकृति के मामले में, उन्हें आवश्यक संशोधन हेतु वापस कर दिया जाता है। कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर, एनएमईटी अपना बजट अनुमान तैयार करता है और खान मंत्रालय को भेजता है, जो इसे अपने वार्षिक बजट के माध्यम से संसद में प्रस्तुत करता है। अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियां अन्वेषण कार्य करती हैं और आवधिक बिल प्रस्तुत करती हैं जिनकी एनएमईटी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। अन्वेषण एजेंसियां अन्वेषण कार्य पूरा होने के बाद भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, जिसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा खदानों की नीलामी की जाती है।

चार्ट-6.2: एनएमईटी की निधि का प्रवाह आरेख



6.2.2 लेखापरीक्षा संरचना

6.2.2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- एनएमईटी निधि कुशलता से प्रबंधित की गई थी,
- एनएमईटी अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा था,
- एनएमईटी अपने स्वीकृत बजट का प्रभावी ढंग से और आर्थिक रूप से उपयोग कर सकता है
- एनएमईटी देश में खनिज अन्वेषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण तंत्र विकसित कर सकता है।

6.2.2.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों की पहचान की गई:

- क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और इसके बाद के संशोधन (2015 और 2021),
- ख) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नियम, 2015 और इसके संशोधन,
- ग) खनिज (खनिज सामग्री के साक्ष्य) नियम, 2015,
- घ) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति, 2016,
- ङ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019,
- च) एनएमईटी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग दिशानिर्देश,
- छ) एनएमईटी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए प्रभारों की अनुसूची और
- ज) सामान्य वित्तीय नियम, 2017।

6.2.2.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

लेखा परीक्षा का दायरा एनएमईटी के उद्देश्यों के साथ-साथ एनएमईटी और खान मंत्रालय द्वारा इस संबंध में किए गए सभी कार्यकलापों तक बढ़ाया गया है। लेखापरीक्षा ने एनएमईटी के समावेशन (अगस्त 2015) से 2020-21 तक की अवधि को आच्छादित किया।

6.2.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.2.3.1 निधि प्रबंधन

वर्ष 2020-21 के दौरान एनएमईटी योगदान के रूप में कुल ₹2,730.08 करोड़ की राशि जमा की गई। निधि प्रबंधन के सन्दर्भ में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की नीचे चर्चा की गई है:

6.2.3.1 (i) एनएमईटी योगदान के संग्रह और प्रेषण में विसंगतियां

अभिलेखों की जांच से राज्य सरकारों द्वारा एनएमईटी योगदान के संग्रह और प्रेषण में कुछ विसंगतियों का पता चला और इसे भारत की समेकित निधि में जमा किया गया, जो निम्नलिखित उप-अनुच्छेदों में विस्तृत हैं।

(क) राज्यों द्वारा संग्रहण में बेमेलपन

एनएमईटी का योगदान राज्य सरकार को रॉयल्टी के भुगतान के समय लागू रॉयल्टी के दो प्रतिशत की दर से एकत्र किया जाना है। एनएमईटी नियमों के नियम 7(8) के अनुसार, भारतीय खान ब्यूरो को समय-समय पर एनएमईटी निधि के संग्रह के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी एनएमईटी को प्रदान करनी थी। राज्य सरकारों द्वारा एनएमईटी को प्रस्तुत एनएमईटी अंशदान के वर्षवार और राज्यवार संग्रह से संबंधित सूचना की जांच से निम्नलिखित का पता चला:

तालिका 6.1: एनएमईटी योगदान के संग्रहण में बेमेल स्थितियां

साल	संग्रह में कमी		अतिरिक्त संग्रह	
	राज्यों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	राज्यों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2015-16	3	0.74	5	43.86
2016-17	6	9.12	3	0.08
2017-18	3	4.52	6	0.75
2018-19	10	320.00	5	94.83
2019-20	13	228.45	3	7.48
2020-21	1 1	212.72	-	0.00
कुल योग	46	775.55	22	147.00

उपरोक्त से, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-16 से 2020-21 की अवधि के दौरान कुल ₹775.55 करोड़ के कुल संग्रह में कमी के 46 मामले और कुल ₹147.00 करोड़ के अतिरिक्त संग्रह के मामलों की संख्या 22 थी। इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय खान ब्यूरो को एनएमईटी नियमों के प्रावधानों के अनुसार, एनएमईटी को आवधिक आधार पर निधि के संग्रह के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए अनिवार्य किया गया था, एनएमईटी ने एकत्र किए गए एनएमईटी योगदान की राशि को भारतीय खान ब्यूरो⁶⁹ के पास उपलब्ध जानकारी के साथ मिलान करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया। परिणामस्वरूप, उपर्युक्त अवधि के दौरान एनएमईटी अंशदान के ₹628.55⁷⁰ करोड़ के निवल संग्रह में कमी पर ध्यान नहीं दिया गया। उपरोक्त विसंगतियों के निम्नलिखित कारण थे:

⁶⁹ सूचना का स्रोत आईबीएम के लिए राज्य सरकार और एनएमईटी के लिए राज्य सरकार, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और बैंक है

⁷⁰ ₹775.55 करोड़ - ₹147 करोड़ = ₹628.55 करोड़

- कई राज्यों ने रॉयल्टी के साथ एनएमईटी योगदान एकत्र नहीं किया या बाद के चरण में इसे एकत्र नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप एनएमईटी योगदान के संग्रह में कमी आई।
- एक से अधिक राज्यों में खनन कार्यकलाप करने वाले कॉर्पोरेट क्षेत्र के कुछ खनन पट्टा धारकों ने उन सभी राज्यों से संबंधित अपना पूरा देय अंशदान उस राज्य में जमा किया, जहां उनका मुख्यालय था। इसके परिणामस्वरूप कुछ राज्यों के संबंध में अंशदान का अधिक संग्रहण हुआ।

(ख) भारत के समेकित कोष में प्रेषण में विसंगति

राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी विशेष माह में एकत्रित अंशदान को अगले महीने के दसवें दिन तक भारत की संचित निधि में प्रेषित कर दें। राज्य सरकारों द्वारा एनएमईटी को दी गई जानकारी के अनुसार एनएमईटी के बैंक खाते/भारत की समेकित निधि में एनएमईटी अंशदान के वर्षवार और राज्यवार विप्रेषण से संबंधित सूचना की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला है:

तालिका 6.2: एनएमईटी योगदान के प्रेषण में बेमेलपन

साल	प्रेषण में कमी		अतिरिक्त प्रेषण	
	राज्यों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	राज्यों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2015-16	15	346.44	1	39.64
2016-17	9	47.27	10	161.90
2017-18	8	21.23	10	257.84
2018-19	7	74.02	1 1	178.27
2019-20	2	0.14	16	559.07
2020-21	-	0.00	18	620.85
कुल	41	489.10	66	1817.57

उपर्युक्त से पता चला है कि एनएमईटी के बैंक खाते/भारत की संचित निधि में प्राप्त राशि और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के बीच अंतर होने के कारण कम प्रेषण और अधिक प्रेषण के मामले थे। भारत की समेकित निधि में योगदान के राज्यवार और वर्षवार प्रेषण की तुलना करते हुए, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2020-21 तक कुल ₹489.10 करोड़ तक के कम प्रेषण के 41 मामले और कुल ₹1,817.57 करोड़ के अतिरिक्त प्रेषण के 66 मामले थे। परिणामस्वरूप, शुद्ध अधिक

प्रेषण ₹1,328.47 करोड़⁷¹ था। राज्य द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों और एनएमईटी निधि के वास्तविक संग्रह के बीच अंतर के कुछ कारण निम्नानुसार हैं:

- कुछ खनन पट्टा धारकों ने राज्य सरकार को सूचित किए बिना एनएमईटी के बैंक खाते में एनएमईटी अंशदान जमा कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक प्रेषण हुआ।
- दूसरी ओर, कुछ राज्यों ने उनके द्वारा एकत्र किए गए अंशदान को प्रेषित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप कम प्रेषण हुआ।

तथापि, एनएमईटी के पास एनएमईटी बैंक (मई 2018 तक)/भारत की समेकित निधि (जून 2018 से) में इस तरह के अधिक या कम प्रेषण के समाधान के लिए कोई तंत्र नहीं था⁷²। समग्र स्थिति पर विचार करते हुए, राज्यों द्वारा ₹699.92 करोड़⁷³ की अतिरिक्त एनएमईटी निधि प्रेषित की गई।

(ग) एनएमईटी योगदान का आंशिक समाधान

एनएमईटी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म की नियुक्ति करके मई 2018 तक जमा ₹1,281.18 करोड़ की प्राप्तियों का मिलान करने का प्रयास किया। राज्य सरकारों से ₹968.92 करोड़ के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी और फर्म ₹924.09 करोड़ की प्राप्तियों का मिलान कर सकी। शेष हिस्से (₹357.09 करोड़) का मिलान दिसंबर 2021 तक लेनदेन की उचित पहचान/बैंक संदर्भ के अभाव के कारण नहीं किया जा सका।

जून 2018 के बाद से भारत की संचित निधि में ₹1,448.91 करोड़ के प्रेषण के मिलान के संबंध में, लेखापरीक्षा द्वारा मांगे जाने के बावजूद कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया था, ताकि यह दिखाया जा सके कि भारत की समेकित निधि में सीधे प्राप्त निधि के समाधान के लिए उनके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

⁷¹ ₹ 1,817.57 करोड़ - ₹ 489.10 करोड़ = ₹ 1,328.47 करोड़

⁷² मई 2018 तक, राज्य सरकारों और/या खनन पट्टा धारक एनएमईटी के बैंक खाते में एनएमईटी का अंशदान जमा कर रहे थे। 2018 में एनएमईटी नियमों में संशोधन के कारण एनएमईटी योगदान की लेखांकन प्रक्रिया में बदलाव के परिणामस्वरूप, बैंक खाता बंद कर दिया गया था और राज्य सरकारों ने जून 2018 से भारत के समेकित कोष में इस तरह के योगदान को जमा करना शुरू कर दिया था।

⁷³ निवल अतिरिक्त संग्रह - निवल अल्प संग्रह = ₹ 1,328.47 करोड़ - ₹ 628.55 करोड़

इस प्रकार, एनएमईटी योगदान के संग्रह और प्रेषण में भारी विसंगति है जो एनएमईटी की स्थापना के छह साल बाद भी सुलझी नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि मई 2018 में एनएमईटी नियमों में संशोधन के बाद, ट्रस्ट ने भारत की समेकित निधि (₹1,448.91 करोड़) में प्रत्यक्ष प्राप्तियों के मिलान के लिए कोई पहल नहीं की है।

(घ) भारतीय खान ब्यूरो से अद्यतन डेटा/आंकड़े प्राप्त करने में विफलता

एनएमईटी नियम, 2015 के नियम 7 के अनुसार, भारतीय खान ब्यूरो को राज्य सरकारों से एनएमईटी योगदान के संग्रह और प्रेषण के संबंध में डेटा/आंकड़े प्राप्त करने और रॉयल्टी के साथ अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, भारतीय खान ब्यूरो को समय-समय पर एनएमईटी के साथ रॉयल्टी और एनएमईटी योगदान के अद्यतन रिकॉर्ड साझा करना था। तथापि, यह पाया गया कि भारतीय खान ब्यूरो ने आज तक इसे एनएमईटी के साथ साझा नहीं किया। मंत्रालय भी इस संबंध में भारतीय खान ब्यूरो के साथ संदेह समाधान के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने (अप्रैल 2022) कहा कि लेखापरीक्षा पैरा में मूल आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा स्वयं प्रदान किए गए थे एनएमईटी के लिए राज्य सरकारों से एनएमईटी अंशदान के संबंध में सूचना प्राप्त करने का कोई अधिदेश नहीं है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कहा कि चूंकि खनिक/पट्टाधारक राज्य सरकार को रॉयल्टी के भुगतान के साथ-साथ एनएमईटी योगदान को राज्य के सार्वजनिक खाते में जमा कर रहे थे, इसलिए जून 2018 से लेखांकन प्रक्रिया में बदलाव के बाद राज्य के सार्वजनिक खाते से भारत की समेकित निधि में एनएमईटी योगदान के हस्तांतरण की संभावना कम हो गई थी।

मंत्रालय का उत्तर (अप्रैल 2022) स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनएमईटी नियमावली का नियम 7 भारतीय खान ब्यूरो को समय-समय पर एनएमईटी के साथ ऐसी जानकारी साझा करने का अधिदेश देता है। इसलिए एनएमईटी को ऐसी सूचना समय-समय पर प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, संग्रहणीय अंशदान का मिलान सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी उत्तर मौन है। तथापि, मंत्रालय का दावा, कि कम प्रेषण की संभावना को समाप्त कर दिया गया है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नई लेखा प्रक्रिया (जून 2018) को अपनाने के बाद भी भारत की समेकित निधि में कम/अधिक प्रेषण के मामले थे।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

एनएमईटी अंशदान के संबंध में आंकड़ों के अपूर्ण समाधान के मद्देनजर, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि एनएमईटी अंशदान के कारण संग्रहणीय सभी राशियां वास्तव में एकत्र की गई हैं और भारत की समेकित निधि में जमा की गई हैं।

सिफारिश संख्या 1

एनएमईटी अंशदान की वैधानिक प्रकृति और देश में खनिज अन्वेषण के लिए इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, ट्रस्ट एकत्र किए जाने वाले, वास्तव में एकत्र किए गए और भारत की समेकित निधि में जमा किए गए एनएमईटी योगदान का समाधान सुनिश्चित कर सकता है।

सिफारिश संख्या 2

मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो और राज्य सरकारों दोनों से निर्दिष्ट आवधिकता के साथ सूचना मांगने के लिए एनएमईटी को सशक्त बनाने के प्रावधान को शामिल करने के लिए कदम उठा सकता है।

सिफारिश संख्या 3

मंत्रालय अधिनियम या नियमों में एनएमईटी अंशदान के विलंबित जमा के लिए उपयुक्त दंडात्मक प्रावधान/जुर्माने को सम्मिलित करने पर विचार कर सकता है।

6.2.3.1 (ii) एनएमईटी निधि का कम उपयोग

भारत की समेकित निधि में एनएमईटी के अंशदान, स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, कुल स्वीकृत लागत, स्वीकृत बजट और इसके लिए उपयोग का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 6.3: एनएमईटी अंशदान का वर्षवार संग्रह और स्वीकृत बजट का उपयोग

साल	सीएफआई में जमा राशि (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं को मंजूरी दी		स्वीकृत बजट (₹ करोड़ में)	बजट उपयोग (₹ करोड़ में)	उपयोगिता प्रतिशत (%)
		संख्या	कुल लागत (₹ करोड़ में)			
2015-16	140.73	0	0	0	0	-
2016-17	538.22	58	245.76	0	0	-
2017-18	518.51	26	163.71	100	79.95	79.95
2018-19	246.93	94	467.67	400	88.22	22.05
2019-20	664.85	21	58.07	150	67.86	45.24
2020-21	620.85	13	138.31	150	82.94	55.290
कुल	2730.08	212	1073.52	800	318.98	39.87

उपरोक्त तालिका का विश्लेषण निम्नलिखित दर्शाता है:

- 2015-2021 की अवधि के दौरान, एनएमईटी निधि में ₹ 2,730 करोड़ के समेकित कोष में से, अन्वेषण गतिविधियों पर व्यय के लिए एनएमईटी को बजट के रूप में केवल ₹ 800 करोड़ स्वीकृत किए गए थे।
- तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्षवार बजट उपयोग 22.05 से 79.95 प्रतिशत के बीच था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कुल स्वीकृत 212 परियोजनाओं में से 196 खनिज अन्वेषण परियोजनाएं (₹ 631.89 करोड़ की लागत) थीं और शेष 16 परियोजनाएं (₹ 441.63 करोड़ की लागत) बेसलाइन/एयरो जियोफिजिकल सर्वेक्षण⁷⁴ थीं। इसके अतिरिक्त, एनएमईटी द्वारा स्वीकृत कुल 212 परियोजनाओं में से 135 परियोजनाओं (61.68 प्रतिशत) को मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड/खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, को इसकी क्षमता की सीमाओं के बावजूद प्रदान किया गया था, जैसा कि पैरा संख्या 3.1.2.2 में वर्णित है और उसी प्रकार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भी इसके खराब प्रदर्शन के बावजूद प्रदान किया गया जैसा कि पैरा संख्या 3.1.2.3 में वर्णित है। इस प्रकार, स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत ₹ 1,073.52 करोड़ में से ₹ 854.06 करोड़ (79.56 प्रतिशत) इन दो संस्थाओं की

⁷⁴ बेसलाइन सर्वेक्षण किसी क्षेत्र की सामान्य भूवैज्ञानिक विशेषताओं और विशेषताओं की प्रारंभिक परीक्षा है। एयरो-जियोफिजिकल सर्वेक्षण एक विमान (फिक्सड विंग/हेलीकॉप्टर) में स्थापित भूभौतिकीय संसर का उपयोग करके बेसलाइन भूविज्ञान डेटा प्राप्त करने के लिए बड़े क्षेत्रों को स्कैन करने के लिए किया जाता है ताकि कम समय में छिपे और गहरे खनिज जमा को लक्षित किया जा सके।

परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए थे। बजट के कम उपयोग के कारण नीचे दिए गए हैं:

(क) परियोजना लागत की प्रतिपूर्ति शुरू/आरम्भ करने में देरी/विलम्ब

एनएमईटी ने मई 2016 से परियोजनाओं को मंजूरी/अनुमोदन देना शुरू/आरम्भ किया और अन्वेषण एजेंसियों ने अपने व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए जून 2016 से आगे के बिल जारी किए। तथापि इस संबंध में, लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि एनएमईटी द्वारा 2016-17 के दौरान कोई भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि वर्ष 2016-17 के लिए बजट की कोई मांग नहीं की गई थी। एनएमईटी द्वारा वर्ष 2017-18 के बजट की मांग जनवरी 2018 में ही की गई थी और मार्च 2018 में ₹ 100 करोड़ स्वीकृत किए गए थे। इसमें से ₹ 79.95 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतिम माह में संवितरित की गई थी। यह वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 245.76 करोड़ की लागत वाली 58 परियोजनाओं को स्वीकृत करने के बावजूद जनवरी 2018 तक बजट की मांग नहीं करने के लिए एनएमईटी की ओर से शिथिलता को दर्शाता है। इसने एनएमईटी के गठन के मूल उद्देश्य को विफल करते हुए देश में अन्वेषण कार्यकलापों की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

(ख) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की क्षमता की कमी

अभिलेखों से पता चला कि आधे से अधिक एनएमईटी वित्तपोषित खनिज अन्वेषण परियोजनाएं (196 में से 100) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड⁷⁵ के पक्ष में स्वीकृत की गई थीं। कार्यकारिणी समिति ने अपनी 10वीं (अक्टूबर 2018) बैठक (25 परियोजनाओं) और 11वीं (फरवरी 2019) बैठक (17 परियोजनाओं) में 42 परियोजनाओं के लिए समय सीमा को मंजूरी देते हुए मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की क्षमता और सामर्थ्य की समीक्षा करने का निर्णय लिया। इस संबंध में गठित समिति ने पाया (अक्टूबर 2018) कि मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की क्षमता की कमी के कारण भूतकाल में (कुछ प्रोजेक्टों में) नियत समय से अधिक समय लगा और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रस्तावों को भी रोक दिया गया था। समिति द्वारा इस निष्कर्ष के बावजूद, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 2019-20

⁷⁵ इसकी नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट (वर्ष 2020-21 के लिए) के अनुसार, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड ने वर्ष के दौरान ₹449.26 करोड़ का सकल राजस्व और ₹149.79 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया

में 12 परियोजना और 2020-21 में 9 परियोजना सौंपी गई थी। आगे लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 26 परियोजनाएं (अनुलग्नक-XXVI) अभी भी विलंबित चल रही थीं और एनएमईटी ने विलंबित परियोजनाओं के लिए समय विस्तार प्रदान किया।

(ग) सर्वेक्षण परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया में उचित उद्यमशीलता की कमी

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 12 ब्लॉकों में मल्टी सेंसर एयरो जियोफिजिकल सर्वे कर रहा था। इनमें से केवल पांच ब्लॉकों (ब्लॉक नंबर 1, 2, 3, 4 और 11) में सर्वेक्षण पूरा हुआ (मार्च 2021)। जून 2017 में शुरू किए गए चार ब्लॉकों (अर्थात् ब्लॉक नंबर 5, 6, 7 और 8) के लिए निविदा प्रक्रिया पर नहीं चुने हुए बोली लगाने वालों अर्थात् निजी पार्टियों ने बोलियों की गलत अस्वीकृति के कारण मामला दायर किया था (अगस्त 2017)। न्यायालय के निर्देश के अनुसार, अगस्त 2019 में दो ब्लॉक (ब्लॉक नंबर 5 और 7) और नवंबर 2019 में दो ब्लॉक (ब्लॉक नंबर 6 और 8) के लिए फिर से निविदाएँ खोली गई थीं। अगस्त 2019 में पुनः प्रस्तुत किए गए ब्लॉकों (ब्लॉक संख्या 5 और 7) के लिए पुनः निविदा प्रक्रिया को जनवरी 2020 में शुरू/आरम्भ किया गया था और यह अभी भी विचाराधीन है। नवंबर 2019 में नंबर 6 और 8 के लिए कार्य आदेश को फिर से टेंडर करने के बाद अक्टूबर/नवंबर 2021 में दिया गया। शेष तीन ब्लॉकों में से दो (ब्लॉक नंबर 10 और 12) के लिए कार्य आदेश दिसंबर 2018 में जारी किए गए थे।

उपरोक्त तथ्यों के कारण 7 ब्लॉकों अर्थात् 5 से 10 और 12 हेतु स्वीकृत परियोजना लागत ₹ 204.52 करोड़ अप्रयुक्त रही।

(घ) खनिज अन्वेषण में निजी भागीदारी का अभाव

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास नियम, 2015 के नियम 12 में यह निर्धारित किया गया है कि कार्यकारी समिति अपनी इच्छा से या राज्य सरकार या निजी क्षेत्र की संस्थाओं सहित किसी अन्य इकाई से प्रस्ताव प्राप्त होने पर खनिज अन्वेषण परियोजनाओं को लागू कर सकती है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास नियम, 2015 के नियम 12 में यह निर्धारित किया गया है कि कार्यकारी समिति अपनी इच्छा से या राज्य सरकार या निजी क्षेत्र की संस्थाओं सहित किसी अन्य इकाई से प्रस्ताव प्राप्त होने पर खनिज अन्वेषण परियोजनाओं को लागू कर सकती है।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

इस प्रावधान ने मार्च 2021 तक निजी पार्टियों को एनएमईटी फंडिंग पर रोक लगा दी क्योंकि उन्हें अधिसूचित नहीं किया गया था। निजी पार्टियों को अनुमति देने का प्रावधान मार्च 2021 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन के बाद ही लागू किया गया था। यह देखा गया कि भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई-एनएबीईटी) के राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा निजी पार्टियों की मान्यता के लिए एक योजना अगस्त 2021 में स्थापित की गई थी। इसके बाद, योजना के अनुसार अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों के रूप में निजी पार्टियों की अधिसूचना मार्च 2022 से शुरू/आरम्भ हुई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएमईटी द्वारा कुछ अन्वेषण प्रस्तावों को (मार्च 2022 से पहले) इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि संस्थाएं अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियां नहीं थीं।

उपर्युक्त से यह पता चलता है कि यद्यपि एनएमईटी को अपनी स्थापना के बाद से निजी संस्थाओं की अन्वेषण परियोजनाओं को निधि देना नियमों के अनुसार अनिवार्य किया गया था, तथापि, मूल खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में इसी प्रावधान की कमी ने मार्च 2022 तक खनिज अन्वेषण में निजी पार्टियों की भागीदारी को रोक दिया। एनएमईटी निधियों के कम उपयोग का यह भी एक कारण था।

(ड) क्षमता निर्माण की दिशा में पहल का अभाव

एनएमईटी के वांछित उद्देश्यों में से एक अन्वेषण में लगे दलों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस संबंध में एनएमईटी की ओर से पहल की कमी थी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पक्ष में एक अन्वेषण परियोजना को मंजूरी दी गई (मार्च 2018) और बाद में गैर-ईंधन खनिज के अन्वेषण के लिए आंतरिक क्षमताओं की कमी के कारण इसे रद्द (मार्च 2020) कर दिया गया। एनएमईटी की ओर से इस तरह की पहल की कमी एनएमईटी निधि के कम उपयोग के कारणों में से एक थी। प्रबंधन का उत्तर (अप्रैल 2022) इस संबंध में मौन था।

(च) अन्य नियंत्रणीय कारण

ऊपर चर्चा किए गए कारणों के अतिरिक्त, धन के कम उपयोग के अन्य कारण भी थे जैसे मानव बस्ती, वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के भीतर आने वाले परियोजना क्षेत्र के कारण रद्दीकरण/दायरे में कमी, लीजहोल्ड क्षेत्र के साथ परियोजना क्षेत्र का ओवरलैपिंग/पहले से ही किए गए क्षेत्र अन्य एजेंसियों द्वारा अन्वेषण, रासायनिक विश्लेषण आदि के लिए लेखापरीक्षा ने देखा कि अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय कई मामलों में तकनीकी-सह-लागत समिति द्वारा संवीक्षा का अभाव था। ऐसे मामलों का विवरण **अनुलग्नक-XXVII** में दिया गया है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (अप्रैल 2022) कि क्षमता की कमी के कारण कुछ स्वीकृत परियोजनाओं के प्रतिबंध के कारण बजट का कम उपयोग हुआ था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियों के कम उपयोग का एकमात्र कारण कुछ स्वीकृत परियोजनाओं का पूर्वाभास नहीं होना था। परियोजना के रद्दीकरण/कार्यक्षेत्र में कमी के कई अन्य कारण थे जैसे मानव बस्ती के भीतर आने वाला परियोजना क्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, अन्य एजेंसियों द्वारा अन्वेषण के लिए पहले से शुरू किए गए लीजहोल्ड क्षेत्र/क्षेत्र के साथ परियोजना क्षेत्र का ओवरलैपिंग जो नियंत्रण योग्य थे और एनएमईटी द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता था। इस प्रकार, जिस उद्देश्य के लिए एनएमईटी फंड का गठन किया गया था, वह पूरी तरह से पूरा नहीं हो रहा था और काफी समय तक फंड का कम उपयोग किया गया था।

सिफारिश संख्या 4

न्यास निष्क्रिय निधियों के उपयोग को बढ़ाने के लिए अपनी परियोजना संवीक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ करने, निविदा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, चालू परियोजनाओं की निगरानी करने, निजी पार्टियों की भागीदारी बढ़ाने, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों आदि का आयोजन करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है।

6.2.3.1 (iii) वार्षिक योजना और वार्षिक बजट के अनुमोदन में विलंब

एनएमईटी की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले शासी निकाय के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। शासी निकाय की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक आवश्यक है। तथापि, यह देखा गया कि स्थापना

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

(अगस्त 2015) से मार्च 2021 तक के छह वर्षों के दौरान शासी निकाय की केवल दो बैठकें आयोजित की गईं। लेखापरीक्षा ने पाया कि शासी निकाय की आवश्यक वार्षिक बैठकों के अभाव में, उसके द्वारा नियत समय के भीतर वार्षिक योजनाओं को स्वीकृत नहीं किया गया था। एनएमईटी का वार्षिक बजट और उससे होने वाला बहिर्वाह शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन के बिना हुआ था। उदाहरण के लिए, वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक योजना और वार्षिक बजट को शासी निकाय द्वारा मार्च 2018 में स्वीकृत किया गया था जबकि 2019-20 से 2020-21 के लिए संबंधित वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक स्वीकृत नहीं किया गया था। यद्यपि, निधि के उपयोग की दैनिक निगरानी कार्यकारिणी समिति द्वारा की गई थी, एनएमईटी द्वारा शासी निकाय की आवश्यक वार्षिक आम बैठक आयोजित करने में विफलता के कारण वार्षिक निगरानी में बाधा उत्पन्न हुई थी।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2022) कि एनएमईटी, खान मंत्रालय का एक प्रभाग होने के नाते, एनएमईटी की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट को हर साल बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के स्तर पर भारत की संसद से मंजूरी मिलती है। इसलिए एनएमईटी की गतिविधियों पर व्यय करने से पहले एनएमईटी की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट के अनुमोदन में कोई देरी नहीं हुई थी।

मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासी निकाय को एनएमईटी नियम, 2015 के अनुसार एनएमईटी की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट को मंजूरी देने के लिए आज़ापित किया गया था। जुलाई 2021 में शासी निकाय द्वारा वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए वार्षिक बजट अनुमानों की कार्योत्तर स्वीकृति, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद, निष्पन्न कार्य था और महज अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए था।

सिफारिश संख्या 5

ट्रस्ट नियमित अंतराल पर अपने शासी निकाय की आवश्यक संख्या में बैठकें आयोजित करना सुनिश्चित कर सकता है और अपने मामलों पर अधिक नियंत्रण और निगरानी रखने के लिए संसद को भेजने से पहले अपनी वार्षिक योजना और बजट को स्वीकृत करवा सकता है।

6.2.3.2 अनुकूल और महत्वपूर्ण खनिजों का अन्वेषण

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति 2016 और राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में निर्धारित किया गया है कि उर्वरक खनिजों, कीमती धातुओं और पत्थरों, रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों (जैसे क्रोमियम, जर्मेनियम, मोलिब्डेनम और एंटीमनी आदि) की खोज पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसके लिए देश में बड़े संसाधनों के लिए भूगर्भीय क्षमता (5.91 लाख वर्ग किमी) होने के बावजूद संसाधन-सह-भंडार की स्थिति अच्छी नहीं है। एनएमईटी 2020 के लिए खान मंत्रालय के रोडमैप में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन खनिजों, विशेष रूप से सोने की खरीद के लिए आयात पर निर्भरता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चालू खाता घाटे में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हीरा, सोना, जर्मेनियम और अंजन का आयात नीचे दी गई तालिका में बताया गया है:

तालिका 6.4: बहुमूल्य धातुओं का वर्षवार आयात

(अरब यूएस डॉलर में)

धातु/खनिज	2021-22	2020-21	2019-20
सोना *	43.01	31.79	24.91
हीरा	14.61	16.49	24.41
मोलिब्डेनम	0.21	0.12	0.14
अंजन	0.02	0.01	0.02

स्रोत-स्टेटिस्टा

* US\$ को ₹ में बदलने के लिए, 1 US\$ = ₹80 माना गया

कोयला, लिग्नाइट और अन्य थोक खनिजों⁷⁶ की खोज रणनीतिक खनिजों की खोज के मुकाबले अपेक्षाकृत सरल गतिविधि है, जिसके लिए विशेष ज्ञान, अनुभव और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। खान मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित रणनीतिक योजना समूह (अप्रैल 2020) ने नोट किया कि खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विशेषज्ञता और तकनीकी ज्ञान की कमी थी और इसलिए उन्होंने थोक खनिजों के खनिज अन्वेषण को प्राथमिकता दी जो लाभ कमाने का अधिक अवसर प्रदान करते थे।

अनुकूल और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को प्राथमिकता देना एनएमईटी के उद्देश्यों में से एक था। कार्यकारी समिति द्वारा भी इसे बार-बार उजागर किया गया था। अभिलेख

⁷⁶ थोक खनिज प्रकृति में बड़ी मात्रा में समरूप जमा के रूप में होते हैं। चूना पत्थर, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क, लिग्नाइट, कोयला आदि थोक खनिज हैं।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

की जांच से पता चला है कि एनएमईटी ने 31 मार्च 2021 तक कोयला, लिग्नाइट और अन्य थोक खनिजों के लिए कुल 196 अन्वेषण परियोजनाओं में से 148 (75.51 प्रतिशत) को मंजूरी दी। एनएमईटी में रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए एक मजबूत परियोजना प्राथमिकता योजना के अभाव के परिणामस्वरूप कोयला, लिग्नाइट और अन्य थोक खनिजों की खोज के लिए निर्धारित परियोजनाओं के लिए इसके आवंटन का महत्वपूर्ण हिस्सा (71.49 प्रतिशत, यानी 631.89 करोड़ में से 451.79 करोड़) था, जिससे रणनीतिक खनिजों को परिकल्पित प्राथमिकता से वंचित कर दिया गया।

उत्तर में, मंत्रालय ने (अप्रैल 2022) कहा कि एनएमईटी ने देश में बेसलाइन डेटा के उत्पादन के लिए 2021-22 तक ₹ 1,115.39 करोड़ की अनुमोदित लागत पर आठ परियोजनाओं को मंजूरी दी, जो देश में रणनीतिक और गहरे छिपे हुए खनिजों के संबंध में संभावित खनिज अन्वेषण ब्लॉकों को खोजने में बहुत सहायक होगा।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि एनएमईटी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को मोटे तौर पर दो अलग-अलग श्रेणियों (ए) खनिज अन्वेषण परियोजनाओं और (बी) बेस लाइन/एयरो-भूभौतिकीय सर्वेक्षणों में विभाजित किया जा सकता है। संभावित क्षेत्रों में एक विशिष्ट खनिज के भंडार स्थापित करने के लिए अन्वेषण परियोजनाएं की जाती हैं जबकि किसी भी प्रकार के खनिजों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए अपेक्षाकृत विशाल क्षेत्रों में सर्वेक्षण किए जाते हैं। इसके अलावा, ₹ 631.89 करोड़ की लागत वाली ₹ 16.71 करोड़ (2.64 प्रतिशत) लागत वाली 196 अन्वेषण परियोजनाओं में से केवल आठ परियोजनाओं (4 प्रतिशत) को रणनीतिक खनिजों की खोज के लिए अनुमोदित किया गया था।

इसलिए, मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बेसलाइन और एयरो-जियोफिजिकल सर्वेक्षण प्रारंभिक गतिविधियां हैं जो विशिष्ट रूप से खनिज के प्रकृति की नहीं हैं। वे मूल रूप से किसी भी प्रकार के खनिजों की उपस्थिति के संबंध में डेटा/आंकड़े सृजित करते हैं जिसके आधार पर किसी विशेष खनिज के लिए आगे की खोज की जा सकती है। बेसलाइन सर्वेक्षण के परिणाम किसी भी खनिज की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं और जरूरी नहीं है कि यह विशेष महत्त्व के खनिज हों और इसलिए, इसके लिए किए गए व्यय को विशेष और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज से सीधे नहीं जोड़ा जा सकता है।

इस प्रकार, एनएमईटी विशेष खनिजों की खोज के लिए आवश्यक प्राथमिकता प्रदान करने में विफल रहा है।

सिफारिश संख्या 6:

केंद्रीय भूवैज्ञानिक योजना बोर्ड के परामर्श से परियोजना प्रस्तावों को प्राथमिकता देने के उपाय एनएमईटी कर सकता है और अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों को निधि स्वीकृत करते समय नीतिबद्ध और महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं को उपयुक्त प्राथमिकता दे सकता है।

6.2.3.3 तकनीकी-सह-लागत समिति की कार्यप्रणाली

एनएमईटी की तकनीकी-सह-लागत समिति⁷⁷ का गठन (मार्च 2016) अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के तकनीकी और लागत मापदंडों की जांच करने के लिए किया गया था।

तकनीकी-सह-लागत समिति की कार्यप्रणाली से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से इसके कार्यप्रणाली में विभिन्न कमियों का पता चला जो नीचे वर्णित हैं:

1. तकनीकी-सह-लागत समिति के गठन और इसकी बैठकों की आवधिकता, प्रत्येक बैठक में चर्चा किए जाने वाले प्रस्तावों की संख्या आदि के संबंध में कोई मानक संचालन प्रक्रिया/ढांचा निर्धारित नहीं किया गया था।
2. यह देखा गया कि तकनीकी-सह-लागत समिति के पास प्रत्येक खनिज या खनिजों के समूह के लिए पर्याप्त संख्या में बाहरी विशेषज्ञ सदस्य नहीं थे और सभी परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन तकनीकी-सह-लागत समिति द्वारा अपने निर्धारित विशेषज्ञों के साथ किया गया था।
3. तकनीकी-सह-लागत समिति की 32 बैठकों में से 28 बैठकें (87.50 प्रतिशत) केवल एक से दो दिनों के लिए बुलाई गई थीं। समिति ने तकनीकी मापदंडों और प्रस्तावों की लागत का मूल्यांकन किया। उन्होंने पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुसार संशोधनों के बाद पुनः प्रस्तुत प्रस्तावों पर भी चर्चा की और दिए गए समय के दौरान चालू परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समिति ने सीमित समय के भीतर परियोजनाओं के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन में

⁷⁷ समिति के सदस्य अन्वेषण, भूविज्ञान आदि के क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं।

भी कठिनाई महसूस की थी और उचित तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के लिए तकनीकी-सह-लागत समिति की प्रत्येक बैठक में लगभग 20 प्रस्तावों को लेने की इच्छा व्यक्त की थी।

4. तकनीकी-सह-लागत समिति के अध्यक्ष भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वर्तमान अपर महानिदेशक हैं। इस प्रकार, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की परियोजनाओं को अनुमोदित करते समय हितों का टकराव था।
5. उपर्युक्त कमियों के अलावा, लेखापरीक्षा ने तकनीकी-सह-लागत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन में कई मामलों में उचित संवीक्षा का अभाव भी देखा। लेखापरीक्षा ने पाया कि मानव बस्ती/आरक्षित वन/वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्रों के भीतर आने वाली कुछ परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई थी। एक अन्य मामले में, एक अधिसूचित अन्वेषण एजेंसी को आवंटित क्षेत्रों को दूसरी एजेंसी को पुनः आवंटित किया गया था। लेखापरीक्षा में देखे गए ऐसे कुछ मामले **अनुलग्नक-XXVII** में दर्शाए गए हैं।

उत्तर में, मंत्रालय ने प्रस्तुत किया (अप्रैल 2022) कि प्रत्येक खनिज के लिए विशेषज्ञ सदस्य होना व्यावहारिक रूप से असंभव है। उन्होंने यह भी बताया कि नई परियोजनाओं के प्रस्तावों को समिति के सदस्यों को पहले ही भेज दिया गया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि तकनीकी-सह-लागत समिति के सदस्यों के रूप में नामित सेवारत अधिकारियों ने सीधे परियोजना प्रस्तावों का पुनरीक्षण और मूल्यांकन नहीं किया था और उनकी देख-रेख सेवानिवृत्त व्यक्तियों द्वारा की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनएमईटी खनिजों के समूह के लिए विशेषज्ञ सदस्यों को सूचीबद्ध कर सकता था जैसा कि चल रही परियोजनाओं की निगरानी के लिए सलाहकारों को नियुक्त करने के मामले में किया जा रहा था। तथ्य यह है कि तकनीकी-सह-लागत समिति ने समय की कमी के कारण आने वाली कठिनाइयों के बारे में स्वयं बताया और प्रत्येक बैठक में मूल्यांकन की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या को सीमित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की, जो यह दर्शाता है कि समिति के पास परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इसके अलावा, एनएमईटी के पास परियोजना मूल्यांकन समय, तकनीकी-सह-लागत समिति के चयन जैसे मुद्दों के लिए कोई निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया नहीं थी। हालांकि, मंत्रालय अपने दावे के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका कि तकनीकी-सह-लागत

समिति के सदस्यों के रूप में नामित सेवारत अधिकारियों ने सीधे परियोजना प्रस्तावों का पुनरीक्षण और मूल्यांकन नहीं किया था। इसके अलावा, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि तकनीकी-सह-लागत समिति का अध्यक्ष एक सेवारत कर्मचारी था, वह समिति के निर्णय को प्रभावित कर सकता/सकती थी। इसलिए, हितों के टकराव से इंकार नहीं किया जा सकता है।

सिफारिश संख्या 7

एनएमईटी अपनी तकनीकी-सह-लागत समिति के व्यवसाय के संचालन के संबंध में प्रत्येक परियोजना के लिए आवंटित उचित अवधि के साथ एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर सकता है ताकि प्रस्तावों का ईमानदारी से मूल्यांकन किया जा सके।

6.2.3.4 प्रभारों की अनुसूची के अनुमोदन में असामान्य विलंब

एनएमईटी ने खान मंत्रालय के प्रभारों की प्रचलित अनुसूची के आधार पर अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों को परियोजना की लागत की प्रतिपूर्ति की। तत्पश्चात्, कार्यकारी समिति ने 1 अप्रैल, 2020 से एनएमईटी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए प्रभारों की एक अलग अनुसूची तैयार की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि खान मंत्रालय के प्रभारों की प्रचलित अनुसूची में केवल छह खनिजों (अर्थात् तांबा, सोना, फास्फोराइट, टिन, सीसा-जस्ता और टंगस्टन) शामिल थे जबकि एनएमईटी 26 विभिन्न खनिजों के लिए अन्वेषण परियोजनाओं को मंजूरी दे रहा था। एनएमईटी की स्थापना के साढ़े चार वर्ष से अधिक समय के बाद एनएमईटी के प्रभारों की अनुसूची को अंतिम रूप देने से अधिक परिहार्य भुगतान हुआ।

चूना पत्थर और बॉक्साइट जैसी सॉफ्ट रॉक खनिज सामग्री में ड्रिलिंग के प्रति भुगतान फॉस्फोराइट्स के लिए लागू दरों पर किया गया था जो कि तुलनीय खनिज नहीं था। एनएमईटी ने (मार्च 2020 तक) चार परियोजनाओं में ₹1.53 करोड़ (अनुलग्नक-XXVIII) का परिहार्य भुगतान किया क्योंकि फॉस्फोराइट्स के लिए प्रति मीटर ड्रिलिंग की दर एनएमईटी के प्रभारों की अनुसूची में सॉफ्ट रॉक श्रेणी की तुलना में अधिक थी। इसी प्रकार लौह अयस्क की ड्रिलिंग के लिए ₹19,716 प्रति मीटर (मार्च 2020 तक) की दर से भुगतान किया गया जबकि बाद में अप्रैल 2020 में तय की गई एनएमईटी के प्रभारों की अनुसूची के अनुसार लौह अयस्क ड्रिलिंग के लिए लागू दर ₹12,650 प्रति मीटर थी। इसके परिणामस्वरूप ₹4.71 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ (अनुलग्नक-XXVIII)। यदि

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

एनएमईटी के प्रभारों की अनुसूची को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया होता, तो उपरोक्त मामलों में ₹6.24 करोड़ की उच्च दरों पर परिहार्य भुगतान से बचा जा सकता था, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 6.5 : एनएमईटी के प्रभारों की अनुसूची की दरों से अधिक भुगतान

क्र सं	खनिज का नाम	किए गए कार्य की मात्रा (मीटर में)	भुगतान की दर (₹ / मीटर)	एनएमईटी के एसओसी के अनुसार दर (₹ /मीटर)	अतिरिक्त भुगतान (₹)
		क	ख	ग	घ = (ख-ग) * क
1	बॉक्साइट (ड्रिलिंग)	1,540.60	6,780.00	5,242.00	23,69,442.80
2	चूना पत्थर (ड्रिलिंग)	8,202.50	6,820.21	5,242.00	1,29,45,264.00
3	लौह अयस्क (कोर ड्रिलिंग),	6,661.30	19,716.00	5,242.00	4,70,68,745.00
कुल					6,23,83,451.80

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (अप्रैल 2022) कि एनएमईटी के लिए प्रभारों की अलग अनुसूची की आवश्यकता महसूस नहीं की गई क्योंकि मंत्रालय की प्रभारों की अनुसूची खनिज अन्वेषण परियोजना प्रस्तावों के लागत अनुमान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।

मंत्रालय का उत्तर स्व-विरोधाभासी है क्योंकि आवश्यकता महसूस की गई थी और एनएमईटी के लिए प्रभारों की एक नई अनुसूची 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी की गई थी। इसके अलावा, उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रभारों की प्रचलित अनुसूची केवल छह खनिजों के संबंध में ड्रिलिंग और संबद्ध भूवैज्ञानिक और प्रयोगशाला अध्ययन के लिए थी जबकि न्यास ने 26 खनिजों/खनिजों के समूह से संबंधित परियोजनाओं को अनुमोदन दिया।

6.2.3.5 संव्यवहार सलाहकार की फीस का अनियमित संवितरण

राज्य सरकारें खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी के दौरान सहायता के लिए संव्यवहार सलाहकार नियुक्त करती हैं। ऐसे सलाहकारों को फीस का भुगतान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी स्वयं की निधि से किया जाता था। मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध

(जुलाई 2021) पर, एनएमईटी ने खान मंत्री के अनुमोदन से विभिन्न राज्य सरकारों को अवगत कराया (अगस्त 2021), कि वह खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए राज्य सरकारों द्वारा वहन की गई संव्यवहार सलाहकार फीस की प्रतिपूर्ति पर विचार करेगी। यह निर्णय लिया गया कि एनएमईटी खनिज ब्लॉक की सफल नीलामी के मामले में संव्यवहार सलाहकार फीस का 100 प्रतिशत और असफल नीलामी के मामले में संव्यवहार सलाहकार फीस का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करेगा, जिसपर क्रमशः ₹10 लाख और ₹5 लाख की सीमा लागू होगी।

तदनुसार, 17 खनिज ब्लॉकों की नीलामी के प्रति पांच राज्य सरकारों (अर्थात ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश) को ₹ 1.70 करोड़ जारी किए गए (नवंबर 2021)।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि:

1. पहले खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए नियुक्त संव्यवहार सलाहकारों के शुल्क का भुगतान राज्य सरकारों द्वारा अपनी स्वयं की निधि से किया जाता था।
2. संव्यवहार सलाहकार शुल्क का भुगतान खनिज अन्वेषण गतिविधियों या विशेष रूप से एनएमईटी नियम, 2015 में उल्लिखित किसी अन्य गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता है।
3. उपरोक्त भुगतान एनएमईटी के शासी निकाय द्वारा अधिकृत नहीं था।
4. इसके अलावा, छत्तीसगढ़ सरकार के मामले में प्रतिपूर्ति (₹20.00 लाख) वास्तविक व्यय (₹15.54 लाख) से अधिक हो गई।

उत्तर में, मंत्रालय ने (अप्रैल 2022) कहा कि खनिज अन्वेषण को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए, खान मंत्री के अनुमोदन से राज्य सरकारों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया था जो एनएमईटी के शासी निकाय के पदेन अध्यक्ष हैं।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासी निकाय के अध्यक्ष अपनी व्यक्तिगत क्षमता में ऐसे भुगतानों को अधिकृत करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। एनएमईटी नियम, 2015 का नियम 9(ट) एनएमईटी के शासी निकाय को भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण, विकास और दोहन के हित में न्यास की निधि का उपयोग करने के लिए निर्णय

लेने या कार्यकारी समिति को अधिकृत करने का अधिकार देता है, जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार असंगत नहीं है।

6.2.3.6 चल रही परियोजनाओं के लिए निगरानी तंत्र की कमी

एनएमईटी नियमावली, 2015 के नियम 13(1) में यह निर्धारित है कि चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी न्यास को स्वयं या किसी सरकारी संस्था को नियुक्त करके करनी चाहिए। इसके अलावा, पूर्वोक्त नियम 13(2), में न्यास से अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप अपनी स्वयं की निगरानी प्रक्रिया तैयार करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएमईटी ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई तंत्र तैयार नहीं किया था। कार्यकारी समिति के निर्देशों पर 2018-19 और 2019-20 के दौरान एनएमईटी के अधिकारियों द्वारा परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी के लिए छह ब्लॉकों का क्षेत्रीय दौरा किया गया था। वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की निगरानी केवल मासिक प्रगति रिपोर्ट की डेस्क समीक्षा के माध्यम से ही की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना व्यय पर उचितनियंत्रण नहीं रखा जा सका।

सिफारिश संख्या 8

परियोजना कार्यान्वयन और व्यय के बेहतर नियंत्रण के लिए न्यास को अपनी चल रही परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार कर उसे कार्यान्वित करना चाहिए।

6.2.3.7 तकनीकी-सह-लागत समिति/कार्यकारी समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना अतिरिक्त कार्य का निष्पादन

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों ने कुछ मामलों में, एनएमईटी की तकनीकी-सह-लागत समिति/कार्यकारी समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना कुल ₹2.38 करोड़ (अनुलग्नक-XXIX) का अतिरिक्त कार्य किया। तत्पश्चात्, कार्य पूरा होने/भौगोलिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद एनएमईटी की तकनीकी-सह-लागत समिति/कार्यकारी समिति द्वारा लागत का अनुमोदन किया गया। समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को ऐसा अतिरिक्त कार्य करने से पहले तकनीकी-सह-लागत समिति/कार्यकारी समिति का पूर्व अनुमोदन ले लें।

उत्तर में, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2022) कि अतिरिक्त कार्य के लिए लंबित अनुमोदन के कारण रुके हुए/निष्क्रिय/चल रहे कार्य को रोकने की लागत बहुत अधिक होगी। तकनीकी-सह-लागत समिति की बाद की बैठकों में अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों द्वारा अतिरिक्त कार्य के अनुमोदन के लिए अनुरोध प्रस्तुत किए जाने के दौरान कार्य जारी रखना अधिक लागत प्रभावी था।

उपर्युक्त उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तत्काल मामलों में अनुमोदन भौगोलिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद प्राप्त किया गया था जो क्षेत्रीय कार्य के पूरा होने से बहुत बाद में था और इस तरह के विलंब के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। इसने अतिरिक्त कार्य की निगरानी/सत्यापन को भी कार्य पूरा होने और अनुमोदन के लिए अनुरोध में व्यापक अंतराल के कारण अव्यावहारिक बना दिया।

सिफारिश संख्या 9

न्यास यह सुनिश्चित कर सकता है कि अन्वेषण एजेंसियां समयबद्ध तरीके से अपने क्षेत्रीय कार्य की योजना बनाएं और उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही निष्पादन करें।

6.2.3.8 एनएमईटी की स्वायत्तता की स्थिति

एनएमईटी की स्थापना (अगस्त 2015) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करके एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में की गई थी। अधिनियम में संशोधन करके और इसे अपने स्वयं के शासन निकाय के साथ-साथ कार्यकारी प्रबंधन देकर इसकी स्थापना के तरीके से, यह स्पष्ट होता है कि न्यास का उद्देश्य खान मंत्रालय से स्वतंत्र एक निकाय बनाना था और इसकी कार्यप्रणाली शुरू से ही स्वायत्त होनी चाहिए थी। हालांकि खान मंत्री, सचिव (खान) और खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार इसके शासी निकाय या कार्यकारी समिति में पदेन सदस्य हैं, इसके दैनंदिन कामकाज पर खान मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, एनएमईटी को एक अलग कानूनी इकाई वाले स्वायत्त निकाय के बजाय खान मंत्रालय के एक डिवीजन के रूप में माना जा रहा है। इस बीच, एनएमईटी को "गैर-लाभकारी स्वायत्त निकाय" घोषित करने के लिए मार्च 2021 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में और संशोधन किया गया, लेकिन अस्पष्टता की स्थिति अभी भी बनी हुई है। एनएमईटी अपनी स्वायत्तता की

स्थिति पर भ्रम के कारण परिचालन संबंधी बाधाओं से जूझ रहा है जैसा कि नीचे दिया गया है:

i) परियोजना की निगरानी के लिए विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं की नियुक्ति न करना

कार्यकारी समिति (फरवरी 2019) के अनुमोदन से एनएमईटी ने चल रही परियोजनाओं की निगरानी के लिए नौ खनिज अन्वेषण विशेषज्ञों का चयन किया। तत्पश्चात, फाइल को मंत्रालय के एकीकृत वित्त डिवीजन की सहमति के लिए अग्रेषित किया गया। एकीकृत वित्त डिवीजन ने यह कहते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि इसे खान मंत्रालय के स्थापना डिवीजन के माध्यम से भेजा जाना चाहिए था क्योंकि एनएमईटी मंत्रालय के एक कार्यक्रम डिवीजन के रूप में कार्य कर रहा था। उपर्युक्त के मद्देनजर, कार्यकारी समिति ने विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं की भर्ती की प्रक्रिया को रद्द (फरवरी 2020) कर दिया। अब तक, एनएमईटी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की निगरानी के लिए विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं को नियुक्त करने के लिए आगे कोई पहल नहीं की गई थी। मंत्रालय ने उत्तर (अप्रैल 2022) में इस विषय पर कुछ नहीं कहा है।

ii) वेबसाइट के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा के अभाव के परिणामस्वरूप इसकी असुरक्षा

एनएमईटी के लिए एक गतिशील वेबसाइट विकसित करने के लिए ₹37.92 लाख (चरण-1: वेबसाइट विकास- ₹24.60 लाख और चरण-2: वार्षिक रखरखाव संविदा ₹13.32 लाख) की लागत पर कार्य आदेश जारी किया गया (जनवरी 2016)।

चरण-1 के पूरा होने के बाद, चरण-2 के भुगतान के लिए वित्तीय सहमति हेतु मंत्रालय के एकीकृत वित्त डिवीजन को प्रस्ताव भेजा गया (मई 2019)। हालांकि, एकीकृत वित्त डिवीजन के पास छह महीने तक बहुत पूछताछ हुई और प्रस्ताव को अंततः अनुमोदित नहीं किया गया। नतीजतन, एनएमईटी वेबसाइट का वार्षिक रखरखाव नहीं किया जा सका और इसे नियमित रूप से अनुरक्षित/अपडेट नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय प्रत्येक छह महीने के निर्धारित अंतराल पर एनएमईटी की वेबसाइट की सुरक्षा लेखापरीक्षा करने में विफल रहा। इस बीच, आसूचना ब्यूरो (जून 2020) के साथ-साथ प्रधानमंत्री कार्यालय (मई 2021) ने एनएमईटी को वेबसाइट की मौजूदा कमी के बारे में सूचित किया जिसका उपयोग डेटा की अखंडता से समझौता करने और साइबर हमले करने के लिए किया जा सकता है।

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2022) कि एनएमईटी ने वार्षिक रखरखाव संविदा सेवा प्रदाता के चयन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है जो असुरक्षा के मुद्दे को हल करने के लिए एनएमईटी वेबसाइट की सुरक्षा लेखापरीक्षा करेगा।

iii) अलग बजट का अभाव

न्यास का अपना अलग से बजट नहीं होता है। एनएमईटी के बजट अनुमान (बीई/आरई) संबंधित वर्ष के दौरान विभिन्न अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों द्वारा निष्पादित की जाने वाली अन्वेषण परियोजनाओं के आयोजन के आधार पर खान मंत्रालय के अनुदान की मांग के साथ तैयार किए जाते हैं। मंत्रालय के उत्तर (अप्रैल 2022) में इस विषय पर कुछ नहीं कहा गया है।

iv) वार्षिक लेखे का रखरखाव न करना

एनएमईटी नियमावली, 2015 के नियम 24(1) के प्रावधान के अनुसार एनएमईटी को अपने वार्षिक लेखे को केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए फॉर्म, मोड और तरीके से अनुरक्षित करना अपेक्षित है। इसके अलावा, इसका नियम 24(2) निर्धारित करता है कि न्यास के लेखे की लेखापरीक्षा केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए तरीके से की जाएगी। इसके बाद, मार्च 2018 में एनएमईटी के नियमों में संशोधन किया गया और न्यास के लेखाओं की लेखापरीक्षा का जिम्मा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया। हालाँकि, इसकी स्थापना के बाद से कोई लेखा तैयार नहीं किए गए हैं और इसलिए, आज तक इसकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है। मंत्रालय के उत्तर (अप्रैल 2022) में इस विषय पर कुछ नहीं कहा गया है। इस तरह से वार्षिक लेखे तैयार नहीं होने के कारण, एनएमईटी के परिचालन से उत्पन्न अधिशेष या घाटे दर्ज नहीं हो पा रहे थे। इसके साथ ही परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की राशि की मात्रा का पता नहीं चल पा रहा था।

v) वार्षिक रिपोर्ट तैयार न करना

एनएमईटी नियम, 2015 में भी एनएमईटी को लेखाओं की लेखापरीक्षा के बाद केंद्र सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। एनएमईटी के परिचालन विवरण को शामिल करते हुए पहले तीन वर्षों (2015-16 से 2017-18) के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई थी। हालाँकि, इस पद्धति को 2018-19 से बंद कर दिया गया है और एनएमईटी के परिचालन और वित्तीय निष्पादन को मंत्रालय की

वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है। मंत्रालय के उत्तर (अप्रैल 2022) में इस विषय पर भी कुछ नहीं कहा गया है।

vi) एनएमईटी में नियमित पदों का सृजन न होना

एनएमईटी वर्तमान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड से अस्थायी रूप से लिए गए नौ अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। इन अधिकारियों की नियुक्ति न तो स्थायी है और न ही प्रतिनियुक्ति पर। हालांकि, एनएमईटी के नियम शासी निकाय को एनएमईटी के लिए अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का अधिकार देते हैं, फिर भी मंत्रालय ने एनएमईटी के लिए कोई नियमित पद सृजित नहीं किए हैं।

उपर्युक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2022) कि एनएमईटी के स्वायत्त कार्यचालन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्वायत्त निकाय के रूप में एनएमईटी के कार्यचालन के लिए खान मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित उपाय पहले ही शुरू कर दिए गए हैं:

- 2021-22 के दौरान एनएमईटी ने वित्त मंत्रालय से एनएमईटी के अपने सार्वजनिक लेखा में संचित सभी निधियों को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। इसे 2021-22 के लिए अनुदान की पूरक मांग के तीसरे बैच में शामिल किया गया है।
- लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय की सलाह के अनुसार एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्यचालन के लिए एनएमईटी की मसौदा लेखांकन प्रक्रिया पहले ही आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भेज दी गई है।
- स्वायत्त निकाय के रूप में एनएमईटी के लिए पदों के सृजन का मामला व्यय विभाग में विचाराधीन है।

हालांकि, तथ्य यह है कि भले ही एनएमईटी अगस्त 2015 में परिभाषित उद्देश्यों के साथ एक अलग गैर-लाभकारी स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, इसमें कार्यचालन के संदर्भ में स्वायत्तता का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः अलग सार्वजनिक लेखा, बजट, वार्षिक लेखाओं और उसकी लेखापरीक्षा मौजूद नहीं है और साथ ही इसमें पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण श्रमबल की कमी भी रही।

सिफारिश संख्या 10

मंत्रालय एनएमईटी को शीघ्र पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करे ताकि यह परिकल्पना के अनुसार अपने खुद के बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों के साथ राष्ट्रीय महत्व की भूमिका निभाने के लिए मजबूत हो। इससे न्यास स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और वर्तमान व्यवस्था में उसके समक्ष आ रही बाधाओं को दूर करने में सक्षम होगा।

सिफारिश संख्या 11

एनएमईटी के पास उचित संस्थानिक संवर्ग और संगठन में निरंतरता बनाए रखने के लिए अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों का एक आदर्श मेल रहे।

6.2.4 निष्कर्ष

एनएमईटी को वित्त पोषण के स्रोत के रूप में एनएमईटी योगदान के साथ देश में खनिज अन्वेषण में तेजी लाने के लिए एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन छह वर्ष बाद भी एनएमईटी अंशदान के मिलन में गंभीर विसंगतियां थीं। इसमें, प्रतिपूर्ति शुरू करने में देरी, एमईसीएल/जीएसआई पर अनुचित निर्भरता, निजी अन्वेषण एजेंसियों की भागीदारी में कमी, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की कमी और परियोजना प्रस्तावों की अपर्याप्त संवीक्षा के कारण आवंटित बजट के उपयोग में लगातार गिरावट दर्ज की गयी थी।

इसके अलावा, एनएमईटी द्वारा अनुमोदित अन्वेषण परियोजनाएं अधिकांश खनिजों से संबंधित थी और इसने रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण को आवश्यक प्राथमिकता नहीं दी थी जो इसकी स्थापना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक था। तकनीकी-सह-लागत समिति द्वारा भी परियोजनाओं की सघन संवीक्षा में कमियाँ थीं। इसके अलावा, एनएमईटी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की उचित निगरानी नहीं की गई थी। एनएमईटी के लिए प्रभारों की अनुसूची के अनुमोदन में अत्यधिक विलंब हुआ जिसके परिणामस्वरूप एनएमईटी निधि से अधिक व्यय हुआ। खनिज खंडों की नीलामी से संबंधित संव्यवहार सलाहकार शुल्क एनएमईटी नियमों का उल्लंघन करते हुए राज्य सरकारों को संवितरित की गई थी। एनएमईटी ने अपनी चालू परियोजनाओं की निगरानी के लिए कोई प्रक्रिया भी नहीं बनाई जो कि नियमों के तहत परिकल्पित था।

यद्यपि एनएमईटी को स्थापना के बाद से एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करना अभीष्ट था, मंत्रालय के अनुचित नियंत्रण और पूर्ण स्वायत्तता की कमी के

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

परिणामस्वरूप कई प्रशासनिक और कार्यात्मक समस्याएं उत्पन्न हुईं जैसे कि इसके अलग बजट या वार्षिक लेखाओं को कभी भी तैयार नहीं किया जाना। परिणामस्वरूप, वार्षिक लेखे की कोई लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। इसके अलावा, शासी निकाय की अपर्याप्त बैठकों के कारण एनएमईटी के लिए नीतिगत ढांचा तैयार नहीं किया गया और इसके वार्षिक बजट निर्धारित समय के भीतर अनुमोदित नहीं किए गए।

स्वायत्तता के अभाव में, एनएमईटी न केवल अपने अभीष्ट उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में विफल रहा बल्कि इसके वित्तपोषण संचालन भी व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित नहीं किए गए थे। इसके अलावा, पर्याप्त नियंत्रण तंत्र विकसित नहीं करने और अलग बजट तैयार न करने से एनएमईटी के संचालन की प्रभावशीलता और मितव्ययिता प्रभावित हुई। इन सभी के परिणामस्वरूप देश में खनिज अन्वेषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन नहीं मिल सका।

अध्याय VII: पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट

7.1 निजी संविदाकार को भूमि आवंटन में अनुचित लाभ

भूमि नीति दिशानिर्देशों के उल्लंघन में लाइसेंस शुल्क में अनुचित रियायत देने के साथ-साथ एक निजी संविदाकार को भूमि के आवंटन में प्रक्रियात्मक चूक के परिणामस्वरूप लाइसेंस शुल्क की वसूली न करने के कारण ₹4.06 करोड़ के राजस्व की हानि।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट (पत्तन) के हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स को राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड के साथ जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-41, रानीचक, हल्दिया में रेलवे क्रॉसिंग पर समाप्त हो जाता है। रानीचक में रेल के साथ-साथ सड़क क्रॉसिंग⁷⁸ ने पत्तन और उसके आसपास के उद्योगों के वाहनों की आवाजाही में यातायात की भारी भीड़ बढ़ा दी। पत्तन ने रानीचक में एक रोड ओवर ब्रिज सह फ्लाईओवर के निर्माण की आवश्यकता महसूस की। उपरोक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पत्तन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया (मार्च 2015) कि दो अप एंड डाउन रैंप के साथ एक चार लेन का रोड ओवर ब्रिज सह फ्लाईओवर का निर्माण कलकत्ता हल्दिया पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड⁷⁹ के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

तदनुसार, कलकत्ता हल्दिया पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड ने मेसर्स दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड (संविदाकार) को रानीचक में रोड ओवर ब्रिज सह फ्लाईओवर के निर्माण के लिए नियुक्त किया (फरवरी 2016)। संविदाकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से तीन वर्ष के लिए पट्टा अवधि के आधार पर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स की खाली भूमि⁸⁰ पर उपरोक्त परियोजना के लिए संयंत्र और कार्यालय की स्थापना के लिए पत्तन से अनुमति लेने के लिए संपर्क किया (फरवरी 2016)। तदनुसार,

⁷⁸ रानीचक में रेलवे क्रॉसिंग के तुरंत बाद स्थित है

⁷⁹ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी विशेष प्रयोजन संस्था कलकत्ता-हल्दिया पत्तन से जोड़ने वाली परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए।

⁸⁰ लगभग 10.873 एकड़ (44,000 वर्ग मीटर) माप

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स को उपरोक्त परियोजना के लिए संविदाकार द्वारा अनुरोधित भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया (फरवरी 2016)। हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में भूमि के आवंटन के लिए जिम्मेदार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना किसी प्रकार के बिना पोर्ट के हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स की संरचनागत ढांचा और नागरिक सुविधा प्रभाग द्वारा संयंत्र और कार्यालय की स्थापना की अनुमति दी गई थी (फरवरी 2016)। संविदाकार को भूमि के आवंटन में उपरोक्त प्रक्रियात्मक चूक को नियमित करने के लिए, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स ने किराया और भूमि नीति दिशानिर्देशों की प्रचलित अनुसूची के अनुसार लागू दर और शर्तों पर संविदाकार को 11 महीने के लिए लाइसेंस देने का प्रस्ताव पत्र जारी किया (जून 2016)। इसे एनएचएआई या संविदाकार ने स्वीकार नहीं किया। हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स ने फरवरी 2016 से जनवरी 2017 तक की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क के बीजक जारी किए (जनवरी 2017 और जून 2017)। इसके बाद हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स ने बीजक जारी करना बंद कर दिया (जून 2017 से) क्योंकि संविदाकार द्वारा उपरोक्त बीजकों के प्रति कोई भुगतान नहीं किया गया था। लाइसेंस शुल्क लेने का उपरोक्त मुद्दा और कलकत्ता हल्दिया पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड के साथ-साथ संविदाकार के अनुरोध को पत्तन के न्यासी बोर्ड के समक्ष रखा गया था (सितंबर 2018)। न्यासी बोर्ड ने संविदाकार से आवंटित भूमि के लिए लाइसेंस शुल्क के लिए किराए की लागू अनुसूची का 50 प्रतिशत प्रकार लेने का निर्णय लिया था। इस निर्णय से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ अवगत कराया गया (जनवरी 2019) कि संविदाकार को तदनुसार लाइसेंस शुल्क जमा करने की सलाह दी जाए। रोड ओवर ब्रिज सह फ्लाईओवर का निर्माण दिसंबर 2020 में पूरा हो गया था और संविदाकार ने लाइसेंस शुल्क का भुगतान किए बिना जनवरी 2021 में भूमि खाली कर दी थी।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के संरचनागत ढांचा और नागरिक सुविधा प्रभाग द्वारा संविदाकार को भूमि के आवंटन में प्रक्रियात्मक चूक (सक्षम प्राधिकारी अर्थात् पत्तन के उपाध्यक्ष के अनुमोदन के बिना भूमि का आवंटन) थी और उसी के कारण, भूमि सौंपने से पहले संविदाकार के साथ कोई लाइसेंस करार नहीं किया गया था।

- संविदाकार ने करीब पांच वर्ष तक बिना लाइसेंस शुल्क चुकाए भूमि पर कब्जा किया। इस प्रकार, पत्तन ने अपने स्वयं के वित्तीय और वाणिज्यिक हितों का त्याग करते हुए एक निजी पार्टी को अनुचित लाभ दिया।
- इसके अलावा संविदाकार को लाइसेंस शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत भूमि नीति दिशानिर्देश 2014 का उल्लंघन था। इस प्रकार, पत्तन ने ₹2.03 करोड़ के राजस्व को छोड़ने का विकल्प चुना।
- चूंकि हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स ने ऐसी भूमि के आवंटन के लिए संविदाकार के साथ लाइसेंस करार नहीं किया था, इससे पत्तन की वसूली करने के लिए स्थिति कमजोर हो गई।
- चूंकि रोड ओवर ब्रिज का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका था और संविदाकार ने भी भूमि खाली कर दी थी, ₹4.06 करोड़ के पूर्ण लाइसेंस शुल्क की वसूली के उनके अधिकार के होते हुए भी ₹2.03 करोड़ के रियायती लाइसेंस शुल्क की वसूली की संभावना कम हो गई थी।

इस प्रकार, पत्तन ने भूमि के आवंटन में प्रक्रियात्मक चूक के साथ लाइसेंस शुल्क में रियायत देकर संविदाकार, एक निजी पार्टी को अनुचित लाभ दिया। परिणामस्वरूप, पत्तन न केवल लाइसेंस शुल्क (₹ 2.03 करोड़) के अपने वैध दावे को छोड़ने की स्थिति में आ गया बल्कि लाइसेंस शुल्क (₹ 2.03 करोड़) की वसूली करने में भी विफल रहा, जिसके कारण अंततः ₹ 4.06 करोड़ के हकदार राजस्व की हानि हुई।

उत्तर में, प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2022/जुलाई 2022) कि संविदाकार को अनुमत लाइसेंस शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत भूमि नीति दिशानिर्देश 2014 के प्रावधानों के अनुपालन में थी। बकाया लाइसेंस शुल्क की वसूली के मामले को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

प्रबंधन/मंत्रालय का उपर्युक्त तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि नीति दिशानिर्देश 2014 स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि सुरक्षा एजेंसियों और सरकारी विभागों को वार्षिक पट्टा किराए के केवल 50 प्रतिशत तक ही रियायत दी जा सकती है। इसके अलावा, कार्य करने के लिए आवश्यक सीमा शुल्क, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सुरक्षा कार्यों आदि जैसे सरकारी विभागों को भूमि के संबंध में पत्तन द्वारा वार्षिक पट्टा किराया के 75 प्रतिशत तक रियायतें देने पर विचार किया जा सकता है। जहाजरानी मंत्रालय द्वारा

जारी "भूमि प्रबंधन 2015 स्पष्टीकरण के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों का संकलन" द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था। चूंकि, न तो संविदाकार कोई सरकारी संगठन था और न ही उक्त भूमि का उपयोग सामान्य सुविधाओं जैसे सीवेज संयंत्र या अस्पताल आदि के निर्माण के लिए किया गया था, अतः संविदाकार को पट्टा किराए में रियायत नहीं दी जानी चाहिए थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से संविदाकार से बकाया लाइसेंस शुल्क की वसूली के लिए अनुनय के संबंध में, यह उल्लेख करना उचित है कि संविदाकार का केवल ₹35 लाख का अंतिम बिल माल और सेवा कर संबंधी, मामलों के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास लंबित है और उसका समाधान माल एवं सेवा कर लेखापरीक्षाक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर किया जाएगा। इसलिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ संविदाकार के बिल से पट्टा किराया की वसूली की संभावना कम प्रतीत होती है।

इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना एक निजी संविदाकार को भूमि के निःशुल्क आवंटन के कारण ₹4.06 करोड़ की हानि हुई क्योंकि किराए की वसूली की संभावना कम है।

सिफारिश

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना एक निजी संविदाकार को निः शुल्क भूमि के आवंटन के लिए हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स की संरचनागत ढांचा और नागरिक सुविधा प्रभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सकता है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उचित कदम उठा सकता है।

विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण

7.2 विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण में पर्यावरणीय मुद्दों का आंकलन

7.2.1 परिचय

विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण⁸¹ (वीपीए) की स्थापना वर्ष 1933 में भारत के पूर्वी तट पर हुई थी। वीपीए के पास विशाखापत्तनम और उसके आसपास 7,618.30 एकड़ का

⁸¹ प्रमुख पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप "विशाखापत्तनम पत्तन न्यास" का नाम बदलकर 3 नवंबर 2021 से "विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण" कर दिया गया है।

भूमि खंड है। इसमें 27 बर्थ⁸² हैं और वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान वीपीए ने 207.86 मिलियन टन के विभिन्न कार्गो को संभाला है।



चित्र 7.1 - विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण का विहंगावलोकन



विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण का नक्शा

डब्ल्यूक्यू- पश्चिमी घाट बर्थ
ईक्यू - पूर्वी घाट बर्थ
ओबी - अयस्क बर्थ
एफबी - उर्वरक बर्थ
ओआर- तेल रिफाइनरी
वीजीसीबी - मैसर्स वेदांत जनरल कार्गो बर्थ
वीसीटीपीएल- मैसर्स विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड
ओएसटीटी - डीप ड्राफ्ट ऑफ शोर टैंकर टर्मिनल
एलपीजी - तरलीकृत पेट्रोलियम गैस टर्मिनल

विशाखापत्तनम पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन है और पत्तन की अनूठी विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- आईलैंड ब्रेक-वाटर⁸³, दो पुराने जहाजों को नष्ट करके बनाया गया,
- यह एक उच्च अंतरीप⁸⁴ द्वारा समुद्र में निर्मित प्राकृतिक पत्तन है जो गहरे जल की घाटियों से संपन्न है, जिसे प्रवेश चैनल के दक्षिण में डॉल्फिन नोज हिल और उत्तर में रॉस हिल के रूप में जाना जाता है।
- भारत का एकमात्र पत्तन और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला पत्तन है जिसमें समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई पर तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए 60,000 टन की क्षमता की एक कैवर्न सुविधा⁸⁵ का निर्माण किया गया है।

⁸² पत्तन में एक घाट या डॉक पर एक जहाज का आवंटित स्थान।

⁸³ ब्रेकवाटर एक स्थायी संरचना है जो एक तटीय क्षेत्र में ज्वार, धाराओं, लहरों और तूफान की लहरों से बचाने के लिए बनाई जाती है।


⁸⁴ अंतरीप भूमि का एक उठा हुआ भाग है जो निचली भूमि या पानी में दृष्टिगोचर होता है।

⁸⁵ कैवर्न सुविधा तरल या तरलीकृत हाइड्रोकार्बन को संग्रहीत करने के लिए एक भूमिगत भंडारण सुविधा है।

7.2.2 परिचालन निष्पादन

वीपीए मुख्य रूप से लौह अयस्क, कोयला आदि जैसे डस्टी ड्राई बल्क⁸⁶ कार्गो को संभालने में लगा हुआ है। निम्नलिखित चार्ट वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान संचलन किए गए कुल कार्गो के प्रति ड्राई बल्क कार्गो की मात्रा को दर्शाता है।

चार्ट 7.1: 2018-19 से 2020-21 के दौरान संचलन किए गए कुल कार्गो की तुलना में संचलन किए गए ड्राई बल्क कार्गो (मिलियन टन में)



जैसा कि उपर्युक्त से देखा जा सकता है, कुल 207.86 मिलियन टन कार्गो का संचलन किया गया जिसमें 122.60 मिलियन टन (59 प्रतिशत) में ड्राई बल्क कार्गो शामिल है जो प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है।

7.2.3 पर्यावरणीय कानून और संगठनात्मक ढांचा

क. भारत सरकार ने अपने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण के लिए समय-समय पर कई विनियमों को पेश किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रमुख नीतिगत पहलों में शामिल हैं -राष्ट्रीय वन नीति, 1988; पर्यावरण और विकास पर राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति और नीति विवरण 1992; प्रदूषण उपशमन के लिए नीति विवरण 1992; राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006, आदि। कुल मिलाकर, मंत्रालय ने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, पशु कल्याण, वन्यजीव संरक्षण आदि के नियंत्रण के लिए 50 से अधिक नियम/विनियम/

⁸⁶ ड्राई बल्क कार्गो का अर्थ कमोडिटी कार्गो है जिसे बड़े पार्सल में बिना पैक किए ले जाया जाता है और इसमें कोयला, लौह अयस्क आदि जैसी वस्तुएं शामिल हैं।

अधिसूचनाएं बनाई हैं। आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एपीपीसीबी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ एक वैधानिक संगठन है जिसे आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर पर्यावरण कानूनों और नियमों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है।

विशाखापत्तनम पत्तन तटीय विनियमन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और तटीय हिस्सों, इसके अद्वितीय पर्यावरण और इसके समुद्री क्षेत्र को संरक्षित और रक्षा करने के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2011 के अंतर्गत नियमों का पालन करना पड़ता है। पत्तन को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी पर्यावरणीय कानूनों का भी पालन करना होता है।

आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संचालनों के लिए सहमति जारी करता है और आंध्र प्रदेश में सभी उद्योगों की निगरानी, नियंत्रण और नियमन करने और चूक करने वालों को नोटिस जारी करने का अधिकार रखता है।

ख. संगठन की व्यवस्था

वीपीए का नेतृत्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है जो एक उपाध्यक्ष और कार्यात्मक विभागों के प्रमुखों द्वारा समर्थित होता है। पर्यावरण डिवीजन सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अधीन है और अधीक्षण अभियंता (पर्यावरण प्रकोष्ठ) की अध्यक्षता में है जो सिविल अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता को रिपोर्ट करता है।

ग. विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण की भूमिका

वीपीए विभिन्न परियोजनाओं की योजना बनाता है और उन्हें क्रियान्वित करता है जैसे चैनलों और बर्थों को गहरा करना, नई बर्थों का निर्माण, अत्याधुनिक मशीनीकृत हैंडलिंग सुविधाओं और अन्य संचालनों और मौजूदा परियोजनाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार या तो अपने स्वयं के संसाधनों से या सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से करना। वीपीए को ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इस मंजूरी को प्राप्त करने के लिए, वीपीए द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक आवेदन किया जाता है। इस तरह के आवेदन की प्राप्ति पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अध्ययन के लिए संदर्भ की शर्तों को निर्धारित और संप्रेषित करता है। पर्यावरण प्रभाव आंकलन अध्ययन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के सफल अनुपालन पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी जारी की जाती है। पर्यावरण मंजूरी में

निर्धारित शर्तों के सफल अनुपालन के आधार पर, एपीपीसीबी स्थापना के लिए सहमति जारी करता है, जिस पर परियोजना प्रस्तावक परियोजना का निर्माण/आधुनिकीकरण/उन्नयन शुरू करेगा। स्थापना के लिए सहमति में शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद, एपीपीसीबी प्रचालनों के लिए सहमति जारी करता है। परियोजना प्रस्तावक इस सहमति के प्राप्त होने के बाद ही परियोजना का प्रचालन शुरू कर सकता है। वीपीए को अपना प्रचालन करते समय प्रचालनों के लिए सहमति में निर्धारित शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

7.2.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, पद्धति और मानदंड

वीपीए द्वारा किए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा करने और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपायों और उनकी प्रभावशीलता, पर्याप्तता और अनुपालन के प्रवर्तन में आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका की समीक्षा करने के लिए 2018-19 से 2020-21 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए "वीपीए में पर्यावरणीय मुद्दों का आंकलन" पर लेखापरीक्षा की गई थी।

29 नवंबर 2021 को पत्तन के प्रबंधन के साथ एक एन्ट्री कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा की पद्धति पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा पद्धति में पत्तन के अभिलेखों की जांच और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध जानकारी, लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी करना, अभ्युक्तियां करना, वीपीए के अधिकारियों के साथ बातचीत करना और मसौदा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देना शामिल था। 4 मई 2022 को आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन के साथ मसौदा प्रतिवेदन पर चर्चा की गई।

पत्तन द्वारा किए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए लेखापरीक्षा मानदंड थे-

- क) पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली और पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अध्ययन;
- ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण और तटीय नियामक क्षेत्र मंजूरी और एपीपीसीबी द्वारा वीपीए को जारी की गई प्रचालनों के लिए सहमति;
- ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सामान्य रूप से पत्तन के लिए और

विशेष रूप से वीपीए के लिए विभिन्न अधिनियमों/अधिसूचनाओं/नियमों के माध्यम से निर्धारित वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, शोर में कमी और अपशिष्ट प्रबंधन के प्रबंधन पर पैरामीटर/मानदंड;

- घ) विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिए गए न्यायिक निर्णय।

7.2.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह आंकलन करने के लिए लेखापरीक्षा की गई कि क्या -

- (i) पत्तन के पास पर्यावरण संबंधी उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए उपयुक्त पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना और प्रणाली मौजूद थी;
- (ii) पत्तन ने विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को नियंत्रित करने, परिसंकटमय अपशिष्टों के प्रबंधन और निपटान और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं का अनुपालन किया था; तथा
- (iii) आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपायों को लागू करने और पत्तन की गतिविधियों की निगरानी में अपनी भूमिका का कुशलता से निर्वहन किया।

7.2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

7.2.6.1 पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली

7.2.6.1 (i) अपर्याप्त पर्यावरण प्रबंधन नीति

एक सुस्थापित पर्यावरण प्रबंधन नीति किसी भी संगठन के लिए अपने पर्यावरण संबंधी कार्यों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। हालांकि, यह पाया गया कि वीपीए ने पर्यावरण प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और अच्छी व्यावसायिक स्थिति के लिए कोई व्यापक नीति तैयार नहीं की थी।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि वर्तमान नीति आईएसओ प्रमाणन मानदंडों के अनुसार तैयार की गई थी और कहा कि व्यापक पर्यावरण प्रबंधन नीति के अभाव के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट किया गया था और इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर को इस तथ्य के आधार पर देखे जाने की आवश्यकता है कि प्रबंधन द्वारा संदर्भित नीति आईएसओ 14001 प्रमाणन के तहत विशाखापत्तनम पत्तन की सुरक्षा, अच्छी स्थिति, पर्यावरण और गुणवत्ता नीति है जो कि सभी लागू वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं, के अनुपालन चोट रोकथाम, व्यावसायिक जोखिम और प्रदूषण आदि जैसे क्षेत्रों में वीपीए की प्रतिबद्धता को रेखांकित करने वाला एक सामान्य विवरण है। इसे संगठन की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करने वाली सुस्थापित नीति के रूप में नहीं कहा जा सकता है, जिसके लिए प्रदूषण को कम करने के लिए समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। आदर्श रूप से, नीति को, वीपीए की महायोजना के साथ तालमेल बिठाते हुए, विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं को तैयार करने के लिए रूपरेखा निर्धारित करना चाहिए, जिसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और पत्तन के कर्मचारियों की व्यावसायिक स्थिति को सुरक्षित करना हो।

सिफारिश संख्या 1

विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण अपनी महायोजना के साथ तालमेल बिठाते हुए प्रदूषण के उपशमन के लिए रोडमैप को रेखांकित करते हुए एक सुस्थापित व्यापक पर्यावरण प्रबंधन नीति तैयार कर सकती है।

7.2.6.1 (ii) वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वीपीए को दी गई पर्यावरणीय और तटीय विनियामक क्षेत्र (ई एंड सीआरजेड) मंजूरी (19 मई 1998) में निर्धारित किया गया था कि भूमि पर 2,000 से 2,500 पौधे प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण किया जाना है। इसके अलावा, हरित विशाखा कार्यक्रम⁸⁷ के तहत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार,

⁸⁷ हरित विशाखा, विशाखापत्तनम शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमां, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ग्रेटर विशाखा नगर निगम के समन्वय से 40 लाख पौधे लगाने के लिए एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है।

2017-18 तक, यानी 2012-13 से पांच वर्ष तक कुल 5,65,000 पौधे लगाए जाने थे। उपरोक्त शर्त का पालन करने के लिए, वीपीए द्वारा अपने परिसर में एक समर्पित नर्सरी (अर्थात् तिरुपति राजू एनवायरमेंटल पार्क) का रखरखाव किया जा रहा है।



इस संबंध में, यह देखा गया कि हरित विशाखा कार्यक्रम के तहत कुल 5,65,000 वृक्षारोपण लक्ष्य में से वीपीए ने उल्लेखनीय प्रगति (94.34 प्रतिशत) की है और 2020-21 के अंत तक कुल 5,33,000 पौधे लगाए गए, हालांकि 32,000 पेड़ लगाने में कमी अभी भी बनी हुई है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पुष्टि करते हुए, प्रबंधन ने बताया (मई 2022/सितंबर 2022) कि शेष 32,000 पौधे लगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

7.2.6.1 (iii) पट्टेदारों द्वारा वृक्षारोपण का अनुपालन न करना

वीपीए द्वारा विभिन्न पार्टियों के साथ किए गए दीर्घकालिक पट्टा करार के खंड 31 में निर्धारित किया गया है कि पट्टेदारों को प्रदूषण-रोधी उपाय के रूप में उन्हें आवंटित क्षेत्र के 10 प्रतिशत में वृक्षारोपण करना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर अनुरक्षण लागत सहित भूमि के 10 प्रतिशत के क्षेत्रफल हेतु वृक्षारोपण की दोगुनी लागत पट्टेदारों से बिना किसी सूचना के वसूल की जायेगी। हालांकि, यह देखा गया कि यद्यपि 23 पट्टेदारों (अनुलग्नक-XXX में दर्शाए गए), जिन्होंने 1993 से 1127.55 एकड़ का पट्टा लिया है, ने शर्तों का पालन नहीं किया था, वीपीए ने उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है जो पर्यवेक्षी तंत्र में विफलता को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप न केवल 112.75 एकड़

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

में पेड़ों का वृक्षारोपण नहीं हुआ, जो पूर्ण अननुपालन को दर्शाता है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप अननुपालक पट्टेदारों पर 31 मार्च, 2021 तक ₹19.84 करोड़ की शास्ति का उदग्रहण भी नहीं किया गया, जैसा कि करार के खंड 31 के तहत आवश्यक है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पुष्टि करते हुए, प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि पट्टेदारों को संविदात्मक दायित्व के अनुसार वृक्षारोपण पूरा करने के लिए समझाने का प्रयास किया जा रहा है और यह भी कहा कि कुछ भूखंड वृक्षारोपण के लिए अनुकूल नहीं थे और इसलिए, समस्या के समाधान के लिए पट्टेदारों के साथ एक बैठक की योजना बनाई गई थी।

सिफारिश संख्या 2

विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण को उन पट्टेदारों पर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जिन्होंने वृक्षारोपण से संबंधित संविदात्मक दायित्वों का पालन नहीं किया है।

7.2.6.1 (iv) पर्यावरणीय मंजूरी की वेबसाइट पर होस्टिंग

पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 2006 के पैरा 10 (i) (ए) के अनुसार, परियोजना प्रस्तावक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह पर्यावरणीय परिस्थितियों और सुरक्षा उपायों के साथ अपनी परियोजना के लिए दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को सार्वजनिक करे और इसे परियोजना प्रस्तावक की वेबसाइट में स्थायी रूप से भी प्रदर्शित किया जाए। हालांकि, वीपीए ने प्राप्त पर्यावरण मंजूरी को अपनी वेबसाइट पर नहीं डाला है।

प्रबंधन ने बताया (मई 2022) कि कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

7.2.6.2 जल प्रदूषण

7.2.6.2 (i) पोताश्रय जल गुणवत्ता प्रबंधन में कमियां

पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अनुसार, पोताश्रय के लिए जल की गुणवत्ता का रखरखाव एक पूर्व आवश्यकता है। "पर्यावरणीय प्रदूषकों के विसर्जन के लिए सामान्य मानक भाग ए - बहिःस्राव" पर उक्त नियमों की अनुसूची VI के साथ पठित "तटीय जल समुद्री उत्प्रपातों के लिए जल गुणवत्ता मानकों के अंतर्गत पोताश्रय जल" पर उक्त

नियमों के नियम 86 के श्रेणी सतही जल (एसडब्ल्यू) - IV, में घुलित ऑक्सीजन, सीसा, कुल निलंबित ठोस प्रदार्थ आदि के लिए पोताश्रय जल गुणवत्ता के रखरखाव के लिए मानक निर्धारित हैं। आंध्र विश्वविद्यालय के सलाहकारों द्वारा अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान 10 बार पोताश्रय जल के नमूनों का परीक्षण किया गया था और यह विश्लेषण रिपोर्ट से देखा गया कि सभी अवसरों पर सीसा, घुलित ऑक्सीजन और कुल निलंबित ठोस पदार्थ वास्तविक अनुमत सीमा से अधिक थे जिसका विवरण नीचे दिया गया है-

क) **सीसा:** सीसा एक ऐसी धातु है जो जलीय वातावरण में अत्यधिक जहरीली होती है। मछली सबसे अधिक पाए जाने वाले जलीय कशेरुकियों में से एक हैं, और वे मानव भोजन सेवन को सीधे प्रभावित कर सकती हैं। मछली जलीय वातावरण में खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर हैं और तदनुसार, वे सीसे के संपर्क के जहरीले प्रभावों के लिए अतिसंवेदनशील हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में पोताश्रय जल के लिए निर्धारित जल गुणवत्ता मानकों के अनुसार पोताश्रय के जल में सीसा 0.10 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए। हालांकि, यह देखा गया कि अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान पोताश्रय के जल में सीसे की मात्रा विभिन्न नमूना स्थानों पर निर्धारित मानक से अधिक थी जो कि 0.20 और 0.49 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच थी।

ख) **घुलित ऑक्सीजन:** घुलित ऑक्सीजन जल में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा है। जल निकाय वायुमंडल और जलीय पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। जब घुलित ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, तो मछली और अन्य जलीय जीव जीवित नहीं रह सकते। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में निर्धारित मानकों के अनुसार, पोताश्रय जल के लिए घुलित ऑक्सीजन प्रति लीटर 3 मिलीग्राम से अधिक होनी चाहिए। हालांकि, यह देखा गया कि अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान पोताश्रय जल में घुलित ऑक्सीजन की उपस्थिति विभिन्न नमूना स्थानों पर निर्धारित मानक से कम थी और 0.30 और 2.90 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच थी।

ग) **कुल निलंबित ठोस पदार्थ:** कुल निलंबित ठोस पदार्थ, निलंबित कणों का शुष्क भार होता है, जो किसी दिए गए जल के नमूने में नहीं घुलता है। उच्च कुल निलंबित ठोस पदार्थ की उपस्थिति जल में प्राकृतिक रूप से घुलित ऑक्सीजन को कम कर सकती

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

है और जल के तापमान को बढ़ा सकती है। हालांकि, यह देखा गया कि अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान पोताश्रय जल में कुल निलंबित ठोस पदार्थ स्तरों की उपस्थिति विभिन्न नमूना स्थानों पर 600 मिलीग्राम प्रति लीटर के निर्धारित मानक से अधिक थी और 605 और 876 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि पोताश्रय जल में प्रदूषकों की अधिकता का प्राथमिक कारण विशाखापत्तनम शहर की नालियों का जल पोताश्रय के जल में गिरना है। इस मामले को बार-बार जिला कलेक्टर के समक्ष उठाया गया है और उनकी ओर से कार्रवाई प्रतीक्षित है।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है कि वीपीए के प्रयासों ने पोताश्रय जल प्रदूषण को रोकने में कोई स्पष्ट परिणाम नहीं दिया है जैसा कि उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित परीक्षण परिणामों से देखा गया है।

सिफारिश संख्या 3

विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण पोताश्रय जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। जहां तक ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम की भूमिका का संबंध है, मामले को संबंधित प्राधिकरणों के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है।

7.2.6.2 (ii) जल की खपत और बहिःस्राव के विसर्जन में विचलन

वीपीए ने मई 2017 में एपीपीसीबी से प्रचालनों के लिए सहमति प्राप्त की जो 31 दिसंबर 2021 तक वैध थी। प्रचालनों की सहमति जल की खपत, बहिःस्राव के विसर्जन, खतरनाक अपशिष्टों के निपटान आदि के लिए सीमा निर्धारित करती है। दिसंबर 2021 में वीपीए द्वारा प्रचालनों के लिए सहमति के नवीनीकरण हेतु फाइल किए गए आवेदन और वीपीए द्वारा फाइल की गई विभिन्न आवधिक रिटर्न्स की समीक्षा पर निम्नलिखित को पाया गया:

क) पानी की खपत: एपीपीसीबी से प्रचालनों के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए वीपीए द्वारा किए गए आवेदन (29 नवंबर 2016) में यह देखा गया कि इसने प्रति दिन 6.0 मिलियन लीटर ताजे पानी की खपत के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया जो कि

15.84⁸⁸ लाख गैलन प्रति दिन के बराबर था। हालाँकि, एपीपीसीबी ने ताजे पानी की खपत को प्रति दिन 4.00 लाख गैलन तक सीमित कर दिया। एपीपीसीबी ने वीपीए को यथासंभव पानी की खपत को कम करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ताजे पानी की औसत खपत अनुमत मात्रा से लगभग दोगुनी थी और वर्ष 2018, 2019 और 2020 के दौरान क्रमशः 8.044 लाख गैलन, 8.156 लाख गैलन और 7.962 लाख गैलन प्रति दिन रही। इसके अलावा, वर्ष 2018 में ही अतिरिक्त पानी की खपत को नोटिस करने के बावजूद, वीपीए ने प्रचालनों के लिए सहमति दिनांक 11 मई 2017 में एपीपीसीबी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पानी की खपत के कारणों का विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य जल लेखापरीक्षा नहीं की थी।

आगे यह देखा गया कि हालांकि प्रचालनों के लिए सहमति के प्रारंभिक वर्ष के दौरान ताजे पानी की खपत 8.04 लाख गैलन प्रति दिन थी, जबकि प्रचालनों के लिए सहमति में निर्धारित सीमा 4.00 लाख गैलन प्रति दिन थी, वीपीए ने 11 मई 2017 को एपीपीसीबी द्वारा जारी किए गए प्रचालनों के लिए सहमति में पानी की खपत को निर्धारित सीमा के भीतर रखने के लिए न तो आवश्यक कदम उठाए और न ही पानी की खपत की सीमा बढ़ाने के लिए एपीपीसीबी से संपर्क किया। चूंकि खपत किए गए पानी का 85 प्रतिशत बहिःस्राव के रूप में छोड़ा जाना था, इसलिए पानी की खपत में कोई भी वृद्धि बहिःस्रावों में वृद्धि करेगी।

ख) मानकों से परे बहिः स्राव को विसर्जन: बहिःस्राव को पानी की खपत के अनुपात में छोड़ना होता है और वीपीए ने आंकलन किया कि खपत किए गए पानी का लगभग 85 प्रतिशत बहिःस्रावों के रूप में छोड़ा जाएगा। प्रचालनों के लिए सहमति के अनुसार, घरेलू बहिःस्रावों के अधिकतम दैनिक विसर्जन की निर्धारित सीमा 19.04 किलोलीटर प्रति दिन थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2018, 2019 और 2020 के दौरान बहिः स्रावों का औसत विसर्जन क्रमशः 2,588.23, 2,624.27 और 2,561.85 किलोलीटर प्रति दिन था, जबकि घरेलू बहिःस्रावों का अधिकतम अनुमत विसर्जन 19.04 किलोलीटर प्रति दिन था। इसके

⁸⁸ 6 मिलियन लीटर = 60,00,000 लीटर। 1 लीटर के लिए 1 यूएस गैलन में रूपांतरण कारक 0.264 है। इसलिए 60,00,000 लीटर X 0.264 = 15,84,000 गैलन।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

अलावा, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 भी उपचारित बहिःस्राव जल के पुनः उपयोग का प्रावधान करता है। हालांकि, वीपीए का आंकलन कि खपत किए गए पानी का लगभग 85 प्रतिशत विसर्जन के रूप में छोड़ा जाएगा, यह दर्शाता है कि पत्तन ने अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए संभावित तरीकों और विकल्पों की खोज नहीं की थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि अप्रैल 2022 में जारी किए गए नवीनतम प्रचालनों के लिए सहमति में पानी की खपत और बहिःस्राव के विसर्जन के संबंध में सीमा को संशोधित किया गया था जो 31 दिसंबर 2026 तक वैध था।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है कि भले ही सहमति के अनुसार घरेलू बहिःस्राव के विसर्जन की अनुमत सीमा को संशोधित कर 3,091 किलोलीटर प्रतिदिन कर दिया गया था और अप्रैल 2022 में प्राप्त प्रचालनों के लिए सहमति के अनुसार पानी की खपत को 8 लाख गैलन प्रति दिन तक संशोधित किया गया था, बहिःस्रावों का वास्तविक विसर्जन और पानी की खपत अभी भी मानदंडों से अधिक था और 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 की अवधि के दौरान क्रमशः 4,862 किलोलीटर प्रति दिन और 8.86 लाख गैलन प्रति दिन था जो अप्रैल 2022 से प्रभावी प्रचालनों के लिए सहमति में निर्धारित संशोधित मानदंडों के ऊपर पानी की खपत का 57.30 प्रतिशत और 10.75 प्रतिशत अतिरिक्त विसर्जन करता दर्शाता है।

एपीपीसीबी की प्रभावशीलता

अपने उत्तर में, एपीपीसीबी (अप्रैल 2022) ने पानी की खपत में वृद्धि को स्वीकार किया है और इसके लिए विभिन्न कार्यों से धूल के उत्सर्जन को रोकने के लिए पानी के छिड़काव को उत्तरदायी ठहराया है। इसके अलावा, एपीपीसीबी ने वीपीए के आंकलन से असहमति जताई थी कि उपयोग किए गए पानी का 85 प्रतिशत बहिःस्राव के रूप में छोड़ा जाएगा और कहा कि वाष्पीकरण के कारण पानी की कुछ मात्रा की हानि होगी। हालांकि, इस तरह के कथित वाष्पीकरण के कारण हानि का कोई विवरण एपीपीसीबी द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था।

आगे यह देखा गया कि हालांकि एपीपीसीबी ने वीपीए को पानी की खपत और बहिःस्राव के विसर्जन के क्षेत्रों में सीमा से अधिक के संबंध में अपनी प्रचालनों के लिए सहमति में संशोधन प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया था (2 मार्च 2020), दिसंबर 2021 में प्रचालनों

के लिए सहमति की समाप्ति तक वीपीए द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

सिफारिश संख्या 4

विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीकों का पता लगा सकता है जैसे कि बागवानी, शौचालयों को फलश करना, धूल को दबाने के लिए सड़कों/कोयला यार्ड पर छिड़काव आदि, ताकि ताजे पानी की खपत को कम किया जा सके।

ग) प्रवाहित किए गए उपचारित बहिःस्रावों में सहनीयता सीमा से अधिक घटकों की उपस्थिति - एपीपीसीबी द्वारा जारी (4 जुलाई 2017) प्रचालनों के लिए सहमति में निर्धारित शर्तों के अनुपालन में, वीपीए ने पत्तन अस्पताल (अर्थात, गोल्डन जुबली अस्पताल) में एक सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किया था (4 अक्टूबर 2019)। सीवेज उपचार संयंत्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सशक्त हाइड्रोजन (पीएच), कुल निलंबित ठोस पदार्थ आदि जैसे विभिन्न बहिःस्रावों के विषाक्त प्रभाव को कम करना था। हालांकि, गोल्डन जुबली अस्पताल स्थित सीवेज उपचार संयंत्र से निकलने वाले बहिःस्रावों की विश्लेषण रिपोर्ट में यह देखा गया था कि अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान सात में से तीन अवसरों में क्षारीयता का स्तर और कुल निलंबित ठोस पदार्थ की उपस्थिति निर्धारित सीमा से अधिक थी जैसा कि नीचे तालिका 7.1 में दिया गया है:

तालिका 7.1 - सशक्त हाइड्रोजन मात्रा और कुल निलंबित ठोस पदार्थ अधिकता का विवरण

मापदंड	इकाई	निर्धारित सीमाएं	निम्न तिथि पर किए गए परीक्षण के परिणाम		
			12-12-2020	13-3-2021	14-09-2021
संभावित हाइड्रोजन मात्रा	-	5.5-9.0	10.6	11.32	11.2
कुल निलंबित ठोस पदार्थ	मिलीग्राम/ली*	100	228	201	277

* - एमजी/ली - मिलीग्राम प्रति लीटर

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

प्रबंधन ने कहा (मई 2022) कि संभावित हाइड्रोजन मात्रा गंभीर चिंता का विषय नहीं है जब तक कि यह असामान्य रूप से उच्च न हो और समय के साथ, संभावित हाइड्रोजन मात्राओं को स्थिर किया जाएगा। चूंकि अपशिष्ट जल को विभिन्न अस्पताल इकाइयों से प्रवाहित किया गया था, इसलिए घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, कुछ अवसरों पर, कुल निलंबित ठोस पदार्थ के परिणाम निर्धारित सीमा से अधिक दिख सकते हैं।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं है कि बहिस्राव का विसर्जन मानकों से अधिक था और सीवेज उपचार संयंत्र की संस्थापना के उद्देश्यों की प्राप्ति न होने का संकेत देता है।

एपीपीसीबी की प्रभावशीलता

इस संबंध में, वीपीए के अभिलेखों से यह देखा गया कि एपीपीसीबी ने प्रचालनों के लिए सहमति के अनुसार निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं करने और अप्रैल 2022 में संशोधित होने तक इसके निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए वीपीए के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी।

एपीपीसीबी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2022) कि पोताश्रय का पानी, उपचारित न किए गए घरेलू सीवेज पानी के मिलने से दूषित हो रहा है, जिसे ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम द्वारा निपटाया जा रहा है और यह मामला आयुक्त, ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम के साथ उठाया गया है। यह भी कहा गया था कि धूल भरे कार्गो को संभालने के दौरान उत्पन्न अस्थायी धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए लगातार पानी के छिड़काव के कारण पानी की खपत में वृद्धि हुई थी। आगे यह कहा गया कि जनवरी 2022 में वीपीटी के सीवेज उपचार संयंत्र से एकत्र किए गए अपशिष्ट जल के नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि बहिस्राव जैसे कि संभावित हाइड्रोजन और कुल निलंबित ठोस पदार्थ, मानदंड के अनुसार थे।

एपीपीसीबी का उत्तर पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने पाया कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर 2022 के महीनों में वीपीए द्वारा किए गए परीक्षणों का पीएच स्तर निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं था और यह 10.4 से 11.7 के बीच था, हालांकि कुल निलंबित ठोस पदार्थ निर्धारित मानदंडों के अनुसार पाए गए।

7.2.6.3 वायु प्रदूषण

7.2.6.3 (i) निर्धारित वार्षिक औसत से अधिक पीएम₁₀ का उत्सर्जन

18 नवंबर 2009 की राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुसार, कणाकार पदार्थ₁₀ (पीएम₁₀) का वार्षिक औसत स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर बनाए रखा जाना है। वीपीए परिसर में तीन परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थित थे। इन स्टेशनों के आंकड़ों से पता चला कि पीएम₁₀ का वार्षिक औसत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्तरों से अधिक था। जनवरी 2018 से जुलाई 2021 तक वीपीए में स्थित तीन परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों पर दर्ज पीएम₁₀ का वार्षिक औसत तालिका में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 7.2 - पीएम₁₀ के वार्षिक औसत से अधिक होने का विवरण

(माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर में)

वर्ष	मानक वार्षिक औसत	आर एंड डी यार्ड	जीवीएमसी* स्टेडियम	सामान्य कार्गो बर्थ
2018	60	84.51	73.64	65.81
2019	60	78.41	71.27	71.68
2020	60	72.26	66.15	63.06
2021 (जुलाई 2021 तक)	60	78.14	72.66	75.61

* - जीवीएमसी - ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम। जीवीएमसी स्टेडियम वीपीए मुख्य द्वार से सटा हुआ है और पत्तन क्षेत्र में है

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि करते समय, प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि यद्यपि वीपीए दैनिक उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने में सक्षम था⁸⁹, वे वार्षिक औसत को पूरा करने में असमर्थ थे। यह भी कहा गया कि वे सभी बर्थों पर मशीनीकृत धूल दबाने की प्रणाली, कोहरा कैनन मशीनों की संस्थापना और ढके हुए छप्पर के निर्माण जैसे विभिन्न कदम उठा रहे थे। आगे यह कहा गया कि वीपीए के अलावा, वाहन प्रदूषण और शहर की सड़कों से निकलने वाली धूल जैसे कई अन्य कारक भी धूल प्रदूषण के कारण थे।

⁸⁹ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिनांक 18 नवंबर 2009 की अधिसूचना के अनुसार पीएम 10 की औसत दैनिक स्वीकार्य सीमा 100 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर है जबकि वार्षिक औसत 60 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर से कम है।

7.2.6.3 (ii) धूल भरे कार्गो को तिरपाल से अपर्याप्त रूप से ढकना

एपीपीसीबी, आंध्र प्रदेश राज्य में पर्यावरणीय पहलुओं की निगरानी के लिए नियामक प्राधिकरण होने के नाते, प्रदूषण को कम करने के लिए समय-समय पर वीपीए को निर्देश जारी करता है। 28 दिसंबर 2015 को एपीपीसीबी द्वारा वीपीए को दिए गए निर्देशों में ये भी था कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, "वीपीए धूल भरे कार्गो (कोयला और अन्य कार्गो, आदि) के सभी स्टैक यार्ड को तिरपाल के साथ तुरंत ढकेगा और कोई कोयला स्टैक यार्ड बिना तिरपाल के मौजूद नहीं होगा।"



चित्र 7.3 - तिरपाल से आंशिक रूप से ढके हुए स्टैक्स

वीपीए और सार्वजनिक निजी भागीदारी ऑपरेटरों के विभिन्न स्थानों पर तिरपाल के साथ कार्गो के आवृत क्षेत्र का आंकलन करने के लिए गठित आंतरिक पर्यावरण कार्य दल की आवधिक निरीक्षण रिपोर्ट में जनवरी 2019 से जून 2021 की अवधि के दौरान 2,630 स्टैक को शामिल किया। इन निरीक्षणों से पता चला कि 15 प्रतिशत स्टैक्स में, तिरपाल का आवरण बिल्कुल नहीं था। तिरपालों के साथ शेष स्टैक्स का औसत सतह आवृत क्षेत्र धूल भरे कार्गो स्टैक्स का लगभग 60 प्रतिशत ही था।

स्टॉक धारकों द्वारा स्टैक्स को तिरपाल से ढकने में विफल रहने के परिणामस्वरूप, वीपीए ने सभी चूककर्ता स्टॉक धारकों को नोटिस जारी किया और मई 2018 से जनवरी 2020 की अवधि के दौरान⁹⁰ ₹ 8.16 करोड़ का जुर्माना वसूल किया।

⁹⁰ बाद में, कोई शास्ति नहीं लगाई गई क्योंकि स्टैक धारकों ने दंड लगाने के विरुद्ध आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया था।

इस प्रकार, एपीपीसीबी द्वारा 28 दिसंबर 2015 को दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, वीपीए तिरपालों से स्टैक्स के सतह क्षेत्र के लगभग आधे हिस्से को ढकने में सक्षम रहा। इसने अपने स्टैक यार्डों में धूल भरे कार्गो के भंडारण के माध्यम से उत्पन्न वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एपीपीसीबी द्वारा निर्देशित उपायों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया। धूल भरे कार्गो को तिरपाल से ढकने के लिए वीपीए द्वारा स्थापित तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि इस संबंध में एपीपीसीबी द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि आंतरिक पर्यावरण कार्य दल चौबीसों घंटे स्टैक यार्डों की निगरानी कर रही है और तिरपालों से धूल भरे कार्गो को न ढकने के मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि 15 प्रतिशत स्टैक्स में, कोई तिरपाल कवरेज नहीं था और शेष स्टैक्स में, औसत सतह आवृत क्षेत्र धूल भरे कार्गो स्टैक्स का केवल 60 प्रतिशत था।

सिफारिश संख्या 5

विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण को तिरपालों द्वारा स्टैक्स का पर्याप्त आवृत होना सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि कार्गो से निकलने वाली धूल को कम किया जा सके।

7.2.6.3 (iii) एपीपीसीबी द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करना

(क) एपीपीसीबी द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान

एक गैर-सरकारी संगठन ने वीपीए द्वारा पर्यावरण मानकों के तथाकथित उल्लंघन पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष एक आवेदन (2015) दाखिल किया जिसमें ऐसे कार्गो से धूल के उत्सर्जन के कारण वीपीए द्वारा किसी भी कोयला कार्गो का संचालन नहीं करने के लिए उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया। आवेदन के उत्तर में, वीपीए ने कहा (सितंबर 2015) कि वीपीए ऐसे कार्गो से धूल के उत्सर्जन को रोकने के लिए मशीनीकृत धूल दबाने की प्रणाली स्थापित कर रहा था, साथ ही ट्रक के टायरों की धुलाई, परिसर की दीवार को ऊंचा करना, मानव बस्तियों के पास धूल भरा कार्गो का भंडारण न करना जैसे अन्य उपाय भी कर रहा था। यह भी कहा गया कि उन्होंने लघु अवधि (2015-16 के दौरान), मध्यम अवधि (2015-17 के दौरान) और दीर्घकालिक

उपायों (2015-18 के दौरान) के साथ एक व्यापक पर्यावरण प्रबंधन योजना शुरू की है। वीपीए द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के वायदे के अनुसार, दिसंबर 2018 तक दीर्घकालिक उपायों को लागू करना था।

नतीजतन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वीपीए द्वारा किसी भी कोयला कार्गो का संचालन नहीं करने के लिए आवेदक एनजीओ की दलील को खारिज कर दिया और वीपीए को पहले से शुरू की गई पर्यावरण प्रबंधन योजना को लागू करने का निर्देश दिया (8 मार्च 2017)। वीपीए को आगे की कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। एपीपीसीबी, राज्य में प्रदूषण मानकों को बनाए रखने के लिए वैधानिक प्राधिकरण होने के नाते, प्रचालनों के लिए सहमति के लिए निर्देशों और सहमति के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा कर रहा था और वीपीए⁹¹ द्वारा अनुपालन के लिए समय-समय पर आवधिक निर्देश जारी किए गए थे।

इसके बाद, एनजीओ द्वारा दाखिल एक अपील (2019) के दौरान, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पाया कि वीपीए ने उसे दी गई प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं किया और एपीपीसीबी को निर्देश दिया (3 जनवरी 2020) कि वह वीपीए के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करे। पिछली रिपोर्ट में उनके द्वारा दी गई अभ्युक्तियों के आधार पर और दो महीने की अवधि के भीतर इस संबंध में की गई कार्रवाई और स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एपीपीसीबी को समय-समय पर यूनिट की निगरानी करने और वीपीए द्वारा प्रदूषण मानदंडों के अनुपालन को प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में, एपीपीसीबी ने 23 जनवरी 2020 को हुई बाह्य सलाहकार समिति (कार्यदल) की बैठक में वीपीए द्वारा किए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों की स्थिति की समीक्षा की और देखा कि एपीपीसीबी द्वारा निर्देश जारी करने के बाद भी, वीपीए ने इसके द्वारा दर्शाई गई समय-सीमा के विरुद्ध तत्काल, लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक उपायों का अनुपालन नहीं किया गया, जैसा कि **अनुलग्नक-XXXI** में दर्शाया गया है। एपीपीसीबी ने अनुपालन के लिए और निर्देश जारी किए (2 मार्च 2020) और वीपीए को ₹1.00 करोड़ की निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने का निर्देश दिया।

⁹¹ 22.05.2017, 13.12.2017, 8.06.2018, 26.12.2018 और 28.5.2019 को जारी आवधिक निर्देश।

एपीपीसीबी के निर्देश के अनुपालन में, वीपीए ने (4 मार्च 2020) एपीपीसीबी के पक्ष में जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए ₹1.00 करोड़ की एक निष्पादन बैंक गारंटी 25 फरवरी 2020 को दी गई कार्य योजना में प्रतिबद्ध सभी धूल भरे कार्गो क्षेत्रों में मशीनीकृत धूल दबाने की प्रणाली की संस्थापना के लिए दिए गए पहले के निर्देशों (28 दिसंबर 2015 और 2 मार्च 2020) के अनुपालन की प्रतिबद्धता के साथ प्रस्तुत की है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (साउथ ज़ोन) ने अपने आदेश (5 मार्च 2020) में कहा कि निष्पादन बैंक गारंटी जमा करना केवल निर्देशों का पालन करने वाले उपक्रम के प्रदर्शन को आश्वस्त करने के लिए है और यह अतीत में किए गए उल्लंघन के क्षतिपूर्ति की किसी भी राशि की वसूली नहीं होगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने यह भी कहा कि, इस तरह की प्रकृति के कई मामलों में, उन्होंने एपीपीसीबी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने और "प्रदूषक भुगतान" सिद्धांत को लागू करके चूककर्ता इकाई से वसूल करने का निर्देश दिया था। लेकिन इस तरह के कदम नहीं उठाए गए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने (5 मार्च 2020) एपीपीसीबी को कारण बताओ नोटिस जारी करने और चूककर्ता/उल्लंघनकर्ता को क्षतिपूर्ति लगाने का उत्तर प्रस्तुत करने का अवसर देने और फिर कानून के अनुसार उचित आदेश भी पारित करने का निर्देश दिया।

एपीपीसीबी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के 5 मार्च 2020 के आदेश के अनुपालन में 13 जून 2020 को निरीक्षण किया और मूल्यांकन किया कि पत्तन को अभी भी कुछ निर्देशों का पालन करना बाकी है। उन्होंने अनुमान लगाया कि एपीपीसीबी द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में वीपीए द्वारा ₹1.97 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाना था। एपीपीसीबी ने यह भी कहा कि एपीपीसीबी के निर्देशों का पालन करने में निरंतर विफलता पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति उन दरों पर लागू होगी जो ऊपर निर्धारित दरों के गुणक होंगे। वीपीए ने 14 जुलाई 2020 को एपीपीसीबी को ₹1.97 करोड़ के पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के भुगतान की पुष्टि की (मई 2022)।

यदि वीपीए ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के लिए प्रतिबद्ध उचित प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू किया होता और एपीपीसीबी के निर्देशों का पालन किया होता, तो वीपीए ₹1.97 करोड़ के पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के भुगतान से बच जाता।

(ख) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के भुगतान के बावजूद एपीपीसीबी के निर्देशों का लगातार अननुपालन

राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों का पालन करने के लिए, एपीपीसीबी ने अपने 28 दिसंबर 2015 और 2 मार्च 2020 के आदेशों के अंतर्गत दिए गए निर्देशों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए वीपीए का निरीक्षण किया (12 अगस्त 2021) और एपीपीसीबी द्वारा निर्धारित तत्काल उपायों के निम्नलिखित अननुपालन को देखा:-

- क) एपीपीसीबी के निर्देशों के अनुसार, पत्तन कोयले के स्टैक्स की ऊंचाई 6 मीटर तक सीमित करेगा। हालांकि, यह देखा गया कि कोयले के कुछ ढेरों की ऊंचाई अभी भी 6 मीटर की निर्धारित ऊंचाई से अधिक थी।
- ख) एपीपीसीबी के निर्देशों के अनुसार, पत्तन किसी भी स्थान में मशीनीकृत धूल दबाने की प्रणाली के बिना किसी भी धूल भरे कार्गो का भंडारण नहीं करेगा। हालांकि, यह देखा गया कि वीपीए कुछ स्थानों पर बिना मशीनीकृत धूल दबाने की प्रणाली के धूल भरे कार्गो का भंडारण कर रहा था।



चित्र 7.4: मशीनीकृत धूल दबाने की प्रणाली द्वारा कोयले के स्टैक्स का गीला होना

- ग) एपीपीसीबी के निर्देशों के अनुसार, पत्तन को सिटी इंटरफेस के पास स्थित कोल स्टैकिंग यार्डों के पुनर्गठन के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करनी थी और सभी अतिरिक्त स्टैकिंग को तत्काल हटाया जाना था। दिनांक 25 फरवरी 2020 की

कार्य योजना के अनुसार, कोल स्टैकिंग यार्ड को पत्तन क्षेत्र के परित्यक्त भवनों के विध्वंस द्वारा बनाए गए क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि, जुलाई 2022 तक यह कार्य योजना पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि करते हुए, प्रबंधन ने कहा (मई 2022) कि आंतरिक कार्य दल स्टैक यार्ड की लगातार निगरानी कर रहा था और उन सभी स्थानों पर, जहां धूल भरे कार्गो को संग्रहीत किया जा रहा था वहाँ मशीनीकृत धूल दबाने की प्रणाली की संस्थापना और सभी बर्थों पर फॉग कैनन मशीनों के माध्यम से पानी का छिड़काव आदि उपायों का अनुपालन सुनिश्चित कर रहा था।

तथ्य यह है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के छह साल से अधिक समय बीत जाने और ₹1.97 करोड़ के पर्यावरणीय मुआवजे के भुगतान के बाद भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

7.2.6.4 डीजल जेनरेटर से ध्वनि प्रदूषण

पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में संशोधन द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित डीजल जेनरेटर सेट के लिए ध्वनि सीमा के अनुसार, 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद निर्मित 1,000 केवीए तक की रेटेड क्षमता वाले डीजल जनरेटर सेट के लिए ध्वनि स्तर की अधिकतम अनुमत सीमा घेरे की सतह से 1 मीटर की दूरी पर 75 डीबी (ए) थी। हालांकि, यह देखा गया कि वीपीए द्वारा अपने डीजल जनरेटर के संबंध में रिकॉर्ड किए गए ध्वनि स्तर 75 डीबी (ए) की निर्धारित सीमा से अधिक थे और 33 अवसरों में से 22 अवसरों पर 102.7 डीबी (ए) तक थे, जब 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान अपतटीय टैंकर टर्मिनल बर्थ, एलपीजी बर्थ और ऑयल रिफाइनरी-1 और 11 बर्थ पर विभिन्न डीजल जनरेटर का परीक्षण किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि ध्वनि प्रदूषण के संबंध में मानदंडों को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं और ये जनरेटर वहां स्थित थे जहां मानव संपर्क न्यूनतम है।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में मान्य नहीं है कि डीजल जेनरेटर के समीप के क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी उच्च ध्वनि स्तर के संपर्क में थे।

7.2.6.5 ई-अपशिष्ट प्रबंधन में चूक

23 मार्च 2016 की अधिसूचना द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई-अपशिष्ट⁹² (प्रबंधन) नियम, 2015 को अधिसूचित किया, जो निर्धारित करता है कि उत्पन्न ई-अपशिष्ट का निपटान वर्ष 2011 और 2016 में जारी ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत निर्धारित तरीके से किया जाना है। ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 के साथ पठित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2011 के नियम 12 में कहा गया है कि "प्रत्येक उत्पादक, संग्रह केंद्र, भंजक, या रिसाइकलर एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की अवधि के लिए ई-अपशिष्ट का भंडारण कर सकते हैं"। इसके अलावा, मई 2017 में वीपीए को जारी की गई प्रचालनों के लिए सहमति निर्धारित करती है कि वीपीए में उत्पन्न ई-अपशिष्ट का निपटान 0.5 टन प्रति वर्ष तक सीमित होगा और इसे अधिकृत री-प्रोसेसर/री-साइकलर को निपटाना होगा।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि वीपीए ने अधिकृत एजेंटों द्वारा भाग लेने वाली ई-नीलामी के माध्यम से 13.66 मीट्रिक टन ई-अपशिष्ट का निपटान किया (नवंबर और दिसंबर 2018)। इसके बाद, जनवरी 2021 में 9.60 मीट्रिक टन की एक और मात्रा का निपटान किया गया। ये भंडार 20 वर्षों की अवधि तक जमा थे। आगे, 31 मार्च 2021 तक 500 किलोग्राम बिजली के लैंप भंडार में पड़े थे। ई-अपशिष्ट के निपटान में देरी के कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि निर्धारित समय-सीमा का पालन करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी और तदनुसार पर्यावरण प्रबंधन योजना में संशोधन किया जाएगा।

तथ्य यह है कि ई-अपशिष्ट वर्षों से जमा था और 2011 से नियम लागू होने के बावजूद समय पर निपटान नहीं किया गया था।

⁹² ई-अपशिष्ट उनके "उपयोगी जीवन" के अंत के करीब इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए एक लोकप्रिय, अनौपचारिक नाम है। कंप्यूटर, टीवी, वीसीआर, स्टीरियो, कॉपियर और फैक्स मशीन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं।

7.2.6.6 प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

7.2.6.6 (i) पत्तन अस्पताल में सीवेज उपचार संयंत्र से उपचारित जल को उपयोग में न लाना

एपीपीसीबी द्वारा वीपीए के अस्पताल (अर्थात गोल्डन जुबली अस्पताल) को जारी किए गए प्रचालनों के लिए सहमति (4 जुलाई 2017) के अनुसार, वीपीए को प्रचालनों के लिए सहमति प्राप्त करने की तिथि से चार महीने के भीतर (अर्थात 3 नवंबर 2017 तक) सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण करना चाहिए। हालांकि, यह देखा गया कि वीपीए ने दो वर्ष के विलंब के बाद अक्टूबर 2019 में 25 किलोलीटर प्रतिदिन का सीवेज जल उपचार संयंत्र स्थापित किया।



चित्र 7.5 - सीवेज उपचार संयंत्र से उपचारित जल को मुख्य नाले में छोड़ा जाता है

इसके अतिरिक्त, सीवेज उपचार संयंत्र की संस्थापना का एक उद्देश्य यह था कि उपचारित पानी को विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कि बागवानी, शौचालयों में फ्लशिंग आदि के लिए पुनः उपयोग में लाया जाना चाहिए, जिससे ताजे पानी का उपयोग कम हो, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता रहे। हालांकि, यह देखा गया कि गोल्डन जुबली अस्पताल में सीवेज उपचार संयंत्र के उपचारित पानी को अस्पताल परिसर में उपयोग के लिए या बागवानी के लिए उपचारित पानी के पुनर्चक्रण के लिए कोई प्रयास किए बिना जल निकासी व्यवस्था में छोड़ दिया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि अस्पताल परिसर में उपचारित पानी के उपयोग के विकल्पों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे थे क्योंकि उपचारित पानी की बहुत कम मात्रा उत्पन्न हुई थी।

7.2.6.6 (ii) वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण

वीपीए को जारी पर्यावरण और तटीय विनियमन क्षेत्र की मंजूरी में निर्धारित शर्तों के अनुसार, स्थानीय उपनियमों के अनुसार वर्षा जल संचयन का पालन किया जाएगा और अतिरिक्त पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए संचयित पानी को संग्रहीत, उपचारित और पुनः उपयोग में लाया जाएगा। प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि उसने अपनी सभी कॉलोनियों में वर्षा जल संचयन गड्ढों का निर्माण किया था। आगे यह कहा गया कि कैलासगिरि और मल्कापुरम की तलहटी में वर्षा जल संचयन खाइयाँ बनाई गईं।

7.2.6.7 आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका

आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एपीपीसीबी) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक प्राधिकरण है जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिनियमित विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

पर्यावरणीय कानून और नियम मोटे तौर पर एपीपीसीबी को उद्योगों, नगरपालिका प्राधिकरणों, अस्पतालों आदि द्वारा इन कानूनों और नियमों के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी में एक प्रमुख भूमिका प्रदान करते हैं। एपीपीसीबी प्रदूषण से संबंधित सूचनाओं के संग्रह और प्रसार, व्यापक कार्यक्रमों की योजना बनाने और प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए राज्य सरकार को सलाह देने के लिए उत्तरदायी है। इसे अपने अनिवार्य कार्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए, एपीपीसीबी को संगठनों से जानकारी प्राप्त करने, बहिःस्त्रावों/उत्सर्जन के नमूनों का निरीक्षण और संग्रह करने, संस्थापना के लिए सहमति देने/अस्वीकार करने/वापस लेने/किसी भी संगठन के प्रचालनों के लिए सहमति, संचालन या प्रक्रिया, प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिए न्यायालय जाने की प्रक्रिया, आदि के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

अपने कार्यों के सम्पादन के लिए, एपीपीसीबी ने वर्तमान लेखापरीक्षा में ली गई अवधि के दौरान चार अवसरों⁹³ पर वीपीए का निरीक्षण किया। एपीपीसीबी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के 5 मार्च 2020 के आदेश के अनुपालन में, एपीपीसीबी के निर्देशों का पालन करने में वीपीए की निरंतर विफलता के लिए ₹1.97 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई। वीपीए ने 14 जुलाई 2020 को एपीपीसीबी को ₹1.97 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान किया।

इसकी भूमिका के निष्पादन में कमियों पर पहले ही पैरा 7.2.6.2(ii) (पानी की खपत और बहिःस्राव का विसर्जन), 7.2.6.3(i) (पीएम₁₀ का अतिरिक्त उत्सर्जन) और 7.2.6.9 (पर्यावरण लेखापरीक्षा नहीं करना) में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। इसके अलावा, विभिन्न विचलन और अननुपालन के बावजूद, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के हस्तक्षेप के बाद ही एपीपीसीबी द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई गई थी जैसा कि पैरा 7.2.6.3 (iii) (ए) में चर्चा की गई है।

संक्षेप में, एपीपीसीबी की भूमिका त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसकी निगरानी और प्रवर्तन तंत्र बहुत कमजोर प्रतीत होता है जैसा कि वीपीए द्वारा अननुपालन के विभिन्न उदाहरणों के संबंध में उचित कार्रवाई करने में इसकी निष्क्रियता से स्पष्ट है। अलग-अलग लेखापरीक्षा अभियुक्तियों के प्रति एपीपीसीबी के उत्तरों से यह स्पष्ट है जो दर्शाता है कि एपीपीसीबी ने विभिन्न अननुपालन के बावजूद स्वयं कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की।

सिफारिश संख्या 6

आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण स्तर को मानदंडों के भीतर रखने के लिए वीपीए द्वारा दी गई प्रतिबद्धताओं की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है और वीपीए के प्रति उचित समय पर उचित कार्रवाई कर सकता है।

7.2.6.8 अपर्याप्त मानव संसाधन

दिए गए कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए किसी भी संगठन के लिए मानव संसाधन और उनका इष्टतम उपयोग महत्वपूर्ण है। 2020-21 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रदूषण की निगरानी और रोकथाम के लिए पर्यावरण प्रकोष्ठ के लिए स्वीकृत श्रमबल की तुलना में कार्यरत कर्मियों की गणना नीचे तालिका 7.3 में की गई है:

⁹³ 4 जनवरी 2019, 22 और 23 फरवरी 2019, 7 दिसंबर 2019 और 13 जून 2020।

तालिका 7.3 - कार्यरत कर्मियों की तुलना में स्वीकृत श्रमबल

स्वीकृत		2018-19		2019-20		2020-21	
		कार्यरत कर्मी	कमी	कार्यरत कर्मी	कमी	कार्यरत कर्मी	कमी
श्रेणी-I	4	3	1	4	0	2	2
श्रेणी-II	3	3	0	2	1	2	1
श्रेणी-III	9	7	2	4	5	4	5
श्रेणी-IV	3	1	2	1	2	1	2
कुल	19	14	5 (26%)	11	8 (42%)	9	10 (53%)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 2020-21 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के दौरान पर्यावरण प्रकोष्ठ को पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध नहीं कराये गए थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रमबल में 26 से 53 प्रतिशत की कमी देखी गई।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और उत्तर दिया (मई 2022) कि पर्यावरण प्रभाग में उपयुक्त अर्हता प्राप्त लोगों की भर्ती के प्रयास किए जा रहे हैं और कहा कि एक पर्यावरण अधिकारी और दो अवर अभियन्ताओं को हाल ही में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था।

सिफारिश संख्या 7

पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों की निगरानी के लिए विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण पर्यावरण प्रकोष्ठ के लिए पर्याप्त योग्य श्रमबल प्रदान करे।

7.2.6.9 कोई विशिष्ट पर्यावरणीय लेखापरीक्षा नहीं की गई

पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का नियम 15 निर्धारित करता है (19 नवंबर 1986) कि प्रत्येक संगठन को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पर्यावरण लेखापरीक्षा करनी है और उस लेखापरीक्षा रिपोर्ट को प्रपत्र-V में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करना है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि -

- वीपीए आईएसओ प्रमाणन के एक भाग के रूप में पर्यावरण प्रकोष्ठ सहित विभिन्न वर्गों की लेखापरीक्षा कर रहा है और इस तरह के लेखापरीक्षा के परिणाम का उपयोग पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 द्वारा निर्धारित विशिष्ट

पर्यावरण लेखापरीक्षा करने के बजाय एपीपीसीबी के साथ प्रपत्र-V फाइल करने के लिए किया जाता है।

- (ii) पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों की निगरानी और सुधार के लिए पत्तन द्वारा किए गए उपायों के हिस्से के रूप में, यह उल्लेख किया गया था कि -
- (क) राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने "आपदा प्रबंधन योजना" तैयार की और प्रस्तुत की (जुलाई 2014) जिसे कार्यान्वयन के लिए लागू बताया गया है।
- (ख) "पर्यावरण प्रबंधन और निगरानी योजना⁹⁴" जनवरी 2015 में भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई थी और पत्तन इसे लागू कर रहा है।
- (ग) जवाहरलाल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काकीनाडा ने "सार्वजनिक निजी भागीदारी भागीदारों और विशाखापत्तनम पत्तन के अन्य क्षेत्रों की मौजूदा वायु प्रदूषण प्रबंधन योजना की प्रभावशीलता का आंकलन" पर रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत की (दिसंबर 2018)।

हालांकि, उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी लेखापरीक्षा को जांच के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था और इसलिए, लेखापरीक्षा उपरोक्त दस्तावेजों की सिफारिशों का विशाखापत्तनम पत्तन के अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।

एपीपीसीबी की प्रभावशीलता

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से यह देखा गया कि एपीपीसीबी ने पर्यावरण लेखापरीक्षा वार्षिक रूप से करवाने में पत्तन के अननुपालन के बावजूद कोई आपत्ति नहीं जताई। आगे, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में भी असमर्थ था कि ऊपर क्रमांक (ii) में उल्लिखित रिपोर्ट और उन रिपोर्टों के अनुसार प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई की एपीपीसीबी द्वारा जांच की गई थी या नहीं।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि करते हुए कि कोई विशिष्ट पर्यावरण लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, प्रबंधन ने कहा (मई 2022) कि वीपीए ने विभागाध्यक्षों की आवधिक बैठकों के

⁹⁴ पर्यावरण प्रबंधन और निगरानी योजना एक नीति दस्तावेज है और सक्रिय रूप से प्रबंधन और पुष्टि करने के लिए एक उपकरण है कि तलकषण, पुनःप्राप्ति और अन्य समुद्री निर्माण गतिविधियों का प्रभाव निर्धारित पर्यावरणीय मानकों से अधिक नहीं है।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

माध्यम से पर्यावरणीय पहलुओं की निगरानी के लिए एक आंतरिक तंत्र स्थापित किया था। एपीपीसीबी ने कहा (अप्रैल 2022) कि पत्तन हर वर्ष नियमित रूप से पर्यावरण विवरण प्रस्तुत कर रहा था।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि आईएसओ प्रमाणन पर्यावरण लेखापरीक्षा का प्रतिस्थापन नहीं है जो पर्यावरण मंजूरी और प्रचालनों के लिए सहमति में निर्धारित शर्तों के साथ पत्तन के अनुपालन पर केंद्रित है जबकि आईएसओ प्रमाणन केवल व्यापक पर्यावरण प्रबंधन के अनुपालन की जांच करता है। प्रपत्र V में एपीपीसीबी को प्रस्तुत की गई पर्यावरण रिपोर्ट में मुख्य रूप से सांख्यिकीय आंकड़े सम्मिलित हैं। अगर वीपीए ने पर्यावरण लेखापरीक्षा की होती तो यह आंकलन कर सकता था कि उसे जारी की गई विभिन्न पर्यावरणीय मंजूरी में निर्धारित शर्तों और प्रचालनों के लिए सहमति की शर्तों का उसके द्वारा पालन किया जाता है या नहीं। इसके अलावा, एपीपीसीबी का उत्तर इस मुद्दे पर मौन था कि लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त क्रम संख्या (ii) में उल्लिखित दस्तावेजों की सिफारिशों को इसके द्वारा संज्ञान में लिया गया था या नहीं। इसलिए, रिपोर्ट की सिफारिशों के संबंध में पत्तन का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

सिफारिश संख्या 8

विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण नियमित रूप से पर्यावरण लेखापरीक्षा करे और ऐसे लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई करे।

7.2.6.10 श्रमिकों/कर्मचारियों का अपर्याप्त परीक्षण

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 41(सी)(सी) में कहा गया है कि खतरनाक प्रक्रियाओं के संबंध में प्रत्येक ठेकेदार, बारह महीने से अनधिक अंतराल पर, ऐसे खतरनाक काम में बने रहने के दौरान और ऐसी नौकरी में काम करना बंद करने के बाद प्रत्येक श्रमिक की चिकित्सा जांच की व्यवस्था करेगा। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि व्यावसायिक खतरों की पहचान के लिए वीपीए के नियमित कर्मचारियों का परीक्षण पर्याप्त नहीं था और केवल 58 प्रतिशत कार्यरत कर्मियों का व्यावसायिक खतरों के लिए परीक्षण किया गया था जैसा कि नीचे तालिका 7.4 में वर्णित है।

तालिका 7.4 - चिकित्सा परीक्षण कराने वाले नियमित कर्मचारियों का विवरण

वर्ष	कार्यरत कर्मी	वर्ष के दौरान चिकित्सा जांच कराने वाले कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों का प्रतिशत जिनका चिकित्सीय परीक्षण हुआ है
2018-2019	3348	1800	54
2019-2020	3150	1945	62
2020-2021	2961	1733	59
औसत			58

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि वीपीए के कर्मचारियों की आवधिक स्वास्थ्य जांच कोविड-19 महामारी और लगाए गए लॉकडाउन के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई थी।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 में कोविड-19 महामारी का कोई प्रभाव नहीं था, जिसमें चिकित्सा परीक्षण कराने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत क्रमशः केवल 54 प्रतिशत और 62 प्रतिशत था। आगे यह देखा गया कि 2020-21 के दौरान, जब कोविड-19 प्रतिबंध लागू थे, चिकित्सा परीक्षण समान स्तर, अर्थात् 59 प्रतिशत पर आयोजित किए गए।

7.2.7 विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण में अच्छी कार्यप्रणाली

पर्यावरणीय पहलुओं के संबंध में वीपीए द्वारा अपनाई जाने वाली अच्छी कार्यप्रणालियां निम्नलिखित हैं:

- (i) वीपीए ने स्टैक यार्ड से धूल के उत्सर्जन को रोकने के लिए धूल अवरोधकों का निर्माण किया था। इसने धूल के उत्सर्जन को रोकने के लिए ऊंची दीवारों का भी निर्माण किया।



चित्र 7.6 - धूल अवरोधक



चित्र 7.7 - गगनचुंबी दीवार

- (ii) वीपीए 2018-21 से वर्षों के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अर्थात सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी बिजली की आवश्यकता का 100 प्रतिशत पूरा करने में सक्षम था।



7.2.8 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में नाना प्रकार की कमियाँ देखीं। हालांकि वीपीए 2018-2019 से 2020-2021 के दौरान सीपीसीबी द्वारा निर्धारित दैनिक आधार पर परिवेशी वायु गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करने में सक्षम था, लेकिन यह देखा गया कि पीएम₁₀ का वार्षिक औसत मानदंडों से अधिक था। एपीसीबी द्वारा मशीनीकृत धूल दबाने की प्रणाली के बिना धूल भरे कार्गो के गैर-भंडारण के लिए जारी निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया था।

वीपीए ताजे पानी और निकलने वाले बहिस्राव की खपत के लिए प्रचालनों की सहमति के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं का पालन करने में असमर्थ था। इसके अलावा, पत्तन हॉस्पिटल और बंदरगाह के पानी में सीवेज उपचार संयंत्र से प्रवाहित क्षारीयता, कुल प्रसुप्त ठोस पदार्थ, सीसा और घुलित ऑक्सीजन के मानदंडों से अधिक पाया गया। ताजे पानी की खपत को कम करने के लिए अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए कोई उपाय नहीं किए गए थे।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण को दिए गए आश्वासनों के अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.97 करोड़ के पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि यद्यपि वीपीए के पास पर्यावरण प्रबंधन के मुद्दों और पर्यावरण अधिनियमों/नियमों के अनुपालन की देखरेख के लिए एक स्थापित पर्यावरण प्रकोष्ठ था, इस प्रकोष्ठ में कम कर्मचारी थे।

एपीपीसीबी ने वीपीए के विरुद्ध प्रदूषण/बहिःस्राव के स्तर को मानदंडों के भीतर रखने में विफल रहने और वीपीए द्वारा एक स्वतंत्र पर्यावरण लेखापरीक्षा नहीं करने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं की।

इस प्रकार, वीपीए को वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा स्थापित विभिन्न मानदंडों के अनुपालन में सुधार की आवश्यकता है ताकि सभी क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके और इस संबंध में समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का प्रभावी ढंग से निर्वहन किया जा सके।

आर जी विश्वनाथन

(आर जी विश्वनाथन)

उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली

दिनांक: 10 फरवरी 2023

प्रतिहस्ताक्षरित



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 10 फरवरी 2023

अनुलग्नक

अनुलग्नक-1
(पैरा 1.1 में संदर्भित)

आर्थिक और सेवा मंत्रालय/विभाग

क्रम.सं.	आर्थिक और सेवा मंत्रालय
1.	नागर विमानन
2.	कोयला
3.	वाणिज्य और उद्योग
4.	कारपोरेट कार्य
5.	भारी उद्योग
6.	आवासन और शहरी कार्य
7.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
8.	खान
9.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
10.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग
11.	विद्युत
12.	सड़क परिवहन और राजमार्ग
13.	इस्पात
14.	वस्त्र
15.	पर्यटन
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत विभाग
1.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग
	वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग
2.	वित्तीय सेवाएं विभाग
3.	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
4.	लोक उद्यम विभाग

अनुलग्नक-II

(पैरा 1.1 में संदर्भित)

केंद्रीय स्वायत्त निकायों की सूची

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग	
1.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण	नागर विमानन	
2.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय		
3.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन	कोयला	
4.	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	वाणिज्य और उद्योग	
5.	काँफी बोर्ड		
6.	निर्यात निरीक्षण परिषद		
7.	फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट		
8.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण		
9.	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन न्यास		
10.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद		
11.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश		
12.	रबड़ बोर्ड		
13.	स्पाइसेस बोर्ड		
14.	टी बोर्ड भारत		
15.	तंबाकू बोर्ड		
16.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग		काँपॉरिट कार्य
17.	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड		
18.	विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण		
19.	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण	वित्तीय सेवा विभाग	
20.	स्ट्रेस्टड असेट्स स्टेबलाइज़ेशन फंड		
21.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण		
22.	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण		
23.	विशेष तरलता योजना न्यास		
24.	राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड	भारी उद्योग	
25.	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना कार्यान्वयन सोसायटी		

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग
26.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	आवास और शहरी कार्य
27.	दिल्ली शहरी कला आयोग	
28.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	
29.	राजघाट समाधि समिति	
30.	कॅयर बोर्ड	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
31.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग	
32.	तेल उद्योग विकास बोर्ड	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
33.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड	
34.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान	
35.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग
36.	चेन्नई पत्तन न्यास*	
37.	कोचीन पत्तन न्यास*	
38.	दीनदयाल पत्तन न्यास*	
39.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	
40.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास*	
41.	मुर्मूगाव पत्तन न्यास*	
42.	मुंबई पत्तन न्यास*	
43.	मुंबई पत्तन न्यास पेंशन निधि न्यास	
44.	न्यू मंगलौर पत्तन न्यास*	
45.	पारादीप पत्तन न्यास*	
46.	नाविक भविष्य निधि संगठन	
47.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन	
48.	महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण	
49.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास*	
50.	वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास*	
51.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	
52.	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	
53.	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए)	
54.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	
55.	लोक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन	लोक उद्यम विभाग

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग
56.	भारतीय सड़क कांग्रेस	सड़क परिवहन और राजमार्ग
57.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	वस्त्र
58.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	
59.	राष्ट्रीय पटसन बोर्ड	
60.	वस्त्र समिति	

* **नोट:** भारत के प्रमुख पत्तन जो अब तक प्रमुख पत्तन ट्रस्ट अधिनियम, 1963 द्वारा शासित थे, उन्हें 3 नवंबर 2021 से प्रमुख पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत लाया गया है। तदनुसार, प्रमुख पत्तन ट्रस्टों का नाम बदलकर पत्तन प्राधिकरण कर दिया गया है।

अनुलग्नक-III

(पैरा 1.5 में उल्लिखित)

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

मंत्रालय/विभाग	जिस अवधि से अनुदान संबंधित है (मार्च 2020 तक जारी अनुदान)	मार्च 2020 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में 31.03.2021 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
		लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹करोड़ में)
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1985-86 से 2014-15 तक	334	1,534.61
	2015-16	60	92.08
	2016-17	163	856.79
	2017-18	200	1,163.57
	2018-19	421	2,470.36
	2019-20	543	6,105.88
	कुल	1,721	12,223.29
वित्तीय सेवाएं विभाग	2015-16	9	135.58
	2016-17	11	1,707.56
	2017-18	11	604.89
	2018-19	7	614.22
	2019-20	5	25.00
	कुल	43	3,087.25
वस्त्र मंत्रालय	1978-79 से 2014-15	763	26.25
	2015-16	429	124.37
	2016-17	332	582.01
	2017-18	366	23.10
	2018-19	512	31.05
	2019-20	559	68.92
	कुल	2,961	855.70
भारी उद्योग मंत्रालय	2003-04 और 2014-15	2	5.71
	2016-17	2	0.15
	2017-18	5	20.36

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

मंत्रालय/विभाग	जिस अवधि से अनुदान संबंधित है (मार्च 2020 तक जारी अनुदान)	मार्च 2020 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में 31.03.2021 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
		लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
	2018-19	11	23.87
	2019-20	21	106.45
	कुल	41	156.54
रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	2018-19	13	215.22
	कुल	13	215.22
पर्यटन मंत्रालय	2010-11 से 2014-15 तक	18	28.83
	2015-16	10	48.12
	2016-17	21	164.08
	2017-18	11	57.41
	2018-19	13	31.63
	2019-20	11	31.71
	कुल	84	361.78
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	2006-07 से 2014-15 तक	171	18.30
	2015-16	51	5.19
	2017-18	77	62.35
	2018-19	41	137.56
	2019-20	232	596.71
	कुल	572	820.11
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	17-2016	1	4.40
	18-2017	6	103.84
	19-2018	5	43.75
	20-2019	8	39.73
	कुल	20	191.72
वाणिज्य विभाग	2008-2009 से 2014-15 तक	3	10.26
	16-2015	1	2.00
	17-2016	2	15.30

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

मंत्रालय/विभाग	जिस अवधि से अनुदान संबंधित है (मार्च 2020 तक जारी अनुदान)	मार्च 2020 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में 31.03.2021 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
		लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
	18-2017	7	38.54
	19-2018	6	20.85
	20-2019	9	49.62
	कुल	28	136.57
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय			
	2017-18	1	40.68
	कुल	1	40.68
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग			
	2014-15	1	1.42
	2016-17	10	3.79
	2018-19	9	24.42
	2019-20	54	65.08
	कुल	74	94.71
इस्पात मंत्रालय			
	2018-19	1	1.02
	2019-20	1	1.54
	कुल	2	2.56
खान मंत्रालय			
	मंत्रालय द्वारा सूचना प्रदान नहीं की गई		
लोक उद्यम विभाग			
	2014-15	1	0.01
	2015-16	7	0.37
	2019-20	2	0.16
	कुल	10	0.54
कुल जोड़		5,570	18,186.67

अनुलग्नक-IV

(पैरा 1.6 में उल्लिखित)

केन्द्रीय स्वायत्त निकाय, जिनके लेखे वर्ष 2020-21 और/या 2019-20 के लिए विलंब से प्रस्तुत किए गए थे

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	2020-21 के लेखा प्रस्तुत करने की तिथि	2020-21 के लेखा प्रस्तुत करने में विलंब (महीनों में)	2019-20 के लेखा प्रस्तुत करने की तिथि	2019-20 के लेखा प्रस्तुत करने में विलंब (महीनों में)
I. नागर विमानन मंत्रालय					
1.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण	28.07.2021	1	10.08.2020	1
2.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय	04.03.2022	8	01.07.2021	12
II. कोयला मंत्रालय					
3.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन	12.07.2022	13	11.01.2022	18
III. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय					
4.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	10.08.2021	1	20.10.2020	4
5.	काँफी बोर्ड	18.11.2021	5	02.11.2020	4
6.	निर्यात निरीक्षण परिषद	10.08.2021	1	10.03.2021	8
7.	फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान	10.11.2021	4	30.12.2020	6
8.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	11.08.2021	1	01.07.2020	1
9.	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन न्यास	26.07.2021	1	04.09.2020	2

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	2020-21 के लेखा प्रस्तुत करने की तिथि	2020-21 के लेखा प्रस्तुत करने में विलंब (महीनों में)	2019-20 के लेखा प्रस्तुत करने की तिथि	2019-20 के लेखा प्रस्तुत करने में विलंब (महीनों में)
10.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद	07.08.2021	1	19.08.2020	2
11.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश	22.10.2021	4	01.01.2021	6
12.	स्पाइसेस बोर्ड	06.08.2021	1	04.09.2020	2
13.	तम्बाकू बोर्ड	21.09.2021	3	13.08.2020	1
IV. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय					
14.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	12.07.2021	12 दिन	15.07.2020	1
15.	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड	11.10.2021	3	14.07.2020	1
16.	विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण	-	-	13.10.2020	3
V. वित्तीय सेवाएं विभाग					
17.	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	16.08.2021	2	29.07.2020	1
18.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण	01.07.2021	1 दिन	31.08.2020	2
19.	स्ट्रेड असेट्स स्टेबलाइज़ेशन फंड	01.10.2021	3	29.12.2020	6
VI. भारी उद्योग मंत्रालय					
20.	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना कार्यान्वयन सोसायटी	25.07.2022	13	04.01.2021	6

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	2020-21 के लेखा प्रस्तुत करने की तिथि	2020-21 के लेखा प्रस्तुत करने में विलंब (महीनों में)	2019-20 के लेखा प्रस्तुत करने की तिथि	2019-20 के लेखा प्रस्तुत करने में विलंब (महीनों में)
VII. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय					
21.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	29.09.2021	3	30.08.2020	2
22.	दिल्ली शहरी कला आयोग	04.10.2021	3	02.09.2020	2
23.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	19.07.2021	1	01.07.2020	1
24.	राजघाट समाधि समिति	12.08.2021	1	14.10.2020	4
VIII. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय					
25.	कॅयर बोर्ड	24.07.2021	1	25.09.2020	3
26.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग	22.09.2021	3	23.02.2021	8
IX. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय					
27.	तेल उद्योग विकास बोर्ड	26.08.2021	2	21.08.2020	2
28.	तेल व प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड	19.08.2021	2	-	-
29.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान	07.03.2022	8	29.01.2021	7
X. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय					
30.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड	11.08.2021	1	10.08.2020	1
31.	दीनदयाल पत्तन न्यास	05.07.2021	5 दिन	-	-
32.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	25.10.2021	4	07.10.2020	3
33.	न्यू मंगलौर पत्तन न्यास	-	-	02.07.2020	2
34.	पारादीप पत्तन न्यास	-	-	31.07.2020	1
35.	नाविक भविष्य निधि संगठन	15.03.2022	9	05.04.2021	9

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	2020-21 के लेखा प्रस्तुत करने की तिथि	2020-21 के लेखा प्रस्तुत करने में विलंब (महीनों में)	2019-20 के लेखा प्रस्तुत करने की तिथि	2019-20 के लेखा प्रस्तुत करने में विलंब (महीनों में)
36.	प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण	15.09.2021	3	-	-
37.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास	03.11.2021	4	16.10.2020	4
38.	वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट न्यास	03.09.2021	2	04.09.2020	2
XI. विद्युत मंत्रालय					
39.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	23.07.2021	1	28.07.2020	1
40.	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए)	13.07.2021	13 दिन	15.10.2020	4
41.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	07.01.2022	6	05.04.2021	9
XII. वस्त्र मंत्रालय					
42.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	20.12.2021	6	20.08.2020	2
43.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	06.08.2021	1	30.09.2020	3
44.	राष्ट्रीय पटसन बोर्ड	17.02.2022	8	11.01.2021	7
45.	वस्त्र समिति	-	-	29.03.2022	21

अनुलग्नक-V

(पैरा 1.7 में उल्लिखित)

केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2020-21 व 2019-20 के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं के संसद में प्रस्तुतीकरण में विलंब

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	महीनों में विलंब	
		2020-21	2019-20
I. नागर विमानन मंत्रालय			
1.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण	1	3
2.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय	7	11
II. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
3.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	1	2
4.	काँफी बोर्ड	1	1
5.	निर्यात निरीक्षण परिषद	3	12
6.	फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान	7	12
7.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	1	1
8.	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन न्यास	1	1
9.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद	7	3
10.	रबड़ बोर्ड	-	1
11.	स्पाइसेस बोर्ड	-	1
12.	टी बोर्ड भारत	1	1
13.	तम्बाकू बोर्ड	3	1
III. कारपोरेट कार्य मंत्रालय			
14.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	1	2
15.	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड	3	7
16.	विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण	-	11
17.	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण	-	3
IV. वित्तीय सेवाएं विभाग			
18.	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	-	1
19.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण	2	1

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	महीनों में विलंब	
		2020-21	2019-20
V. भारी उद्योग मंत्रालय			
20.	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना कार्यान्वयन सोसायटी	-	12
VI. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय			
21.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	7	12
22.	दिल्ली शहरी कला आयोग	3	3
23.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	3	3
24.	राजघाट समाधि समिति	3	3
VII. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय			
25.	कैंयर बोर्ड	1	3
26.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग	3	11
VIII. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
27.	तेल उद्योग विकास बोर्ड	3	1
28.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड	1	1
29.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान	-	7
IX. पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय			
30.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड	-	1
31.	चेन्नई पत्तन न्यास	3	1
32.	कोचीन पत्तन न्यास	-	1
33.	दीनदयाल पत्तन न्यास	-	1
34.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	3	3
35.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास	-	1
36.	मुर्मूगाव पत्तन न्यास	-	1
37.	मुंबई पत्तन न्यास	3	1
38.	मुंबई पत्तन न्यास पेंशन निधि न्यास	3	1
39.	न्यू मंगलौर पत्तन न्यास	-	1
40.	पारादीप पत्तन न्यास	2	1
41.	नाविक भविष्य निधि संगठन	-	11
42.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन	-	1
43.	महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण	3	1

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	महीनों में विलंब	
		2020-21	2019-20
44.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास	-	1
45.	वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट न्यास	3	1
X. विद्युत मंत्रालय			
46.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	1	3
47.	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	-	3
48.	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लिए)	3	3
49.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	7	15
XI. वस्त्र मंत्रालय			
50.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	-	7
51.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	3	1
52.	राष्ट्रीय पटसन बोर्ड	-	15

टिप्पणियाँ:

- (1) जिन मामलों में संसद में सीएबी द्वारा लेखापरीक्षित खाते प्रस्तुत नहीं किए गए थे, उन्हें उपरोक्त तालिका में शामिल नहीं किया गया है और रिपोर्ट के पैरा 1.7 में अलग से उल्लेख किया गया है।
- (2) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने अपने वर्ष 2019-20 और 2020-21 के वार्षिक खाते सीएजी द्वारा लेखापरीक्षित किए बिना संसद में प्रस्तुत किए।
- (3) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा किए बिना संसद में वर्ष 2020-21 के अपने वार्षिक खातों को प्रस्तुत किया।

अनुलग्नक-VI

(पैरा 1.8 में उल्लिखित)

वर्ष 2020-21 के लिए केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
I. नागर विमानन मंत्रालय		
1.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए)	<p>तुलन पत्र कॉर्पस/पूंजी निधि और देयताएं वर्तमान दायित्व और प्रावधान (अनुसूची 7): ₹3.40 करोड़ प्रावधान: ₹2.48 करोड़</p> <p>(क) उपर्युक्त में एईआर में कार्य कर रहे कार्यपालकों और गैर-कार्यपालकों के संबंध में वेतन की प्रतिपूर्ति के लिए 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय ₹11.62 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए प्रावधानों और व्यय की ₹11.62 करोड़ से न्यूनोक्ति हुई।</p> <p>(बी) एईआरए ने संयुक्त परिचालन कार्यालय के निर्माण के लिए एएआई, ऐरा और अन्य के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (24 नवम्बर 2016) के संदर्भ में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय ₹11.03 करोड़ की देयता दर्ज नहीं की है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 के लिए वर्तमान देयताओं और प्रगतिशील पूंजीगत कार्यों की ₹11.03 करोड़ से न्यूनोक्ति हुई।</p>
2.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (आरजीएनएयू)	<p>(i) तुलन पत्र: परिसंपत्तियां अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची 4): ₹140.11 करोड़</p> <p>वर्ष 2020-21 के दौरान, विश्वविद्यालय ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किए गए निक्षेप कार्य के संबंध में ₹19.86 करोड़ की पूंजी लगाई। यह देखा गया है कि परिसंपत्तियों का मद-वार पूंजीकरण करने के बजाय, विश्वविद्यालय ने 'भवन-निर्माण' शीर्ष के अंतर्गत ₹19.86 करोड़ की संपूर्ण राशि का पूंजीकरण किया है। चूंकि मद-वार/परिसंपत्ति-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, अतः लेखापरीक्षा परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की सटीकता और मूल्यहास पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं है।</p>
II. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
3.	कॉफी बोर्ड	<p>(i) तुलनपत्र परिसंपत्तियां (अनुसूची 8): ₹94,73,44,184</p> <p>उपर्युक्त में मौजूदा कार्यालय भवनों की मरम्मत और अनुरक्षण पर किया गया ₹1.53 करोड़ का व्यय शामिल है। के कारण विद्यमान</p>

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
		<p>भवनों में चोरी को रोकने और राजस्व प्रकृति के अन्य नवीकरण कार्यों पर ₹1.53 करोड़ से अधिक व्यय हुआ। यह व्यय मौजूदा भवनों पर रिसाव को रोकने के लिए और राजस्व प्रकृति के अन्य नवीकरण कार्यों के लिए किया गया था। इसका प्पोजिकरण करने के कारण संपत्ति तथा व्यय पर आय के आधिक्य का ₹1.53 करोड़ से अतिकथन हुआ है। उपर्युक्त प्रभाव केवल चालू वर्ष के लिए है, बोर्ड के प्रबंधन को ऐसी विसंगतियों, यदि कोई हो, के लिए पिछले वर्ष की शेष राशि की भी समीक्षा करने और सुधारने की आवश्यकता है।</p>
		<p>(ख) उपरोक्त में ₹ 35.66 करोड़ के आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान पेड़ शामिल हैं। अनुसूची 25 की टिप्पणी सं. 10 में कहा गया है कि आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान पेड़ों पर क्षति को वास्तविक आधार पर लेखा में लिया गया है। हालांकि, वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान इन पेड़ों का कोई मूल्य निर्धारण नहीं किया गया था। इस तरह के मूल्य निर्धारण के अभाव में, लेखापरीक्षा मार्च 2021 के अंत में तुलन पत्र में दिखाए गए आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान पेड़ों के मूल्य की सटीकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ है। लेखापरीक्षा यह भी सुझाव देती है कि आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान पेड़ों की रिपोर्टिंग में स्थिरता बनाए रखने के लिए हानि के मूल्यांकन और निर्धारण के बारे में एक उपयुक्त लेखाकरण नीति तैयार करने की आवश्यकता है।</p>
		<p>(ii) आय-व्यय लेखा आय: ₹1,90,19,66,075</p> <p>बोर्ड में लेखाकरण मानक (एस)-12 अनुदानों का लेखाकरण और लेखाओं के एकरूपी प्रारूप के पैरा 14 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित 'आस्थगित आय' के रूप में लेखाकरण के बजाय परिसंपत्ति खाते को डेबिट करके और कॉर्पस निधि क्रेडिट करके सरकारी अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्तियों के लेखाकरण की प्रथा है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 65.00 लाख की आय कम दिखाई गई है और व्यय की तुलना में आय की अधिकता को कम करके दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.32 करोड़ की आस्थगित आय कम और कॉर्पस/पूँजीगत निधि अधिक दर्शाई गई है। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप सरकारी अनुदानों से खरीदी गई परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यहास पद्धति का अनुपालन लेखाओं के समान प्रारूप की अनुसूची 8 की टिप्पणियों और एस-12 अनुदानों के लिए लेखाकरण के पैरा 14 में विनिर्दिष्ट तरीके से नहीं किया गया है।</p>

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
		यह टिप्पणी वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए भी कॉफी बोर्ड के लेखाओं पर उठाई गई थी। हालांकि, बोर्ड ने अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।
4.	फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा	<p>तुलन पत्र देयताएं निर्धारित/बंदोबस्ती निधि (अनुसूची-3) पूँजीगतगत अनुदान: ₹620.36 करोड़</p> <p>उपर्युक्त सरकार से संस्थान को प्राप्त पूँजीगतगत अनुदान की अंतिम शेष राशि को दर्शाता है, जिसमें से ₹ 564.07 करोड़ (₹ 620.36 करोड़ में से ₹ 56.29 करोड़ अप्रयुक्त अनुदान घटाकर) का उपयोग परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किया गया है। तथापि, ₹564.66 करोड़ की राशि (₹584.17 करोड़ में से ₹19.51 करोड़ घटाकर जो निर्धारित निधियों से खरीदी गई परिसंपत्तियां हैं) को सरकारी अनुदान से सृजित अचल परिसंपत्तियों के निवल ब्लॉक के रूप में दर्शाया गया है (अनुसूची 8बी)। इस प्रकार, 31 मार्च 2021 तक पूँजीकृत सरकारी अनुदान और सरकारी अनुदान से सृजित की गई परिसंपत्तियों के बीच ₹0.59 करोड़ का अंतर है, जिसे मिलान करने की आवश्यकता है।</p> <p>पिछले वर्ष यानी 2018-19 और 2019-20 के दौरान आश्वासन देने के बावजूद, संस्थान ने अभी तक पूँजीकृत सरकारी अनुदान और सरकारी अनुदान से सृजित की गई परिसंपत्तियों के बीच अंतर का मिलान नहीं किया है।</p>
5.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	<p>(i) तुलन पत्र अचल परिसंपत्ति: ₹ 31.03 करोड़</p> <p>इसमें वल्लरपदम में एमएसी परियोजना से संबंधित परिसंपत्तियों का ₹ 9.52 करोड़ का निवल बही मूल्य शामिल है। पट्टा करार की शर्तों के अनुसार इन परिसंपत्तियों का स्वामित्व राजीव गांधी कृषि केंद्र के पास है। प्राधिकरण के बही-खातों में इसका लेखाकरण करने से परिसंपत्तियों की ₹ 9.52 करोड़ से अत्योक्ति हुई। इसके परिणामस्वरूप संचित मूल्यहास को भी ₹ 1.69 करोड़ से अधिक बताया गया और इसी राशि से कॉर्पस/पूँजीगत निधि को कम बताया गया।</p> <p>(ii) चालू परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि: ₹ 69.28 करोड़</p> <p>उपर्युक्त को एक चालू परियोजना के लिए केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) को दिए जाने वाले ₹ 3 करोड़</p>

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
		<p>के अग्रिम भुगतान से कम बताया गया और उपयोग प्रमाण पत्र लंबित होने के बावजूद इसकी पहचान व्यय के रूप में की गई। एमपीईडीए ने उपरोक्त अग्रिम राशि को क्रमशः 2019-20 (₹ 1 करोड़) और 2020-21 (₹ 2 करोड़) में 'प्रशिक्षण व्यय' और 'अन्य' शीर्ष के अंतर्गत राजस्व व्यय के रूप में माना। इसके परिणामस्वरूप 'कॉर्पस/पूँजीगत निधि में ले जाए गए घाटे' को इतनी ही राशि तक अधिक बताया गया।</p> <p>(iii) आय और व्यय लेखा स्थापना व्यय: ₹ 46.24 करोड़</p> <p>(क) प्राधिकरण ने ₹ 198.02 करोड़ को आय और व्यय लेखा के माध्यम से भेजने के बजाय तुलन पत्र में 'विविध व्यय' के अनुरूप डेबिट के साथ 'वर्तमान देयताओं और प्रावधानों' के अंतर्गत कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता के रूप में दर्शाया है। पिछले वर्षों के लिए एसएआर में भी इसी प्रकार की टिप्पणी को उजागर किया गया था; तथापि, प्राधिकरण द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान कॉर्पस/पूँजीगत निधि में डाले गए 'स्थापना व्यय' और घाटे को ₹ 198.02 करोड़ तक कम बताया गया और उसी सीमा तक 'विविध व्यय' को अधिक बताया गया।</p> <p>(ख) बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार पेंशन देयताओं के लिए अपर्याप्त प्रावधान के कारण भी ₹ 155.54 करोड़ से उपर्युक्त शीर्ष को कम बताया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान 'स्थापना व्यय' और कार्पस/पूँजीगत निधि में शामिल हुए घाटे को ₹ 155.54 करोड़ कम बताया गया।</p>
6.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश	<p>(i) तुलन पत्र अचल परिसंपत्ति: ₹ 1,10,20,73,912 चालू पूँजीगत कार्य (अनुसूची - 6): ₹ 99,94,67,875</p> <p>उपर्युक्त में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश में अवसंरचना विकास के प्रथम चरण के निर्माण की ₹ 99.94 करोड़ की लागत शामिल है, जिसके अंतर्गत 10 इकाइयों का निर्माण किया गया था। संस्थान के भोपाल परिसर का 22.02.2019 को वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया था और आंशिक रूप से पूरी की गई सुविधाओं को पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है। संस्थान ने भोपाल, मध्य प्रदेश में अपने स्वयं के 30 एकड़ के परिसर में जुलाई 2019 से</p>

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
		<p>अपना पहला शैक्षणिक सत्र आरंभ किया है। संस्थान ने अभी तक इसका पूंजीकरण नहीं किया है और ₹ 99.94 करोड़ का व्यय चालू पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत रखा है। व्यय के गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 99.94 करोड़ तक सीडब्ल्यूआईपी को अधिक और अचल परिसंपत्तियों (भवनों) को कम बताया गया है। व्यय के गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप मूल्यहास को भी प्रभारित नहीं किया गया और इसके परिणामस्वरूप दो वर्षों अर्थात् 2019-20 और 2020-21 के लिए मूल्यहास निधि को ₹ 4.99 करोड़ (2.5 प्रतिशत की दर से) तक कम और पूंजीगत निधि को इसी राशि तक अधिक बताया गया।</p>
7.	रबड़ बोर्ड	<p>(i) तुलन पत्र पूंजीगत निधि और देयताएं निर्धारित/बंदोबस्ती निधि (अनुसूची 3): ₹ 1,302.26 लाख</p> <p>उपर्युक्त को ₹ 200 लाख से अधिक दर्शाया गया है जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश के लिए वितरण किये गए थे। यह योजना 2015-16 में बंद कर दी गई थी और इसलिए निधि को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को वापस किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं को भी उतनी ही राशि तक कम बताया गया है।</p> <p>(ii) वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 7): ₹ 1,055.33 लाख</p> <p>उपर्युक्त में ₹ 206.94 लाख की राशि शामिल थी, जो एकत्र किए गए अग्रिम उपकर के शीर्ष के अंतर्गत बुक की गई देयता थी। लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत विवरण के अनुसार, कुल देयता ₹ 257.18 लाख है। इसलिए कुल उपकर देयता को ₹ 50.24 लाख तक कम बताया गया है और चालू वर्ष के व्ययों को तदनुसूची राशि तक कम बताया गया है। इस टिप्पणी को वर्ष 2019-20 के लिए एसएआर में शामिल किया गया था, हालांकि, बोर्ड द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p> <p>(iii) परिसंपत्ति निवेश अन्य (अनुसूची 10): ₹ 1,891.80 लाख</p> <p>उपर्युक्त को ₹ 14.71 लाख तक अधिक बताया है क्योंकि बोर्ड ने मैसर्स मलयालम ट्रेडिंग एंड फाइनेंस कंपनी (₹ 4.10 लाख) और मैसर्स वेम्बनाड केयर एंड रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (₹ 10.61 लाख), जो विद्यरित/बंद हो चुके हैं और अस्तित्व में नहीं हैं, में निवेशों की</p>

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
		<p>संदिग्ध वसूली के प्रति प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के अधिशेष को भी इतनी ही राशि तक अधिक बताया गया है।</p>
		<p>(iv) चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 12): ₹ 6,238.00 लाख</p> <p>उपर्युक्त को पांच संयुक्त उद्यम प्रसंस्करण कंपनियों, जिनका निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, को दिए गए संदिग्ध कार्यशील पूंजीगत ऋण और उस पर ब्याज का प्रावधान नहीं होने के कारण ₹ 2,943.35 लाख की राशि तक अधिक बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप अधिशेष को भी इतनी ही राशि तक अधिक बताया गया है।</p> <p>इस टिप्पणी को वर्ष 2019-20 के लिए एसएआर में शामिल किया गया था, हालांकि बोर्ड द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p>
		<p>(v) आय-व्यय लेखा</p> <p>बिक्री/सेवाओं से आय (अनुसूची 14): ₹ 813.99 लाख</p> <p>वर्ष 2020-21 के दौरान सेंट्रल एक्सपेरिमेंट स्टेशन, चेथाकल द्वारा रबड़ की बिक्री से आय का लेखाकरण नहीं होने के कारण उपरोक्त राशि को ₹ 14.41 लाख तक कम बताया गया। इसके परिणामस्वरूप अधिशेष को भी इतनी ही राशि तक कम बताया गया।</p>
		<p>(vi) अनुदान/ सब्सिडी (अनुसूची 15): ₹18,910.85 लाख</p> <p>लेखाओं के समान प्रारूप से जुड़ी टिप्पणियों और अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए 'अनुदान/ सब्सिडी के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के निपटान के माध्यम से वसूली गई राशि को शामिल करने के कारण उपर्युक्त को ₹ 224.77 लाख तक अधिक बताया गया। इसके परिणामस्वरूप अधिशेष को भी उतनी ही राशि तक अधिक बताया गया।</p>
		<p>(vii) अन्य आय (अनुसूची 20): ₹ 755.91 लाख</p> <p>त्रिपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए अधिग्रहित 2.53 हेक्टेयर भूमि (दिसंबर 2020) और फरवरी 2021 में दिए गए मुआवजे के संबंध में परिपरिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ का लेखाकरण नहीं होने के कारण उपरोक्त को ₹ 17.85 लाख तक कम बताया गया। चूंकि बोर्ड ने त्रिपुरा सरकार से यह भूमि मुफ्त में प्राप्त की थी, इसलिए प्राप्त संपूर्ण मुआवजे को वर्ष 2020-21 के दौरान परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ के रूप में लेखाबद्ध किया जाना चाहिए था। इसके</p>

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
		परिणामस्वरूप वर्ष के अधिशेष को भी इतनी ही राशि तक कम बताया गया।
		<p>(viii) व्यय: ₹20,961.03 लाख</p> <p>विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान 84 बैंक भुगतान वाउचरों का लेखाकरण नहीं होने के कारण वर्ष के दौरान व्यय को ₹ 21.73 लाख तक कम बताया गया है। इन व्ययों का लेखाकरण 2021-22 में किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के अधिशेष को भी इसी राशि तक अधिक बताया गया है।</p>
		<p>(ix) अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (अनुसूची 24): ₹3,805.86 लाख</p> <p>2019-20 और 2021-22 से संबंधित अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह, सिंगापुर में सदस्यता शुल्क के संबंध में व्ययों को शामिल करने के कारण उपरोक्त को ₹ 62.09 लाख तक अधिक बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए चालू परिपरीसंपत्तियों और अधिशेष के अंतर्गत पूर्वदत्त व्ययों को ₹ 16.39 लाख तक कम बताया गया है और पूर्व अवधि के व्ययों को ₹ 45.70 लाख तक कम बताया गया है।</p>
8.	स्पाइसेस बोर्ड	<p>(i) तुलन पत्र कॉर्पस/पूंजीगत निधि और देयताएं वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 7): ₹241.82 करोड़</p> <p>गुजरात सरकार से वर्ष 2010-11 से वसूली के लिए लंबित अग्रिमों का प्रावधान न किये जाने तथा अग्रिमों का विवरण बोर्ड के पास अनुपलब्ध होने के कारण उपर्युक्त को ₹ 4.85 करोड़ तक कम बताया गया। इसके परिणामस्वरूप घाटे को भी ₹ 4.85 करोड़ तक कम बताया गया।</p>
		<p>(ii) चालू परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्ति (अनुसूची 11): ₹ 193.43 करोड़</p> <p>अल्पकालिक जमा के दोहरे लेखाकरण के कारण उपर्युक्त को ₹ 1.34 करोड़ तक अधिक बताया गया। इसके परिणामस्वरूप व्यय और घाटे को भी ₹ 1.34 करोड़ तक कम बताया गया।</p>
		<p>(ii) आय-व्यय लेखा व्यय</p> <p>₹ 226.23 करोड़ वाले ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति/पेंशन और संचित अवकाश के नकदीकरण से संबंधित प्रावधान वर्ष 2015-16 में किए गए</p>

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी																								
		बीमांकिक मूल्यनिर्धारण के आधार पर किए गए थे। हालांकि, 31 मार्च 2021 तक बीमांकिक मूल्यनिर्धारण रिपोर्ट के अनुसार, इन मदों से संबंधित कुल देयता ₹ 348.72 करोड़ थी। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 से संबंधित कुल ₹ 0.53 करोड़ की राशि वाले विभिन्न व्ययों का वर्ष 2021-22 में लेखाकरण किया गया था, जिसके लिए वर्ष 2020-21 के लिए लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप व्यय और वर्तमान देयताओं और प्रावधानों को ₹ 123.02 करोड़ तक कम बताया गया।																								
9.	टी बोर्ड भारत	<p>तुलन पत्र वर्तमान देयताएं और प्रावधान: ₹46745.21 लाख अन्य देयताएं- टी बोर्ड टी फंड- अन्य (अनुसूची-सी): ₹40884.12 लाख ऋण - टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण: ₹354.46 लाख</p> <p>1993 से 1995 की अवधि के दौरान टी बोर्ड ने टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीटीसीआई) को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के स्वीकृति पत्र संख्या 48021/2/93-प्लान्ट ए दिनांक 16-08-1993, टी-39012/93 प्लान्ट ए दिनांक 26.04.1994, टी-39012/1/93 प्लान्ट ए दिनांक 04.07.1994, टी-39012/93 प्लान्ट ए दिनांक 30.03.1995 और फैक्स दिनांक 28.04.1995 और 25.10. 1995 के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ₹ 599 लाख का भुगतान किया। इस ब्याज मुक्त ऋण के प्रति, टीटीसीआई ने दिनांक 02.06.1994 को टी बोर्ड को ₹ 25 लाख की राशि वापस कर दी। ऋण के भुगतान और उसके प्रतिदाय का विवरण नीचे दिया गया है:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>दिनांक</th> <th>चेक सं.</th> <th>निकाला गया</th> <th>राशि (₹ लाख में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.09.1993</td> <td>262896</td> <td>सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>12.05.1994</td> <td>262930 से 262933</td> <td>सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>01.06.1994</td> <td>262934 से 262937</td> <td>सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>28.07.1994</td> <td>262942</td> <td>सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया</td> <td>109</td> </tr> <tr> <td>31.03.1995</td> <td>262992</td> <td>सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table>	दिनांक	चेक सं.	निकाला गया	राशि (₹ लाख में)	01.09.1993	262896	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	350	12.05.1994	262930 से 262933	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	44	01.06.1994	262934 से 262937	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	12	28.07.1994	262942	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	109	31.03.1995	262992	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	55
दिनांक	चेक सं.	निकाला गया	राशि (₹ लाख में)																							
01.09.1993	262896	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	350																							
12.05.1994	262930 से 262933	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	44																							
01.06.1994	262934 से 262937	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	12																							
28.07.1994	262942	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	109																							
31.03.1995	262992	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	55																							

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी			
		05.05.1995	262999	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	14
		08.11.1995	452786	भारतीय स्टेट बैंक	6
		07.12.1995	084410	बैंक ऑफ बड़ौदा	9
		कुल			599
		घटा: टीटीसीआई द्वारा 02.06.1994 को बैंक ट्रांसफर द्वारा प्रतिदायित			25
		शेष			574
		<p>टीटीसीआई को भुगतान किए गए उपर्युक्त ब्याज मुक्त ऋणों में से, टी बोर्ड को टीटीसीआई को भुगतान के लिए भारत सरकार से ₹ 354 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। इसके बाद टीटीसीआई दिनांक 24.06.2002 के समापन आदेश के अनुसार परिसमापन के अधीन हो गया और टी बोर्ड ₹ 574 लाख के उपर्युक्त ऋण की वसूली नहीं कर सका। वर्ष 2012-13 के दौरान, टी बोर्ड ने टीटीसीआई को सरकार को देय ऋण से भुगतान किए गए ₹ 220 लाख (₹ 574 लाख - ₹ 354 लाख) के ब्याज मुक्त ऋण की शेष राशि को समायोजित किया। इसलिए, टी बोर्ड ने ब्याज मुक्त ऋण के रूप में टीटीसीआई को भुगतान की गई ₹ 574 लाख की कुल राशि सरकार से प्राप्त/समायोजित की।</p> <p>हालांकि, ₹ 354 लाख का प्रकटन तुलन पत्र के परिपरिसंपत्ति साइड में 'टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण' के रूप में किया गया। इसी प्रकार, अन्य देयताओं में ₹ 354 लाख भी शामिल हैं जो "टीटीसीआई के कारण सरकार को देय हैं।"</p> <p>चूंकि टीटीसीआई अब अस्तित्व में नहीं है और टी बोर्ड ने सरकार से टीटीसीआई को भुगतान किए गए ऋण की कुल राशि प्राप्त/समायोजित कर ली है, इसलिए तुलन पत्र के परिपरिसंपत्ति साइड में ₹ 354 लाख की राशि को 'टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण' के रूप में प्रकटन गलत है और इसे "टीटीसीआई के कारण सरकार को देय" ₹ 354 लाख की देयता के साथ समायोजित किया जाना चाहिए।</p> <p>उपर्युक्त का समायोजन न किए जाने के परिणामस्वरूप 'टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण' के रूप में परिपरिसंपत्तियों को ₹ 354 लाख तक अधिक बताया गया है और इतनी ही राशि तक "अन्य देयताओं" को अधिक बताया गया है।</p>			

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
		टिप्पणी को वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया था, परंतु प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
10	तंबाकू बोर्ड	<p>(i) तुलन पत्र अचल परिसंपत्ति (अनुसूची 8) चालू पूंजीगत कार्य: ₹ शून्य</p> <p>उपर्युक्त में आंध्र प्रदेश में गोपालपुरम नीलामी मंच से संबंधित चालू पूंजीगत कार्य के लिए ₹ 2.99 करोड़ की राशि शामिल नहीं हैं। इस राशि को वर्तमान परिपरिसंपत्तियों (अनुसूची 11 (बी) बिन्दु संख्या 5 पर अन्य) के अंतर्गत चालू पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया गया है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.99 करोड़ तक चालू पूंजीगत कार्य को कम और वर्तमान परिपरिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों को अधिक बताया गया है।</p>
		<p>(ii) चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) विविध देनदार अन्य देयताएं (प्राप्य): ₹ 87.29 करोड़</p> <p>उपरोक्त राशि में 22.03.2021 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए तंबाकू उत्पादकों को तंबाकू खरीदारों से देय नीलामी राशि को दर्शाया गया है। हालांकि, चूंकि तंबाकू बोर्ड इन बिक्री और खरीद के लिए केवल एक सुविधाप्रदाता है, इसलिए इस राशि को प्राप्य और देय के रूप में दर्शाना भ्रामक है और इसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिपरिसंपत्तियों और वर्तमान देयताओं को ₹ 87.29 करोड़ तक अधिक बताया गया है।</p>
III. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय		
11	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, दिल्ली नई	<p>(i) तुलन पत्र निधि और देयताएं निर्धारित/बंदोबस्ती निधि (अनुसूची 3): शून्य</p> <p>भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को कार्यालय परिसर के लिए स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने के लिए आवर्ती पूंजीगत परिसंपत्ति के रूप में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से दिसंबर 2019 में ₹ 10.99 करोड़ प्राप्त हुए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस राशि को सावधि जमा में निवेश किया और 2019-20 के दौरान ₹0.14 करोड़ और 2020-21 के दौरान ₹0.26 करोड़ का ब्याज प्राप्त किया।</p>

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
		<p>₹ 10.99 करोड़ में से, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आंतरिक फिट-आउट के लिए अंतिम भुगतान के लिए मैसर्स एनएसएल को ₹ 2.11 करोड़, परामर्श शुल्क के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) को ₹ 0.02 करोड़ और शहरी विकास मंत्रालय को वर्ष 2019-20 के दौरान ब्याज के विलंब से भुगतान पर ब्याज के रूप में ₹ 1.04 करोड़ व्यय किए और 2020-21 के दौरान उक्त कार्यालय परिसर के पट्टे के समझौते के संबंध में पंजीकरण शुल्क के भुगतान के लिए ₹ 0.40 करोड़ का ब्याज वसूला। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2020-21 के दौरान स्टाम्प ड्यूटी के लिए ₹ 7.82 करोड़ के शेष अनुदान का उपयोग किया।</p> <p>चूंकि उपर्युक्त अनुदान विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त किया गया था, इसे निधि-आधारित लेखाकरण के अनुसार निर्धारित/बंदोबस्ती निधि शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था और केवल विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए था।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप:</p> <ul style="list-style-type: none"> निर्धारित/बंदोबस्ती निधि को ₹ 3.57 करोड़ (ब्याज आय के रूप में ₹ 10.99 करोड़ जमा ₹ 0.40 करोड़ का ब्याज में से ₹ 7.82 करोड़ के स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान को घटाकर) कम बताया गया। अचल परिसंपत्तियों को ₹ 2.42 करोड़ (इकाई से संबंधित भूमि की अधिरचना को ₹ 2.53 करोड़ में से मूल्यहास के लिए ₹ 0.11 करोड़ घटाकर कम बताया गया) से कम बताया गया। अधिशेष को ₹ 1.15 करोड़ (राजस्व व्यय के रूप में शास्ति ब्याज प्रभारित नहीं करने के लिए ₹ 1.04 करोड़ और मूल्यहास के लिए ₹ 0.11 करोड़) से अधिक बताया गया। <p>पिछले वर्ष के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित किए जाने के बावजूद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p>
12	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली	<p>तुलन पत्र</p> <p>अचल परिसंपत्ति (अनुसूची VIII): ₹2.46 करोड़</p> <p>सीडब्ल्यूआईपी/विकासधीन परिपरिसंपत्तियां: ₹1.23 करोड़</p> <p>भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने मयूर भवन में बिना किसी अनुकूलन के फाइल प्रबंधन प्रणाली, ई-फाइल एमआईएस रिपोर्ट,</p>

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
		<p>ज्ञान प्रबंधन प्रणाली, कर्मचारी मुख्य विवरण, मुख्य डेटा प्रबंधन, टूर प्रबंधन प्रणाली, अवकाश प्रबंधन प्रणाली और अवकाश एमआईएस रिपोर्ट सहित ई-ऑफिस के कार्यान्वयन का काम एनआईसीएसआई को सौंपा और 28 सितंबर 2017 को ₹20.20 लाख का भुगतान किया। अवकाश प्रबंधन प्रणाली और अवकाश एमआईएस रिपोर्ट को छोड़कर सभी मॉड्यूल 12 नवंबर 2018 से परिचालन में हैं। चूंकि ई-ऑफिस में अवकाश मॉड्यूल में शामिल अवकाश नियम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के अवकाश नियमों के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए इसका उपयोग वर्तमान प्रारूप में नहीं किया जा सकता और इसलिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने आंतरिक अवकाश मॉड्यूल विकसित करने का निर्णय (2021-22 में) लिया।</p> <p>इस प्रकार, ई-ऑफिस के सृजन के लिए ₹ 20.20 लाख के भुगतान को 2018-19 में पूंजीकृत किया जाना चाहिए था, न कि चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था। इसके अलावा, नवंबर 2018 से मार्च 2021 की अवधि के लिए मूल्यहास ₹ 20.20 लाख, (2018-19: ₹ 4.04 लाख , 2019-20: ₹ 8.08 लाख और 2020-21: ₹ 8.08 लाख), भी प्रदान नहीं किया गया है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी को ₹ 20.20 लाख अधिक बताया गया, पिछले वर्षों के लिए मूल्यहास को ₹ 12.12 लाख तक और चालू वर्ष के मूल्यहास को ₹ 8.08 लाख तक कम बताया गया। नतीजतन, वर्ष के लिए अधिशेष को ₹ 8.08 लाख और कॉर्पस निधि को ₹ 12.12 लाख अधिक बताया गया है।</p>
IV. वित्तीय सेवाएँ विभाग		
13	<p>पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली</p>	<p>तुलन पत्र देयताएं निर्धारित/बंदोबस्ती निधि (अनुसूची 3): ₹ 2,35,02,420</p> <p>उपरोक्त में अटल पेंशन योजना और स्वावलंबन योजना के लिए सरकार से 31 मार्च 2021 तक प्राप्त ₹ 34.40 करोड़ का अप्रयुक्त सहायता अनुदान शामिल नहीं है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखा और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 2015 (अनुसूची 3 के नीचे टिप्पणियाँ) के अनुसार, केन्द्र/ राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को पृथक निधियों के रूप में दर्शाया जाना है और इन्हें किसी अन्य निधियों के साथ मिश्रित नहीं किया जाना है। वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान, उस पर किए गए भुगतान, वर्ष</p>

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
		<p>के अंत में अप्रयुक्त शेष राशि को केवल संबंधित निधियों के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए।</p> <p>हालांकि, यह पाया गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने लेखाओं की अनुसूची-1 में अप्रयुक्त कॉर्पस निधि के अंतिम शेष के रूप में ₹ 34.40 करोड़ की राशि को दर्शाया था। इन निधियों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की पूंजीगत/कॉर्पस निधि के रूप में तथा पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की ब्याज आय के रूप में ऐसी निधियों पर ब्याज को दर्शाने के परिणामस्वरूप निर्धारित निधियों को ₹ 34.40 करोड़ कम और वर्तमान देयताओं को अधिक दर्शाया गया है।</p> <p>अटल पेंशन योजना के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान और स्वावलंबन योजना और अटल पेंशन योजना अनुदानों की शेष राशि पर अर्जित ब्याज और इन अनुदानों में से किए गए व्यय के गलत उपयोग ने आय और व्यय लेखा को प्रभावित किया है क्योंकि निम्नलिखित मामलों (क) अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-21) को 374.39 करोड़; (ख) अनुदान और सब्सिडी पर व्यय (अनुसूची -22) को ₹ 13.80 करोड़ (सरकार को ब्याज का प्रतिदाय); (ग) अनुदान और सब्सिडी (अनुसूची -13) को ₹ 273.00 करोड़ (अटल पेंशन योजना के लिए अनुदान); और (घ) अर्जित ब्याज (अनुसूची -17) को ₹ 1.26 करोड़ तक, अधिक बताया गया है। अटल पेंशन योजना के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान और उस पर अर्जित ब्याज और स्वावलंबन और अटल पेंशन योजना अनुदान से किए गए सभी व्यय अनुसूची 3-निर्धारित और बंदोबस्ती निधि के माध्यम से किए जाने चाहिए थे। हालांकि, इस विसंगति के सटीक प्रभाव की गणना वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी क्योंकि अनुसूची 1 में दर्शाए गए अप्रयुक्त कॉर्पस का प्रारंभिक शेष (जो 2019-20 के अप्रयुक्त अनुदान की अंतिम शेष राशि है) भी पिछले वर्ष अर्थात् 2019-20 के दौरान सरकारी अनुदान के गलत लेखाकरण के बाद निकाला गया था और यह विसंगति 2015 से मौजूद थी।</p> <p>31 मार्च 2017, 2018, 2019 और 2020 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए एसएआर में बार-बार इंगित किए जाने के बावजूद, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने 'निर्धारित/बंदोबस्ती निधि' के अंतर्गत उपर्युक्त अनुदानों को नहीं दर्शाया है।</p>

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
V. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय		
14	दिल्ली विकास प्राधिकरण	<p>(i) नजूल-I तुलन पत्र परिसंपत्तियां विविध देनदार - ₹105.91 करोड़ (अनुसूची डी)</p> <p>दिल्ली विकास प्राधिकरण के वित्तीय विवरणों पर वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए एसएआर ने सभी क्षतिग्रस्त संपत्ति के संबंध में अर्जित आय की बुकिंग नहीं होने पर टिप्पणी की। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p> <p>दिल्ली विकास प्राधिकरण 'नजूल करार' के माध्यम से पूर्ववर्ती दिल्ली सुधार ट्रस्ट के निपटान के अंतर्गत सरकारी भूमि के अनधिकृत कब्जेदारों से सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत क्षति प्रभार वसूलता है। हालांकि, बार-बार टिप्पणी किए जाने के बावजूद, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2020-21 के लिए क्षति प्रभार के रूप में वसूली योग्य राशि का अनुमान नहीं लगाया है।</p>
		<p>(ii) नजूल-II प्राप्ति और भुगतान लेखा अन्य विविध प्राप्तियां - ₹115.60 करोड़</p> <p>अन्य विविध प्राप्तियों के अंतर्गत बुक किए गए ₹ 79.02 करोड़ के विवरण न तो संबंधित संपत्ति के साथ स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य थे और न ही इसका मिलान किया गया था। इसके अलावा, बिना किसी विवरण के अन्य विविध प्राप्तियों के अंतर्गत इतनी बड़ी राशि की बुकिंग के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में समीक्षा की आवश्यकता है। विवरण/ मिलान के अभाव में, विविध प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 79.02 करोड़ की राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। इस मामले को 2019-20 में भी उजागर किया गया था।</p>
		<p>(iii) सामान्य विकास लेखा तुलन पत्र चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम (अनुसूची एफ): ₹17,709.03 करोड़ विविध देनदार - ₹497.17 करोड़</p> <p>लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 11 से पाया गया कि 31 मार्च 2021 तक विधिवत रूप से समायोजित विविध देनदारों के पार्टिवार और</p>

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
		<p>'आयु-वार विवरण आसानी से उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, दिल्ली विकास प्राधिकरण देनदारों के पार्टी-वार और आयु-वार विवरण का अनुरक्षण नहीं कर रहा था; इसलिए लेखापरीक्षा ₹ 497.17 करोड़ के विविध देनदारों की प्रामाणिकता, अस्तित्व और वसूली के बारे में आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ था। लेखा टिप्पणियों में केवल यह प्रकटन करना कि देनदारों का मिलान नहीं किया गया था, पर्याप्त नहीं था। इस तथ्य के बावजूद कि 2013-14 से पिछले एसएआर में इस बिंदु को बार-बार उठाया जा रहा था, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आज तक विविध देनदारों के पार्टीवार और आयु-वार विवरण का अनुरक्षण नहीं किया है।</p> <p>(iv) नकद या वस्तु रूप में या प्राप्य/समायोजित मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम - जमा निर्माण कार्य - ₹143.63 करोड़</p> <p>उपर्युक्त में पिछले वर्षों से संबंधित जमा निर्माण कार्यों के प्रति वसूली योग्य ₹ 67.61 करोड़ शामिल हैं। चूंकि वसूली 15 वर्षों से अधिक समय से लंबित है, इसलिए वसूली की संभावना बहुत कम है। इसलिए, इनकी समीक्षा करने और लेखाओं में आवश्यक प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।</p> <p>(v) कॉर्पस/पूंजीगत निधि और देयताएं - अन्य देयताएं (अनुसूची-सी) विभिन्न डीडीए आवासन योजनाओं के आवंटियों से अग्रिम: ₹562.49 करोड़</p> <p>दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अन्य देयताएं (अनुसूची सी) शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न दिल्ली विकास प्राधिकरण आवासन योजनाओं के आवंटियों से 'अग्रिम के रूप में ₹ 562.49 करोड़ दर्शाए हैं। इस संबंध में, आवंटियों से प्राप्त अग्रिमों का आवंटित-वार ब्यौरा, उसकी प्राप्ति की तारीख और आवंटन की वर्तमान स्थिति दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा उपर्युक्त ₹ 562.49 करोड़ के मूल्य की सटीकता के संबंध में आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ रही। हालांकि यह मामला वर्ष 2019-20 के एसएआर में उठाया गया था, परंतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p>

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
		<p>(vi) सामान्य संयुक्त वित्तीय विवरणों का तैयार नहीं किया जाना दिल्ली विकास प्राधिकरण तीन प्रमुख शीर्षो/खंडों अर्थात् सामान्य विकास लेखा, नजूल-1 और नजूल-2 के अंतर्गत वार्षिक लेखा तैयार करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण सामान्य विकास लेखा और नजूल-1 के लिए एक अलग से तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा और प्राप्ति और भुगतान लेखा भी तैयार करता है; तथापि, नजूल-1I के संबंध में यह केवल प्राप्ति और भुगतान लेखा तैयार करता है।</p> <p>समग्र रूप से दिल्ली विकास प्राधिकरण और उसके शीर्षो/खंडों के बारे में वित्तीय जानकारी को एकल आर्थिक सत्त्व के रूप में प्रस्तुत करने और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित आर्थिक संसाधनों को दिखाने के लिए, इसे इन तीन शीर्षो / खंडों, जो इसके दायरे में हैं, के लेखाओं को शामिल करके संयुक्त वित्तीय विवरण तैयार करना चाहिए।</p> <p>हालांकि, इस बिंदु को 2019-20 में इंगित किया गया था, तथापि वर्ष 2020-21 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।</p>
<p>VI. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय</p>		
<p>15</p>	<p>कयर बोर्ड</p>	<p>(i) तुलन पत्र कॉर्पस/पूंजीगत निधि और देयताएं निर्धारित/बंदोबस्ती निधि (अनुसूची 3): ₹58.34 करोड़</p> <p>प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता योजना के अंतर्गत इको लैब की स्थापना के लिए ₹ 16.98 करोड़ की एक पृथक निधि निर्धारित की गई थी, जिसमें से सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम के रूप में ₹ 6.75 करोड़ दिए गए थे। हालांकि, 16.98 करोड़ की संपूर्ण राशि का सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम के रूप में ₹ 6.75 करोड़ और शेष ₹ 10.23 करोड़ बैंक खाते में लेखाकरण करने के बजाय प्रयुक्त के रूप में गलत लेखाकरण किया गया था क्योंकि ये निधि केवल हस्तांतरित की गई थी और वास्तव में उपयोग नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप निर्धारित निधियों को ₹ 16.98 करोड़ तक कम बताया गया और बैंक खाते और चालू परिसंपत्तियों के तदनु रूप से क्रमशः ₹ 10.23 करोड़ और ₹ 6.75 करोड़ तक कम बताया गया।</p>

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
		<p>(ii) चालू परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11): ₹127.26 करोड़</p> <p>चालू परिसंपत्ति - अनुसूचित बैंकों में बैंक शेष: ₹64 करोड़</p> <p>उपर्युक्त शीर्ष में कयर बोर्ड के नाम पर खोले गए और खेप बिक्री के संबंध में लेन-देन के लिए केन्द्रीकृत संग्रह खाते के लिए शोरूम और प्रधान कार्यालय द्वारा संचालित बैंक खाते शामिल नहीं हैं। चूंकि ये खाते कयर बोर्ड के नाम पर थे, जिसका प्रतिनिधित्व उसके सचिव द्वारा किया जाता था, इसलिए इसमें दर्शाई गई शेष राशि को बोर्ड के लेखाओं के बही में दर्ज किया जाना चाहिए था, जिसमें पार्टियों को संबंधित देय राशि हो ताकि बोर्ड की परिपरिसंपत्तियों और देयताओं की पूर्ण मान्यता हो सके। इसके परिणामस्वरूप, 26 शोरूमों और प्रधान कार्यालय में एक केन्द्रीकृत संग्रहण खाते के संबंध में चालू परिपरिसंपत्तियों के साथ तदनुसूची चालू देयताओं को ₹ 2.31 करोड़ तक कम बताया गया।</p>
		<p>(iii) समेकित आय और व्यय लेखा</p> <p>अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (अनुसूची 21) - ₹30.56 करोड़</p> <p>उपर्युक्त में 2020-21 के दौरान किए गए परंतु प्रावधान नहीं किए गए व्यय के रूप में ₹ 1.51 करोड़ शामिल नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य प्रशासनिक व्यय' और 'आय पर व्यय की अधिकता' को ₹ 1.51 करोड़ कम बताया गया। नतीजतन, चालू देयताओं और प्रावधानों को भी ₹ 1.51 करोड़ कम बताया गया।</p>
		<p>(iv) अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय (अनुसूची 22): ₹14.33 करोड़</p> <p>उपर्युक्त शीर्ष में 2020-21 के दौरान बाजार विकास सहायता के लिए केरल सरकार को भुगतान की गई राशि ₹ 3.25 करोड़ शामिल हैं। बोर्ड ने इसके लिए मौजूदा दायित्व के प्रति व्यय का समंजन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 'आय की तुलना में व्यय' और चालू देयताओं और प्रावधानों में से प्रत्येक को ₹ 3.25 करोड़ तक अधिक बताया गया।</p>
16	खादी और ग्रामोद्योग आयोग	<p>(i) कॉर्पस/पूँजीगत निधि और देयताएं निर्धारित/बंदोबस्ती निधि (अनुसूची 3) - ₹622.20 करोड़</p> <p>(क) उपर्युक्त में ₹14.20 करोड़ शामिल हैं जो आयोग द्वारा 1964 के बाद से अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और इसके द्वारा वित्तपोषित</p>

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
		<p>संस्थानों और नोडल बैंकों को प्रदान किए गए अग्रदाय अनुदान अग्रिमों का कुल योग है, जिन्हें पुनर्पूर्ति बिलों/वाउचरों की गैर प्राप्ति/गैर-प्रविष्टि के कारण लेखाओं में समायोजित नहीं किया गया है। विवरण के अभाव में लेखापरीक्षा ₹ 14.20 करोड़ के इन अग्रदाय अग्रिमों की सीमा तक 'बंदोबस्ती निधि' शेष की सटीकता और वसूली को प्रमाणित करने में असमर्थ है।</p> <p>यह टिप्पणी 2011-12 से एसएआर में जारी की गई है और खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इतने लंबे समय तक लंबित रहने के बावजूद शेष अग्रिमों को समायोजित/मिलान नहीं किया है।</p> <p>(ख) आयोग को 31 मार्च 2021 तक क्षेत्रीय कार्यालयों, कार्यक्रम निदेशालयों, खादी संस्थानों और ग्रामोद्योग संस्थानों आदि से ₹1689.28 करोड़ की सीमा तक उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनमें से ₹1179.68 करोड़ वर्ष 2000-01 से 2018-19 और ₹509.60 करोड़ वर्ष 2019-20 से संबंधित हैं। इस प्रकार, आयोग द्वारा जीएफआर 209 (6) के साथ पठित 212 (1) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था। लंबित यूसी की निगरानी के लिए एक उचित प्रणाली के अभाव में, लेखापरीक्षा बुक किए गए व्यय की सटीकता प्रदान करने में असमर्थ है।</p> <p>यह टिप्पणी 2016-17 से जारी की गई है।</p>
		<p>(ii) वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 6): ₹ 50.31 करोड़</p> <p>खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अभी तक केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के एक समान प्रारूप (समान प्रारूप) के अंतर्गत निर्धारित प्रोद्गवन-आधारित लेखाकरण को नहीं अपनाया है और इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित से संबंधित लंबित दावों के लिए प्रावधान नहीं बनाया जा रहा है:</p> <ul style="list-style-type: none"> - बाजार विकास सहायता (उत्पादन) - ₹ 120.63 करोड़ (क्षेत्रीय कार्यालयों से ₹ 69.22 करोड़, खादी निदेशालय से ₹ 50 करोड़ और लेखा निदेशालय से ₹ 1.41 करोड़) - बाजार विकास सहायता (ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र) - क्षेत्रीय कार्यालयों से ₹ 0.24 करोड़ - ट्रेडिंग इकाइयों को देय राशि - ₹0.77 करोड़

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
		<p>(यह 2019-20 के एसएआर में एक टिप्पणी के रूप में जारी की गई थी)</p> <p>(iii) महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां लेखाकरण परंपरा</p> <p>महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों (अनुसूची 18) के अंतर्गत, यह प्रकटन किया गया था कि वित्तीय विवरण परंपरागत लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए जाते हैं जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया हो।</p> <p>लेखाकरण परंपरा पर केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के समान प्रारूप पर विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों के क्रम संख्या 4 के अनुसार, "लेखाकरण, लेखाकरण की प्रोद्घवन प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित होगा और "गोडिंग कंसर्न" की अवधारणा को बनाए रखना होगा"।</p> <p>खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वार्षिक लेखाओं को वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार और अनुमोदित विशेषज्ञों की समिति द्वारा निर्धारित लेखाकरण की प्रोद्घवन पद्धति पर आयोग द्वारा तैयार नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप लेखाओं के समान प्रारूप के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है जो अनिवार्य है।</p> <p>निम्नलिखित कुछ अभ्युक्तियाँ हैं जो समान प्रारूप के गैर-अनुपालन से संबंधित हैं:</p> <p>(क) कॉर्पस/पूँजीगत निधि (अनुसूची 1): ₹20.51 करोड़</p> <p>इसमें ₹ 62.11 करोड़ की राशि शामिल नहीं है जो आय की तुलना में व्यय की अधिकता है। समान प्रारूप के अनुसार, आय की तुलना में व्यय की अधिकता को कॉर्पस/पूँजीगत निधि से घटाया जाना है। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पस/पूँजीगत निधि को ₹ 62.11 करोड़ तक अधिक और आरक्षित और अधिशेष को इसी राशि तक कम बताया गया है और भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान प्रारूप का अनुपालन नहीं हुआ है।</p> <p>यह 2018-19 और 2019-20 के एसएआर में एक टिप्पणी के रूप में भी जारी किया गया है।</p> <p>(ख) निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि (अनुसूची 3): ₹ 622.20 करोड़</p> <p>अनुसूची 3 ए के अनुसार, खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) निधि की अव्ययित शेष राशि ₹ 180.98 करोड़ है और</p>

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
		<p>निदेशालय/केआरडीपी द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार व्यय नहीं की गई शेष राशि ₹ 272.45 करोड़ है। इस प्रकार ₹ 91.47 करोड़ का अंतर है, जिसके परिणामस्वरूप बंदोबस्ती निधि को ₹ 91.47 करोड़ तक कम और व्यय को इसी राशि तक अधिक बताया गया है।</p> <p>(ग) वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 6) - ₹ 50.31 करोड़</p> <ul style="list-style-type: none"> इसमें ₹ 348.01 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालयों/सीओ इकाइयों/कॉर्पोरेशन बैंक आदि के पास व्यय नहीं की गई राशि और भारत सरकार को प्रतिदाय योग्य अव्ययित अनुदानों पर अर्जित ₹ 40.49 करोड़ का ब्याज शामिल है। भारत सरकार को प्रतिदाय योग्य अप्रयुक्त अनुदान (जैसा कि अंतिम लेखाओं का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के क्रम संख्या 3.1 के अंतर्गत प्रकटन किया गया है) को चालू देयताओं के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, चालू देयताओं और प्रावधानों को और प्राप्तियों को ₹ 388.50 करोड़ तक कम बताया गया है। <p>(यह टिप्पणी एसएआर 2018-19 और 2019-20 में जारी की गई है, तथापि, आयोग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है)</p> <ul style="list-style-type: none"> इसमें सेवानिवृत्ति लाभों के दायित्व के प्रावधान शामिल नहीं हैं अर्थात् मुख्य निधि और ट्रेडिंग निधि के संबंध में बीमांकिक मूल्य निर्धारण आधार पर ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण, जो लेखाकरण मानक 15 और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के समान प्रारूप (खंड 12.1 और 12.2) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं और प्रावधानों को उस सीमा तक कम करके दिखाया गया है जिसके प्रावधान नहीं किए गए हैं और भारत सरकार द्वारा निर्धारित लेखाओं के समान प्रारूप के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। <p>मुख्य निधि से संबंधित यह टिप्पणी 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के एसएआर में और 2019-20 के एसएआर में ट्रेडिंग निधि के संबंध में जारी की गई है।</p>

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
		<p>(घ) चालू परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 8): ₹ 2,248.64 करोड़</p> <p>इसमें ₹ 39.35 करोड़ की राशि शामिल नहीं है जो ब्याज और अन्य, ग्रामोद्योग पूंजीगत पर ब्याज, ट्रेडिंग इकाइयों द्वारा छूट और सब्सिडी आदि के कारण खादी और ग्रामोद्योग आयोग को वापस की जाने वाली कुल राशि है। ट्रेडिंग निधि खाते में, इसे देयता के रूप में दिखाया गया है लेकिन मुख्य निधि खाते में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इसे प्राप्त के रूप में नहीं दर्शाया है। इसके परिणामस्वरूप मुख्य निधि की चालू परिपरिसंपत्तियों को ₹ 39.35 करोड़ तक कम दर्शाया गया है।</p> <p>यह 2018-19 और 2019-20 के एसएआर में एक टिप्पणी के रूप में भी जारी किया गया है।</p>
VII. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
17	तेल उद्योग विकास बोर्ड	<p>(i) तुलन पत्र अचल परिसंपत्ति (निवल ब्लॉक) (अनुसूची 8): ₹ 7,638 लाख</p> <p>उपर्युक्त में दिल्ली विकास प्राधिकरण से तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा द्वारा द्वारका, दिल्ली में अधिग्रहित पट्टा भूमि से संबंधित ₹ 995 लाख की राशि शामिल है। पट्टा समझौता के अनुसार, भूमि का लेखाकरण ₹ 995 लाख के बजाय ₹ 940 लाख की लागत पर किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, भूमि का मूल्य ₹ 55 लाख अधिक दर्शाया गया था।</p> <p>(ii) आय-व्यय लेखा अन्य प्रशासनिक व्यय - अशोध्य और संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान: ₹ शून्य</p> <p>तुलन पत्र निवेश - अन्य (अनुसूची -10): ₹3,82,621 लाख</p> <p>घाटे में चल रही कंपनी मैसर्स बिक्को लॉरी लिमिटेड को अक्टूबर 2015 में खस्ता हाल औद्योगिक कंपनी घोषित किया गया था और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने भी फरवरी 2018 में इसे बंद करने की मंजूरी दे दी है। मैसर्स बिक्को लॉरी</p>

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
		<p>लिमिटेड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक, इसको ₹ 115 करोड़ के नकारात्मक निवल मूल्य के साथ ₹ 190.07 करोड़ का घाटा हुआ है।</p> <p>इस प्रकार, सीसीईए के निर्णय के अनुरूप मैसर्स बिक्को लॉरी लिमिटेड में इक्विटी निवेश में न घटाने के कारण निवेश को ₹ 5,034 लाख तक अधिक बताया गया है। नतीजतन, 'व्यय की तुलना में आय की अधिकता' को भी उसी राशि तक अधिक बताया गया है।</p> <p>पिछले वर्षों (2017-18, 2018-19 और 2019-20) में तेल उद्योग विकास बोर्ड के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी के बावजूद, बोर्ड ने बीको लॉरी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान नहीं किया है।</p> <p>(iii) अन्य प्रशासनिक व्यय - अशोध्य और संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान: ₹शून्य</p> <p>तुलन पत्र</p> <p>चालू परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची-11): ₹8,08,530 लाख</p> <p>मैसर्स बिक्को लॉरी लिमिटेड की खराब वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैसर्स बिक्को लॉरी लिमिटेड को दी गई निम्नलिखित ऋण राशि की वसूली की कोई तर्कसंगत निश्चितता नहीं है:</p> <p>(क) मैसर्स बिक्को लॉरी लिमिटेड को ₹ 1,200 लाख का अंतरिम ऋण दिया गया, हालांकि किस्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा था।</p> <p>(ख) मैसर्स बिक्को लॉरी लिमिटेड को वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर अपेक्षित व्यय, मौजूदा कर्मचारियों की लागत, कर्मचारी के बकाया वेतन देय, बैंकों से सुरक्षित ऋण और आकस्मिक देयताओं को पूरा करने के लिए ₹ 8,665 लाख का ऋण दिया गया।</p> <p>उपर्युक्त अनिश्चित/संदिग्ध वसूली योग्य ऋणों का प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप 'वर्तमान परिपरीसंपत्तियों, ऋणों, अग्रिमों आदि' और 'व्यय की तुलना में आय की अधिकता' को ₹ 9,865 लाख तक अधिक बताया गया।</p>

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
		<p>पिछले वर्षों (2017-18, 2018-19 और 2019-20) में तेल उद्योग विकास बोर्ड के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल को दिए गए ऋणों के लिए प्रावधान नहीं किया है।</p> <p>(iv) अन्य प्रशासनिक व्यय आदि: ₹1,095 लाख मूल्यहास: ₹704 लाख तुलन पत्र अचल परिसंपत्ति (निवल): भवन (पट्टा भूमि पर): ₹3,991 लाख</p> <p>2006-07 के दौरान भुगतान किए गए ₹ 21 लाख के अग्रिम पट्टा किराया सहित 'भूमि-पट्टा नोएडा भूमि' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 47 लाख की राशि को गलत तरीके से पूंजीकृत किया गया था। पिछले वर्ष के दौरान उठाई गई लेखापरीक्षा आपत्ति के परिणामस्वरूप, इसे चालू वर्ष (यानी 2020-21) के दौरान भूमि से अपूंजीकृत किया गया है। हालांकि, यह देखा गया कि आय-व्यय लेखा में ₹ 21 लाख (अर्थात अग्रिम पट्टा किराया) प्रभारित करने और 'भूमि पर भवन' में ₹ 26 लाख का पूंजीकरण करने के बजाय, ओआईडीबी ने ₹ 47 लाख की संपूर्ण राशि को 'पट्टा भूमि पर भवन' में पूंजीकृत किया। इसके अलावा, अग्रिम पट्टा किराए की पूंजीकृत राशि की तुलना में मूल्यहास के रूप में ₹ 2.10 लाख की राशि वसूल की गई है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप 'पट्टा भूमि पर भवन' को ₹ 21 लाख तक अधिक बताया गया, मूल्यहास को ₹ 2.10 लाख तक अधिक बताया गया, 'अन्य प्रशासनिक व्ययों' को ₹ 21 लाख तक कम करके दिखाया गया है और इसके परिणामस्वरूप 'व्यय की तुलना में आय की अधिकता' को ₹ 18.90 लाख तक अधिक बताया गया है।</p>
18	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड	<p>(i) सामान्य</p> <p>पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम, 2006 की धारा 39 (1) की आवश्यकता के अनुसार, बोर्ड को पीएनजीआरबी निधि का सृजन करना अपेक्षित है, जिसमें बोर्ड द्वारा प्राप्त अनुदान, फीस, शास्ति और प्रभार ऐसे अन्य स्रोतों से बोर्ड द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशियों सहित जमा किए जाते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा सकते हैं। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय के दिनांक 01 जुलाई, 2005 के कार्यालय ज्ञापन में यह भी निर्धारित किया गया है कि विनियामक निकायों की निधियों को लोक</p>

क्र.सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणी
		लेखा में रखा जा सकता है लेकिन इस तरह से संचालित किया जाना चाहिए जिससे उनकी स्वतंत्र स्थिति की रक्षा हो सके। तथापि, पीएनजीआरबी निधि सृजित नहीं की गई और पीएनजीआरबी द्वारा यह राशि सावधि जमा खातों में रखी जा रही है, जो पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 का उल्लंघन है। पीएनजीआरबी निधि का सृजन न होने से संबंधित अभ्युक्ति को वर्ष 2017-18 के लिए पीएनजीआरबी के वार्षिक लेखाओं पर अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी उजागर किया गया था।
VIII. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय		
19	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता (सीडीएलबी)	<p>(i) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड (सीडीएलबी) के पास डॉक क्लेरिकल एंड सुपरवाइजरी वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट) स्कीम, 1970 (डीसी एंड एसडब्ल्यू) में वर्ष 2007-08 से भविष्य निधि की राशि ₹13,93,033.18 बकाया है, लेकिन सीडीएलबी के प्रबंधन ने बकाया पर ब्याज का कोई प्रावधान नहीं किया है।</p> <p>भविष्य निधि के बकाया पर ब्याज का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप देनदारियों का और साथ ही डीसी और एसडब्ल्यू योजना के व्यय पर आय की अधिकता का ₹16,29,848 (₹13,93,033*9%*13 वर्ष), मान लीजिए ₹16.30 लाख से अतिकथन हुआ है।</p>
20	चेन्नई पत्तन न्यास	<p>(i) बैलेंस शीट निधियों का स्रोत वर्तमान देनदारियां और प्रावधान: ₹1142.32 करोड़ (अनुसूची-XII)</p> <p>31 मार्च 2021 को पेंशन देनदारी के लिए एलआईसी द्वारा किए गए बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार, ₹6,271.64 करोड़ की देनदारियों की गणना की गई। हालाँकि, 31 मार्च 2021 तक पेंशन निधि ट्रस्ट खाते में उपलब्ध कॉर्पस ₹3,524.52 करोड़ था। इसी तरह, 31 मार्च 2021 को लीव इनकैशमेंट लायबिलिटी के लिए एलआईसी द्वारा किए गए बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार, ₹165.22 करोड़ की देनदारियों की गणना की गई। हालाँकि, 31 मार्च 2021 तक लीव एनकैशमेंट निधि अकाउंट में उपलब्ध कॉर्पस ₹77.89 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप ₹2,834.45 करोड़ की सीमा तक वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम और लाभ को अधिक बताया गया है।</p>

		<p>पिछले वर्षों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए इस मुद्दे को पत्तन के ध्यान में लाया गया था, हालांकि, पत्तन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।</p> <p>(ii) अचल / पूंजीगत संपत्ति - ₹693.36 करोड़ (अनुसूची - VI) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य - ₹120.17 करोड़</p> <p>उपरोक्त शीर्ष ₹13.61 करोड़ से अधिक बताया गया है क्योंकि इसमें ब्रेक वाटर मेगा कंटेनर टर्मिनल के निर्माण की परियोजना के लिए थिरुथानी में खदानों को पट्टे पर देने के लिए ₹13.61 करोड़ का व्यय शामिल है। परियोजना के लिए खराब प्रतिक्रिया के कारण, पत्तन ने खदानों को वापस कर दिया। भूविज्ञान और खनन आयुक्त, तमिलनाडु सरकार ने खदानों को अपने कब्जे में ले लिया है (9 फरवरी 2021) और ₹13.13 करोड़ की निधि वापसी तमिलनाडु सरकार से बकाया है। चूंकि खदानों को सरेंडर कर दिया गया था और तमिलनाडु सरकार ने अभी तक भुगतान की गई राशि को वापस नहीं किया है, प्रगतिशील पूंजीगत कार्य से राशि को विविध ऋणी को हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक प्रविष्टियाँ की जानी चाहिए थीं।</p>
<p>21</p>	<p>कोचीन पत्तन न्यास</p>	<p>(i) तुलन पत्र निधियों का प्रयोग वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (अनुसूची VIII): ₹799.46 करोड़</p> <p>बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पेंशन और ग्रेच्युटी अंशदान के कारण देयता ₹3,453.55 करोड़ बनती है। हालाँकि, 31 मार्च 2021 तक एलआईसी के लिए किया गया योगदान और अर्जित ब्याज केवल ₹480.56 करोड़ था। इस प्रकार ₹ 2,972.99 करोड़ के योगदान की कमी आई है। पत्तन ट्रस्ट ने इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम करके दिखाया गया है और परिणामस्वरूप लाभ को ₹ 2,972.99 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है।</p> <p>(ii) लाभ और हानि खाता व्यय वित्त और विविध व्यय (अनुसूची एम) - ₹ 376.35 करोड़</p> <p>(ए) कोचीन पत्तन न्यास ने मैसर्स जैसू शिपिंग कंपनी (पी) लिमिटेड के साथ एक अन्य मुकदमेबाजी में उनसे देय राशि से रखरखाव ड्रेजिंग शुल्क के रूप में उन्हें देय ₹ 1.57 करोड़ समायोजित</p>

	<p>करके एक मध्यस्थता का फैसला किया। हालांकि, कोचीन पत्तन न्यास ने 24.03.2021 को निपटान की सूचना देते हुए एक नोटिस भेजा, लेकिन पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और समायोजन की प्रक्रिया अभी भी लंबित है।</p> <p>चूंकि आर्बिट्रेशन अवार्ड के कारण देनदारी 31.03.2021 से पहले स्पष्ट हो गई थी, इसलिए इसके लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। इस राशि का प्रावधान न होने के कारण वित्त एवं विविध. व्यय और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम करके दिखाया गया है और चालू वर्ष के लाभ को ₹1.57 करोड़ से अधिक बताया गया है।</p> <p>(बी) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोचीन पत्तन न्यास को स्टीमर एजेंटों से एकत्र किए गए ग्राउंड रेंट की अतिरिक्त राशि वापस करने के लिए आदेश दिया (05.08.2020) और ₹1.29 करोड़ (अनंतिम) की राशि 55 कंटेनरों को संभालने के लिए 7 पार्टियों को वापस करने योग्य है। इस राशि का प्रावधान न होने के कारण वित्त एवं विविध. व्यय और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम करके दिखाया गया है और चालू वर्ष के लाभ को ₹1.29 करोड़ से अधिक बताया गया है।</p>
<p>22</p>	<p>दीनदयाल पत्तन न्यास</p> <p>(i) लाभ और हानि खाता परिचालन आय - ₹1,717.95 करोड़ कार्गो हैंडलिंग और स्टोरेज शुल्क - ₹602.67 करोड़ (अनुसूची-1)</p> <p>उपरोक्त में बीओटी ऑपरेटरों से ₹148.24 करोड़ की रॉयल्टी आय शामिल है (वाडीनार ऑयल टर्मिनल: ₹65.57 करोड़, टूना पत्तन-मैसर्स अडानी कांडला बल्क टर्मिनल: ₹52.67 करोड़, कंटेनर टर्मिनल कांडला- मैसर्स केआईसीटीएल: ₹25.14 करोड़ और बर्ज जेटी-मैसर्स इफको किसान: ₹4.86 करोड़)।</p> <p>राजस्व भागीदारी की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए, रियायत समझौतों के खंड 9.4 के अनुसार, दीनदयाल पत्तन न्यास ने रियायतग्राहियों द्वारा प्रतिवेदन किये गए सकल राजस्व के सत्यापन के लिए मैसर्स अशोक छाजेड़ एंड एसोसिएट को वर्ष 2020-21 के लिए उक्त बीओटी आय के विशेष लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा है। हालांकि, अंतिम विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>डीपीटी ने बीओटी ऑपरेटरों से प्राप्त रॉयल्टी आय की शुद्धता की पुष्टि के लिए लेखापरीक्षा को प्राथमिक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। प्रासंगिक अभिलेखों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा बीओटी ऑपरेटरों से</p>

		<p>₹148.24 करोड़ की रॉयल्टी आय को लेखा बही में दर्शाए जाने को सत्यापित करने में असमर्थ है।</p> <p>यह आपत्ति 2016-17 से लेखापरीक्षा द्वारा उठाई जा रही है।</p> <p>(ii) सामान्य</p> <p>दीनदयाल पत्तन न्यास के कर्मचारियों (जो 1.1.2004 से पहले नियुक्त किए गए थे) को देय पेंशन एक 'परिभाषित लाभ पेंशन' है अर्थात सेवानिवृत्ति के समय आहरित मूल वेतन का 50 प्रतिशत और लागू महंगाई भत्ता। दीनदयाल पत्तन न्यास ने एक सुपरएनुएशन ट्रस्ट निधि बनाया है और ट्रस्ट ने एक ग्रुप सुपरएनुएशन पॉलिसी ली है। किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता के समय, उस कर्मचारी के संबंध में उपलब्ध निधि का उपयोग करके वार्षिकी खरीदी जाती हैं। वार्षिकी सेवानिवृत्त कर्मचारी की मासिक पेंशन देयता (सेवानिवृत्ति की तिथि के अनुसार) का ध्यान रखेंगी, लेकिन डीए राशि में वृद्धि नहीं, जो समय-समय पर संशोधित होती हैं और पेंशन में किसी भी संशोधन का भी। वर्ष 2018-19 में कमी को पूरा करने के लिए खरीदी जाने वाली तत्काल वार्षिकी की लागत ₹783.76 करोड़ के रूप में प्रबंधन द्वारा निर्धारित की गई थी, जिसमें से 2018-19 के खातों में ₹391.88 करोड़ (50 प्रतिशत) के लिए प्रावधान किया गया था। प्रबंधन ने वर्ष 2019-20 के लिए खातों में प्रावधान को इस आधार पर उलट दिया कि वे तत्काल भुगतान वार्षिकी खरीदने के लिए निधि में अतिरिक्त योगदान करने के बजाय सीधे कमी का भुगतान करना चाहते हैं।</p> <p>दीनदयाल पत्तन न्यास की देनदारी का आंकलन नहीं किया गया है और वित्त वर्ष 2020-21 के खातों में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप प्रावधानों को कम और लाभ को अधिक बताया गया है, जिसकी मात्रा को लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सका क्योंकि प्रबंधन द्वारा कमी का आंकलन नहीं किया गया है।</p> <p>यद्यपि यह आपत्ति वर्ष 2019-20 में लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई थी, पत्तन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।</p>
23	<p>भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय</p>	<p>(i) तुलन पत्र</p> <p>अचल संपत्ति (अनुसूची 8) - ₹ 427.13 करोड़</p> <p>अचल संपत्ति मुख्यालय - ₹139.61 करोड़</p> <p>महत्वपूर्ण लेखा नीति सं 2.7 प्रदान करता है कि मूल्यहास अवलेखित वैल्यू विधि पर आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर प्रदान</p>

		<p>किया गया था। हालांकि, "कंप्यूटर सहायक उपकरण" से संबंधित ₹1.66 करोड़ मूल्य की संपत्ति को "कार्यालय उपकरण" के तौर पर 40 प्रतिशत पर मूल्यहास के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 2019-20 और 2020-21 के दौरान 15 प्रतिशत हासित किया गया था।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप 2020-21 के लिए अचल संपत्तियों को अधिक और मूल्यहास को ₹0.18 करोड़ और 2019-20 के लिए ₹0.39 करोड़ कम बताया गया है, जो पूर्व अवधि समायोजन है।</p> <p>(ii) अचल संपत्ति (अनुसूची 8) - ₹427.13 करोड़ प्रगतिशील पूंजीगत कार्य - चेन्नई कैंपस - ₹16.75 करोड़</p> <p>उपरोक्त खाता शीर्ष में इंजन रूम सिम्युलेटर और क्लासरूम के लिए स्प्लिट एसी की खरीद और स्थापना के लिए ₹0.13 करोड़ शामिल हैं, जो फरवरी 2021 में स्थापित किए गए थे।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों को कम बताया गया है और पूंजीगत कार्य को ₹0.13 करोड़ से अधिक बताया गया है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2020-21 के लिए मूल्यहास और घाटे को ₹63,251 से कम दिखाया गया है।</p> <p>(iii) आय और व्यय खाता पूर्व अवधि समायोजन - ₹0.81 करोड़</p> <p>अक्टूबर 2020 में कार्यकारी परिषद की बैठक में स्वीकृत कोलकाता परिसर के समुद्री इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान (एमइआरआई) मेस कर्मचारियों के लिए पूर्व अवधि के समायोजन में ₹ 2.72 करोड़ की छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी का प्रावधान शामिल था। चूंकि वर्तमान लेखा वर्ष में प्रावधान को स्वीकृति दी गई थी, इसे पूर्व अवधि के समायोजन के बजाय चालू वर्ष में स्थापना व्यय के रूप में लेखाबद्ध किया जाना चाहिए था।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 2.72 करोड़ से पूर्व अवधि समायोजन का अतिकथन हुआ और स्थापना व्यय को कम दर्शाया गया।</p>
24	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास	<p>(i) अचल संपत्ति प्रगतिशील पूंजीगत कार्य: ₹3,431.46 करोड़</p> <p>उपरोक्त में ₹ 1,704.43 करोड़ की राशि शामिल है, जो मुंबई हार्बर चैनल और जेएन पत्तन चैनल (चरण- II) को गहरा करने और चौड़ा करने से संबंधित पूंजीगत निकर्षण कार्य का मूल्य है। यह काम 18 फरवरी 2019 को पूरा हो गया था और पत्तन मार्च 2019 से इस</p>

		<p>सुविधा का उपयोग कर रहा है। हालांकि, पत्तन ने इसका पूंजीकरण नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए मूल्यहास को ₹17.04 करोड़, पूर्व अवधि के व्यय (मूल्यहास) को ₹25.56 करोड़, सकल अचल संपत्तियों को ₹1,704.43 करोड़ से कम और लाभ को ₹42.60 करोड़ से अधिक बताया गया है। अवलोकन को 2019-20 के एसएआर में भी शामिल किया गया था।</p> <p>(ii) वित्त और विविध व्यय: ₹89.42 करोड़ (अनुसूची 21)</p> <p>उपरोक्त में ₹ 138.43 करोड़ पेंशन निधि के कारण देयता की राशि शामिल नहीं है। बीमांकक मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार ₹ 1,703.50 करोड़ के आवश्यक निधि के मुकाबले, 31 मार्च 2021 को निधि बैलेंस ₹ 1,542.07 करोड़ था (एलआईसी @ 7.4 प्रतिशत के ब्याज सहित) जिसके परिणामस्वरूप ₹161.43 करोड़ की कमी हुई। पत्तन ने केवल ₹ 23 करोड़ की सीमा तक प्रावधान किया। शॉर्ट प्रोविजनिंग के परिणामस्वरूप ₹ 138.43 करोड़ की सीमा तक लाभ को अधिक और वर्तमान देनदारी को कम बताया गया है।</p>
<p>25</p>	<p>मोरमुगाओ पत्तन न्यास</p>	<p>(i) तुलन पत्र निधि का प्रयोग अचल/पूंजीगत संपत्ति प्रगतिशील पूंजीगत कार्य: ₹83.08 करोड़ (अनुसूची 2)</p> <p>उपरोक्त में 2016-18 की अवधि के दौरान कैपिटल ड्रेजिंग पर किया गया ₹73.84 करोड़ का व्यय शामिल है। परियोजना को प्रस्तावित किया गया था (2014) ताकि किसी भी ज्वार की स्थिति में कैपेसाइज जहाजों के नेविगेशन को सुविधाजनक बनाया जा सके, एप्रोच चैनल और बर्थ 5, 6 और 7 को कैपिटल ड्रेजिंग के माध्यम से गहरा किया जा सके, जो जनवरी 2019 में शुरू हुआ था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने इसके द्वारा आदेश (सितंबर 2016) ने मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृति को रद्द कर दिया और कार्य/परियोजना को सितंबर 2016 में रोक दिया गया। उस समय केवल 45 प्रतिशत कार्य ही पूरा हुआ था। प्रबंधन ने परियोजना को छोड़ने के लिए मंत्रालय को भी प्रस्ताव दिया (13.10.2020) क्योंकि उच्च पूंजी लागत, पर्यावरण स्वीकृति आदि के कारण निकट भविष्य में एप्रोच चैनल को गहरा करने की परिकल्पना नहीं की गई थी।</p> <p>चूंकि परियोजना (कैपिटल ड्रेजिंग कार्य) पूरी नहीं हुई थी और इच्छित उपयोग के लिए चैनल उपलब्ध नहीं था, ट्रिब्यूनल के आदेश और परियोजना को छोड़ने के लिए पत्तन की सिफारिश को ध्यान में रखते</p>

	<p>हुए, परियोजना पर खर्च (सीडब्ल्यूआईपी) का प्रावधान किया जाना चाहिए था और लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाना चाहिए था।</p> <p>इस प्रकार, पांच साल पहले छोड़े गए कार्य/परियोजना पर सीडब्ल्यूआईपी के तहत किए गए व्यय को रोके रखने के परिणामस्वरूप ₹ 73.84 करोड़ की सीमा तक प्रगतिशील पूंजीगत कार्य का अतिकथन हुआ और प्रावधान और हानि को कम करके दिखाया गया।</p> <p>(ii) वित्त और विविध आय: ₹ 29.03 करोड़ (अनुसूची 14)</p> <p>शिपिंग मंत्रालय ने मोरमुगाओ पत्तन न्यास में फोर लेन कनेक्टिविटी रोड के शेष हिस्से के निर्माण के लिए पत्तन को ₹187 करोड़ की अनुदान सहायता स्वीकृत की है। पत्तन को सहायता अनुदान के रूप में मई 2019 तक विभिन्न किशतों में कुल ₹182.74 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से ₹53 करोड़ अव्ययित पड़े हुए हैं। अव्ययित राशि को अल्पावधि निवेश में निवेश किया गया था और वर्ष 2020-21 के दौरान ब्याज के रूप में ₹2.38 करोड़ (लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित) की राशि अर्जित की गई थी।</p> <p>जीएफआर 2017 नियम 230(8) के अनुसार "किसी भी अनुदानग्राही संस्थान को जारी सहायता अनुदान या अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त) के विरुद्ध सभी ब्याज या अन्य आय को अनिवार्य रूप से खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद भारत के समेकित कोष में प्रेषित किया जाना चाहिए। इस तरह के अग्रिमों को भविष्य में रिलीज के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।" हालांकि, अव्ययित अनुदानों पर अर्जित ब्याज को सरकारी खातों में भेजने के बजाय, पत्तन ने ब्याज को अपनी आय के रूप में माना और लाभ और हानि खाते में वित्त और विविध आय में जमा किया। इसके परिणामस्वरूप वित्त और विविध आय को अधिक बताया गया है, हानि के साथ-साथ देयता को ₹2.38 करोड़ की सीमा तक कम बताया गया है।</p> <p>(iii) पेंशन ट्रस्ट निधि की बैलेंस शीट - निवेश: ₹949.94 करोड़</p> <p>पेंशन ट्रस्ट निधि में ₹2,214.90 करोड़ के कुल निधि बैलेंस के मुकाबले, निवेश केवल ₹950.15 करोड़ (बैंक बैलेंस सहित) था, जिसके परिणामस्वरूप ₹1,264.75 करोड़ का घाटा हुआ।</p>
--	---

		<p>यद्यपि 2015-16 से लेखापरीक्षा द्वारा निवेश में कमी की ओर इशारा किया जा रहा है, इसे पत्तन प्रबंधन द्वारा अभी तक सुधारा जाना है और पत्तन ने निवेश में अंतर को पूरा करने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है।</p> <p>(iv) ग्रेच्युटी ट्रस्ट निधि की बैलेंस शीट - निवेश: ₹79.83 करोड़</p> <p>ग्रेच्युटी ट्रस्ट निधि में ₹120.86 करोड़ के कुल निधि बैलेंस के मुकाबले, निवेश ₹81.78 करोड़ था (बैंक बैलेंस सहित), जिसके परिणामस्वरूप ₹39.08 करोड़ का घाटा हुआ।</p> <p>यद्यपि 2015-16 से लेखापरीक्षा द्वारा निवेश में कमी की ओर इशारा किया जा रहा है, इसे पत्तन प्रबंधन द्वारा अभी तक सुधारा जाना है और पत्तन ने निवेश में अंतर को पूरा करने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है।</p>
<p>26</p>	<p>मुंबई न्यास पत्तन</p>	<p>(i) रिज़र्व और अधिशेष (अनुसूची I) राजस्व रिज़र्व: ₹187.99 करोड़ सामान्य रिज़र्व: ₹41.81 करोड़</p> <p>प्रमुख पत्तन की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सामान्य ढांचे के अनुसार, 'लाभ और हानि खाते का डेबिट शेष' अनिर्दिष्ट रिज़र्व (जिसे 'सामान्य रिज़र्व' भी कहा जाता है) से घटाया जाना चाहिए।</p> <p>पत्तन ने बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष पर ₹322.23 करोड़ के लाभ और हानि खाते का डेबिट बैलेंस दिखाया है और बैलेंस शीट के देयता पक्ष पर ₹41.81 करोड़ का 'सामान्य रिज़र्व' दिखाया गया है। पत्तन को 'सामान्य रिज़र्व' में उपलब्ध राशि के साथ 'लाभ और हानि खाते के डेबिट शेष' को समायोजित करना चाहिए था और केवल शेष राशि को परिसंपत्ति पक्ष में दिखाया जाना चाहिए अर्थात् ₹280.42 करोड़ (₹322.23 करोड़ घटा ₹ 41.81 करोड़)।</p> <p>गैर - समायोजन के परिणामस्वरूप 'लाभ और हानि खाते के डेबिट शेष' और 'सामान्य रिज़र्व' को ₹41.81 करोड़ से अधिक बताया गया है।</p> <p>यद्यपि उपरोक्त आपत्ति लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) में उठाई गई थी, पत्तन प्रबंधन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जानी बाकी है।</p>

	<p>(ii) वर्तमान देनदारियां और प्रावधान वर्तमान देनदारियां : ₹3,389.97 करोड़ नोट संख्या 17 (क, ख और घ) के साथ सेवानिवृत्ति लाभ पठित</p> <p>प्रमुख पत्तन की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सामान्य ढांचे के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता को एक ट्रस्ट के निर्माण के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था, तो वर्ष के लिए खर्च की गई लागत बीमांकक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाएगी। मुंबई पत्तन न्यास ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पेंशन निधि और ग्रेच्युटी निधि के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया है:</p> <p style="text-align: right;">(₹ करोड़ में)</p> <table border="1" data-bbox="504 730 1359 1238"> <thead> <tr> <th>निधि का नाम</th> <th>31.03.2021 को बीमांकक मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार प्रदान करने योग्य देयता</th> <th>31.03.2021 को निधि में शेष</th> <th>कमी</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4 (2 - 3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पेंशन निधि</td> <td>13,650.88</td> <td>8,719.34</td> <td>4,931.54</td> </tr> <tr> <td>ग्रेच्युटी निधि</td> <td>702.20</td> <td>62.92</td> <td>639.28</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>14,353.08</td> <td>8,782.26</td> <td>5,570.82</td> </tr> </tbody> </table> <p>परिणामस्वरूप, वर्तमान देनदारियों में ₹ 5,570.82 करोड़ की न्यूनोक्ति और इसी राशि से लाभ का अतिकथन हुआ।</p> <p>उपरोक्त कमियां 2012-13 से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की जा रही हैं। पत्तन ने उत्तर दिया कि भूमि की बिक्री, मुंबई पत्तन न्यास की भूमि के पट्टे, जिसका उपयोग पत्तन प्रचालन आदि के लिए नहीं किया जा सकता है, से उत्पन्न राजस्व द्वारा अंतर को पूरा किया जाएगा।</p> <p>(iii) लाभ और हानि खाता परिचालन आय संपत्ति का किराया भवन, शेड और गोदामों से किराया : ₹49.50 करोड़</p> <p>उपर्युक्त में ₹27.60 करोड़ रुपये की अनुमानित आय शामिल है जो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधि के तहत टाटा मेमोरियल अस्पताल को 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष ₹1/वर्ग मीटर के मामूली मूल्य पर पट्टे के आधार पर भूमि के आवंटन पर</p>	निधि का नाम	31.03.2021 को बीमांकक मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार प्रदान करने योग्य देयता	31.03.2021 को निधि में शेष	कमी	1	2	3	4 (2 - 3)	पेंशन निधि	13,650.88	8,719.34	4,931.54	ग्रेच्युटी निधि	702.20	62.92	639.28	कुल	14,353.08	8,782.26	5,570.82
निधि का नाम	31.03.2021 को बीमांकक मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार प्रदान करने योग्य देयता	31.03.2021 को निधि में शेष	कमी																		
1	2	3	4 (2 - 3)																		
पेंशन निधि	13,650.88	8,719.34	4,931.54																		
ग्रेच्युटी निधि	702.20	62.92	639.28																		
कुल	14,353.08	8,782.26	5,570.82																		

		<p>मान्यता प्राप्त है। अनुमानित आय पट्टे के किराए का प्रतिनिधित्व करती है जिसके लिए पट्टेदार के पास भुगतान के लिए दायित्व नहीं है। पत्तन ने ₹16.67 करोड़ और सीएसआर फंड अकाउंट को ₹10.93 करोड़ की देनदारियों में डेबिट करके अनुमानित आय बुक की थी।</p> <p>कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 निर्धारित करता है कि सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला अधिशेष किसी कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, सीएसआर पर प्राप्त किसी भी अधिशेष को तुरंत सीएसआर व्यय के लिए देयता के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और लाभ और हानि के विवरण के प्रभार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, जो पत्तन द्वारा नहीं किया गया है।</p> <p>इसके अतिरिक्त, सीएसआर व्यय के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, राशि एमसीए परिपत्र दिनांक 12.1.2016 द्वारा स्पष्ट रूप से खर्च की जानी चाहिए। बही समायोजन के माध्यम से सीएसआर देयता को कम करना सीएसआर का उचित उपचार नहीं है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप लाभ में ₹27.60 करोड़ का अतिकथन हुआ, जिसमें ₹16.67 करोड़ से विविध देनदारों का अतिकथन हुआ और सीएसआर देनदारियों में ₹10.93 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।</p>
<p>27</p>	<p>मुंबई पत्तन ट्रस्ट पेंशन निधि ट्रस्ट</p>	<p>(i) तुलन पत्र पेंशन निधि खाता और देनदारियां: ₹ 8,719.34 करोड़ (अनुसूची I) लेखा पर टिप्पणियाँ - मद III-बी</p> <p>मुंबई पत्तन ट्रस्ट पेंशन निधि ट्रस्ट का गठन कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों की पेंशन देनदारी को पूरा करने के लिए एक ट्रस्ट डीड (14 जनवरी 2004) द्वारा किया गया था। पेंशन कोष के प्रबंधन के लिए जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को कोष प्रबंधक नियुक्त किया गया है। एलआईसी हर साल बीमांकक मूल्यांकन करता है जिसके आधार पर ट्रस्ट द्वारा एलआईसी के साथ पैसा निवेश किया जाता है।</p> <p>एलआईसी द्वारा सूचित 31.03.2021 को बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार कुल पेंशन देयता ₹ 13,650.88 करोड़ थी (मौजूदा पेंशनरों के लिए ₹ 8,580.70 करोड़ और भावी पेंशनरों के लिए ₹ 5,070.18 करोड़)। इसके विरुद्ध 31 मार्च 2021 को पेंशन निधि बैलेंस ₹ 8,719.34 करोड़ था। बीमांकक मूल्यांकन प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए, निधि बैलेंस में ₹ 4,931.54 करोड़ की कमी है।</p>

		<p>कमी के परिणामस्वरूप देनदारियों (पेंशन निधि अकाउंट) और परिसंपत्तियों (वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम - "मुंबई पत्तन ट्रस्ट से प्राप्य") को ₹ 4,931.54 करोड़ की सीमा तक कम बताया गया।</p> <p>लेखापरीक्षा 2012-13 से पेंशन देनदारी के प्रावधान में कमी की ओर इशारा कर रहा है।</p>																									
28	न्यू मेंगलोर पत्तन न्यास	<p>(i) तुलन पत्र निधियों का प्रयोग अचल/पूंजीगत संपत्ति अनुसूची 2 - अचल संपत्ति और मूल्यहास</p> <p>(क) वर्ष के दौरान परिवर्धन: ₹ 36,99,35,780</p> <p>उपरोक्त में कंटेनर स्कैनर से संबंधित वर्ष के दौरान जोड़ी गई ₹ 3,62,52,356 की राशि शामिल है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>एसेट कोड</th> <th>संपत्ति का विवरण</th> <th>जिंदगी</th> <th>पूंजीकरण की तिथि</th> <th>राशि (₹)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22145</td> <td>कंटेनर स्कैनर यार्ड के लिए सिविल कार्य</td> <td>50</td> <td>31.07.2019</td> <td>3,29,78,653</td> </tr> <tr> <td>22136</td> <td>कंटेनर स्कैनर यार्ड में सुरक्षा कक्ष</td> <td>40</td> <td>15.09.2020</td> <td>4,49,425</td> </tr> <tr> <td>22146</td> <td>कंटेनर स्कैनर यार्ड में विद्युतीकरण</td> <td>25</td> <td>27.09.2019</td> <td>28,24,278</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">कुल</td> <td>3,62,52,356</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त पर मूल्यहास ₹ 13,39,678 चार्ज किया गया था और 31.03.2021 को नेट ब्लॉक ₹ 3,49,12,678 था।</p> <p>चूंकि कंटेनर स्कैनर की मुख्य संपत्ति 31.03.2021 तक चालू नहीं की गई थी और इसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के तहत बुक किया गया था, इसलिए इन संबंधित संपत्तियों को पूंजीकृत करना गलत है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप 31.03.2021 को सकल ब्लॉक को ₹ 3,62,52,356 से अधिक, नेट ब्लॉक को ₹ 3,49,12,678 से, मूल्यहास को ₹ 13,39,678 से और पूंजीगत कार्य को ₹ 3,62,52,356</p>	एसेट कोड	संपत्ति का विवरण	जिंदगी	पूंजीकरण की तिथि	राशि (₹)	22145	कंटेनर स्कैनर यार्ड के लिए सिविल कार्य	50	31.07.2019	3,29,78,653	22136	कंटेनर स्कैनर यार्ड में सुरक्षा कक्ष	40	15.09.2020	4,49,425	22146	कंटेनर स्कैनर यार्ड में विद्युतीकरण	25	27.09.2019	28,24,278	कुल				3,62,52,356
एसेट कोड	संपत्ति का विवरण	जिंदगी	पूंजीकरण की तिथि	राशि (₹)																							
22145	कंटेनर स्कैनर यार्ड के लिए सिविल कार्य	50	31.07.2019	3,29,78,653																							
22136	कंटेनर स्कैनर यार्ड में सुरक्षा कक्ष	40	15.09.2020	4,49,425																							
22146	कंटेनर स्कैनर यार्ड में विद्युतीकरण	25	27.09.2019	28,24,278																							
कुल				3,62,52,356																							

से घटाकर दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप लाभ ₹ 13,39,678 कम करके दिखाया गया है।

(ख) रेलवे रोलिंग स्टॉक

सकल ब्लॉक ₹37,26,53,007

मूल्यहास ₹8,69,39,496

नेट ब्लॉक ₹28,57,13,511

उपरोक्त सकल ब्लॉक में ₹52,81,545 शामिल हैं, जो सितंबर 2006 में 60 वर्षों के अनुमानित जीवन के साथ पूंजीकृत रेलवे नेटवर्क की लागत है। इसके अतिरिक्त, 2017-18 के दौरान रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ₹8,96,08,936 अतिरिक्त खर्च किए गए। इस अतिरिक्त व्यय को शेष जीवन (49 वर्ष) के साथ मूल्यहास किया जाना चाहिए। इसके बजाय न्यू मेंगलोर पत्तन न्यास ने इस वृद्धि पर 2006-07 से पूर्वव्यापी मूल्यहास लगाया है, भले ही संपत्ति 2017-18 तक उपयोग में नहीं थी।

31.03.2021 को उपरोक्त परिसंपत्तियों पर पत्तन द्वारा लगाया जाने वाला मूल्यहास और प्रदान किया गया मूल्यहास नीचे दिया गया है-

एसेट कोड	लागत	पूंजीकृत	जिंदगी	मूल्यहास		
				प्रभार्य	प्रभारित	अधिक/ (कम)
21054	52,81,545	सितंबर 2006	60	13,20,386	12,83,709	(36,677)
20934	8,96,08,936	दिसंबर 2017	49 (60-11)	73,15,015	2,24,02,234	1,50,87,219
कुल				86,35,401	2,36,85,943	1,50,50,542

₹1,50,50,542 के अतिरिक्त मूल्यहास के परिणामस्वरूप ₹1,50,50,542 से मूल्यहास और नेट ब्लॉक के कम होने का परिणाम हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ ₹1,50,50,542 कम हुआ है। 2019-20 के लेखा परीक्षण पर प्रबंधन पत्र दिनांक 20 अक्टूबर 2020 के क्रम संख्या 10 द्वारा सूचित इस मुद्दे पर पत्तन भी कोई कार्रवाई करने में विफल रहा।

(ii) वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम: वर्तमान संपत्ति निवेश पर अर्जित ब्याज ₹14,80,25,640

उपरोक्त अनुसूची 16: वित्त और विविध आय में सामान्य निवेश पर ब्याज शीर्ष के तहत आय के रूप में जमा करके म्यूचुअल निधि में किए गए दीर्घकालिक निवेश के लागत मूल्य और शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करता है।

	<p>पत्तन की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों (अनुसूची 18 की मद 8) के अनुसार, निवेशों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। आगे, लेखांकन मानक 13: निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार, दीर्घकालिक निवेश का लागत मूल्य पर लेखांकन किया जाना चाहिए। निवेश के निपटान के समय लाभ और हानि विवरण में वहन राशि और निपटान आय के बीच अंतर, खर्चों को घटाकर, पहचाना जाता है। इसलिए, निवेश करते समय उपार्जित आय के रूप में लंबी अवधि के निवेश की अग्रणीत राशि और एनएवी के अंतर की बुकिंग एस 13 के साथ पठित पत्तन की महत्वपूर्ण लेखा नीति से विचलन है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप वर्तमान संपत्ति के साथ-साथ वित्त और विविध आय को ₹14,80,25,640 से अधिक बताया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ का उस सीमा तक अतिकथन हुआ है।</p> <p>(iii) वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम: वर्तमान संपत्ति विविध देनदार (अनुसूची 4): ₹46,44,96,166</p> <p>(क) उपरोक्त में ₹ 2,83,44,743 सहायक दस्तावेजों के बिना विविध देनदारों (एस्टेट पेनल्टी- कोड 906 और राजस्व पेनल्टी- कोड 907) के लेखांकन से संबंधित हैं। जहां तक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का संबंध है, संबंधित दस्तावेजों की अनुपस्थिति गंभीर चूक की ओर इशारा करती है। वर्ष 2019-20 के खातों की लेखापरीक्षा के दौरान, न्यू मेंगलोर पत्तन न्यास ने वर्ष 2020-21 के दौरान विवरण प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। तथापि, लेखापरीक्षा को कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्तन भी 2019-20 के लेखा परीक्षण के दौरान उनके आश्वासन के अनुसार 2020-21 के दौरान विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान संपत्ति और लाभ को ₹2,83,44,743 से अधिक दर्शाया गया है।</p> <p>(ख) कुल विविध देनदारों को क्रमशः ₹10,37,89,613 और ₹36,07,06,553 की राशि के सरकारी बकाया और गैर-सरकारी बकाया के बीच विभाजित किया गया है। सत्यापन के लिए प्रदान किए गए व्यक्तिगत देनदार शेष के अनुसार, पत्तन बकाया- कोड 823 और आर विविध- कोड 827 के संबंध में सरकारी बकाया राशि और गैर-सरकारी देय राशि को सही ढंग से अलग नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सरकारी एजेंसियों की बकाया राशि को कम और अन्य/गैर-सरकारी बकाया राशि को ₹3,84,31,179 से अधिक बताया गया है।</p>
--	--

<p>29</p>	<p>पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप</p>	<p>(i) पारादीप पत्तन न्यास एंड ऑफ एक्सचेंज यार्ड/पीआरडीपी में अथराबांकी तक पाइंट्स और सिग्नल के केंद्रीकृत संचालन के प्रावधान के लिए ई.को. रेलवे को एक डिपाजिट कार्य प्रदान किया गया था (जून 2015)। ₹11.05 करोड़ के अनुमान के विरुद्ध, पारादीप पत्तन न्यास ने कार्य के निष्पादन के लिए ₹9.75 करोड़ जमा किए। 19.05.2018 अर्थात् 2018-19 में कार्य पूरा कर चालू किया गया। इस बीच, संशोधित लागत को बढ़ाकर ₹13.55 करोड़ कर दिया गया और शेष ₹3.92 करोड़ (₹3.80 करोड़ + ₹0.12 करोड़) का भुगतान रेलवे प्राधिकरण को अक्टूबर 2019 अर्थात् 2019-20 में किया गया। हालांकि, इसे पूंजीकृत करने के बजाय प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के तहत एक्सचेंज के पत्तन एंड के सिग्नलिंग और इंटर कॉकिंग के रूप में बुक किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹3.92 करोड़ की सीमा तक रेलवे के स्थायी मार्ग को कम करके दिखाया गया है और उसी सीमा तक सीडब्ल्यूआईपी को अधिक बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप 2019-20 और 2020-21 में प्रत्येक के लिए ₹0.065 करोड़ मूल्यहास को कम करके दिखाया गया है, साथ ही उस सीमा तक आयकर से पहले शुद्ध अधिशेष को भी अधिक दर्शाया गया है।</p> <p>(ii) सीडब्ल्यूआईपी में निम्नलिखित आंकड़े शामिल नहीं हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 09.03.2021 से 03.04.2021 तक नॉर्थ बीओटी डॉक कॉम्प्लेक्स में कैपिटल ड्रेजिंग कार्य के लिए जारी किए (अप्रैल 2021) बिल के लिए ₹1.38 करोड़। 31.03.2021 को देय ₹1.22 करोड़ (₹1.38 करोड़*23 दिन/26 दिन = ₹1.22 करोड़) का व्यय लेखा बही में प्रदान किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप उपार्जित व्यय के साथ-साथ प्रगतिशील पूंजीगत कार्य को भी ₹1.22 करोड़ कम दिखाया गया है। • 01.11.2020 से 16.03.2021 के दौरान फर्टिलाइजर बर्थ रिटर्न आर्म के विस्तार के लिए मैसर्स बी. अंजनेयुलू द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए ₹2.25 करोड़। इसके परिणामस्वरूप उपार्जित व्यय के साथ-साथ सीडब्ल्यूआईपी को भी ₹2.25 करोड़ कम दिखाया गया है। • 01.03.2021 से 26.03.2021 के दौरान एमसीएचपी क्षेत्र के अंदर मौजूदा सर्विस रोड के उन्नयन के लिए मैसर्स गंगाधर जेना द्वारा किए गए कार्य के लिए ₹1.15 करोड़। इसके परिणामस्वरूप उपार्जित व्यय के साथ-साथ सीडब्ल्यूआईपी को भी ₹1.15 करोड़ कम दिखाया गया है।
-----------	-------------------------------------	---

	<p>(iii) जनवरी 2021 से मार्च 2021 की अवधि के लिए मैसर्स राइट्स लिमिटेड (डब्ल्यूएसडी-रखरखाव) को देय पारादीप पत्तन न्यास के स्वामित्व वाले लोकोमोटिव के संचालन और रखरखाव के लिए अर्जित व्यय मद में ₹1.33 करोड़ शामिल नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹1.33 करोड़ (₹0.44 करोड़ * 3 महीने) तक आयकर से पहले शुद्ध अधिशेष के साथ उपार्जित व्यय का अतिकथन हुआ।</p> <p>(iv) कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को करों को छोड़कर ₹23.87 करोड़ के अप-फ्रंट लैंड प्रीमियम के प्रति 30 साल की लीज अवधि के लिए 100 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी (दिसंबर 2017)। लेखांकन नीति के अनुसार, पार्टियों से प्राप्त एकमुश्त अप्रतिदेय अग्रिम शुल्क को पट्टे की अवधि में विभाजित किया जाता है। हालाँकि, ₹2.65 करोड़ के मुकाबले, पारादीप पत्तन न्यास ने दिसंबर 2017 से मार्च 2021 (3 साल 4 महीने) की अवधि के लिए केवल ₹0.53 करोड़ का परिशोधन किया है। = इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को अधिक बताया गया है और आयकर से पहले शुद्ध अधिशेष को ₹2.12 करोड़ (₹2.65 करोड़ - ₹0.53 करोड़) से कम दिखाया गया है।</p> <p>(v) रियायतग्राही समझौते के अनुसार, पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड कार्गो को संभालती है और तदनुसार रॉयल्टी, पत्तन बकाया और वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करती है। पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड पारादीप पत्तन न्यास को अग्रिम भुगतान करता है और इसे समायोजन तक देयता खाता शीर्ष "पत्तन शुल्क जमा" के तहत बुक किया जाता है। एक बार रॉयल्टी/पत्तन बकाया/वार्षिक लाइसेंस शुल्क देय हो जाने पर उसे अग्रिम में समायोजित कर लिया जाता है। उपरोक्त खाता बही की जांच से पता चला कि 2021-22 की अवधि के लिए ₹ 3.85 करोड़ की वार्षिक लाइसेंस फीस को 2020-21 में अग्रिमों के विरुद्ध गलत तरीके से समायोजित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम करके और आयकर से पहले शुद्ध अधिशेष को ₹ 3.85 करोड़ से अधिक बताया गया है।</p> <p>(vi) न्यासी बोर्ड ने 16 अप्रैल 2017 को नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और पारादीप पत्तन ट्रस्ट के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार पारादीप में कच्चे तेल टर्मिनल की स्थापना के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के पक्ष में 200 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए सैद्धांतिक रूप से (27.05.2019) स्वीकृति दे दी। हालांकि</p>
--	---

	<p>अनंतिम मांग (27.03.2019) जारी की गई थी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने राशि का प्रेषण नहीं किया क्योंकि निर्धारित साइट को सीआरजेड 1 और 4 के तहत वर्गीकृत किया गया था।</p> <p>इसके बाद, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने अपनी मूल योजना को समायोजित करने के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र वर्गीकरण में बदलाव के लिए ओडिशा सरकार के साथ प्रयास किया और पारादीप पत्तन न्यास को ₹20 करोड़ के तदर्थ अग्रिम का भुगतान (06.02.2020) किया। इसके बाद, सटीक क्षेत्र की पहचान करने के लिए फिर से सर्वेक्षण किया गया और डिमांड नोट जारी करने पर, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने आगे ₹40.30 करोड़ (29.09.2020) और ₹14.10 करोड़ (15.01.2021) यानी कुल ₹74.40 करोड़ का भुगतान किया (₹70.49 करोड़ के अपफ्रंट लीज़ रेंट, ₹3.81 करोड़ के विलंबित भुगतान पर ब्याज और अन्य सहित)। यह भी देखा गया कि 30 वर्ष की लीज अवधि के लिए भूमि आवंटन की तिथि की गणना 06.04.2020 की गई थी।</p> <p>महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार, पार्टियों से प्राप्त एकमुश्त अप्रतिदेय अग्रिम शुल्क को पट्टे की अवधि में विभाजित किया जाता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹2.35 करोड़ (₹70.49 करोड़/30 वर्ष) के विभाजन के विरुद्ध, प्रबंधन ने केवल ₹1.24 करोड़ का विभाजन किया।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.11 करोड़ (₹ 2.35 करोड़ - ₹ 1.24 करोड़) की आय कम बताई गई और उसी राशि से देयता (व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य से जमा) को अधिक बताया गया।</p> <p>(vii) पारादीप पत्तन ट्रस्ट की आवश्यकता के अनुसार, इंडियन ऑयल 2009 से मॉनसून/खराब न्यास मौसम (मई से अक्टूबर तक) के दौरान सिंगल पॉइंट मूरिंग पर पोत प्रबंधन के लिए बाहरी मार्गदर्शन सेवा ले रहा है। हालांकि, मूरिंग/अनमूरिंग संचालन के लिए, दो टग पत्तन द्वारा प्रदान किए जाते हैं और मार्गदर्शन उप संरक्षक की देखरेख में किया जाता है। आईओसीएल ने पायलटेज और टोवेज प्रभारों पर 100 प्रतिशत और पायलट उपस्थिति प्रभारों पर 100 प्रतिशत की रियायत देने का अनुरोध किया। हालांकि, न्यासी बोर्ड ने 2017-18 से पायलटेज और टोवेज शुल्क पर 70 प्रतिशत और पायलट उपस्थिति शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट को स्वीकृति दी है। तदनुसार, सिंगल प्वाइंट मूरिंग के माध्यम से संभाले गए कच्चे तेल के टैंकर के आधार पर, निधि वापसी को स्वीकृति दी गई थी और यह कहा गया था कि निधि वापसी की राशि फर्म के लाभ व हानि खाते में उनके भविष्य के बिलों के समायोजन के लिए जमा की जाएगी।</p>
--	--

	<p>लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 11.24 करोड़ अभी भी आईओसीएल पाइपलाइन डिवीजन (सहायक कोड 596) को 31.03.2021 तक देय है। आगे की नमूना जांच से पता चला कि 2018-19 में पत्तन बकाया के लिए डिपोजिट के लिए देनदारी बनाकर ₹ 11.24 करोड़ पूर्व अवधि की आय से डेबिट किए गए थे। इसके बाद, आईओसीएल को इसका भुगतान किया गया, इसलिए 31.03.2021 तक आईओसीएल पाइपलाइन डिवीजनों के प्रति कोई देनदारी नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.24 करोड़ से देनदारी को अधिक बताया गया है और आयकर से पहले शुद्ध अधिशेष को कम दिखाया गया है।</p> <p>(viii) शीर्ष "निवेश" में पारादीप पत्तन रोड कंपनी लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक विशेष प्रयोजन वाहन में इक्विटी शेयरों के लिए ₹40 करोड़ का निवेश शामिल है। पारादीप पत्तन रोड कंपनी लिमिटेड का शुद्ध मूल्य पूरी तरह से खत्म हो गया है जो 31.03.2016 को (-) ₹495.52 करोड़ था। इस बीच 26.10.2018 को आयोजित बैठक संख्या 02/20018-19 में न्यासी बोर्ड (पारादीप पत्तन ट्रस्ट) को अवगत कराया गया कि एनएचआई ने एसपीवी को बंद करने का प्रस्ताव दिया था। लेखा मानक 13 के अनुच्छेद -17 में कहा गया है कि "दीर्घकालिक निवेश आमतौर पर लागत पर किया जाता है। हालांकि, जब एक लंबी अवधि के निवेश के मूल्य में अस्थायी के अतिरिक्त गिरावट होती है, तो गिरावट को पहचानने के लिए वहन राशि कम हो जाती है। एक निवेश के मूल्य के संकेतक इसके बाजार मूल्य, निवेशिती की संपत्ति और परिणाम और निवेश से अपेक्षित नकदी प्रवाह के संदर्भ में प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए, एएस-13 के तहत आवश्यक लंबी अवधि के निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप निवेश को अधिक बताया गया और कर से पहले शुद्ध अधिशेष को ₹40 करोड़ से अधिक बताया गया। इस टिप्पणी को 2018-19 और 2019-20 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया था।</p> <p>(ix) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और लेखों पर नोट्स के पैरा 13 में कहा गया है कि, "वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त भंडार, जो कि चेक व मापे न गए हों, का लेखांकन नहीं किया जाता"। इस संबंध में अभिलेखों की जांच में पता चला कि मेसर्स फोरेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 20.01.2021 को 2500 मीटर स्टील कॉर्ड कन्वेयर बेल्ट की आपूर्ति की, जिसके लिए बिल 26.03.2021 को पारित किया गया था। हालांकि, 31.03.2021 तक लेखा बही में कोई प्रविष्टि पारित नहीं की गई है। इसके परिणामस्वरूप 1.37 करोड़ रुपये की इन्वेंट्री (स्टील कॉर्ड कन्वेयर बेल्ट) को कम करके दिखाया गया है, साथ ही</p>
--	---

		<p>आपूर्तिकर्ताओं के लिए विविध लेनदारों को भी उतना ही कम दिखाया गया है।</p> <p>(x) मैसर्स सिस्टम हाउस कॉर्पोरेशन, भुवनेश्वर को 06.12.2013 को "33/11 केवी नियंत्रण कक्ष अथराबांकी में स्थानांतरित करने और बीओटी टर्मिनल को 33 केवी बिजली आपूर्ति" के लिए काम सौंपा गया था। तत्पश्चात्, ठेकेदार ने 70 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया और निर्धारित पूर्णता समय के भीतर उसे सौंप दिया। इसलिए, पारादीप पत्तन न्यास ने पूरा काम पूरा नहीं करने के लिए ₹2.86 करोड़ के परिनिर्धारित हर्जाने की कटौती की और इसे आय के रूप में दर्ज किया। हालांकि, संविदा की धारा के अनुसार, यदि निर्धारित तिथि के भीतर क्रेता द्वारा पूर्ण किए गए कार्य का पर्याप्त भाग ले लिया गया था, तो परिसमापन क्षति केवल कार्य के शेष भाग की लागत पर लगाई जाएगी। चूंकि, कुल काम का 70 प्रतिशत पूरा हो गया था और शेष काम के 30 प्रतिशत पर परिनिर्धारित हर्जाना लगाया जा सकता था, इसलिए पारादीप पत्तन न्यास ने अप्रैल 2021 को संविदाकार को रोके गए हानि के ₹2 करोड़ जारी किए।</p> <p>चूंकि 31.03.2021 को परिनिर्धारित हर्जाना देय था, इसलिए इसे देयता के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2 करोड़ तक के उपार्जित व्यय को कम करके दिखाया गया है, साथ ही उस सीमा तक आयकर से पहले निवल अधिशेष को अधिक दर्शाया गया है।</p>										
<p>30</p>	<p>श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता (पूर्व कोलकाता पत्तन न्यास)</p>	<p>(i) लेखा मैनुअल के अनुसार, किसी रिजर्व के संबंध में 'निधि' शब्द का प्रयोग तभी किया जाना था जब इस तरह के रिजर्व को एक निर्दिष्ट निवेश द्वारा दर्शाया गया हो। हालांकि, 31 मार्च 2021 को निम्नलिखित निधि की शेष राशि की तुलना में उसमें किए गए निर्दिष्ट निवेश की राशि में कुल ₹ 185.31 करोड़ की कमी दिखाई दी। इस प्रकार, निधियों के संबंध में निवेश के मिलान की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था। 31 मार्च 2021 तक निधि और निर्दिष्ट निवेश का विवरण निम्नानुसार है:</p> <p style="text-align: right;">(₹ करोड़ में)</p> <table border="1" data-bbox="552 1682 1401 1971"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>निधि का नाम</th> <th>निधि देयता</th> <th>निवेश</th> <th>अंतर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>कोलकाता पत्तन ट्रस्ट कर्मचारी अधिवर्षिता निधि</td> <td>576.19</td> <td>390.88</td> <td>185.31</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	निधि का नाम	निधि देयता	निवेश	अंतर	1.	कोलकाता पत्तन ट्रस्ट कर्मचारी अधिवर्षिता निधि	576.19	390.88	185.31
क्र. सं.	निधि का नाम	निधि देयता	निवेश	अंतर								
1.	कोलकाता पत्तन ट्रस्ट कर्मचारी अधिवर्षिता निधि	576.19	390.88	185.31								

	<p>अतः उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि ₹ 576.19 करोड़ की निधि देयता के विरुद्ध ₹ 185.31 करोड़ की राशि के निवेश की कमी है।</p> <p>(ii) हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में लंबे समय से जिगरखाली फ्लैट पर कैपिटल ड्रेजिंग के लिए प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में ₹17.32 करोड़ शामिल हैं। उक्त कार्य-प्रगति को 2001-02 के दौरान कोलकाता डॉक सिस्टम द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन 'समापन प्रमाणपत्र', 'अंतिम बिल की प्रति' आदि जैसे दस्तावेजों की कमी के कारण इसे पूंजीकृत नहीं किया गया था। कुल व्यय की प्रकृति के संबंध में कोई अभिलेख/दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण राशि को लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाना चाहिए था। इस राशि को चार्ज न करने के परिणामस्वरूप सीडब्लूआईपी को ₹17.32 करोड़ से अधिक बताया गया और उसी सीमा तक वर्ष के लिए शुद्ध लाभ को भी अधिक बताया गया।</p> <p>एसएआर में 2013-14 से इसी तरह की टिप्पणी शामिल की जा रही है, लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p> <p>(iii) दिसंबर 2017 और मार्च 2020 के बीच सड़क संपर्क में सुधार और परिवहन डिपो रोड के उन्नयन के कार्य के लिए ₹6.77 करोड़ की राशि खर्च की गई। इसलिए, सीडब्लूआईपी में पड़ी उपरोक्त राशि को अचल/पूंजीगत संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाना चाहिए था और पूंजीगत संपत्तियों के साथ मूल्यहास किया जाना चाहिए था।</p> <p>उपरोक्त के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप अचल/पूंजीगत संपत्तियों को ₹6.77 करोड़ से कम और मूल्यहास को ₹0.35 करोड़ से कम के साथ-साथ सीडब्लूआईपी को ₹6.77 करोड़ से और वर्ष के लिए शुद्ध लाभ को ₹0.35 करोड़ से अधिक बताया गया।</p>
	<p>(iv) बीमांकिक मूल्य निर्धारण के अनुसार, 31.03.2021 को 3407 कर्मचारियों के लिए उपदान के संबंध में देयता ₹365.92 करोड़ थी, जिसके प्रति कुल ₹297.27 करोड़ की निधि उपलब्ध थी। हालांकि, बीमांकिक मूल्य निर्धारण और उपलब्ध निधि के बीच अंतर के कारण ₹68.65 करोड़ की कमी के लिए कोई देयता प्रदान नहीं की गई थी। इस तरह के गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप प्रावधानों को ₹68.65 करोड़ तक कम बताया गया और साथ ही वर्ष के लिए शुद्ध लाभ को इसी राशि तक अधिक बताया गया।</p>

		<p>(v) बीमांकिक मूल्य निर्धारण के अनुसार, 31.03.2021 को पेंशन निधि के संबंध में कुल देयता ₹1894.42 करोड़ थी, जिसके प्रति एलआईसी के पास ₹1278.83 करोड़ की कुल निधि उपलब्ध थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन ने वर्ष के लिए केवल ₹143.51 करोड़ की देनदारी स्वीकार की और इसे लेखा टिप्पणी (टिप्पणी संख्या 12) में प्रकट किया। हालांकि, बीमांकिक मूल्य निर्धारण और उपलब्ध निधि के बीच अंतर के कारण ₹472.08 करोड़ की शेष कमी के लिए कोई देयता प्रदान नहीं की गई थी। एएस 15 (कर्मचारी लाभ) के अनुसार, चालू वर्ष में पेंशन निधि के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप प्रावधानों को ₹472.08 करोड़ कम करके और साथ ही वर्ष के लिए शुद्ध लाभ को इसी राशि तक अधिक दर्शाया गया।</p> <p>(vi) कोलकाता पत्तन न्यास अंशदायी भविष्य निधि विनियमन, 1989 के विनियम 9 में प्रावधान है कि कोलकाता पत्तन न्यास निधि में पाई गई किसी भी कमी के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार करेगा। यह देखा गया कि अंशदायी भविष्य निधि ने 31 मार्च 2021 को ₹2.85 करोड़ का राजस्व घाटा दिखाया। विनियम 9 के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन निधि के घाटे के लिए उपयुक्त प्रावधान करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन ने ऐसी देनदारी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप वित्त और विविध व्ययों, प्रावधानों को ₹2.85 करोड़ तक कम बताया गया और इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए शुद्ध लाभ इसी राशि तक अधिक बताया गया।</p>
<p>31</p>	<p>विशाखापत्तनम पत्तन न्यास</p>	<p>(i) तुलन पत्र वर्तमान देनदारियां और प्रावधान भविष्य निधिपेंशन और , ग्रेच्युटी निधि: ₹ 23.29 करोड़</p> <p>एलआईसी द्वारा प्रस्तुत बीमांकिक मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक पेंशन और ग्रेच्युटी के भविष्य के दायित्वों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता ₹5660.92 करोड़ है। हालांकि, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने 31 मार्च 2021 तक उपरोक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए ₹4807.64 करोड़ की राशि का आवंटन किया और पेंशन निधि न्यास और ग्रेच्युटी निधि न्यास में राशि का निवेश किया। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2021 तक पेंशन निधि न्यास और ग्रेच्युटी निधि न्यास में निवेश के प्रति ₹853.28 करोड़ की कमी हुई। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और प्रावधानों को ₹853.28 करोड़ तक कम करके दिखाया गया और लाभ को इसी राशि तक अधिक बताया गया।</p>

		<p>(ii) निधियों का अनुप्रयोग अचल पूंजीगत परिसंपत्तियां (सकल ब्लॉक) (अनुसूची 2.1): ₹2702.50 करोड़</p> <p>कुल ₹12.59 करोड़ की दो परिसंपत्तियों⁹⁵ के जीवन मानदंड को 40 वर्ष के बजाय 0 से 75 वर्ष के बीच अपनाने के कारण उपरोक्त को ₹4.87 करोड़ तक अधिक बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि के खर्चों को ₹4.72 करोड़ तक कम और मूल्यहास को ₹0.15 करोड़ तक कम बताया गया। परिणामस्वरूप, कर पूर्व लाभ को ₹4.87 करोड़ तक अधिक बताया गया।</p> <p>(iii) चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम विविध देनदार: ₹364.16 करोड़</p> <p>(क) मार्च 2014 तक किए गए संदिग्ध ऋणों के प्रति प्रावधान ₹7.31 करोड़ था। इसके बाद, वर्ष दर वर्ष आश्वासन देने के बावजूद, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने संदिग्ध देय राशि बकायों के लिए और प्रावधान नहीं किया था। 31 मार्च 2021 को ₹371.47 करोड़ के सकल विविध देनदारों में से, पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि ₹127.81 करोड़ (34.41 प्रतिशत) थी। इसी तरह की टिप्पणी को वर्ष 2019-20 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया था। हालांकि, वर्ष 2020-21 में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।</p> <p>(ख) वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए मैसर्स विजाग सी पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (₹8.45 करोड़) और मैसर्स विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (₹13.09 करोड़) से प्राप्त संपत्ति किराया ₹21.54 करोड़ की राशि 2020-21 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा बही में शामिल नहीं थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, खातों की पुनर्रचना के दौरान, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने ₹21.54 करोड़ के बजाय केवल ₹5.44 करोड़ के लिए प्राप्त संपत्ति किराए को मान्यता दी। इसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों को ₹16.10 करोड़ और संपत्ति के किराये से होने वाली आय के साथ-साथ कर से पहले के लाभ को ₹16.10 करोड़ कम दिखाया गया है।</p>
32	वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन न्यास	<p>(i) तुलन पत्र चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम चालू परिसंपत्ति-विविध देनदार सरकार: ₹47.16 करोड़</p> <p>उपरोक्त शीर्ष में ₹9.56 करोड़ की राशि शामिल है, जो तमिलनाडु वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से पट्टे के किराए, न्यूनतम गारंटीकृत</p>

⁹⁵ i) लोवा उद्यान में भूमि आधारित कार्य और ii) लोवा उद्यान में सामान्य कार्य।

		<p>यातायात, बिजली और पानी के शुल्क पर प्राप्य शास्ति के कारण देय है, जिसे 2013-14 से 2019-20 की अवधि के दौरान हिसाब में लिया गया था। तमिलनाडु वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मार्च 2015 में गोदामों को अभ्यर्पित कर दिया था और तब से वीओसीपीटी के दावों पर विवाद किया था।</p> <p>राजस्व मान्यता पर पत्तन की लेखांकन नीति (4.ix) का संदर्भ लिया जाए, जिसमें कहा गया है कि "जहां भी दावा भुगतान के लिए विवादित है और तुलन पत्र की तारीख पर लंबित है, उसे प्राप्त के आधार पर मान्यता दी जाए।" प्राप्य दावों की उपरोक्त मान्यता पत्तन की उपर्युक्त लेखांकन नीति के विरुद्ध है। नतीजतन, वर्ष के लिए विविध देनदार और अधिशेष ₹9.56 करोड़ तक अधिक बताये गए हैं।</p>
IX. ऊर्जा मंत्रालय		
33	ऊर्जा ब्यूरो	<p>(i) तुलन पत्र अनुसूची 1बी अन्य - पीआरजीएफईई और वीसीएफईई निधि: ₹17,232.76 लाख</p> <p>अनुसूची 1बी में ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम गारंटी निधि (पीआरजीएफईई) और ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफईई) शामिल हैं। 31.03.2021 तक, पीआरजीएफईई निधि ₹12,110.97 लाख थी जबकि वीसीएफईई निधि ₹5,121.79 लाख थी।</p> <p>विद्युत मंत्रालय ने (मार्च 2021) योजनाओं को समय-पूर्व बंद करने और निधि को उस पर ब्याज सहित विद्युत मंत्रालय को वापस करने का निर्णय लिया। तदनुसार, दोनों निधियों को वर्तमान देनदारियों के तहत दिखाया जाना चाहिए था। हालांकि, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने उपरोक्त निधियों को अनुसूची-1बी में दिखाया है और अपने लेखा टिप्पणियों में इस तथ्य के संबंध में कोई खुलासा नहीं किया है कि इन योजनाओं को समय पूर्व बंद किया गया है और इन निधियों को विद्युत मंत्रालय को वापस किया जाना है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप 'अन्य - पीआरजीएफईई और वीसीएफईई निधि' (अनुसूची-1बी) को ₹17,232.76 लाख की राशि तक अधिक और 'वर्तमान देनदारियों' (अनुसूची-7) को समान राशि तक कम बताया गया है, इसके अलावा लेखा टिप्पणियों में उस हद तक कमी है।</p>
		<p>(ii) निर्धारित निधि (अनुसूची- 8,563.64₹):(3लाख</p> <p>(क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में मानक और लेबलिंग योजना के तहत ₹97.35 लाख की राशि</p>

	<p>बुक की है जो मानक और लेबलिंग योजना से संबंधित नहीं है। इसे निम्नानुसार हिसाब में लिया जाना चाहिए था:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ₹32.45 लाख पूर्व अवधि के खर्च के रूप में क्योंकि नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक की अवधि से संबंधित है। • चालू वर्ष के खर्च के रूप में ₹64.90 लाख, क्योंकि यह अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक की अवधि से संबंधित है और • फरवरी और मार्च 2021 के लिए भुगतान न की गई राशि के संबंध में देनदारी के रूप में ₹12.98 लाख। <p>इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप ₹97.35 लाख की राशि 'निर्धारित/बंदोबस्ती निधि' (अनुसूची-3), 'अन्य प्रशासनिक व्यय आदि' (पूर्व अवधि) को ₹32.45 लाख, 'अन्य प्रशासनिक व्यय' (अनुसूची-21) ₹77.88 लाख और 'वर्तमान देयताएं और प्रावधान' (अनुसूची-7) ₹12.98 लाख तक कम करके दिखाया गया है। इसके अलावा, ₹110.33 लाख की राशि तक 'व्यय से अधिक आय' को अधिक बताया गया है।</p> <p>(ख) पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को ई-सर्ट के व्यापार की सुविधा के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिकृत किया गया है, जो निर्दिष्ट लक्ष्यों से परे ऊर्जा बचत प्राप्त करने पर पात्र उपभोक्ताओं को जारी किए जाते हैं। आवश्यक बुनियादी ढांचा अर्थात् सॉफ्टवेयर, पोर्टल आदि का रखरखाव ऊर्जा दक्षता ब्यूरो/पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और ई-सर्ट के व्यापार के लिए आवश्यक एक बार के पंजीकरण शुल्क सहित जारी किए गए प्रति ई-सर्ट के लिए ₹5 का शुल्क लगाया/एकत्र किया जाता है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है।</p> <p>ऊर्जा दक्षता ब्यूरो पोर्टल के निर्माण/रखरखाव आदि पर खर्च की बुकिंग संबंधित ऊर्जा दक्षता हेतु राष्ट्रीय मिशन में ई-सर्ट के अंतर्गत कर रहा है, जबकि आय को संबंधित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत 'निर्धारित/बंदोबस्ती' के तहत बुक करने के बजाय 'कॉर्पस/पूँजीगत निधि' के तहत अलग से बुक किया गया है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप ₹67 लाख की राशि तक 'कॉर्पस/पूँजीगत निधि' को अधिक और 'निर्धारित/बंदोबस्ती निधि' को कम बताया गया है।</p>
--	--

		<p>(iii) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश (अनुसूची 9): ₹64,298.48 लाख</p> <p>ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेखा और अभिलेख के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम 2007 (विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2007 को जारी अधिसूचना) के अनुसार, 'निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों के प्रति बैंक शेष' के रूप में धारित राशि को अनुसूची 11 - वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि में अलग से प्रकट किया जाना चाहिए।</p> <p>हालांकि, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 'निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश' (अनुसूची-9) के तहत ₹59,298.48 लाख की राशि शामिल की है (एनटीपीसी बांड के संबंध में ₹5,000 लाख को छोड़कर) जो राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, ऊर्जा दक्षता हेतु आंशिक जोखिम गारंटी निधि, ऊर्जा दक्षता हेतु उद्यम पूंजीगत निधि और मानक एवं लेबलिंग शुल्क के आधार पर थी जो एफडीआर/बचत एवं स्वीप खाता में धारित थी। उपर्युक्त नियमों के अनुरूप अनुसूची-11 में निर्धारित निधियों के प्रति रखे गए 'अनुसूचित बैंक में बैंक खाते' के तहत इसे दिखाया जाना चाहिए था।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप 'निर्धारित निधियों से निवेश' (अनुसूची-9) को ₹59,298.48 लाख तक अधिक बताया गया है और 'चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि' (अनुसूची-11) के तहत निर्धारित निधियों के प्रति अनुसूचित बैंकों के पास बैंक शेष राशि को इसी सीमा तक कम बताया गया है।</p> <p>यह मुद्दा वर्ष 2018-19 और 2019-20 के अलग-अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी उठाया गया था और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने इस पर सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। हालांकि, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा वर्ष 2020-21 के अपने वार्षिक लेखा में कोई सुधार नहीं किया गया है।</p>
34	केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग	<p>(i) तुलन पत्र कॉर्पस/पूंजीगत निधि और देनदारियां सीईआरसी निधि (अनुसूची-2): ₹73,869.45 लाख आय और व्यय लेखा शुल्क से आय (अनुसूची-13): ₹14,089.56 लाख ब्याज आय (अनुसूची-14): ₹475.90 लाख</p> <p>केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने सीएजी/महालेखा नियंत्रक से उचित अनुमोदन प्राप्त किए बिना संशोधित निधि संचालन और लेखा प्रक्रिया</p>

	<p>को अपनाया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग को जारी प्रबंधन पत्रों के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया गया था और वर्ष 2019-20 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी उजागर किया गया था।</p> <p>इसके अलावा, अनुदान, शुल्क और ब्याज के माध्यम से आय का लेखाकरण केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग निधि (संविधान और निधि के प्रयोग का तरीका) नियम, 2007 और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 98 और 99 के अनुरूप नहीं है, जो निर्धारित करता है कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्राप्त सभी शुल्कों और अन्य राशियों को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग निधि में जमा करना आवश्यक है। तदनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्राप्त सभी शुल्क और राशि ₹14,565.46 लाख⁹⁶ को आय के रूप में मानने और 'शुल्क से आय' और 'ब्याज आय' के तहत इसके आय और व्यय खाते में बुकिंग के बजाय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग निधि में जोड़ा जाना चाहिए था।</p> <p>केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग को अभी भी उसके द्वारा अपनाई गई संशोधित प्रक्रिया का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है जिससे विद्युत अधिनियम और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग निधि (संविधान और निधि के आवेदन का तरीका) नियमावली, 2007 के प्रावधानों का लगातार उल्लंघन हो रहा है।</p> <p>(ii) चालू देनदारियां और प्रावधान (अनुसूची-3) प्रावधान: ₹384.99 लाख</p> <p>केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने एनडीएमसी को मार्च 2021 तक की अवधि के लिए ₹517.56 लाख (₹72.34 लाख के दंडात्मक ब्याज सहित) के बिल के प्रति ₹445.22 लाख की राशि का भुगतान किया और ₹72.34 लाख के अप्रदत्त ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया, जिसके लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग को एनडीएमसी से आज तक कोई छूट नहीं मिली है।</p> <p>इसलिए, 'चालू देयताएं और प्रावधान' (अनुसूची-3) के साथ-साथ 'अन्य प्रशासनिक व्यय' (अनुसूची-19) प्रत्येक को ₹72.34 लाख की राशि तक कम बताया गया है।</p>
--	---

⁹⁶ फाइलिंग शुल्क/टैरिफ शुल्क ₹8708.44 लाख + लाइसेंस शुल्क ₹5240.57 लाख + वार्षिक पंजीकरण शुल्क ₹58 लाख + विविध शुल्क ₹82.55 लाख + ब्याज आय ₹475.90 लाख

	<p>(iii) परिसंपत्ति- अचल संपत्ति (अनुसूची-4 और 4ए): ₹172.90 लाख व्यय- मूल्यहास (अनुसूची-4 और 4ए): ₹70.74 लाख</p> <p>'अमूर्त परिसंपत्तियों के परिशोधन' पर लेखाकरण नीति संख्या 4 में निर्धारित किया गया कि "सॉफ्टवेयर को 5 (पांच) वर्ष या सॉफ्टवेयर के जीवन की अवधि में परिशोधित किया जाता है, जो भी कम है"। यह देखा गया है कि सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस-2019 के स्वतंत्र लाइसेंस और 5 साल के समर्थन के साथ विंडोज सर्वर अन्य पीसी या सर्वर में उपयोग करने में सक्षम हैं। हालांकि, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने तकनीकी मूल्य निर्धारण और उचित औचित्य के बिना वर्ष के दौरान जोड़े गए सभी सॉफ्टवेयरों के उपयोगी जीवन को 5 वर्ष के बजाय 3 वर्ष माना है। इसके परिणामस्वरूप ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को अधिक बताया गया है, और कथित लेखाकरण नीति के गैर-अनुपालन के अलावा, प्रत्येक 'अचल परिसंपत्ति' (अनुसूची-4 और 4ए) को ₹7.52 लाख तक कम बताया गया है।</p> <p>(iv) अनुदान सहायता पूँजीगत निधि (अनुसूची -1): ₹107.99 लाख सीईआरसी निधि (अनुसूची -2): ₹73,869.45 लाख चालू पूँजीगत कार्य (अन्य) (अनुसूची-5): ₹5,830.40 लाख</p> <p>विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग निधि ₹22,000 लाख (अनुदान सहायता वेतन ₹2,000 लाख जमा अनुदान सहायता सामान्य ₹5,000 लाख जमा अचल संपत्ति प्राप्त करने के लिए ₹15,000 लाख की पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान) के अनुदान को मंजूरी दी। इन अनुदानों में से, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2020-21 में ₹10,871.99 लाख [राजस्व व्यय ₹5,043.48 लाख (स्थापना व्यय ₹1,224.28 लाख, अन्य व्यय ₹3,819.20 लाख) और कार्यालय स्थान प्राप्त करने के लिए ₹5,828.51 लाख] की राशि का उपयोग किया। राजस्व अनुदान और पूँजीगत निधि की शेष राशि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग निधि के तहत बुक की गई थी जबकि इसे विद्युत मंत्रालय (राजस्व व्यय के लिए शेष अनुदान) और पूँजीगत निधि (शेष पूँजी अनुदान) से अनुदान में दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप विद्युत मंत्रालय (अनुसूची-12) के अनुदान को ₹1,956.52 लाख और साथ ही पूँजीगत निधि (अनुसूची-1) को ₹9,171.49 लाख तक कम बताया गया है और सीईआरसी निधि (अनुसूची-2) को ₹11,128.01 लाख तक अधिक बताया गया।</p>
--	---

X. वस्त्र मंत्रालय		
35	केंद्रीय बोर्ड	<p>(i) तुलन पत्र कॉर्पस निधि (अनुसूची 1): ₹ 45,547.47 लाख</p> <p>पिछले अंतिम शेष को ₹44,986.37 लाख के बजाय ₹44,119.16 लाख के रूप में गलत तरीके से अपनाने के कारण उपरोक्त राशि ₹867.21 लाख कम बताई गई है। इसके परिणामस्वरूप केंद्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणों का गलत चित्रण हुआ है। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के खातों के एकसमान प्रारूप के अनुसार, "कॉर्पस/पूंजीगत निधि पूंजी, शेयर पूंजी या स्वामित्व निधि के समान है। इसमें विशेष रूप से कॉर्पस में योगदान के माध्यम से प्राप्त राशि शामिल है, जैसा कि आय और व्यय खाते में दिखाए गए शुद्ध परिचालन परिणामों से बढ़ा/घटा है।" चालू वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा किए गए समायोजन न तो कॉर्पस निधि में विशिष्ट योगदान हैं और न ही आय और व्यय खाते में दिखाए गए परिचालन परिणामों से उत्पन्न हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप लेखाओं के एकसमान प्रारूप का पालन नहीं किया गया है। पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों में प्रमाणित शेष को चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों में आगे बढ़ाया जाना है। ऐसा न करने से प्रस्तुत लेखाओं की सही और निष्पक्ष जांच पर असर पड़ा है।</p>
		<p>(ii) परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति (अनुसूची 8) ₹ 30,751.04 लाख</p> <p>वर्ष के दौरान, बोर्ड ने चालू पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) से कुल ₹373.39 लाख की कटौती की है। इसमें से ₹193.18 लाख को अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि के रूप में दर्शाया गया था। ₹180.21 लाख की शेष राशि के लिए, वर्ष के दौरान कोई समायोजन प्रविष्टि पारित नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि के रूप में कैपिटल डब्ल्यूआईपी में कमी का लेखा-जोखा न रखने के कारण अचल परिसंपत्तियों को ₹180.21 लाख तक कम बताया गया है।</p>
		<p>(iii) वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम, आदि: (अनुसूची 11) ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियां अन्य विविध जमा ₹ 1,302.25लाख</p> <p>उपरोक्त में 2000-01 से मल्टीएंड रीलिंग मशीनरी पैकेज के हिस्से के रूप में रीलर्स को दिए गए ऋण और उस पर ब्याज के ₹662.85 लाख</p>

	<p>(मूल ₹389.76 लाख और ब्याज ₹273.09 लाख) शामिल है। चूंकि संग्रह पर्याप्त नहीं था, रीलर्स की मदद करने के इरादे से, बोर्ड की 128 वीं और 134 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संबंधित राज्य सरकारें बकाया ऋण का 50 प्रतिशत वापस कर देंगी और बोर्ड वस्त्र मंत्रालय के अनुमोदन से ऋण का 50 प्रतिशत और अर्जित ब्याज माफ कर देगा। चूंकि केंद्रीय रेशम बोर्ड के लिए नकदी प्रवाह की कोई निश्चितता नहीं है और केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा 50 प्रतिशत ऋण माफ करने के निर्णय को देखते हुए, केंद्रीय रेशम बोर्ड के हिस्से के लिए ₹467.97 लाख (मूलधन का 50 प्रतिशत जो ₹194.88 लाख है + संपूर्ण ब्याज ₹273.09 लाख बनता है) का प्रावधान किया जाना चाहिए था। हालांकि, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। गैर-प्रावधानीकरण के परिणामस्वरूप ₹467.97 लाख तक अन्य विविध जमाराशि-चालू परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम (अनुसूची 11) को अधिक बताया गया है, खर्चों को कम बताया गया है और व्यय की तुलना में आय को अधिक बताया गया है।</p>
	<p>(iv) आय और व्यय लेखा बिक्री/सेवाओं से आय (अनुसूची 12): ₹2,665.65 लाख</p> <p>राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन बेंगलोर कार्यशील पूंजी (अनुलग्नक XIV) के तहत बिक्री को ₹ 3,028.24 लाख के बजाय ₹ 2,558.23 लाख लेने के कारण उपरोक्त ₹ 470.01 लाख कम बताया गया। इसके परिणामस्वरूप व्यय की तुलना में आय आधिक्य को ₹470.01 लाख तक कम दर्शाया गया है। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप बही-खाते के शेष के साथ वित्तीय विवरणों की पुष्टि नहीं हुई है।</p>
	<p>(v) व्यय अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21) ₹5,562.27 लाख</p> <p>वर्ष के दौरान, केंद्रीय रेशम बोर्ड ने ₹213.31 लाख के संचित मूल्यहास वाली ₹438.03 लाख की सकल मूल्य की परिसंपत्तियों का निपटान किया है। इन परिसंपत्तियों की बिक्री आय ₹ 19.10 लाख थी। हालांकि, केंद्रीय रेशम बोर्ड ने ₹205.62 लाख के परिणामी हानि को आय और व्यय खाते में पहचानने के बजाय पूंजीगत निधि में दर्ज किया है। इसके परिणामस्वरूप व्यय को कम करके और व्यय की तुलना में आय आधिक्य को ₹205.62 लाख अधिक दर्शाया गया है। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और लेखाओं के एकसमान प्रारूप के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है।</p>

	<p>(vi) सामान्य</p> <p>(क) केंद्रीय रेशम बोर्ड की देश भर में कई इकाइयाँ हैं जहाँ लेखांकन लेनदेन दर्ज किए जाते हैं। इकाइयों में अनुरक्षित प्राप्ति और भुगतान लेखाओं की तैयारी का आधार हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड के पास एक एकीकृत लेखा प्रणाली नहीं है जिससे पूरे संगठन के लिए समेकित सामान्य लेखा तैयार किया जाता है और इसलिए, कोई समेकित ट्रायल बैलेंस तैयार नहीं किया जाता है। दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार जर्नल प्रविष्टियों के माध्यम से रूटिंग के बजाय अनुलग्नकों के रूप में तैयार किए गए डेटा के आधार पर लेखाओं को समेकित किया जाता है। लेखा शेष राशि को दर्शाते हैं जो लेखा बही का हिस्सा नहीं हैं और इसलिए, लेखाबही पद्धति के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं।</p> <p>(ख) वर्ष 2020-21 के लेखाओं में प्रकट किए गए विविध देनदार, बैंक शेष, ऋण और अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां, आपूर्ति के लिए प्राप्त अग्रिमों के शेष, अनुदान पर व्यय, सब्सिडी आदि पुष्टि के अधीन हैं। बोर्ड के पास 141 बैंक खाते हैं जिनमें से प्रबंधन ने केवल 19 इकाइयों के लिए शेष राशि की पुष्टि प्रस्तुत की।</p> <p>(ग) वर्ष के दौरान, बोर्ड ने बिना किसी कथन के पूंजीगत निधि (लेखा कोड ए 581) में समायोजन को डेबिट करके कॉर्पस/पूंजीगत निधि (लेखा कोड ए 021) में ₹20.31 करोड़ की राशि जमा की है। तथापि, उक्त जर्नल प्रविष्टि वार्षिक लेखों में प्रभावी नहीं थी। इस प्रकार, वित्तीय विवरण लेखा रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं हैं और वित्तीय विवरणों में लेन-देन का कोई विश्वसनीय प्रस्तुतिकरण नहीं है।</p>
<p>36</p>	<p>(i) तुलन पत्र देयताएं वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (अनुसूची 7): ₹275.24 करोड़</p> <p>उपरोक्त में वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए रायबरेली कैंपस द्वारा आईटीआई लिमिटेड को देय पट्टा किराया के रूप में ₹5.67 करोड़ शामिल नहीं है। आईटीआई लिमिटेड के साथ किया गया पट्टा समझौता 14 नवंबर 2018 को समाप्त हो गया था और आईटीआई लिमिटेड से भूमि हस्तांतरित करने के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं। इस बीच, आईटीआई लिमिटेड ने पिछले करार के अनुसार अनंतिम आधार पर पट्टा किराया की मांग की। हालांकि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने 15 नवंबर 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि के लिए प्रावधान बनाया था, लेकिन वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।</p> <p>राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली</p>

		<p>पट्टा किराये का प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप चालू देयताओं और प्रावधानों को ₹ 5.67 करोड़⁹⁷ कम बताया गया और अधिशेष का उस सीमा तक अधिक बताया गया है।</p> <p>वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के खातों पर जारी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किए जाने के बावजूद, संस्थान द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p> <p>(ii) आय और व्यय लेखा आस्थगित राजस्व आय: ₹20.01 करोड़ पूर्व अवधि आय: ₹4.36 करोड़</p> <p>उपरोक्त में ₹19.85 करोड़ (चालू वर्ष के दौरान ₹20.01 करोड़ और (-) ₹0.16 करोड़ पूर्व की अवधि का) की आस्थगित मूल्यहास/आस्थगित राजस्व आय शामिल है जो कि लेखाकरण मानक (एएस)-12 - सरकारी अनुदान के कार्यान्वयन के कारण आय और व्यय लेखा में दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने सरकारी अनुदान को ₹794.40 करोड़ (निवल आस्थगित मूल्यहास) तक पूंजीकृत किया, हालांकि, सरकारी अनुदान से सृजित संबंधित निवल परिसंपत्ति ₹766.46 करोड़ दिखाई गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹27.94 करोड़ का अंतर आया।</p> <p>वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किए जाने के बावजूद, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने अभी तक अंतर का समाधान नहीं किया है।</p>
37	राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता	<p>(i) दिनांक 05.10.2018 को राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एलआईसी आईडी 31) के एक कर्मचारी को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया। नवंबर 2018 में उन्हें ₹5,61,192 की ग्रेच्युटी और ₹4,40,360 अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया गया। बाद में उन्हें सेवा में फिर से बहाल (जुलाई 2019) कर दिया गया। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड ने उनकी पुनः बहाली के बाद एलआईसी को उनकी ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए प्रीमियम का भुगतान किया (जून 2020)। अभी भी राष्ट्रीय पटसन बोर्ड कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए एलआईसी से वसूली योग्य ₹10,01,552 दर्शा रहा है। यह अनुमान लगाया गया था कि ₹7,94,399 उस कर्मचारी को उसके बकाया वेतन और अन्य के लिए देय है। इस प्रकार, निवल</p>

⁹⁷ ₹ 6.87 करोड़ घटा ₹ 0.95 करोड़ अर्थात, 15 नवंबर 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि के लिए पहले से ही किए गए प्रावधान घटा ₹ 0.25 करोड़ अर्थात, अप्रैल 2021 के महीने के लिए भुगतान किया जा रहा किराया

	<p>₹2,07,153 (₹5,61,192 + ₹4,40,360 - ₹7,94,399) कर्मचारी से वसूली योग्य है (31.01.2021 तक)।</p> <p>इस प्रकार, एलआईसी से वसूली योग्य को ₹10,01,552 तक अधिक बताया गया है; कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम को ₹2,07,153 तक कम बताया गया है और व्यय की तुलना में आय के आधिक्य को ₹7,94,399 तक अधिक बताया गया है।</p> <p>(ii) राष्ट्रीय जूट विविधीकरण केंद्र (एनसीजेडी) ने जूट उद्यमी सहायता योजना (जेईएएस) के तहत विभिन्न पार्टियों को ब्याज मुक्त ऋण जारी किया, जिसमें से राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता द्वारा 31 मार्च 2021 तक 15 पार्टियों से ₹2.16 करोड़ की राशि वसूल नहीं की जा सकी। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने 15 में से 8 पार्टियों के खिलाफ अदालती मामले दायर किए। शेष 7 पार्टियां 2006-07 से चूक कर रही हैं। वसूली होने की संभावना बहुत दूर है। इसलिए, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए ₹ 0.72 करोड़ की राशि का प्रावधान किया जाना था।</p> <p>इसका प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप प्रावधान को कम बताने के साथ ही ऋणों, अग्रिमों और अन्य परिसंपत्तियों और व्यय की तुलना में अधिक आय के आधिक्य को ₹ 0.72 करोड़ अधिक बताया गया।</p> <p>(iii) निम्नलिखित पार्टियों से ₹54,70,595 की राशि "लेखा अग्रिम/वसूली योग्य" शीर्ष में दर्शाई गई है:</p> <table border="1" data-bbox="502 1305 1350 1825"> <thead> <tr> <th>पार्टियों के नाम</th> <th>राशि (₹)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन (आईजेएमए)</td> <td>2,31,251</td> </tr> <tr> <td>वस्त्र आयुक्त का कार्यालय</td> <td>1,67,455</td> </tr> <tr> <td>जेपीडीपीसी बीएसएम यूएसए</td> <td>11,44,901</td> </tr> <tr> <td>ईएसआईसी</td> <td>1,75,924</td> </tr> <tr> <td>सीपीडब्ल्यूडी</td> <td>1,61,294</td> </tr> <tr> <td>नोएडा भूमि विस्तार अग्रिम</td> <td>35,90,400</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>54,70,595</td> </tr> </tbody> </table> <p>चूंकि वे लंबे समय तक वसूली योग्य रहे हैं, इसलिए पूरी राशि के लिए उपयुक्त प्रावधान किया जाना था। इसके प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप "चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि" शीर्ष को अधिक बताया गया है, साथ ही व्यय की तुलना में आय आधिक्य को</p>	पार्टियों के नाम	राशि (₹)	इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन (आईजेएमए)	2,31,251	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय	1,67,455	जेपीडीपीसी बीएसएम यूएसए	11,44,901	ईएसआईसी	1,75,924	सीपीडब्ल्यूडी	1,61,294	नोएडा भूमि विस्तार अग्रिम	35,90,400	कुल	54,70,595
पार्टियों के नाम	राशि (₹)																
इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन (आईजेएमए)	2,31,251																
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय	1,67,455																
जेपीडीपीसी बीएसएम यूएसए	11,44,901																
ईएसआईसी	1,75,924																
सीपीडब्ल्यूडी	1,61,294																
नोएडा भूमि विस्तार अग्रिम	35,90,400																
कुल	54,70,595																

	<p>अधिक बताया गया और अग्रिम वसूली योग्य प्रावधान को कम बताया गया। सभी को ₹54,70,595 तक।</p> <p>(iv) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता को वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी आदेश सं. एफ/12/2020 जूट खंड दिनांक 23 सितम्बर 2020 के माध्यम को पटसन भवन परियोजना की लागत वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में आदेश प्राप्त हुआ था। पूर्वोक्त अनुमोदन के संदर्भ में, ₹13.37 करोड़ की लागत वृद्धि में पटसन भवन परियोजना के फर्नीचर, फिक्सचर और इंटीरियर के लिए ₹7.32 करोड़ और जीएसटी/एसटी के लिए ₹6.05 करोड़ शामिल होंगे। फर्नीचर, फिक्सचर और इंटीरियर्स के लिए स्वीकृत ₹7.32 करोड़ में से ₹4.12 करोड़ की राशि राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के पास पहले से ही पटसन भवन परियोजना के लिए स्वीकृत निधि से उपलब्ध थी। हालांकि, फर्नीचर, फिक्सचर और इंटीरियर्स के काम के लिए एनबीसीसी को ₹2.25 करोड़ का भुगतान किया गया था। यद्यपि भुगतान को लेखा टिप्पणियों में एनबीसीसी को अग्रिम के रूप में बताया गया था, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड ने इसे लेखाओं में व्यय के रूप में दिखाया; और इसे पूंजीगत निधि पटसन भवन, एक निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से बाहर कर दिया। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत निधि पटसन भवन और चालू परिसंपत्ति, ऋण अग्रिम, एडवांस आदि के तहत एडवांस दोनों को ₹2.25 करोड़ कम दर्शाया गया है।</p> <p>(v) राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने 31 मार्च 2021 तक राजारहाट में पटसन भवन के निर्माण के लिए एनबीसीसी को ₹72.22 करोड़ का भुगतान किया था। इसमें से ₹11.30 करोड़ का भुगतान 1 अक्टूबर 2018 के बाद किया गया था। अधिसूचना संख्या 50/2018 दिनांक 13 सितंबर 2018 के साथ पठित, सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिनियम की धारा 51 और धारा 12(1) और (3) के अनुसार 1 अक्टूबर 2018 से सरकारी संगठनों द्वारा संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित प्राधिकरण या बोर्ड या किसी अन्य निकाय सहित टीडीएस की कटौती के लिए प्रावधान किया गया था। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड जीएसटी के प्रति टीडीएस के रूप में ₹22.60 लाख जमा करने के लिए उत्तरदायी था। इसके परिणामस्वरूप जूट बोर्ड निधि लेखा में अधिक बताने के साथ चालू देयताओं को ₹22.60 लाख कम बताया गया था।</p>
--	--

अनुलग्नक-VII
(पैरा 1.8 में संदर्भित)

केंद्रीय स्वायत्त निकाय जहां वर्ष 2020-21 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
I. नागर विमानन मंत्रालय	
1.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
II. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
2.	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
3.	कॉफी बोर्ड, बंगलुरु
4.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि (23 कार्यालयों में से 17 कार्यालयों के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी)
5.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश
6.	रबड़ बोर्ड, कोट्टायम
7.	स्पाइसेस बोर्ड, कोच्चि (बोर्ड के प्रधान कार्यालय सहित 84 कार्यालयों में से 74 कार्यालयों के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी)
8.	तंबाकू बोर्ड, गुंटूर (कोविड-19 के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा केवल आंशिक रूप से की गयी थी)
III. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	
9.	कयर बोर्ड, कोच्चि (बोर्ड की 40 इकाइयों के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी)
IV. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
10.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली
V. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	
11.	वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन न्यास, तूतीकोरिन
VI. विद्युत मंत्रालय	
12.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली

13.	केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली
14.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (गोवा तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए), नई दिल्ली
VII.	वस्त्र मंत्रालय
15.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु

अनुलग्नक-VIII
(पैरा 1.8 में संदर्भित)

केंद्रीय स्वायत्त निकाय जहां वर्ष 2020-21 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
I. नागर विमानन मंत्रालय	
1.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, रायबरेली
II. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
2.	निर्यात निरीक्षण परिषद और चेन्नई, कोच्चि और मुंबई में निर्यात निरीक्षण एजेंसियां
3.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद
4.	रबड़ बोर्ड, कोट्टायम
5.	स्पाइसेस बोर्ड, कोच्चि
6.	तंबाकू बोर्ड, गुंटूर
III. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	
7.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, मुंबई (तीन विभागों में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था))
8.	मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई
9.	न्यू मेंगलोर पत्तन न्यास, मेंगलोर
10.	पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप
11.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता
IV. वस्त्र मंत्रालय	
12.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु

अनुलग्नक-IX
(पैरा 1.8 में संदर्भित)

केंद्रीय स्वायत्त निकाय जहां वर्ष 2020-21 के दौरान माल का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
I. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
1.	रबड़ बोर्ड, कोट्टायम
2.	स्पाइसेस बोर्ड, कोच्चि
II. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	
3.	चेन्नई पत्तन न्यास (कुछ इकाइयों में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था)
4.	मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई (भौतिक सत्यापन रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई)
5.	पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप
6.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता

अनुलग्नक-X
(पैरा 1.8 में संदर्भित)

केंद्रीय स्वायत्त निकाय जिन्होंने बीमांकिक मूल्य निर्धारण के आधार पर ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन नहीं किया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
I. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
1.	कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु
2.	निर्यात निरीक्षण परिषद और कोलकाता और मुंबई में निर्यात निरीक्षण एजेंसियां
3.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि
4.	स्पाइसेस बोर्ड, कोच्चि
II. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	
5.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई
III. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
6.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली
IV. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	
7.	कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन
8.	दीनदयाल पत्तन न्यास, मुंबई
9.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, मुंबई
10.	मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई
11.	मुंबई पत्तन न्यास पेंशन निधि, मुंबई
12.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता
13.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम
V. विद्युत मंत्रालय	
14.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद

टिप्पणी: उपरोक्त सूची में वो स्वायत्त निकाय भी शामिल हैं जिन्होंने बीमांकिक मूल्य निर्धारण पर निर्धारित देयता की तुलना में कम देयता का प्रावधान किया है।

अनुलग्नक-XI
(पैरा 1.8 में संदर्भित)

केंद्रीय स्वायत्त निकाय जिन्होंने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 के लिए अपने लेखाओं को संशोधित किया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
I.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
1.	कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु
II.	वित्तीय सेवाएं विभाग
2.	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
III.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
3.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम
4.	वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन न्यास, तूतीकोरिन
IV.	वस्त्र मंत्रालय
5.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु

अनुलग्नक-XII
(पैरा 1.9 में संदर्भित)

मार्च 2022 तक की गई बकाया एक्शन टेकन नोट्स की स्थिति

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट	बकाया एटीएन स्थिति	
			एक बार भी एटीएन प्राप्त नहीं हुआ	विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है
1.	वाणिज्य और उद्योग	मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए 2018 की रिपोर्ट संख्या 4	0	1
		मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 2021 की रिपोर्ट संख्या 16	0	1
		मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए 2015 की रिपोर्ट संख्या 18	0	1
2.	कॉर्पोरेट कार्य	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 3	0	1
		मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 2021 की रिपोर्ट संख्या 16	1	0
3.	आवासन और शहरी कार्य	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 3	1	8
		मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 10	0	1
		मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 2021 की रिपोर्ट संख्या 17	1	0
		मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 2021 की रिपोर्ट संख्या 16	4	0

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट	बकाया एटीएन स्थिति	
			एक बार भी एटीएन प्राप्त नहीं हुआ	विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है
4.	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 10	0	1
		मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 2021 की रिपोर्ट संख्या 16	2	0
5.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए 2016 की रिपोर्ट संख्या 11	0	1
		मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 10	0	2
6.	विद्युत्	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 3	0	1
		मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 2021 की रिपोर्ट संख्या 16	1	0
7.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 3	1	0
8.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 3	0	5
		मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 10	0	4
		मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 2021 की रिपोर्ट संख्या 16	0	3

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट	बकाया एटीएन स्थिति	
			एक बार भी एटीएन प्राप्त नहीं हुआ	विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है
9.	वस्त्र	मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 10	0	1
10	पर्यटन	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 3	0	1
		मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 10	0	1
		मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 2021 की रिपोर्ट संख्या 16	2	0
			13	33

अनुलग्नक-XIII
(पैरा 4.3 में संदर्भित)

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम एवं कर्मचारियों की संख्या कोष्ठक में	कर्मचारी का योगदान	भारत सरकार का योगदान	कुल योगदान	एनएसडीएल द्वारा वापस की गई राशि और जीपीएफ में जमा की गई राशि	कर्मचारी के जीपीएफ खाते में जमा की जाने वाली वास्तविक राशि	कर्मचारी के जीपीएफ खाते में जमा अतिरिक्त राशि	वसूल की गई राशि
1.	ईडी-16, विद्युत भवन (3)	1,15,283	1,15,283	2,30,566	3,40,548	1,40,027	2,00,521	2,00,521
2.		1,15,283	1,15,283	2,30,566	3,40,548	1,40,027	2,00,521	2,00,521
3.		1,17,542	1,17,542	2,35,084	3,41,890	1,43,100	1,98,790	1,98,790
4.	पार्लियामेंट एनेक्सी इलेक्ट. वर्क्स डिवीजन, 36 जीआरजी रोड (3)	1,15,990	1,15,990	2,31,980	3,31,522	1,41,523	1,89,999	1,89,999
5.		1,16,001	1,16,001	2,32,002	3,31,562	1,41,539	1,90,023	1,90,023
6.		1,15,762	1,15,762	2,31,524	3,31,562	1,41,184	1,90,378	1,90,378
7.	संसद पुस्तकालय विद्युत् वर्क्स डिवीजन (1)	1,87,475	1,87,475	3,74,950	5,55,370	2,39,972	3,15,398	3,15,398

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

8.	हिंडन सेंटरल विद्युत् डिवीजन, गाजियाबाद (1)	1,12,937	1,12,937	2,25,874	3,40,703	1,36,996	2,03,707	*2,47,821
9.	संसद भवन सिविल वर्क्स डिवीजन, 36 जीआरजी रोड (1)	1,10,790	1,10,790	2,21,580	3,38,566	1,34,818	2,03,748	*2,28,821
	कुल						18,93,085	19,62,272

* शास्ति ब्याज सहित

अनुलग्नक-XIV
(पैरा 4.4.1 में संदर्भित)
सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अनुरक्षित क्वार्टरों की टाइप-वार संख्या

श्रेणी	I	II	III	IV	IV विशेष	V	V ए	V बी	VI	VI ए	VI बी	VII	VIII	अन्य ⁹⁸	कुल
पैन इंडिया															
जीपीआरए ⁹⁹	24147	37972	21707	8362	1201	1214	1470	832	251	522	105	184	172	3592	101731
गैर जीपीआरए ¹⁰⁰	11400	17363	14910	4409	62	1078	554	111	320	109	202	101	13	2230	52862
कुल															154593
दिल्ली क्षेत्र															
जीपीआरए	16625	24548	12892	5768	1086	362	1291	813	55	496	96	184	171	1630	66017
गैर-जीपीआरए	752	1203	797	319	-	49	383	84	12	82	202	95	13	217	4208
कुल															70225

⁹⁸ छात्रावास/गेस्ट हाउस, सिंगल सुइट, डबल सुइट, ए-टाइप, बीसी-टाइप, सी-टाइप, एसके/सर्विस सेंटर और दुकान

⁹⁹ सामान्य पूल आवासीय निवास (जीपीआरए) का अर्थ है दिल्ली में संपदा निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्र सरकार के आवासीय आवास और दिल्ली के बाहर कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़ जैसे 39 स्टेशनों पर।

¹⁰⁰ गैर-सामान्य पूल आवासीय निवास का अर्थ उन क्वार्टरों से है जो संपदा निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं हैं और ग्राहक विभाग के अनुरोध पर सीपीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए रखा जाता है, जैसे एनसीईआरटी क्वार्टर, जेएनयू कैंपस क्वार्टर आदि।

अनुलग्नक-XV

(पैरा 4.4.2 में संदर्भित)

राजस्व (2216) और पूंजी (4216) शीर्ष के अंतर्गत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का विवरण
2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए

(₹ लाख में)

क्र.सं	विभाजन	2017-2018						2018-2019						2019-2020					
		राजस्व (2216)			पूंजी (4216)			राजस्व (2216)			पूंजी (4216)			राजस्व (2216)			पूंजी (4216)		
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
1	बी	2039.07	4610.10	1950.70	2650.00	2650.00	1269.35	2768.01	2397.01	1296.7	2650.00	1500.00	1750.11	3410.20	3730.00	3179.00	4000.00	3000.00	1949.58
2	इ	325.00	370.00	201.00	650.00	850.00	895.55	400.00	400.00	411.00	900.00	850.00	1001.39	500.00	900.00	640.00	700.00	1400.00	1525.00
3	आई	2211.00	2211.00	1557.30	2200.00	2200.00	1420.00	2330.00	2330.00	2469.00	2700.00	2700.00	1306.41	8485.00	8485.00	3427.00	4000.00	4000.00	2310.00
4	एल	500.00	550.00	306.70	1133.00	1058.00	1904.63	470.00	550.00	474.67	1133.00	1058.00	1086.52	1700.00	1700.00	917.89	1700.00	1700.00	441.95
5	एम	1132.62	1285.38	1124.44	1570.00	3650.52	1572.12	760.00	1165.00	749.38	1450.00	1440.00	1390.70	683.82	1043.70	680.17	548.00	1135.39	547.98
6	क्यू	963.63	-	957.85	1109.05	-	1104.28	915.56	-	904.25	1156.00	-	1024.38	900.00	-	898.09	614.13	-	613.98
7	एस	1496.00	1895.00	1813.00	2980.00	2570.00	1770.00	1835.00	1835.00	1166.00	1505.00	2080.00	1493.00	2150.00	2150.00	1235.00	2522.00	2492.00	1078.00
8	यू	957.86	-	942.12	198.00	-	164.17	2334.30	-	1708.25	360.00	-	298.44	2992.50	-	1016.95	125.00	-	103.39
9	वी	1000.00	1000.00	929.00	800.00	825.00	810.00	550.00	675.00	526.00	475.00	475.00	431.00	500.00	500.00	474.00	400.00	400.00	388.00
10	डीईडी-21	6.00	8.00	6.00	4.00	8.00	212.95	8.00	12.00	0.00	4.00	10.00	0.00	18.00	80.00	72.00	3.50	120.00	24.97
11	डीईडी-302	720.82	620.00	599.99	113.13	475.15	254.98	750.00	970.00	728.66	422.78	138.97	52.22	1000.00	1814.75	544.81	73.35	191.56	115.09
12	एचडी-द्वितीय	3868.00	2269.00	2111.53	82.00	60.00	25.42	2386.00	2325.50	2349.16	49.50	114.50	51.21	2624.60	3224.60	2340.35	126.05	454.45	90.52
	कुल	15220.00	14818.48	12499.63	13489.18	14346.67	11403.45	15506.87	12659.51	12783.07	12805.28	10366.47	9885.38	24964.12	23628.05	15425.26	14812.03	14893.40	9188.46

अनुलग्नक-XVI
(पैरा 4.4.3.4 में संदर्भित)

12 डिवीजनों में लेखापरीक्षा हेतु चयनित नमूना निर्माण कार्यों की सूची

डिवीजन का नाम	कार्य का नाम	कार्य को निर्दिष्ट किए गए कूट
क्यू डिवीजन	मोती बाग में 925 टाइप-II जीपीआरए फ्लैटों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव। उपशीर्ष:- 2019-20 के दौरान छत पर वाटर प्रूफिंग उपचार।	क्यू1
	2019-20 के दौरान विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों और विभिन्न कॉलोनी जैसे मोतीबाग, नानकपुरा, उत्तर पश्चिम मोतीबाग, आईबी कॉलोनी बापूधाम और निवेदिता कुंज का व्यापक रखरखाव।	क्यू 2
	निवेदिता कुंज, सेक्टर-10, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में जीपीआरए के खाली/अधिकृत क्वार्टरों में उन्नयन कार्य (उप शीर्ष:-15 नंबर टाइप-5बी फ्लैट, 15 नंबर टाइप-IV और 10 नंबर डबल सूट और 20 नंबर सिंगल सूट एमएस अपार्टमेंट फ्लैट्स का सिविल अपग्रेडेशन)। 2018-19 के दौरान (15 नंबर टाइप-V, 15 नंबर टाइप-IV और 10 नंबर डबल सूट और 20 नंबर सिंगल सूट एमएस अपार्टमेंट फ्लैट्स का विद्युतीय उच्चीकरण)।	क्यू 3
	2019-20 के दौरान मोती बाग, नई दिल्ली में खतरनाक टाइप I क्वार्टरों की रेट्रोफिटिंग	क्यू 4
एल डिवीजन	वर्ष 2018-19 के दौरान एल-डिवीजन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग मिंटो रोड पर टाइप-V और टाइप VI फ्लैट्स का व्यापक रखरखाव	एल1
	2018-19 के दौरान सब डिवीजन 2के (5एल) नई दिल्ली के अंतर्गत अक्षरधाम मंदिर (सेवा केंद्र संख्या 841) के पास राष्ट्रमंडल खेल गांव में सामान्य पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) के नागरिक संचालन का व्यापक रखरखाव	एल 2
	2019-20 के दौरान टाइप-V के 140 क्वार्टर और डीडीयू मार्ग पर 104 नग टाइप-VI क्वार्टर और मीरदरद रोड, नई दिल्ली में जी-48 क्वार्टर की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव (उप शीर्ष:- पेंटिंग और मरम्मत कार्य किरायेदारी के हस्तांतरण के समय)	एल 3
	2016-17 के दौरान आराम बाग, नई दिल्ली में (सेवा केंद्र (एससी) 261 + एससी 262) के अंतर्गत टाइप- I, II और टाइप- III XYZ का शेष उन्नयन, उप शीर्ष (ए): सिविल वर्क- रसोई अलमारी, कमरे की अलमारी का संशोधन और उन्नयन से संबंधित अन्य विविध कार्य जैसे तार की जाली वाली खिड़की, सुरक्षा दरवाजे और मचान टैंक आदि प्रदान करना और ठीक करना।	एल 4

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

डिवीजन का नाम	कार्य का नाम	कार्य को निर्दिष्ट किए गए कूट
	उप शीर्ष (बी): विद्युत कार्य - सेवा केंद्र संख्या 261 और 262 के टाइप- I 10 नग, टाइप- II 10 नग और टाइप - III 30 नग क्वार्टर का उन्नयन	
एम डिवीजन	2019-20 के दौरान सेक्टर-5, आरकेपुरम, नई दिल्ली के विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों की विशेष मरम्मत उपशीर्ष: विभिन्न क्वार्टरों में रिसाव से बचाव	एम 1
	2017-18 के दौरान सेक्टर-7, आरकेपुरम, नई दिल्ली में विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों की विशेष मरम्मत उपशीर्ष: क्षतिग्रस्त दरवाजे, खिड़कियां, फर्श का प्रतिस्थापन। पलस्तर, ओवर हेड टैंक और अन्य विविध कार्य	एम 2
	2018-19 के दौरान सेक्टर-8, आरके पुरम, नई दिल्ली में विभिन्न प्रकार के जीपीआरए क्वार्टरों में उन्नयन कार्य (उप शीर्ष: 26 नग टाइप- II और 4 नग टाइप - III क्वार्टरों का उन्नयन)	एम 3
	2018-19 के दौरान सेक्टर-7, आरके पुरम, नई दिल्ली में जीपीआरए क्वार्टरों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव (उप शीर्ष: विभिन्न क्वार्टरों और अन्य विविध कार्यों के लिए किरायेदारी में परिवर्तन)	एम 4
ई डिवीजन	वर्ष 2017-18 के दौरान बंगला संख्या 5-सफदरजंग लेन, नई दिल्ली में उन्नयन कार्य (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्य)।	ई 1
	सफदरजंग लेन में 2018-19 के दौरान सब डिवीजन 1/ई के अंतर्गत माननीय मंत्री के बंगले की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव (उप शीर्ष: विविध सिविल वर्क)	ई2
	2018-19 के दौरान माननीय मंत्री के बंगले की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव (उप शीर्ष: सब-डिवीजन 4/ई, ई-डिवीजन, नई दिल्ली के अंतर्गत विविध सिविल कार्य)।	ई3
	2019-20 के दौरान 3/ई सब-डिवीजन के अंतर्गत तीन मूर्ति हाउस और अन्य भवन में माननीय मंत्री के बंगले की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव (एसएच: विविध सिविल कार्य)	ई 4
एस डिवीजन	2019-20 के दौरान सेक्टर-3, आरके पुरम, नई दिल्ली में जीपीआरए क्वार्टर की विशेष मरम्मत (उप शीर्ष: लंबित शिकायतों को दूर करने के लिए विविध सिविल कार्य)	एस 1
	2018-19 के दौरान सेक्टर-3, आरके पुरम, नई दिल्ली में जीपीआरए क्वार्टरों का उन्नयन (उप शीर्ष: 20 नग टाइप- II, 15 नग टाइप III और 25 नग टाइप- IV क्वार्टरों के लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल उन्नयन कार्य)	एस 2

डिवीजन का नाम	कार्य का नाम	कार्य को निर्दिष्ट किए गए कूट
	2018-19 के दौरान सेक्टर-2, आरके पुरम, नई दिल्ली में लोकसभा आवासीय बहुमंजिला परिसर के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के संचालन के संबंध में दैनिक रखरखाव, वार्षिक मरम्मत और कार्यों के रखरखाव, विशेष मरम्मत कार्यों सहित आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यापक रखरखाव	एस 3
	2018-19 के दौरान सेक्टर-1, आरके पुरम, नई दिल्ली में विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव (उप शीर्ष: किरायेदारी में परिवर्तन)	एस 4
बी डिवीजन	2017-18 के दौरान 3/बी सब-डिवीजन कृष्णा मेनन लेन के अंतर्गत माननीय मंत्री और माननीय उपमंत्री के बंगलों का उन्नयन। (उप शीर्ष: विभिन्न बंगलों में उन्नयन कार्य)	बी 1
	2018-19 के दौरान सिविल वर्क के लिए 4/बी सब-डिवीजन और इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए सब-डिवीजन-IV/इलेक्ट्रिकल डिवीजन-II के अंतर्गत माननीय मंत्री और माननीय उपमंत्री के बंगलों का उन्नयन। (उपशीर्ष- विभिन्न बंगलों में सिविल एवं विद्युत कार्यों का उन्नयन)	बी 2
	कृष्णा मेनन लेन में 2017-18 के दौरान 3/बी सब-डिवीजन के अंतर्गत माननीय मंत्री और माननीय उपमंत्री के बंगलों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव। (उप शीर्ष: 26 नग टाइप- II और 4 नग टाइप - III क्वार्टरों का उन्नयन)	बी 3
	कृष्णा मेनन लेन में 2018-19 के दौरान 4/बी सब-डिवीजन के अंतर्गत वार्षिक मरम्मत और रखरखाव (उप शीर्षक: सेक्टर- II के अंतर्गत विभिन्न बंगलों में विविध सिविल कार्य)	बी 4
यू डिवीजन	2018-21 के दौरान प्रगति विहार छात्रावास, नई दिल्ली, (उप शीर्ष - दैनिक रखरखाव से संबंधित सिविल और इलेक्ट्रिक रखरखाव कार्य) का व्यापक रखरखाव	यू 1
	2018-20 के दौरान यूडीएपी कॉलोनी, नेहरू नगर, नई दिल्ली में 135 टाइप-III क्वार्टरों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव। (उप शीर्ष: विविध मरम्मत कार्य)	यू 2
	2019-20 के दौरान प्रगति विहार छात्रावास (उप शीर्ष: सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क्स) में 90 डबल सूट का उन्नयन	यू3
	2017-19 के दौरान प्रगति विहार छात्रावास (उप शीर्ष: सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क्स) में 125 डबल सूट का उन्नयन	यू4
वी डिवीजन	2017-18 के दौरान एजीवी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में 152 फ्लैटों की बाहरी सतह की सौंदर्य सुधार और संरचनात्मक मरम्मत। उप शीर्षक:विविध कार्य)	वी 1

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

डिवीजन का नाम	कार्य का नाम	कार्य को निर्दिष्ट किए गए कूट
	2018-19 के दौरान एनसीईआरटी कैंपस, नई दिल्ली के आवासीय क्वार्टरों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव (उप शीर्ष: टाइप I से V क्वार्टर में विविध सिविल कार्य खाली होने पर और किरायेदारी के परिवर्तन पर)	वी 2
	हुडको प्लेस एक्सटेंशन, नई दिल्ली में 917 नग टाइप IV (एस), टाइप V (बी) और ट्रांजिट फ्लैट्स की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव और विशेष मरम्मत कार्य। (उप शीर्ष: 2019-20 के दौरान खाली/कब्जे वाले फ्लैटों में टाइप IV(एस), टाइप V (बी) और ट्रांजिट फ्लैटों की मरम्मत और रखरखाव और अन्य विविध कार्य)	वी 3
	2018-19 के दौरान हुडको प्लेस एक्सटेंशन, नई दिल्ली में 514 टाइप-वी फ्लैटों का उन्नयन (उप शीर्ष: 7 नग टाइप- V (बी) फ्लैटों का उन्नयन और 32 नग टाइप- V (बी) खाली / कब्जे वाले फ्लैटों की फर्शिंग और बिजली के कार्य फर्श 3 नग टाइप-V फ्लैटों में काम और सामान्य क्षेत्र और सीढ़ी में ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट के साथ पारंपरिक प्रकाश के प्रतिस्थापन)	वी4
आई डिवीजन	2017-18 के दौरान 4/1 सब-डिवीजन के अंतर्गत कुशक रोड पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बंगलों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव। (उप शीर्ष: शौचालय, रसोई आदि की मरम्मत/नवीनीकरण)	आई 1
	2018-19 के दौरान बिजली के काम के लिए सिविल और सब डिवीजन- II / इलेक्ट्रिकल डिवीजन- II के लिए 4/1 सब डिवीजन के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा प्रयोग किए जा रहे विभिन्न बंगलों का उन्नयन कार्य (उप शीर्ष: शौचालय रसोई आंतरिक और बाहरी पेंटिंग और विभिन्न विद्युत का नवीनीकरण) आगामी दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बंगलों आदि में काम करते हैं। सब डिवीजन- II / इलेक्ट्रिकल डिवीजन- II)	आई 2
	2018-2021 के दौरान दैनिक रखरखाव वार्षिक मरम्मत और रखरखाव, विशेष मरम्मत, असाधारण विशेष मरम्मत और आवधिक कार्य सहित आउटसोर्सिंग के माध्यम से I-डिवीजन, सीपीडब्ल्यूडी, नई दिल्ली के अंतर्गत बंगलों का व्यापक नागरिक और विद्युत रखरखाव	आई 3
	2018-19 के दौरान आई-डिवीजन, सीपीडब्ल्यूडी, नई दिल्ली के अंतर्गत बंगलों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव। (उपशीर्ष: खाली बंगलों में निगरानी और निगरानी)	आई 4
डीईडी-302	2019 के दौरान डीआईजेड क्षेत्र नई दिल्ली में सेवा केंद्र संख्या 247 और 250 के अंतर्गत आवासीय क्वार्टरों का उन्नयन। (उप शीर्ष: ए-66 और 67 ब्लॉक में टाइप-1 क्वार्टर के लिए नए क्यूबिकल पैनल बोर्ड	डीईडी-302(1)

डिवीजन का नाम	कार्य का नाम	कार्य को निर्दिष्ट किए गए कूट
	की स्थापना, क्वार्टर नंबर 814 से 846 तक और टाइप-II क्वार्टर सेक्टर-डी के क्वार्टर नंबर 451 से 706 तक। बी-बैलेंस 2019 के दौरान ब्लॉक संख्या 41 से 65 तक पीके रोड के टाइप-I क्वार्टर में टीपीएनएमसीसीबी बोर्ड प्रदान करने का कार्य)	
	2019-20 के दौरान डीआईजेड क्षेत्र, नई दिल्ली में पम्पिंग सेट, डीजी सेट और सामान लिफ्ट की मरम्मत और रखरखाव (उप शीर्ष: ए) आरामबाग, सीजी रोड, आउट्राम स्क्वायर और जे ब्लॉक डीआईजेड क्षेत्र में पंपिंग सेट का संचालन और रखरखाव। बी) एमएस फ्लैट, काली बाड़ी मार्ग, डीआईजेड क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थापित 82.5 केवीए डीजी सेट का संचालन और रखरखाव।	डीईडी-302(2)
	2018-19 के दौरान हैवलॉक स्क्वायर सर्विस सेंटर नई दिल्ली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आवासीय क्वार्टर में बिजली की स्थापना और पंखों का रखरखाव (उप शीर्ष: - वॉल ब्रैकेट लाइट, पोल लाइट, फ्लड लाइट, पैसेज लाइट, गेट लाइट, सीढ़ी केस लाइट आदि और अन्य संबद्ध कार्य का दैनिक रखरखाव)।	डीईडी-302(3)
	2018-21 के दौरान निवेदिता कुंज और नानकपुरा, नई दिल्ली में दैनिक रखरखाव, वार्षिक मरम्मत और रखरखाव कार्यों, सिविल, इलेक्ट्रिकल और बागवानी कार्यों के विशेष मरम्मत कार्यों और जीपीआरए परिसर के उपकरण और मशीनरी के संचालन सहित आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यापक रखरखाव	डीईडी-302(4)
डीईडी-21	2019-20 के दौरान केजी मार्ग, नई दिल्ली में एमएस अपार्टमेंट और एशिया हाउस में दैनिक रखरखाव और विविध कार्य (विद्युत कार्य)	डीईडी-21(1)
	2019-20 के दौरान तिमारपुर, दिल्ली में ईएसडी-V/ईडी-IV के सब डिवीजन 2ए, 3ए और इलेक्ट्रिकल सर्विस सेंटर 1216 के अंतर्गत जीपीआरए कॉलोनी का रखरखाव (उप शीर्ष:- (ए) वार्षिक, आवधिक, सहित दैनिक नागरिक रखरखाव कार्य असाधारण विशेष मरम्मत, विशेष मरम्मत, परिवर्धन/परिवर्तन और उन्नयन कार्य उप शीर्ष:- (बी) तिमारपुर, दिल्ली में जीपीआरए क्वार्टर में बिजली के काम के लिए दैनिक रखरखाव, बड़ी शिकायतों को दूर करना, परिवर्धन/परिवर्तन, विशेष मरम्मत आदि)	डीईडी-21(2)
	2019-20 के दौरान जीपीआरए तिमारपुर, दिल्ली में पूछताछ संख्या 1216 के अंतर्गत आंतरिक विद्युत स्थापना और पंखों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव। (उप शीर्ष: 2019-20 के दौरान सेवा केंद्र 233 और 234 के अंतर्गत नए आवंटित क्वार्टरों में आंशिक विद्युत कार्य।	डीईडी-21(3)

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

डिवीजन का नाम	कार्य का नाम	कार्य को निर्दिष्ट किए गए कूट
	2019-20 के दौरान जीपीआरए तिमारपुर, दिल्ली में पूछताछ संख्या 462 के अंतर्गत आंतरिक विद्युत स्थापना और पंखों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव। (सेवा केंद्र संख्या 231 और 232 में प्रमुख शिकायतों के लिए विद्युत कार्य)	डीईडी-21(4)
बागवानी डिवीजन-II	2017-18 के दौरान संसद सदस्य (एमपी) बंगलों सब डिवीजन-3/2, नई दिल्ली के अंतर्गत - जेडएच मार्ग, पंडारा पार्क, पंडारा रोड, शाहजहाँ रोड, हुमायूं रोड, लोदी गार्डन और लोदी एन्क्लेव से जुड़े उद्यान क्षेत्र का रखरखाव	एच डी- II (1)
	2018-19 के दौरान जीआरजी रोड और महादेव रोड, पंडित पंत मार्ग, नई दिल्ली में एमपी के बंगलों से जुड़े उद्यान क्षेत्र का रखरखाव। (उप शीर्षक: उद्यान सुविधाओं और पॉटेड पौधों का पूर्ण रखरखाव)	एच डी- II (2)
	2018-19 के दौरान उद्यान विभाग-II, सब-डिवीजन-3, सीपीडब्ल्यूडी, विशेष मरम्मत - नई दिल्ली के अंतर्गत एमपी के बंगलों/फ्लैट से जुड़े उद्यान क्षेत्र की पुनः घासरोपाई	एच डी- II (3)
	2019-20 के दौरान बागवानी प्रभाग-II, सीपीडब्ल्यूडी, नई दिल्ली के अंतर्गत माननीय सांसद के बंगलों/फ्लैटों से जुड़े उद्यान क्षेत्र का रखरखाव (उप शीर्षक: साइक्लेमेन, डायनथस और पेंसी पौधों को प्रदान करना और प्रदर्शित करना)।	एच डी- II (4)

अनुलग्नक-XVII

(पैरा 4.4.4 में संदर्भित)

12 मंडलों में लेखापरीक्षा निष्कर्ष

कार्य के लिए आबंटित कोड	कार्य का नाम	कार्य विशिष्ट लेखापरीक्षा टिप्पणियां
1. क्यू डिवीजन लेखापरीक्षा टिप्पणियां		
(i) वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी, (ii) भवन रजिस्टर अपडेट नहीं किया गया था, (iii) भवनों/संरचनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया था, (iv) दिन-प्रतिदिन/प्रमुख शिकायतों की लंबी लम्बिता, (v) असामान्य आवंटन के बाद भौतिक कब्जा सौंपने में अत्यधिक विलंब, (vi) सीपीडब्ल्यूडी सेवा पर अनुरक्षण नियमवाली के प्रावधानों का अनुपालन न करना।		
क्यू1	मोती बाग में 925 टाइप-II जीपीआरए फ्लैटों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव। उपशीर्ष: - 2019-20 के दौरान छत पर वाटर प्रूफिंग उपचार।	<ul style="list-style-type: none"> • तकनीकी प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2(i)) • ठेकेदार के बिलों से न तो गारंटी बांड प्राप्त किये गये और न ही 10 प्रतिशत प्रतिभूति रोकी गयी। (4.4.4.2(ii)(ख)) • मानक की तुलना में कम सामग्री का उपयोग किया गया जिससे अवमानक कार्य हुआ (4.4.4.2(iii)(क))
क्यू 2	2019-20 के दौरान विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों और विभिन्न कॉलोनियों जैसे मोती बाग, नानकपुरा, उत्तर पश्चिम मोती बाग, आईबी कॉलोनी बापू धाम और निवेदिता कुंज का व्यापक रखरखाव।	<ul style="list-style-type: none"> • मानक की तुलना में कम सामग्री का उपयोग किया गया जिससे अवमानन कार्य हुआ (4.4.4.2(iii)(क))

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

कार्य के लिए आबंटित कोड	कार्य का नाम	कार्य विशिष्ट लेखापरीक्षा टिप्पणियां
क्यू 4	2019-20 के दौरान मोती बाग, नई दिल्ली में खतरनाक टाइप । क्वार्टरों की रेट्रोफिटिंग	<ul style="list-style-type: none"> उपयोग की गई सामग्री को चालू बिलों में दिखाया गया था, हालांकि, सामग्री को साइट रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था, जिसके कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में असमर्थ थी कि सामग्री वास्तव में कार्य में उपयोग की गई थी या नहीं। (4.4.4.2(iii)(क))
<p>2. एल डिवीजन लेखापरीक्षा टिप्पणियां (i) वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी, (ii) भवन रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, (iii) भवनों/संरचनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया था, (iv) दिन-प्रतिदिन/प्रमुख शिकायतों की लंबी लम्बिता, (v) आवंटन के बाद भौतिक कब्जा सौंपने में अत्यधिक विलंब, (vi) सीपीडब्ल्यूडी सेवा पर अनुरक्षण नियमवाली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करना।</p>		

कार्य के लिए आबंटित कोड	कार्य का नाम	कार्य विशिष्ट लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
एल1	वर्ष 2018-19 के दौरान एल-डिवीजन के क्षेत्राधिकार के तहत दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग, मिंटो रोड पर टाइप-V और टाइप VI फ्लैट्स का व्यापक रखरखाव	<ul style="list-style-type: none"> • तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2(i)) • निरीक्षण पंजिका एवं निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका को नहीं बनाया गया था। (4.4.4.2(ii)(ग))
एल2	वर्ष 2018-19 के दौरान सब-डिवीजन 2के (5एल) नई दिल्ली अक्षरधाम मंदिर (सेवा केंद्र संख्या 841) के पास राष्ट्रमंडल खेल गांव में सामान्य पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) के सिविल परिचालनों का व्यापक रखरखाव	<ul style="list-style-type: none"> • तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2(i)) • निरीक्षण पंजिका नहीं बनायी गयी थी। (4.4.4.2 (ii)(ग))
एल3	वर्ष 2019-20 के दौरान डीडीयू मार्ग पर 140 टाइप- V क्वार्टरों और 104 टाइप- VI क्वार्टरों के और मिरदरद रोड नई दिल्ली में जी-48 क्वार्टरों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव (उप शीर्ष: - हस्तांतरण के समय पेंटिंग और मरम्मत कार्य)	<ul style="list-style-type: none"> • तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2(i)) • निरीक्षण पंजिका नहीं बनायी गयी थी। (4.4.4.2 (ii)(ग))
3. एम डिवीजन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (i) वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी, (ii) भवन रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, (iii) भवनों/संरचनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया था, (iv) दिन-प्रतिदिन/प्रमुख शिकायतों की दीर्घ लम्बितता, (v) आवंटन के बाद भौतिक कब्जे को सौंपने में अत्यधिक विलंब, (vi) सीपीडब्ल्यूडी सेवा पर अनुरक्षण नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करना।		
एम 1	2019-20 के दौरान सेक्टर-5, आर के पुरम, नई दिल्ली के विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों की विशेष मरम्मत। उपशीर्ष: विभिन्न क्वार्टरों में रिसाव से बचाव।	<ul style="list-style-type: none"> • तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2(i)) • ठेकेदार से न तो गारंटी बांड प्राप्त किये गये और न ही बिलो से 10 प्रतिशत प्रतिभूति रोकी गयी। (4.4.4.2 (ii)(ख))

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

कार्य के लिए आबंटित कोड	कार्य का नाम	कार्य विशिष्ट लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
		<ul style="list-style-type: none"> • निरीक्षण पंजिका एवं निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका का रखरखाव नहीं किया गया था। (4.4.4.2 (ii)(ग)) • उपयोग की गई सामग्री को चालू बिलों में दर्शाया गया था, हालांकि, सामग्री को निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका में दर्ज नहीं किया गया था, जिसके कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में असमर्थ थी कि सामग्री वास्तव में कार्य में उपयोग की गई थी या नहीं। (4.4.4.2 (iii)(क))
एम 2	2017-18 के दौरान सेक्टर-7, आर.के.पुरम, नई दिल्ली में विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों की विशेष मरम्मत उप शीर्ष: क्षतिग्रस्त दरवाजे, खिड़कियां बदलना, फर्श का पलस्तर, ओवर हेड टैंक और अन्य विविध कार्य	<ul style="list-style-type: none"> • तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2(i)) • निरीक्षण पंजिका एवं निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका को नहीं बनाया गया था। (4.4.4.2 (ii)(ग))
एम 3	2018-19 के दौरान सेक्टर-8, आर के पुरम, नई दिल्ली में विभिन्न प्रकार के जीपीआरए क्वार्टरों में उन्नयन कार्य (उप-शीर्ष: 26 टाइप -II क्वार्टरों में और 4 टाइप III क्वार्टरों में उन्नयन)	<ul style="list-style-type: none"> • निरीक्षण पंजिका नहीं बनाया गया था। (4.4.4.2 (ii)(ग))
एम 4	2018-19 के दौरान सेक्टर-7, आर के पुरम, नई दिल्ली में जीपीआरए क्वार्टरों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव (उप शीर्ष: विभिन्न क्वार्टरों के लिए हस्तानांतरण में बदलाव और अन्य विविध कार्य)	<ul style="list-style-type: none"> • तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2(i)) • निरीक्षण पंजिका एवं निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका नहीं बनाया गया था। (4.4.4.2 (ii)(ग))

कार्य के लिए आवंटित कोड	कार्य का नाम	कार्य विशिष्ट लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
<p>4. ई डिवीजन</p> <p>लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां</p> <p>(i) वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी, (ii) भवन रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, (iii) भवनों/संरचनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया था, (iv) दिन-प्रतिदिन/प्रमुख शिकायतों की दीर्घ लम्बितता, (v) सीपीडब्ल्यूडी सेवा पर अनुरक्षण नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करना।</p>		
ई 1	वर्ष 2017-18 के दौरान बंगला संख्या 5-सफदरजंग लेन, नई दिल्ली में उन्नयन कार्य (सिविल एवं विद्युत कार्य)।	<ul style="list-style-type: none"> • तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2(i)) • निरीक्षण पंजिका नहीं बनायी गयी थी। (4.4.4.2 (ii)(ग)) • उपयोग की गई सामग्री को चालू बिलों में दर्शाया गया था, हालांकि, सामग्री को निर्माण स्थान पंजिका में दर्ज नहीं किया गया था, जिसके कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में असमर्थ थी कि सामग्री वास्तव में कार्य में उपयोग की गई थी या नहीं। (4.4.4.2 (iii)(क))
ई2	सफदरजंग लेन में 2018-19 के दौरान उपखंड 1/ई के तहत माननीय मंत्री के आवास की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव (उप शीर्ष: विविध सिविल कार्य)	<ul style="list-style-type: none"> • तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2(i)) • निरीक्षण पंजिका नहीं बनाया गया था। (4.4.4.2 (ii)(ग)) • उपयोग की गई सामग्री को चालू बिलों में दर्शाया गया था, हालांकि, सामग्री को निर्माण स्थान पंजिका में दर्ज नहीं किया गया था, जिसके कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में असमर्थ थी कि सामग्री वास्तव में कार्य में उपयोग की गई थी या नहीं। (4.4.4.2 (iii)(क))

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

कार्य के लिए आबंटित कोड	कार्य का नाम	कार्य विशिष्ट लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
ई3	2018-19 के दौरान माननीय मंत्री के बंगले की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव (उप शीर्ष: सब-डिवीजन 4/ई, ई-डिवीजन, नई दिल्ली के तहत विविध सिविल कार्य)।	<ul style="list-style-type: none"> • तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2(i)) • निर्माण स्थान आदेश पंजिका को नहीं बनाया गया था। (4.4.4.2 (ii)(ग)) • उपयोग की गई सामग्री को चालू बिलों में दर्शाया गया था, हालांकि, सामग्री को निर्माण स्थान पंजिका में दर्ज नहीं किया गया था, जिसके कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में असमर्थ थी कि सामग्री वास्तव में कार्य में उपयोग की गई थी या नहीं। (4.4.4.2 (iii)(क))
ई 4	2019-20 के दौरान 3/ई सब-डिवीजन के तहत तीन मूर्ति हाउस पर माननीय मंत्री के बंगले और अन्य भवन की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव (उप शीर्ष: विविध सिविल कार्य)	<ul style="list-style-type: none"> • तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2(i)) • निरीक्षण पंजिका एवं निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका नहीं बनाया गया था। (4.4.4.2 (ii)(ग)) • उपयोग की गई सामग्री को चालू बिलों में दर्शाया गया था, हालांकि, सामग्री को निर्माण स्थान रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था, जिसके कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में असमर्थ थी कि सामग्री वास्तव में कार्य में उपयोग की गई थी या नहीं। (4.4.4.2 (iii)(क)) • मानक के विपरीत कम सामग्री का उपयोग किया गया, जिससे अवमानक कार्य हुआ। (4.4.4.2 (iii)(क))

कार्य के लिए आबंटित कोड	कार्य का नाम	कार्य विशिष्ट लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
5. एस डिवीजन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (i) वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी, (ii) भवन रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, (iii) भवनों/संरचनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया था, (iv) दिन-प्रतिदिन/प्रमुख शिकायतों की दीर्घ लम्बितता, (v) आवंटन के बाद भौतिक कब्जा सौंपने में अत्यधिक विलंब, (vi) सीपीडब्ल्यूडी सेवा पर रखरखाव नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करना।		
एस 1	2019-20 के दौरान सेक्टर-3, आर के पुरम, नई दिल्ली में जीपीआरए क्वार्टर की विशेष मरम्मत (उप शीर्ष: लंबित शिकायतों को दूर करने के लिए विविध सिविल कार्य)	<ul style="list-style-type: none"> निरीक्षण पंजिका नहीं बनाई गयी थी। (4.4.4.2 (ii)(ग))
एस 2	2018-19 के दौरान सेक्टर-3, आर के पुरम, नई दिल्ली में जीपीआरए क्वार्टरों का उन्नयन (उप शीर्ष: टाइप- II में 20, टाइप III में 15 और टाइप- IV में 25 क्वार्टरों के लिए सिविल और विद्युत का उन्नयन कार्य)	<ul style="list-style-type: none"> तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2 (i)) निरीक्षण पंजिका एवं निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका नहीं बनाया गया था। (4.4.4.2 (ii)(ग))
एस 3	2018-19 के दौरान सेक्टर -2, आर के पुरम, नई दिल्ली में लोकसभा आवासीय बहुमंजिला परिसर के दिन-प्रतिदिन के रखरखाव, निर्माण कार्यों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव, सिविल और विद्युत कार्य के संबंध में विशेष मरम्मत कार्य और विद्युत कार्य और विद्युत और मैकेनिकल के संचालन सहित आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यापक रखरखाव	<ul style="list-style-type: none"> निरीक्षण पंजिका एवं निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका नहीं बनाया गया था। (4.4.4.2 (ii)(ग)) जल प्रभारों की कटौती न करके ठेकेदार को अनुचित लाभ। (4.4.4.2 (iii)(ख)(i))
एस 4	2018-19 के दौरान सेक्टर-1, आर के पुरम, नई दिल्ली में विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव (उप शीर्ष: हस्तानांतरण में बदलाव)	<ul style="list-style-type: none"> तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2 (i)) निरीक्षण पंजिका एवं निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका नहीं बनाया गया था। (4.4.4.2 (ii)(ग))

कार्य के लिए आबंटित कोड	कार्य का नाम	कार्य विशिष्ट लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
<p>6. बी डिवीजन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (i) वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी, (ii) भवन रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, (iii) भवनों/संरचनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया था, (iv) दिन-प्रतिदिन/प्रमुख शिकायतों की दीर्घ लम्बितता, (v) सीपीडब्ल्यूडी सेवा पर रखरखाव नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करना।</p>		
<p>बी 1</p>	<p>कृष्णा मेनन लेन में 2017-18 के दौरान 3/बी उप-मंडल के तहत माननीय मंत्री और माननीय उप मंत्री के बंगलों का उन्नयन। (उप शीर्ष: विभिन्न बंगलों में उन्नयन कार्य)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2 (i)) • निर्माण स्थान पर लाई गई सामग्री के लिए किए गए परीक्षण का कोई प्रमाण नहीं मिला। (4.4.4.2 (ii)(क)) • ठेकेदार से न तो गारंटी बांड प्राप्त किये गये और न ही के बिलों से 10 प्रतिशत प्रतिभूति रोकी गयी। (4.4.4.2 (ii)(ख)) • निरीक्षण पंजिका नहीं बनाई गयी थी। (4.4.4.2 (ii)(ग)) • उपयोग की गई सामग्री को चालू बिलों में दर्शाया गया था, हालांकि, सामग्री को निर्माण स्थान रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था, जिसके कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में असमर्थ थी कि सामग्री वास्तव में कार्य में उपयोग की गई थी या नहीं। (4.4.4.2 (iii)(क))
<p>बी 2</p>	<p>2018-19 के दौरान सिविल कार्यों के लिए 4/बी उप-मंडल और विद्युत कार्यों के लिए उप-मंडल-IV/इलेक्ट्रिकल मंडल-II के तहत माननीय मंत्री और माननीय उप मंत्री के बंगलों का उन्नयन। (उप शीर्ष- विभिन्न बंगलों में सिविल एवं विद्युत कार्यों का उन्नयन)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2 (i)) • निर्माण स्थान पर लाई गई सामग्री के लिए किए गए परीक्षण का कोई प्रमाण नहीं मिला। (4.4.4.2 (ii)(क))

कार्य के लिए आबंटित कोड	कार्य का नाम	कार्य विशिष्ट लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
		<ul style="list-style-type: none"> • ठेकेदार से न तो गारंटी बांड प्राप्त किये गये और न ही बिलों से 10 प्रतिशत प्रतिभूति रोकी गयी। (4.4.4.2 (ii)(ख)) • निरीक्षण पंजिका एवं निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका नहीं बनाए गए। (4.4.4.2 (iii)(ग))
बी 3	कृष्णा मेनन लेन में 2017-18 के दौरान 3/बी उप-मंडल के तहत माननीय मंत्री और माननीय उप मंत्री के बंगलों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव। (उप शीर्ष सेक्टर-1 के अंतर्गत विविध सिविल कार्य)	<ul style="list-style-type: none"> • तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2 (i)) • ठेकेदार से न तो गारंटी बांड प्राप्त किये गये और न ही बिलों से 10 प्रतिशत प्रतिभूति रोकी गयी। (4.4.4.2 (ii)(ख)) • निरीक्षण पंजिका नहीं बनाई गयी। (4.4.4.2 (ii)(ग)) • उपयोग की गई सामग्री को चालू बिलों में दर्शाया गया था, हालांकि, सामग्री को निर्माण स्थान रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था, जिसके कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में असमर्थ थी कि सामग्री वास्तव में कार्य में उपयोग की गई थी या नहीं। (4.4.4.2 (iii)(क))
बी 4	कृष्णा मेनन लेन में 2018-19 के दौरान 4/बी उप-मंडल के तहत वार्षिक मरम्मत और रखरखाव (उप शीर्ष: सेक्टर- II के तहत विभिन्न बंगलों में विविध सिविल कार्य)	<ul style="list-style-type: none"> • तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2 (i)) • निर्माण स्थान पर लाई गई सामग्री के लिए किए गए परीक्षण का कोई प्रमाण नहीं मिला। (4.4.4.2 (ii)(क)) • ठेकेदार से न तो गारंटी बांड प्राप्त किये गये और न ही बिलों से 10 प्रतिशत प्रतिभूति रोकी गयी।

कार्य के लिए आबंटित कोड	कार्य का नाम	कार्य विशिष्ट लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
		<p>(4.4.4.2 (ii)(ख))</p> <ul style="list-style-type: none"> निरीक्षण पंजिका एवं निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका नहीं बनाये गए। (4.4.4.2 (ii)(ग)) उपयोग की गई सामग्री को चालू बिलों में दर्शाया गया था, हालांकि, सामग्री को निर्माण स्थान रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था, जिसके कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में असमर्थ थी कि सामग्री वास्तव में कार्य में उपयोग की गई थी या नहीं। (4.4.4.2 (iii)(क))
<p>7. यू डिवीजन</p> <p>लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां</p> <p>(i) वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी, (ii) भवन रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, (iii) भवनों/संरचनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया था, (iv) दिन-प्रतिदिन/प्रमुख शिकायतों की दीर्घ लम्बितता, (v) आवंटन के बाद भौतिक कब्जा सौंपने में अत्यधिक देरी, (vi) सीपीडब्ल्यूडी सेवा पर अनुरक्षण नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करना।</p>		
यू 1	2018-21 के दौरान प्रगति विहार छात्रावास, नई दिल्ली, का व्यापक रखरखाव (उप शीर्ष - दैनिक रखरखाव से संबंधित सिविल और इलेक्ट्रिक रखरखाव कार्य)	<ul style="list-style-type: none"> तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2 (i)) निरीक्षण पंजिका नहीं बनाई गयी। (4.4.4.2 (ii)(ग))
यू 2	2018-20 के दौरान यूडीएपी कॉलोनी, नेहरू नगर, नई दिल्ली में 135 टाइप-III क्वार्टरों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव। (उप शीर्ष: विविध मरम्मत कार्य)	<ul style="list-style-type: none"> निरीक्षण पंजिका नहीं बनाई गयी। (4.4.4.2 (ii)(ग))
यू 3	2019-20 के दौरान प्रगति विहार छात्रावास में 90 डबल सुइट्स का उन्नयन (उप	<ul style="list-style-type: none"> तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था।

कार्य के लिए आबंटित कोड	कार्य का नाम	कार्य विशिष्ट लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
	शीर्ष: सिविल और विद्युत कार्य)	(4.4.4.2 (i)) <ul style="list-style-type: none"> ठेकेदार से न तो गारंटी बांड प्राप्त किये गये और न ही बिलों से 10 प्रतिशत प्रतिभूति रोकी गयी। (4.4.4.2 (ii)(ख)) निरीक्षण पंजिका नहीं बनाई गयी। (4.4.4.2 (ii)(ग))
यू 4	2017-19 के दौरान प्रगति विहार छात्रावास में 125 डबल सुइट्स का उन्नयन (उप शीर्ष: सिविल और विद्युत कार्य)	<ul style="list-style-type: none"> तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2 (i)) ठेकेदार से न तो गारंटी बांड प्राप्त किये गये और न ही बिलों से 10 प्रतिशत प्रतिभूति रोकी गयी। (4.4.4.2 (ii)(ख)) निरीक्षण पंजिका नहीं बनाई गयी। (4.4.4.2 (ii)(ग))
8. वी डिवीजन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (i) वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी, (ii) भवन रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, (iii) भवनों/संरचनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया था, (iv) दिन-प्रतिदिन/प्रमुख शिकायतों की दीर्घ लम्बितता, (v) आवंटन के बाद भौतिक कब्जा सौंपने में अत्यधिक विलंब, (vi) सीपीडब्ल्यूडी सेवा पर अनुरक्षण नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करना।		
वी 1	2017-18 के दौरान एजीवी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में 152 फ्लैटों की बाहरी सतह का सौंदर्य सुधार और संरचनात्मक मरम्मत। (उप शीर्ष: विविध कार्य)	<ul style="list-style-type: none"> मानक के विपरीत कम सामग्री का उपयोग किया गया, जिससे अवमानक कार्य हुआ। (4.4.4.2 (iii)(क)) उपयोग की गई सामग्री को चालू बिलों में दर्शाया गया था, हालांकि, सामग्री को निर्माण स्थान रजिस्टर में दर्ज

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

कार्य के लिए आबंटित कोड	कार्य का नाम	कार्य विशिष्ट लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
		नहीं किया गया था, जिसके कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में असमर्थ थी कि सामग्री वास्तव में काम में उपयोग की गई थी या नहीं। (4.4.4.2 (iii)(क))
वी 2	2018-19 के दौरान एनसीईआरटी कैंपस, नई दिल्ली के आवासीय क्वार्टरों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव (उप शीर्ष: खाली और हस्तांतरण से बदलाव पर टाइप I से टाइप V क्वार्टरों में विविध सिविल कार्य)	• निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका नहीं बनाई गयी। (4.4.4.2 (ii)(ग))
वी 3	हुडको प्लेस एक्सटेंशन, नई दिल्ली में 917 टाइप IV (एस), टाइप V (बी) और ट्रांजिट फ्लैट्स की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव और विशेष मरम्मत कार्य। (उप शीर्ष: 2019-20 के दौरान खाली/अधिकृत फ्लैटों में टाइप IV(एस), टाइप V(बी) और ट्रांजिट फ्लैटों की मरम्मत और रखरखाव और अन्य विविध कार्य)	उपयोग की गई सामग्री को चालू बिलों में दिखाया गया था, हालांकि, सामग्री को निर्माण स्थान रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था, जिसके कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में असमर्थ थी कि सामग्री वास्तव में काम में उपयोग की गई थी या नहीं। (4.4.4.2 (iii)(क))
वी4	2018-19 के दौरान हुडको प्लेस एक्सटेंशन, नई दिल्ली में 514 टाइप V फ्लैटों का उन्नयन (उप शीर्ष: 7 टाइप-V-बी फ्लैटों का उन्नयन और 32 टाइप-V-बी खाली / अधिकृत फ्लैटों में फर्श का कार्य और 3 टाइप- V फ्लैटों में विद्युत कार्य और सार्वजनिक क्षेत्र और सीढ़ियों में पारंपरिक लाइट के स्थान पर ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट का प्रतिस्थापन)	उपयोग की गई सामग्री को चालू बिलों में दर्शाया गया था, हालांकि, सामग्री को निर्माण स्थान रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था, जिसके कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में असमर्थ थी कि सामग्री वास्तव में काम में उपयोग की गई थी या नहीं। (4.4.4.2 (iii)(क))
9. आई डिवीजन		
लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां		
(i) वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी, (ii) भवन रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, (iii) भवनों/संरचनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया था, (iv) दिन-प्रतिदिन/प्रमुख शिकायतों की दीर्घ लम्बितता, और (vi) सीपीडब्ल्यूडी सेवा पर अनुरक्षण नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन न करना।		
आई 1	कुशक रोड पर 2017-18 के दौरान 4/1 उप- मंडल के तहत उच्च न्यायालय के	• तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था।

कार्य के लिए आबंटित कोड	कार्य का नाम	कार्य विशिष्ट लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
	न्यायाधीशों के बंगलों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव। (उप शीर्ष: शौचालय, रसोई आदि की मरम्मत/नवीनीकरण)	(4.4.4.2 (i)) <ul style="list-style-type: none"> निरीक्षण पंजिका एवं निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका नहीं बनाया गया था। (4.4.4.2 (ii)(ग)) उपयोग की गई सामग्री को चालू बिलों में दर्शाया गया था, हालांकि, सामग्री को निर्माण स्थान रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था, जिसके कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में असमर्थ थी कि सामग्री वास्तव में काम में उपयोग की गई थी या नहीं। (4.4.4.2 (iii)(क))
आई 2	2018-19 के दौरान विद्युत कार्यों के लिए सिविल और उप-मंडल - II / इलेक्ट्रिकल मंडल- II के लिए 4/1 उप-मंडल के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा अधिकृत विभिन्न बंगलों का उन्नयन कार्य (उप शीर्ष: आगामी दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बंगलों आदि में उप-मंडल - II / इलेक्ट्रिकल मंडल- II में शौचालय, रसोई, आंतरिक और बाहरी पेंटिंग और विभिन्न विद्युत के नवीनीकरण का कार्य)	<ul style="list-style-type: none"> निर्माण स्थान पर लाई गई सामग्री के लिए किए गए परीक्षण का कोई प्रमाण नहीं मिला। (4.4.4.2 (ii)(क)) निरीक्षण पंजिका एवं निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका का रखरखाव नहीं किया गया था। (4.4.4.2 (ii)(ग)) उपयोग की गई सामग्री को चालू बिलों में दर्शाया गया था, हालांकि, सामग्री को निर्माण स्थान रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था, जिसके कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में असमर्थ थी कि सामग्री वास्तव में काम में उपयोग की गई थी या नहीं। (4.4.4.2 (iii)(क))

10. डीईडी-302 डिवीजन

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

(i) वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी, (ii) भवन रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, (iii) दैनिक/प्रमुख शिकायतों की दीर्घ लम्बितता, और (iv) सीपीडब्ल्यूडी सेवा पर रखरखाव नियमावली के प्रावधानों का अननुपालन ना करना।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

कार्य के लिए आबंटित कोड	कार्य का नाम	कार्य विशिष्ट लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
डीईडी-302(1)	2019 के दौरान डीआईजेड क्षेत्र नई दिल्ली में सेवा केंद्र संख्या 247 और 250 के तहत आवासीय क्वार्टरों का उन्नयन। (उप शीर्ष: ए- 66 और 67 ब्लॉक में क्वार्टर नंबर 814 से 846 तक टाइप -1 क्वार्टरों के लिए नए क्यूबिकल पैनेल बोर्ड की स्थापना, और टाइप- II क्वार्टर सेक्टर-डी के क्वार्टर नंबर 451 से 706 तक। बी-ब्लॉक संख्या 41 से 65 तक पीके रोड के टाइप-1 क्वार्टर में टीपीएनएमसीसीबी बोर्ड प्रदान करने का शेष कार्य)	<ul style="list-style-type: none"> निरीक्षण पंजिका का रखरखाव नहीं किया गया था। (4.4.4.2 (ii)(ग))
डीईडी-302(4)	2018-21 के दौरान निवेदिता कुंज और नानकपुरा, नई दिल्ली में जीपीआरए परिसर के दैनिक रखरखाव, वार्षिक मरम्मत और रखरखाव कार्यों, सिविल, विद्युत और बागवानी कार्यों के विशेष मरम्मत कार्यों और उपकरण और मशीनरी के संचालन सहित आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यापक रखरखाव	निरीक्षण पंजिका का रखरखाव नहीं किया गया था। (4.4.4.2 (ii)(ग))
11. डीईडी-21 डिवीजन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (i) वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी, (ii) भवन रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, (iii) दैनिक/प्रमुख शिकायतों की दीर्घ लम्बितता, और (iv) सीपीडब्ल्यूडी सेवा पर रखरखाव नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करना।		
डीईडी-21(1)	2019-20 के दौरान केजी मार्ग, नई दिल्ली में एमएस अपार्टमेंट और एशिया हाउस में दैनिक रखरखाव और विविध कार्य (विद्युत कार्य)	<ul style="list-style-type: none"> लिफ्ट/डीजी सेटों का एएमसी ठेका होने के बावजूद एएमसी का कार्य अन्य एजेंसियों से अधिक दरों पर कराया गया। (4.4.4.2 (iii)(ख)(ii))
12. बागवानी डिवीजन-द्वितीय लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (i) वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी, (ii) भवन रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, (iii) भवनों/संरचनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया था, (iv) दिन-प्रतिदिन/प्रमुख शिकायतों की दीर्घ लम्बितता, और (v) सीपीडब्ल्यूडी सेवा पर रखरखाव नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करना।		

कार्य के लिए आबंटित कोड	कार्य का नाम	कार्य विशिष्ट लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
एचडी-II (1)	2017-18 के दौरान उप-मंडल-3/2, नई दिल्ली के तहत जेडएच मार्ग, पंडारा पार्क, पंडारा रोड, शाहजहाँ रोड, हुमायूं रोड, लोदी गार्डन और लोदी एन्क्लेव पर सांसदों (एमपी) के बंगलों से जुड़े उद्यान क्षेत्र का रखरखाव	<ul style="list-style-type: none"> • तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2 (i)) • निरीक्षण पंजिका नहीं बनाई गयी थी। (4.4.4.2 (ii)(ग))
एचडी-II (2)	2018-19 के दौरान जीआरजी रोड और महादेव रोड, पंडित पंत मार्ग, नई दिल्ली में सांसदों के बंगलों से जुड़े उद्यान क्षेत्र का रखरखाव। (उप शीर्षक: उद्यान सुविधाओं और गमलों में लगे पौधों का पूर्ण रखरखाव)	<ul style="list-style-type: none"> • तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2 (i)) • निरीक्षण पंजिका एवं निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका का रखरखाव नहीं किया गया था। (4.4.4.2 (ii)(ग))
एचडी-II (3)	2018-19 के दौरान उद्यान मंडल-II, उप-मंडल-3, सीपीडब्ल्यूडी, नई दिल्ली के तहत एमपी के बंगलों/फ्लैट से जुड़े उद्यान क्षेत्र की विशेष मरम्मत-पुनः घास लगाना।	<ul style="list-style-type: none"> • तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2 (i)) • निरीक्षण पंजिका एवं निर्माण स्थान आदेश पुस्तिका का रखरखाव नहीं किया गया था। (4.4.4.2 (ii)(ग))
एचडी-II (4)	2019-20 के दौरान बागवानी मंडल-II, सीपीडब्ल्यूडी, नई दिल्ली के अंतर्गत माननीय सांसदों के बंगलों/फ्लैटों से जुड़े उद्यान क्षेत्र का रखरखाव (उप शीर्षक: साइक्लेमेन, डायनथस और पेंसी पौधे उपलब्ध कराना और प्रदर्शित करना)।	<ul style="list-style-type: none"> • तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं किया गया था। (4.4.4.2 (i)) • निरीक्षण पंजिका का रखरखाव नहीं किया गया था। (4.4.4.2 (ii)(ग))

अनुलग्नक-XVIII
(पैरा 4.4.4.2 (i) में संदर्भित)

तकनीकी प्रतिनिधि की नियुक्ति न होने पर वसूली जाने वाली राशि का गणना पत्रक
(राशि ₹ में)

क्र.सं.	कार्य करने हेतु निर्दिष्ट किया गया कूट	कार्य आरंभ / पूर्ण होने की तिथि	कुल अवधि ¹⁰¹ (माह में)	प्रतिमाह वसूली जाने वाली राशि	कुल राशि
1.	बी 1	01.09.2017 14.02.2019	17 माह 14 दिन अर्थात 17 महीने	40,000 (25,000+15,000) ¹⁰²	6,80,000
2.	बी 2	26.06.2018 31.03.2020	21 माह 6 दिन अर्थात 21 महीने	85,000 (30,000+25,000+ 15,000+15,000) ¹⁰³	17,85,000
3.	बी 3	4.12.2017 27.11.2018	11 माह 24 दिन अर्थात 12 महीने	15,000	1,80,000
4.	बी 4	01.01.2019 22.07.2019	6 माह 22 दिन अर्थात 7 महीने	15,000	1,05,000
5.	ई 1	10.03.2018 16.08.2018	5 माह 7 दिन अर्थात 5 महीने	25,000	1,25,000
6.	ई 2	27.10.2018 18.07.2019	8 माह 23 दिन अर्थात 9 महीने	25,000	2,25,000
7.	ई 3	08.01.2019 31.03.2020	14 माह 24 दिन अर्थात 15 महीने	25,000	3,75,000
8.	ई 4	27.07.2019 31.03.2020	8 माह 5 दिन अर्थात 8 महीने	25,000	2,00,000
9.	आई 1	29.06.2017 28.10.2017	4 माह 3 दिन अर्थात 4 महीने	15,000	60,000
10.	एल 1	01.12.2018 01.07.2019	7 माह	15,000	1,05,000

¹⁰¹ जहां कार्य 31 मार्च 2020 के बाद चल रहे हैं, वहां लेखापरीक्षा अवधि होने के कारण कट ऑफ डेट 31 मार्च 2020 ली गई है।

¹⁰² दो तकनीकी प्रतिनिधियों की प्रतिनियुक्ति की जानी थी।

¹⁰³ चार तकनीकी प्रतिनिधियों की प्रतिनियुक्ति की जानी थी।

क्र.सं.	कार्य करने हेतु निर्दिष्ट किया गया कूट	कार्य आरंभ / पूर्ण होने की तिथि	कुल अवधि ¹⁰¹ (माह में)	प्रतिमाह वसूली जाने वाली राशि	कुल राशि
11.	एल 2	08.02.2019 10.06.2019	3 माह 12 दिन अर्थात 3 महीने	15,000	45,000
12.	एल 3	22.04.2019 16.08.2019	चार महीने	15,000	60,000
13.	एम 1	21.07.2019 15.10.2019	2 माह 26 दिन अर्थात 3 महीने	10,000	30,000
14.	एम 2	02.06.2017 26.09.2018	15 माह 25 दिन अर्थात 16 महीने	10,000	1,60,000
15.	एम 4	06.11.2018 30.04.2019	6 महीने	10,000	60,000
16.	क्यू 1	21.08.2019 20.11.2019	3 महीने	15,000	45,000
17.	एस 2	14.03.2018 21.05.2018	2 माह 8 दिन अर्थात 2 महीने	15,000	30,000
18.	एस 4	19.01.2019 30.10.2019	9 माह 12 दिन अर्थात 9 महीने	15,000	1,35,000
19.	यू 1	09.05.2018 31.03.2020	22माह 23 दिन अर्थात 23 महीने	15,000	3,45,000
20.	यू3	25.02.2019 31.03.2020	13 माह 7 दिन अर्थात 13 महीने	15,000	1,95,000
21.	यू4	13.06.2017 08.01.2019	18 माह 28 दिन अर्थात 19 महीने	15,000	2,85,000
22.	एचडी- II (1)	09.06.2017 30.07.2018	13 माह 22 दिन अर्थात 14 महीने	15,000	2,10,000
23.	एचडी- II (2)	10.01.2019 31.03.2020	14 माह 22 दिन अर्थात 15 महीने	15,000	2,25,000
24.	एच डी- II (3)	23.03.2018 29.10.2018	7 माह 7 दिन अर्थात 7 महीने	15,000	1,05,000
25.	एच डी- II (4)	15.12.2019 14.01.2020	1 माह	15,000	15,000
				कुल	57,85,000

अनुलग्नक-XIX

{जैसा पैरा 4.4.4.2 (iii)(ए) में संदर्भित है}

आवश्यक सामग्री की मात्रा और चल बिलों में दिखाया गया है लेकिन साइट रजिस्टर पर सामग्री में इसका हिसाब नहीं दिया गया है

क्र.सं.	कार्य कोड (अनुबंध का स्थान और वर्ष)	सामग्री का विवरण	एमएस रजिस्टर में सम्मिलित नहीं की गई मात्रा
1.	बी1 (वर्ष 2017-18 के दौरान मंत्रियों के बंगलों का उन्नयन)	प्लास्टर ऑफ पेरिस	3951.63 किग्रा
		सफेद सीमेंट आधारित पुट्टी	29352.00 किग्रा
		टीएमटी स्टील	1526.87 किग्रा
2.	बी3 (मंत्री बंगलों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव)	सफेद सीमेंट आधारित पुट्टी	5041.00 किग्रा
		बिटुमेन प्राइमर	229.54 लीटर
		फ्रेंच स्प्रेट पॉलिशिंग	170.45 लीटर
3.	बी4 (मंत्री बंगले की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव)	अस्फाल्ट	242.15 किग्रा
4.	ई1 (2017-18 के दौरान बंगले में उन्नयन कार्य)	सफेद सीमेंट आधारित पुट्टी	1893.51 किग्रा
		इस्पात	1229.37 किग्रा
5.	2018-19 के दौरान मंत्री बंगले की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव)	सफेद सीमेंट आधारित पुट्टी	406.18 किग्रा
6.	2018-19 के दौरान मंत्री बंगले की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव)	सफेद सीमेंट आधारित पुट्टी	2465.18 किग्रा
7.	2019-20 के दौरान मंत्री बंगले की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव)	सफेद सीमेंट आधारित पुट्टी	2295.75 किग्रा
8.	आई1 (2017-18 के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बंगलों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव)	सीमेंट आधारित पुट्टी	437.00 किग्रा
		फ्रेंच पॉलिश	110.80 लीटर
		मेलमाइन	44.20 लीटर
		प्लास्टर ऑफ पेरिस	7765.00 किग्रा
		इस्पात	3291.00 किग्रा
		अस्फाल्ट	40.00 किग्रा
9.	I2 (2018-19 के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न	प्लास्टर ऑफ पेरिस पुट्टी	5374.00 किग्रा
		फ्रेंच पॉलिश	90.99 लीटर
		मेलमाइन	219.00 लीटर

	बंगलों का उन्नयन कार्य)		
10.	एम1 (2019-20 के दौरान आरकेपुरम के विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों की विशेष मरम्मत)	सिंथेटिक पॉलिएस्टर	89.53 किग्रा
		फाइबर वाटर प्रूफिंग	716.20 किग्रा
11.	वी1 (2017-18 के दौरान एजीवी कॉम्प्लेक्स में फ्लैटों का सौंदर्य सुधार)	प्राइमर	398.00 किग्रा
		सफेद सीमेंट आधारित पुट्टी	3438.00 किग्रा
12.	2019-20 के दौरान वी3 (हुडको प्लेस में वार्षिक मरम्मत और रखरखाव और विशेष मरम्मत कार्य)	पुट्टी	13716.00 किग्रा
		फ्रेंच स्पिरिट पॉलिशिंग	397.00 लीटर
13.	वी4 (2018-19 के दौरान हुडको प्लेस में टाइप-V फ्लैट्स का उन्नयन)	वाटर प्रूफिंग	207.00 किग्रा
14.	क्यू4 (2019-20 के दौरान मोती बाग में खतरनाक टाइप I क्वार्टर की रेट्रोफिटिंग)	बाहरी प्राइमर	228.00 किग्रा

अनुलग्नक-XX

{जैसा पैरा 4.4.4.3(i) में संदर्भित है}

2017-18 से 2019-20 के दौरान 30 दिनों से अधिक समय तक ध्यान दी गई प्रमुख शिकायतों का विवरण

डिवीजन	सेवा केंद्र सं	प्रमुख शिकायतों की कुल संख्या	बड़ी शिकायतों पर ध्यान देने में देरी अर्थात 30 दिनों के बाद	निर्धारित 30 दिनों के बाद शिकायतों के निवारण का प्रतिशत	शिकायत दर्ज करने में लगने वाले दिनों की अधिकतम संख्या
ए	बी	सी	डी	ई (डी/सी)	एफ
एस	329	8621	3101	36	970
	327	2502	1666	67	606
क्यू	318	3106	2304	74	497
	370	2416	484	20	612
वी	420	1042	20	2	96
	421	613	158	26	296
एम	315	1016	315	31	307
	310	2612	1086	42	442
यू	357	1848	730	40	455
	417	927	813	88	1007
बी	141	9	0	0	0
	1140	750	15	2	59
आई	151	139	0	0	0
	132	857	5	1	65
इ	143	301	178	59	423
डीईडी 21	234	1019	176	17	509
	232	692	180	26	680
एल	255	1844	1099	60	875
	841	465	39	8	176
डीईडी 302	266	1	0	0	0
	267	0	0	0	0
बागबानी.॥	115	0	0	0	0
	118	44	13	30	158
कुल		30824	12382	40	

अनुलग्नक-XXI
{पैरा 4.4.4.3(i) में संदर्भित}
लंबित प्रमुख कार्यों की सूची

क्र.सं. नहीं।	डिवीजन	सेवा केंद्र सं	30 दिनों से अधिक लंबित प्रमुख कार्यों की संख्या	अधिकतम लंबित अवधि (महीनों में)
1.	एस	329	570	32
		327	422	4
2.	क्यू	317	236	18
		318	425	13
3.	वी	424	52	10
4.	एम	310	173	13
		332	150	26
5.	यू	417	163	6
6.	एल	255	26	7
7.	डीईडी 21 (विद्युत)	232	17	10
		234	92	13
8.	डीईडी 302 (विद्युत)	266	33	12
		267	41	13

लंबित आवधिक कार्यों की सूची

क्र.सं. नहीं।	डिवीजन	सेवा केंद्र सं	60 दिनों से अधिक समय से लंबित अवधि	अधिकतम लंबित समय (महीनों में)
1.	वी	425	190	16
2.	एम	332	16	9
3.	एल	255	31	8
4.	एल	203	101	27

लंबित उन्नयन कार्यों की सूची

क्र.सं. नहीं।	डिवीजन	सेवा केंद्र सं	60/75 दिनों से अधिक लंबित	अधिकतम लंबित समय (महीनों में)
1.	वी	420	226	22
2.	यू	357	205	30
3.	एल	255	20	35
4.	एल	841	127	32

अनुलग्नक-XXII
{पैरा 4.4.4.3(ii) में संदर्भित}

भौतिक कब्जा सौंपने में देरी के कारण भावी आबंटियों को भुगतान किए गए मकान किराया भत्ता (एचआरए) और वसूल न की गई लाइसेंस शुल्क की गणना दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं. नहीं।	डिवीजन	सेवा केंद्र सं	2017-20 के दौरान आवंटित तिमाही की संख्या	60/75 दिनों के बाद दिया गया भौतिक कब्जा	लिए गए अधिकतम दिन	एचआरए ¹⁰⁴ और अनुज्ञा शुल्क (₹ लाख में)
1.	एस	329	464	263 (57%)	367	69.03
		327	350	201 (57%)	321	
2.	क्यू	321	389	33 (8%)	251	29.46
		370	313	98 (31%)	241	
3.	वी	420	655	198 (30%)	363	74.93
		421	57	18 (32%)	254	
4.	एम	309	457	186 (41%)	297	35.76
		315	489	142 (29%)	361	
5.	यू	357	277	118 (43%)	437	75
		358	275	101(37%)	372	
6.	एल	255	364	164 (45%)	522	86.35
		841	135	34 (25%)	359	
	कुल					370.53

¹⁰⁴ यह एचआरए की न्यूनतम राशि है, जिसकी गणना आवंटियों के पात्र स्तर के वेतन में सबसे कम ग्रेड-पे लेकर की जाती है और इस बात पर विचार करते हुए कि सभी आवंटी पहली बार आवंटी हैं और भौतिक कब्जे की तारीख तक एचआरए आहरित करते हैं।

अनुलग्नक -XXIII

(पैरा 6.2.1.2 में संदर्भित)

एनएमईटी के उद्देश्य और कार्य

एनएमईटी की स्थापना खनिजों के लिए क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण करने और ऐसी गतिविधियों को करने के लिए की गई थी, जो शासी निकाय द्वारा निम्नलिखित सहित अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझी जा सकती हैं:

- क) गहरे बैठे या छुपे खनिज जमा की पहचान, अन्वेषण, निकालने, लाभकारी और परिष्कृत करने के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष अध्ययनों और परियोजनाओं का वित्त पोषण;
- ख) खनिज विकास, उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी प्रथाओं को अपनाने और खनिज निष्कर्षण धातु विज्ञान के सतत खनन के लिए अध्ययन करना;
- ग) विशेष रूप से रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों को प्राथमिकता देते हुए क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण के लिए क्षेत्रों की खोज करना;
- घ) ट्रस्ट की खोज के लिए प्राथमिकताएं तय करने के लिए सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड के साथ परामर्श करना;
- ड) अन्वेषण कार्यकलापों को इस प्रकार सुगम बनाना कि अन्वेषण किए गए क्षेत्रों को अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए लिया जा सके;
- च) स्पष्ट भूगर्भीय संभावित क्षेत्रों (जी3) में ब्राउनफील्ड क्षेत्रीय अन्वेषण परियोजनाओं को पूरा करने की सुविधा प्रदान करना जिसमें आधुनिक तकनीकों के माध्यम से गहरे बैठे खनिज जमा के लिए उच्च जोखिम अन्वेषण करना शामिल है;
- छ) भारत भर में उन क्षेत्रों में विस्तृत अन्वेषण (जी2 या जी1) को पूरा करने को बढ़ावा देना जहां जी3 चरण का अन्वेषण पूरा हो चुका है;
- ज) स्पष्ट भूवैज्ञानिक संभावित क्षेत्रों और शेष भारत के भूभौतिकीय, जमीनी और हवाई, सर्वेक्षण और भू-रासायनिक सर्वेक्षण की सुविधा;
- झ) पृथ्वी विज्ञान में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और खनिज संभावनाओं के मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय कोर रिपॉजिटरी की सुविधा प्रदान करना;

- ज) अन्वेषण में लगे या लगाए जाने वाले कर्मियों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना; और
- ट) ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट फंड का उपयोग करना, जो भारत के खनिज संसाधनों के संरक्षण, विकास और अन्वेषण के हित में आवश्यक या समीचीन होने के लिए शासी निकाय निर्णय ले सकता है, या कार्यकारी समिति को अधिकृत कर सकता है, जो अधिनियम के प्रावधान के साथ असंगत नहीं है।

अनुलग्नक-XXIV

(पैरा 6.2.1.3 में संदर्भित)

एनएमईटी के शासी निकाय की संरचना

खान मंत्रालय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री एनएमईटी के शासी निकाय के पदेन अध्यक्ष हैं और खान मंत्रालय के सचिव पदेन संयोजक हैं। शासी निकाय के अन्य सदस्य निम्नलिखित हैं:-

- क) कोयला मंत्रालय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री,
- ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री,
- ग) परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री,
- घ) खान राज्य मंत्री,
- ङ) एनएमईटी के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा आवर्तन के आधार पर सरकारों के छह मंत्रियों, जो खान और भूविज्ञान का प्रभार रखते हैं, को पुनः नामांकन की पात्रता के साथ एक समय में दो वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाता है और
- च) प्रासंगिक क्षेत्र में अनुभव रखने वाले विशेष आमंत्रितगण को एनएमईटी के शासी निकाय द्वारा आमंत्रित किया जाता है।

एनएमईटी की कार्यकारी समिति की संरचना

खान मंत्रालय के सचिव एनएमईटी की कार्यकारी समिति के पदेन अध्यक्ष और अन्वेषण के प्रभारी संयुक्त सचिव हैं, खान मंत्रालय इसके पदेन सदस्य सचिव हैं।

कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य निम्नलिखित हैं:

- क) एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग के पद से नीचे का न हो,
- ख) एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय के पद से नीचे का न हो,
- ग) एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पद से नीचे का न हो,
- घ) खान या कोयला मंत्रालयों के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार,
- ङ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक,
- च) भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक,

- छ) किसी भी चार राज्य सरकारों से एक प्रतिनिधि, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया है, राज्य सरकार के सचिव या समकक्ष के पद से कम न हो, आवर्तन के आधार पर पुनः नामांकन की पात्रता के साथ एक समय में दो वर्ष की अवधि हेतु और
- ज) एनएमईटी की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए अन्वेषण या संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से पांच व्यक्तियों को नामित किया जाएगा।

अनुलग्नक-XXV
(पैरा 6.2.1.4 में संदर्भित)
अन्वेषण एजेंसियां

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप धारा 1 का दूसरा परंतुक निर्धारित करता है कि निम्नलिखित एजेंसियों द्वारा अन्वेषण गतिविधियां की जा सकती हैं:

क.

1. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण,
2. भारतीय खान ब्यूरो,
3. अन्वेषण और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय,
4. किसी भी राज्य सरकार के खनन और भूविज्ञान निदेशालय,
5. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड।

ख.

21 अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियां।

1. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड,
2. स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड,
3. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,
4. केआईओसीएल (कुद्रेमुख आयरन ओरे कंपनी लिमिटेड)
5. मोइल (मैंगनीज ओरे (इंडिया) लिमिटेड)
6. छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
7. मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड,
8. आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,
9. गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,
10. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड,
11. तेलंगाना स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन,
12. सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड,
13. ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड,

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

14. वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड
15. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड
16. ओडिशा मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
17. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड,
18. तमिलनाडु मिनरल्स लिमिटेड,
19. तमिलनाडु मैग्नेसिट लिमिटेड,
20. तमिलनाडु कर्मेंट्स कारपोरेशन लिमिटेड एंड
21. एनएलसी इंडिया लिमिटेड

अनुलग्नक-XXVI

(पैरा 6.2.3.1(ii)(बी) में संदर्भित)

खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड की एनएमईटी वित्तपोषित परियोजनाओं की सूची जो दिसंबर 2021 तक विलंब से चल रही हैं

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	चरण ¹⁰⁵	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	स्वीकृति तिथि	पूरा होने की निर्धारित तिथि
1	वीरानम लिग्नाइट उप-ब्लॉक 1-4, जिला-कुड्डालोर, तमिलनाडु।	जी 1	6743.000	03-04-2017	02-04-2020
2	मलंगटोली लौह अयस्क भंडार का सी-उप ब्लॉक, जिले: सुंदरगढ़ और केंदुझार, ओडिशा	जी 3	1201.550	21-06-2018	21-06-2019
3	मलंगटोली लौह अयस्क भंडार का एच-उप ब्लॉक, जिले: सुंदरगढ़ और केंदुझार, ओडिशा	जी 3	1027.640	21-06-2018	20-06-2019
4	मलंगटोली ब्लॉक के उप ब्लॉक-डी, जिले: सुंदरगढ़ और केंदुझार, ओडिशा	जी 3	210.890	16-08-2018	15-10-2019
5	मलंगटोली ब्लॉक के उप ब्लॉक-ई, जिले: सुंदरगढ़ और केंदुझार, ओडिशा	जी 3	199.210	16-08-2018	15-10-2019
6	मलंगटोली ब्लॉक के उप ब्लॉक-जी, जिले: सुंदरगढ़ और केंदुझार, ओडिशा	जी 3	210.880	16-08-2018	15-10-2019
7	बियारपल्ली ब्लॉक, जिला: बोलांगीर, ओडिशा	जी 4	151.340	31-10-2018	30-10-2019
8	बियारपल्ली ब्लॉक, जिला: बोलांगीर, ओडिशा	जी 2	357.350	31-10-2018	30-12-2019
9	बब्जा ब्लॉक, जिला: बोलांगीर, ओडिशा	जी 4	107.910	31-10-2018	30-10-2019

¹⁰⁵ जी 1 से जी 4 खनिज भंडार की खोज के चार चरण हैं, जैसे टोही (जी 4), पूर्वक्षण (जी 3), सामान्य अन्वेषण (जी 2) और विस्तृत अन्वेषण (जी 1)।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	चरण ¹⁰⁵	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	स्वीकृति तिथि	पूरा होने की निर्धारित तिथि
10	बब्जा ब्लॉक, जिला: बोलांगीर, ओडिशा	जी 2	144.230	31-10-2018	30-08-2019
11	बोकना ब्लॉक, जिला: पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड	जी 3	199.450	31-10-2018	30-11-2019
12	सेंदूरखार ब्लॉक, जिला- कबीरधाम, छत्तीसगढ़	जी 3	94.430	27-09-2019	26-06-2020
13	जमदा-कोइरा घाटी में सिलपुंजी ब्लॉक, जिला- पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड	जी 3	97.230	27-09-2019	26-05-2020
14	डुंगुरिपल्ली ब्लॉक, बोलांगीर जिला, ओडिशा	जी 2	157.360	27-09-2019	26-07-2020
15	बरगंडा ब्लॉक में कॉपर अयस्क संसाधन का सामान्य अन्वेषण (जी2), जिला- गिरिडीह, झारखंड	जी 2	884.670	27-09-2019	26-02-2021
16	डिगगांव ब्लॉक में चूना पत्थर के लिए सामान्य अन्वेषण, जिला- कलबुर्गी, कर्नाटक	जी 2	319.270	07-01-2020	06-03-2021
17	सेलू ब्लॉक में मैग्नेसाइट के लिए सामान्य अन्वेषण जिला- उदयपुर, राजस्थान।	जी 2	303.880	07-01-2020	06-05-2021
18	अदानकुरिची गांव, सेंदुरई तालुक, अरियालुर जिला, तमिलनाडु में चूना पत्थर ब्लॉक के लिए सामान्य अन्वेषण	जी 2	115.920	27-01-2020	26-12-2020
19	तमिलनाडु के अरियालुर जिले के अलथियुर ब्लॉक में चूना पत्थर ब्लॉक के लिए सामान्य अन्वेषण	जी 2	115.920	27-01-2020	26-12-2020
20	तमिलनाडु के अरियालुर जिले के आनंदवाड़ी ब्लॉक	जी 2	89.730	27-01-2020	26-11-2020

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	चरण ¹⁰⁵	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	स्वीकृति तिथि	पूरा होने की निर्धारित तिथि
	में चूना पत्थर ब्लॉक के लिए सामान्य अन्वेषण				
21	तमिलनाडु के अरियालुर जिले के उंजिनी ब्लॉक में चूना पत्थर ब्लॉक के लिए सामान्य अन्वेषण	जी 2	64.040	27-01-2020	26-09-2020
22	रेंगाली ब्लॉक, बलांगीर, ओडिशा में ग्रेफाइट और मैंगनीज अयस्क के लिए टोही सर्वेक्षण (जी4)	जी 4	411.300	18-11-2020	17-11-2021
23	अंटापाली ब्लॉक, बलांगीर, ओडिशा में टोही सर्वेक्षण (जी4)।	जी 4	155.770	18-11-2020	17-11-2021
24	कुमियापाली ब्लॉक, बलांगीर, ओडिशा में टोही सर्वेक्षण (जी4)	जी 4	237.990	18-11-2020	17-11-2021
25	टोंडा ब्लॉक, पूर्वी खेतड़ी कॉपर बेल्ट, झुंझुनू, राजस्थान में सामान्य अन्वेषण (जी2)	जी 2	650.390	18-11-2020	17-01-2021
26	नामापुर ब्लॉक, राजन्ना सिरसिला, तेलंगाना में टोही सर्वेक्षण (जी4)	जी 4	54.830	18-11- 2020	17-11-2021

अनुलग्नक-XXVII

{पैरा 6.2.3.1(ii)(एफ) व 6.2.3.3 में संदर्भित}

परियोजनाओं को अनुमोदित करते समय तकनीकी-सह-लागत समिति द्वारा उचित संवीक्षा का अभाव

क्रसं.	ब्लॉक (वस्तु) और कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियाँ
1.	खैरहा ब्लॉक (चूना पत्थर) भूतत्व एवं खनन निदेशालय, छत्तीसगढ़	यह पाया गया कि ब्लॉक क्षेत्र बस्तियों और सड़कों के भीतर है इसलिए खनन नहीं किया जा सका और ब्लॉक की नीलामी नहीं की जा सकी। एनएमईटी ने पहले से किए गए अन्वेषण कार्य के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को ₹ 20.77 लाख का भुगतान किया। यह इंगित करता है कि तकनीकी-सह-लागत समिति द्वारा अनुमोदन से पूर्व प्रस्ताव की ठीक से संवीक्षा नहीं की गई थी।
2.	मैलाराम ब्लॉक (चूना पत्थर) तेलंगाना राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	ब्लॉक क्षेत्र किन्नरसनी वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित होने के कारण अन्वेषण कार्य नहीं किया जा सका। इसकी मंजूरी के एक वर्ष बाद परियोजना को रद्द कर दिया गया था। यह इंगित करता है कि तकनीकी-सह लागत समिति-परियोजना प्रस्ताव की संवीक्षा के दौरान पर्याप्त सतर्क नहीं थी।
3.	खरगोन ब्लॉक, एमपी (चूना पत्थर / मैंगनीज) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शून्य प्रगति के साथ 12 महीने से अधिक समय के बाद परियोजना को रद्द कर दिया गया था क्योंकि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास गैर-ईंधन खनिज अन्वेषण कार्य करने के लिए कोई संस्थानिक व्यवस्था नहीं थी। इसका तात्पर्य यह है कि दी गई वस्तु (चूना पत्थर/मैंगनीज) जो एक गैर-ईंधन खनिज था, की खोज करने

क्रसं.	ब्लॉक (वस्तु) और कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियाँ
		के लिए उनकी क्षमताओं का आंकलन किए बिना परियोजना को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में अनुमोदित किया गया था।
4.	चेलिमा ब्लॉक, आंध्र प्रदेश (हीरा) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	योग 702 वर्ग किमी में से 40 वर्ग किमी पट्टी में मैपिंग के बाद ब्लॉक में खोजपूर्ण मैपिंग छोड़ दिया गया था और वन अनुमति से इनकार करने के कारण नहीं लिया जा सका क्योंकि शेष ब्लॉक नंद्याल और गिद्धलूर (कुंबुम) बाघ आरक्षित वन के भीतर है। किए गए कार्य के लिए खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को ₹ 4.31 लाख का भुगतान किया गया। यह परियोजना प्रस्ताव के मूल्यांकन के दौरान तकनीकी-सह-लागत समिति द्वारा उचित संवीक्षा के अभाव को दर्शाता है।
5	कसारपुर ब्लॉक के दक्षिण, मयूरभंज, ओडिशा। (ताँबा) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को आवंटित क्षेत्र के हिस्से में अन्वेषण का जी3 चरण किया और बाद में खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को आगे की खोज गतिविधियों के लिए अपने ब्लॉक क्षेत्र को संशोधित करना पड़ा।
6	बुक्कापटना ब्लॉक, तुमकुर, कर्नाटक (सोना) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पट्टे के अंतर्गत क्षेत्र के साथ लगभग 68% ओवरलैपिंग थी। इसलिए, तकनीकी-सह-लागत समिति ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को शेष क्षेत्र (अर्थात् लगभग 75 वर्ग किमी) पर ध्यान केंद्रित करने और निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को ₹ 75.15 लाख का भुगतान किया गया।

क्रसं.	ब्लॉक (वस्तु) और कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियाँ
7	जमोदी-महन्ना ब्लॉक, सतना, मध्य प्रदेश। (चूना पत्थर) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	इस ब्लॉक को जी4 और जी3 चरणों में एनएमईटी फंडिंग के अंतर्गत खोजा गया और जी2 चरण में अपग्रेड किया गया। हालांकि, जी2 स्तर के अन्वेषण के दौरान, 15 बोरहोलों में ड्रिलिंग नहीं की जा सकी क्योंकि क्षेत्र लीजहोल्ड क्षेत्र के अंतर्गत आता था।

अनुलग्नक-XXVIII

(पैरा 6.2.3.4 में संदर्भित)

एनएमईडी के प्रभारों की अनुसूची की दरों से अधिक भुगतान

क्र सं	ब्लॉक का नाम	कार्य के प्रकार	बिलों के अनुसार			एनएमईडी के एसओसी के अनुसार दर (₹ /मीटर)	अतिरिक्त भुगतान (₹)
			किए गए कार्य की मात्रा (मीटर में)	भुगतान की गई राशि (₹)	प्रभावी दर (₹ / मीटर)		
			ए	बी	सी = बी / ए	डी	ई = (सीडी) * ए
1	गोथरा-परसरामपुरा ब्लॉक (चूना पत्थर)	ड्रिलिंग	2797.5	18213791	6511	5242	3549296
2	परपटिया क्षेत्र (बॉक्साइट)	ड्रिलिंग	1540.6	10445268	6780	5242	2369442.8
3	जमोडी-महन्ना ब्लॉक, चूना पत्थर	ड्रिलिंग	3731	25296180	6780	5242	5738278
4	नौबस्ता-कोलाद ब्लॉक, चूना पत्थर (जी2)	ड्रिलिंग	1674	12432798	7427	5242	3657690
						उप-योग =	15314707
1	जुम्का-पथरीपोशी ब्लॉक, जिला- सुंदरगढ़, ओडिशा।	कोर ड्रिलिंग	2933.8	57842800	19716	12650	20730231
2	मलंगटोली लौह अयस्क (एच-सब ब्लॉक), जिले- सुंदरगढ़ और केंदुझार, ओडिशा।	कोर ड्रिलिंग	2183.1	43042000	19716	12650	15425785
3	बीआरएच लौह अयस्क खान, एनईबी रेंज मेसर्स आरएमएमपीएल, एमएल नंबर 2010, जिला- बल्लारी, कर्नाटक।	कोर ड्रिलिंग	1544.4	30449390	19716	12650	10912730
						उप-योग =	47068746
						योग योग =	62383453

अनुलग्नक-XXIX
(पैरा 6.2.3.7 में संदर्भित)

नामित समिति द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त लागत का विवरण

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	अतिरिक्त लागत (₹ में)	टिप्पणियां
1	उदवारा क्षेत्र, अलीराजपुर, एमपी (जी4)	1,06,200	जीआर जमा करने के बाद स्वीकृत
2	कुही-खोबना-अरगाँव गैप एरिया, नागपुर, महाराष्ट्र	12,100	जीआर जमा करने के बाद स्वीकृत
3	उदगी ब्लॉक, चित्तरपुर तालुक, कलबुर्गी, कर्नाटक	1,76,988	जीआर जमा करने के बाद स्वीकृत
4	तामिया ब्लॉक, बोलांगीर, ओडिशा (जी2)	43,613	जीआर जमा करने के बाद स्वीकृत
5	रानीबेन्नूर ब्लॉक, हावेरी और दावणगेरे, कर्नाटक (जी4)	66,779	जीआर जमा करने के बाद स्वीकृत
6	डेरावाड-चारगढ़िया-बांसरा क्षेत्र, उदयपुर, राजस्थान	7,49,022	परियोजनाओं के पूरा होने के बाद स्वीकृत
7	रानीगांव-गोंडैया, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (जी3)	6,60,885	परियोजनाओं के पूरा होने के बाद स्वीकृत
8	डिगगांव, कलबुर्गी, कर्नाटक (जी3)	14,21,548	परियोजनाओं के पूरा होने के बाद स्वीकृत
9	झालारा-मटासुला-मानपुर-भबराना-अमलवा क्षेत्र, राजस्थान (जी4)	13,299	परियोजनाओं के पूरा होने के बाद स्वीकृत
10	कानावत-चला-करथ-बघोली क्षेत्र, राजस्थान (जी4)	12,490	परियोजनाओं के पूरा होने के बाद स्वीकृत
11	वासु-जगत-खरवाच और सारण भरवावत क्षेत्र, राजस्थान (जी4)	35,644	परियोजनाओं के पूरा होने के बाद स्वीकृत
12	सरायपानी-दादर ब्लॉक, छत्तीसगढ़ (जी2)	1,00,465	परियोजनाओं के पूरा होने के बाद स्वीकृत
13	झुमका-पथिरिपोशी, सुंदरगढ़, ओडिशा	1,92,17,914	परियोजनाओं के पूरा होने के बाद स्वीकृत

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	अतिरिक्त लागत (₹ में)	टिप्पणियां
14	कनवचला-करठ-बघोली क्षेत्र, झुंझुनू और सीकर जिला, राजस्थान	11,71,967	कोई पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी।
	योग	2,37,88,914	

अनुलग्नक-XXX
(पैरा 7.2.6.1 (iii) में संदर्भित)
पट्टेदारों की सूची

क्रमांक	एजेंसी का नाम	भूमि आवंटित (एकड़ सेंट में)	आवंटन की तिथि
1	केंद्रीय भंडारण निगम इकाई-I, विशाखापत्तनम	6.97	2.01.2014
2	केंद्रीय भंडारण निगम इकाई-II, विशाखापत्तनम	11.25	2.01.2014
3	मैसर्स इंडियन पोटाश लिमिटेड - II	12.00	29.03.2010
4	मेसर्स के. रामब्रह्मम एंड संस	9.82	3.09.1993
5	मेसर्स कृभ कं.	6.00	28.06.2007
6	मैसर्स एलएमजे इंटरनेशनल लिमिटेड - I	5.00	17.02.2004
7	मैसर्स एलएमजे इंटरनेशनल लिमिटेड - II	6.00	17.02.2004
8	मेसर्स प्रत्युषा स्टीव कॉम (प्रा.) लिमिटेड	6.06	8.12.1993
9	मैसर्स इंडियन पोटाश लिमिटेड - I	6.00	5.10.2006
10	मैसर्स डॉल्फिन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	11.83	25.09.1993
11	मैसर्स ड्यूराफ्लेक्स सर्विस एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	5.83	15.02.1996
12	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	98.07	26.12.2012
13	मैसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	53.025	13.01.2015
14	मेसर्स विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्रा. लिमिटेड - सीएफएस	28.045	13.05.2015
15	मैसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (अतिरिक्त टैंक परियोजना)	212.31	18.05.2019
16	मैसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रिफाइनरी)	511.03	1.06.1995
17	मैसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विशाख टर्मिनल)	15.00	2.01.2014
18	मैसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एलपीजी प्लांट)	17.56	1.04.1993
19	मैसर्स भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र	5.00	13.09.2006
20	मैसर्स रेन कैल्सिनेशन लिमिटेड - II	5.39	11.01.2017

क्रमांक	एजेंसी का नाम	भूमि आवंटित (एकड़ सेंट में)	आवंटन की तिथि
21	मैसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड - विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना	34.96	7.10.2016
22	मैसर्स श्रीवल्ली शिपिंग लिमिटेड	10.40	31.12.2016
23	मैसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड - विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना	50.00	31.03.2017
पट्टे पर दी गई भूमि का योग		1127.55	
उपरोक्त भूमि का 10 प्रतिशत हरित पट्टी के रूप में विकसित किया जाना है		112.75	

अनुलग्नक XXXI

{पैरा 7.2.6.3 (iii)(क) में संदर्भित}

राष्ट्रीय हरित अधिकरण को आश्वासन के रूप में अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक उपायों के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

तत्काल उपाय:

क्र.सं.	निर्देश	मार्च 2020 में स्थिति
1	पत्तन धूल भरे कार्गो (कोयला और अन्य कार्गो आदि) के सभी स्टैक यार्ड को तिरपाल से तुरंत ढकेगा और कोई कोयला स्टैक यार्ड तिरपाल से ढके बिना मौजूद नहीं होगा।	धूल भरे कार्गो का 80% तिरपाल से ढका हुआ था और शेष धूल भरा कार्गो लोडिंग और अनलोडिंग स्थिति में था इसलिए पूरी तरह से ढका नहीं जा सका।
2	पत्तन कोयले के ढेर की ऊंचाई को प्रचालनों के लिए सहमति की शर्तों के अनुसार 6 मीटर तक सीमित करेगा और अतिरिक्त ढेर को तुरंत हटा दिया जाएगा।	स्टैक यार्ड में ढेर की ऊंचाई 6 मीटर तक सीमित थी।
3	पत्तन एस्सार के पश्चिम में कोई धूल भरा कार्गो नहीं रखेगा और मौजूदा धूल भरे कार्गो को तुरंत हटा दिया जाएगा।	एस्सार के पश्चिम में किसी धूल भरे कार्गो का भंडारण नहीं पाया गया। तथापि, एस्सार के पश्चिम में मैंगनीज अयस्क का भण्डारण किया गया जिसमें लम्प्स और फाइन्स थे और उसे तिरपाल से ढका गया था।
4	पत्तन परिसर में किसी भी स्थान पर मशीनीकृत धूल दबाने की प्रणाली के बिना किसी भी धूल भरे कार्गो का भंडारण नहीं करेगा।	तीन क्षेत्रों (अर्थात् वेस्ट ओर बर्थ क्षेत्र, एस4 क्षेत्र और एल17 क्षेत्र) में मशीनीकृत धूल दबाने की प्रणालियां प्रदान की गईं। यार्ड के सामने यातायात प्रबंधक जहां धूल भरे कार्गो को संग्रहीत किया जाता है, वहां आर2 से आर5, ए, बी पर कोई मशीनीकृत धूल दबाने की प्रणालीप्रदान नहीं की गई थी पानी के टैंकरों के माध्यम से गीला करने की सुविधा। वीपीए ने लगभग ₹36 लाख की अनुमानित राशि के साथ आर2 से आर5 पर अस्थायी मशीनीकृत धूल दबाने की

क्र.सं.	निर्देश	मार्च 2020 में स्थिति
		प्रणालीप्रदान करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन आदेश प्रस्तुत किया। वीपीए ने आर2 से आर5 सहित शेष क्षेत्रों में जुलाई 2021 के अंत तक लगभग ₹12.31 करोड़ की लागत से स्थायी मशीनीकृत धूल दबाने की प्रणालीप्रदान करने का प्रस्ताव दिया।
5	पत्तन आर11 क्षेत्र में किसी धूल भरे कार्गो का भंडारण नहीं करेगा।	आर11 क्षेत्र में किसी भी कार्गो का भंडारण नहीं किया।
6	पत्तन कोयला स्टैकिंग यार्डों के पुनर्गठन के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करेगा, जो शहर के इंटरफेस के करीब हैं।	कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं की। वीपीए ने 3 महीने के भीतर कोयले के ढेर को आर2 से आर5 क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है जो मानव आबादी के करीब हैं।
7	पत्तन सभी धूल भरे स्टैकिंग यार्डों के पुनर्गठन के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करेगा और 15 दिनों के भीतर स्टैकिंग यार्ड योजना प्रस्तुत करेगा।	कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं की गई।
8	पत्तन 30 दिनों के भीतर धूल भरे कार्गो हैंडलिंग बर्थ के मशीनीकरण के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करेगा।	बाहरी पोताश्रय में सभी पांच बर्थ और आंतरिक पोताश्रय में तीन बर्थ (अर्थात् पूर्व घाट-1, पूर्व घाट-10 और पश्चिम घाट-5) मशीनीकृत हैं। ईस्ट घाट-8, ईस्ट घाट-9, पश्चिम घाट-6, पश्चिम घाट-7 और पश्चिम घाट-8 अर्द्ध मशीनीकृत हैं। वीपीए ने पूर्व घाट-2 से पूर्व घाट-5 को मशीनीकृत करने की योजना को छोड़ दिया है क्योंकि वे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं और उन्होंने उर्वरक, खाद्यान्न, बोरीदार कार्गो, स्टील, ग्रेनाइट आदि जैसे धूल मुक्त कार्गो को संभालने का फैसला किया है।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

अल्पावधि उपाय:

1	पत्तन 31 मार्च 2016 तक ट्रक टायर धोने की सुविधा की संस्थापना और कमीशनिंग को पूरा करेगा।	वीपीए ने 'बी' - रैंप और एस्सार जंक्शन पर ट्रक टायर धोने की सुविधा प्रदान की।
2	पत्तन 31 मार्च 2016 तक धूल भरे कार्गो के लोडिंग/अनलोडिंग पर ट्रक माउंटेड फॉग कैन्नन सिस्टम की संस्थापना और कमीशनिंग को पूरा करेगा।	पत्तन में दो मोबाइल फॉग कैन्नन हैं और धूल भरे कार्गो के लिए लोडिंग/अनलोडिंग पर फॉग मशीनों की तैनाती करता है।
3	पत्तन सभी मौजूदा मशीनीकृत धूल दबाने की प्रणाली के नवीनीकरण को पूरा करेगा और 31 मार्च 2016 तक चालू हो जाएगा।	मौजूदा मशीनीकृत धूल दबाने की प्रणाली ठीक से काम कर रही है।
4	पत्तन 3 निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित करेगा और 31 मार्च 2016 तक एपीपीसीबी वेबसाइट से जुड़ जाएगा।	पालन किया।
5	पत्तन हरित विशाखा कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन करेगा।	हरित वैशाख कार्यक्रम के अंतर्गत वीपीए को आवंटित 5.65 लाख पौधे लक्ष्य में से वीपीए ने लगभग 4.625 लाख पौधे लगाए थे और लगभग 1.02 लाख पौधे अभी पूरे होने बाकी थे।
6	पत्तन 31 मार्च 2016 तक मशीनीकृत स्वीपिंग मशीन की खरीद करेगा।	वीपीए मशीनीकृत स्वीपिंग मशीन के माध्यम से सफाई कर रहा था और उसने 3 और मशीनें खरीदने का प्रस्ताव दिया।

मध्यम अवधि के उपाय:

1	पत्तन 31 मार्च 2016 तक सिटी इंटरफेस पर सी हॉर्स जंक्शन से कॉन्वेंट जंक्शन तक 7.5 मीटर ऊंची और 1.7 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की दीवार का निर्माण पूरा करेगा।	पालन किया।
---	---	------------

2	पत्तन 31 मार्च 2016 तक बोर्ड के मानकों को पूरा करने के लिए उचित गुणवत्ता वाले आउटपुट के साथ प्रति दिन 10 मिलियन लीटर को संभालने के लिए सीवेज उपचार संयंत्र के उन्नयन को पूरा करेगा।	वीपीए ने कीटाणुशोधन के लिए हाइपो डोजिंग सिस्टम के साथ सीवेज उपचार संयंत्र का उन्नयन किया।
3	पत्तन कोयला यार्ड में क्लोज्ड सर्किट कैमरे प्रदान करेगा और जनता को सूचना के प्रसार के लिए इसे आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से जोड़ेगा।	पत्तन के माध्यम से सैन्य आवाजाही के कारण भारतीय नौसेना द्वारा लगाए गए क्षेत्रों की सुरक्षा और संरक्षा के कारण स्थापित क्लोज्ड सर्किट कैमरे आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से जुड़े नहीं थे।

दीर्घकालिक उपाय:

1	बल्क कार्गो को संभालने के लिए पूरी तरह से मशीनीकृत हैंडलिंग सुविधाओं के साथ 14.50 मीटर ड्राफ्ट जहाजों को संभालने के लिए पश्चिम घाट-2 से वेस्ट घाट-5 तक वेस्ट घाट बर्थ का विघटन और पुनर्निर्माण।	वीपीए ने बताया कि डस्टी कार्गो को उच्च ड्राफ्ट जहाजों जैसे पश्चिम घाट-7, पश्चिम घाट-8 और ईस्ट घाट-7 में स्थानांतरित करने के मद्देनजर वेस्ट घाट-2 से वेस्ट घाट-5 जैसे लोअर ड्राफ्ट बर्थ को मशीनीकृत करना किफायती नहीं था। जिसे 2023 के अंत तक सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर मशीनीकृत किया जाएगा।
2	विशाखापत्तनम पत्तन के आंतरिक पोताश्रय में बल्क कार्गो को संभालने के लिए पूरी तरह से मशीनीकृत हैंडलिंग सुविधाओं के साथ 14.50 मीटर ड्राफ्ट जहाजों को संभालने के लिए ईस्ट घाट-5 और ईस्ट घाट-6 बर्थ।	चूंकि पहले परिकल्पित कार्गो की कोई मांग नहीं थी, इसलिए वीपीए ने ईस्ट घाट-5 और ईस्ट घाट-6 को मशीनीकृत नहीं किया है।
3	विशाखापत्तनम पत्तन के आंतरिक पोताश्रय में बल्क कार्गो को संभालने के लिए पूरी तरह से मशीनीकृत हैंडलिंग सुविधाओं के साथ 14.50 मीटर ड्राफ्ट जहाजों के लिए मौजूदा पूर्व घाट-2 से पूर्व घाट-5 बर्थ का प्रतिस्थापन।	वीपीए ने सूचित किया कि उन्होंने पूर्वी घाट-2 से पूर्व घाट-5 को मशीनीकृत करने की योजना को छोड़ दिया है क्योंकि वे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं थे और उर्वरक, खाद्यान्न, बोरीदार कार्गो, स्टील, ग्रेनाइट आदि जैसे पोताश्रय धूल मुक्त कार्गो का उपयोग करके अर्ध मशीनीकरण करने का निर्णय लिया।

2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

4	बल्क कार्गो को संभालने के लिए मैकेनाइज्ड हैंडलिंग सुविधाओं के साथ वेस्ट घाट नॉर्थ (वेस्ट घाट-7 और वेस्ट घाट-8) बर्थ का विकास।	वीपीए ने 3 वर्ष की अवधि के लिए वेस्ट घाट-7 और पश्चिम घाट-8 पर कार्गो के अर्ध-मशीनीकृत मोड के लिए 16 नवंबर 2018 के आदेश के माध्यम से पर्यावरण मंजूरी (ईसी) में संशोधन प्राप्त किया।
---	---	--

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in